प्रतिलेखन संख्या - 1

महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं, वरन् व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के और इस सारी पृथ्वी के ही [25] परिवेश से है जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है । पर्यावरण से तात्पर्य पेड़-पौधों, नदी-पहाड़ या किसी [50] तंत्र विशेष से नहीं, वरन् उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव-मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास [75] निर्भर है । अस्तित्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं मानसिक भी । स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है । शारीरिक स्वास्थ्य हमारे [100] आहार पर निर्भर है जिसका स्रोत इस पृथ्वी का जल-थल वायुमंडल है । मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर से इन्हीं पर निर्भर है, [125] क्योंकि 'जैसा खाए अन्न वैसा बने मन' । स्वस्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, हमारी परंपराओं का और उन सब परिस्थितियों [150] का पड़ता है जो हमारे ऊपर आरोपित हैं या की गई हैं, या की जा रही हैं । इसलिए पर्यावरण या परिवेश में [175] जल-थल-वायु ही नहीं, बल्कि वे सारे घटक महत्वपूर्ण हैं जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी क्रियाशीलता पर पड़ता है, जैसे [200] हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारी परंपराएँ एवं संस्कृति आदि ।

सदा से मानव की आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है । जगत का अर्थ [225] ही है गतिमान और गति दोनों ओर संभव है, उन्नति की ओर भी और अवनति की ओर भी । पहली को हम प्रगति कहते हैं, [250] दूसरी को अगति, विगति, अधोगति या दुर्गति कह सकते हैं । वास्तव में मनुष्य ऐसा जटिल प्राणी है जिसमें अनेक विरोधाभासी और असंगत प्रतीत [275] होने वाली प्रवृत्तियाँ और प्रतिक्रियाएँ होती हैं । वह कानून और व्यवस्था की माँग करता है, किंतु चल-चित्र, दूरदर्शन आदि में स्वतः भड़की हिंसा या [300] खेलों में युक्तिपूर्वक की गई हिंसा अथवा अनीति से मंत्र-मुग्ध भी हो जाता है । मनुष्य अपनी ही जाति या वर्ग के व्यक्तियों [325] के प्रति प्रायः बहुत अधिक प्रतिद्वंद्वी होता है, किंतु कोई बाहरी खतरा उपस्थित होने पर उनके प्रति हद से ज्यादा सहयोगी बन [350] जाता है । वह सड़कों पर या युद्धों में सामूहिक विनाश के प्रति उदासीन रहता है, किंतु किसी खान में फँसे हुए एक व्यक्ति या [375] किसी कुएँ में गिरे हुए एक बालक की रक्षा करने के लिए ढेरों साधन जुटा लेता है । कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य बंदर की [400] संतान हो या न हो, किंतु उसमें खालिस बंदर की द्वैध प्रकृति प्रायः ही होती है - उसमें शाकाहारी बंदरों की भाँति वृक्षों में उछल-कूद [425] करने की प्रवृत्ति तो होती ही है, साथ ही ऐसे बंदरों की स्वाभाविक जिज्ञासा भी होती है जो अत्यंत संगठित गिरोहों में रहते हैं और भाँति-भाँति [450] का मांस खाने में मजा लेते हैं । मनुष्य की ऐसी परस्पर विरोधी इच्छा-आकांक्षाओं से निपटना असंभव होता है, फिर भी किसी प्रकार का संतुलित [475] मध्यम मार्ग अपनाना अनिवार्य होता है । यही बुद्धिमानी का रास्ता है । विद्वानों ने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पाँच स्तरों में रखा है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 2

महोदय, जो एक के बाद एक आते हैं, **शारीरिक आवश्यकताएँ**, यथा भोजन, कपड़ा, मकान और आराम जीवन की मौलिक आवश्यकताएँ हैं । दूसरे स्तर पर आती 525 हैं सुरक्षा और **भविष्य** के प्रति **निश्चिंतता** । इनके लिए मनुष्य भाँति-भाँति की वस्तुओं का **संग्रह** करता है । फिर हैं सामाजिक आवश्यकताएँ, जैसे 550 अपने परिवार के भीतर और फिर बाहर के दूसरे लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और **मनोरंजनात्मक** संगठन बनाना । चौथे 575 स्तर पर हैं अहम् संबंधी आवश्यकताएँ, जैसे **आत्म-सम्मान**, आत्म-**विश्वास**, और **आत्म-तुष्टि** आदि । **आत्म-परितोष** अर्थात् उन्नति, विकास और **ख्याति**-प्राप्ति की 600 **क्षमताओं** को साकार करना व्यक्ति की अंतिम और **उच्चतम** अपेक्षाएँ हैं । इन आवश्यकताओं की **पूर्ति के लिए** मनुष्य अपने आसपास उपलब्ध पर्यावरण का दोहन 625 करता है । जल-थल-वायु ही नहीं पेड़-पौधों, पशु-पक्षी, जीव-जंतुओं तक का उपयोग करता है । सभी शक्तियों का, यहाँ तक 650 कि सबल व्यक्ति अपने से निर्बल व्यक्तियों तक का दोहन करता है, जो **शोषण** की सीमा तक पहुँच जाता है । इसके लिए भाँति-भाँति 675 की तकनीकें खोजी और **अपनाई** जाती हैं ।

प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को भाँति-भाँति की आवश्यकता की वस्तुएँ अभूतपूर्व **प्रचुरता** से देकर **संतुष्ट** किया है 700 और आवश्यकता की सीमा-रेखा भी **खिसकाई** है । **विलासिता** और सजावट की ऐसी सामग्री भी दी है जो अब बहुत-कुछ आवश्यकताओं में गिनी जाने 725 लगी है । स्वचल वाहन, दूरदर्शन, **धुलाई मशीन**, सफाई मशीन, सिलाई मशीन, **स्टोव-चूल्हे**, मिक्सी, फ्रिज आदि-आदि अब बहुत-से **लोगों के लिए** 750 अनिवार्य आवश्यकता की कोटि में आ गई हैं । तकनीकी और औद्योगिकी से यह सब संभव हुआ है । किंतु एक ऐसा **अल्प-वर्ग** भी है 775 जिसके लिए विलासिता आवश्यकता की कोटि में आ चुकी है । विज्ञान की **जन-समुदाय** के लिए तो मौलिक **न्यूनतम** आवश्यकताएँ भी विलासिता ही बनी हुई हैं । 800 **औद्योगीकरण** के सहारे मनुष्य ने जितना भी विकास किया है, उसे वह उन्नति कहकर संतोष करने लगता है और अपनी द्वैध प्रकृति के 825 कारण यह ध्यान नहीं देता कि इस विकास से वर्गभेद पनपा है, **अमीरी-गरीबी** के बीच की खाई चौड़ी हुई है । जो व्यक्ति 850 मानव-मानव की समानता, समाजवाद या **साम्यवाद** के गीत गाता है, वही अपनी **द्वैध** प्रकृति के कारण अपने पर्यावरण, यहाँ तक कि मानव के 875 भी, शोषण के नए-नए तरीके खोजता है । यह शोषण **बलात्कार** की सीमा तक पहुँच गया है । मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया । 900 **फलस्वरूप** भाँति-भाँति का औद्योगीकरण हुआ, और जल, थल, वायु, सब प्रदूषण के शिकार हो गए । जितना ही अधिक विकास हुआ उतना ही 925 अधिक विनाश हुआ । **प्राकृतिक** संपदा का भीषण ह्रास हुआ । व्यापक वन-विनाश से भूमि बंजर और **मरुस्थल** बन गई । एक बड़ा हवाई जहाज 950 एक दिन में जितनी **ऑक्सीजन** खर्च करता है उतनी आक्सीजन 17,000 हेक्टेयर वन में तैयार होती है, और वन बचे ही कितने हैं । 975 इस उद्योग-प्रधान सभ्यता का केंद्र पूँजी है और **धर्म स्वार्थ** है । मनुष्य, मनुष्य का **शोषण** कर रहा है, देश-देश का । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 3

आइए, आज हम अपने विचारों को उस दिन तक ले जाएँ जब हमने गणराज्य की घोषणा की थी । अपनी विकास की योजनाओं के 25 संबंध में हमने वास्तव में काफी प्रगति की है । परंतु क्या हम भारत के सब नागरिकों को दरिद्रता, अभाव तथा कष्ट से मुक्त करा 50 पाए हैं ? प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करने और जनता के कल्याण के लिए उन्हें नियंत्रण में लाने की दिशा में भी हम आगे 75 बढ़े हैं । किंतु हम यह नहीं भूल सकते कि, कुछ महीने ही हुए, हमें भारत के उत्तर-पूर्वी प्रदेशों में भयानक बाढ़ का सामना करना 100 पड़ा था, जिसके कारण यातायात के साधन छिन्न-भिन्न हो गए और वहाँ की जनता को भारी हानि उठानी पड़ी । निस्संदेह साक्षरता-प्रसार और 125 रोगों के निराकरण के महत्वपूर्ण उपाय भी हमने सोचे हैं, यद्यपि अभी भी देश के बहुत-से भागों में निरक्षरता और बीमारी पर्याप्त मात्रा 150 में दिखाई देती है । जनकल्याण की योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे, यह हमारा दृढ़ संकल्प है । इसमें संदेह नहीं किया जा सकता । 175 इन योजनाओं के पूरे होने के संबंध में जो प्रयास अब तक किया गया है, उससे भी हमें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए । फिर भी, 200 जो कुछ अब तक किया जा सका है, यदि वह बहुत चमत्कारी नहीं दीखता तो उसका कारण यह है कि अभी निर्माण कार्य जारी 225 है और समाप्त नहीं हुआ है । राष्ट्र के निर्माण में समय की आवश्यकता होती है । आज हमारा गणराज्य दिवस है और भारत जैसे 250 प्राचीन राष्ट्र के इतिहास में पाँच-सात वर्ष की अवधि एक स्वल्पकाल है । आइए, अब हम विगत वर्ष की घटनाओं पर नजर डालें और 275 यह देखें कि विकास के कार्यों और निर्माण-योजनाओं की दिशा में हम कहाँ तक आगे बढ़ सके हैं ।

यदि मुझसे यह कहा जाए 300 कि बीते वर्ष की घटनाओं का वर्णन मैं एक वाक्य में करूँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि संविधान में दिए गए निर्देशों के अनुसार 325 हमने समस्त राष्ट्र के साधनों को ऐसे ढंग से जुटाना आरंभ कर दिया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में 350 कल्याणकारी राज्य की स्थापना का श्रीगणेश हो चुका है । पिछले वर्षों में हमने जो संकल्प और दावे किए थे, अब वे मूर्तिमान होने 375 लगे हैं । इसलिए अब यह समझना, कठिन नहीं है कि राष्ट्र किधर जा रहा है और आगामी दस या पंद्रह वर्षों में हम किस 400 स्थिति में होंगे । महान नदी घाटी योजनाओं पर कार्य बराबर जारी है । इनमें से एक योजना, भाखड़ा-नंगल योजना से बहुमूल्य पानी 425 और बिजली, पंजाब, पेप्सू तथा राजस्थान के भागों को मिलने भी लग गई है । दामोदर घाटी योजना से कुछ समय हुआ बिजली प्राप्त 450 होने लगी थी और हीराकुंड, चंबल तथा दूसरी महान योजनाओं की भाँति यह योजना भी यथेष्ट रूप से आगे बढ़ रही है । भाखड़ा-नंगल 475 योजना का प्रथम चरण समाप्त होने से अब यह स्पष्ट है कि इन महान योजनाओं के द्वारा देश में कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएँगे । 500

प्रतिलेखन संख्या - 4

महोदय, कोसी नदी, जिसे शोक और दुख का सूचक माना जाता है, इस वर्ष फिर अपने प्रकोप से महान हानि का कारण बनी। अब इस नदी [525] पर काबू पाने और इसकी उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए भी योजना तैयार हो गई है। इस योजना की रूपरेखा तैयार हो [550] चुकी है और निर्माण का काम हाथ में लिया जा चुका है। आशा है इस योजना के निर्माण से बड़े पैमाने पर जनसाधारण को [575] सेवाएँ उपलब्ध होंगी। जब यह नया परीक्षण सफल होगा, तो महान योजनाओं के निर्माण में और भारत की महान जन-शक्ति के उपयोग के संबंध [600] में हमारी जानकारी और अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। औद्योगीकरण के क्षेत्र में उन्नति, उत्पादन में और अधिक वृद्धि और भारत की प्रति व्यक्ति आय [625] में वृद्धि विचाराधीन, वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। औद्योगीकरण के साथ ही रोज़गार के क्षेत्र को विस्तृत करने के प्रयत्न भी बराबर जारी हैं।[650] कुटीर उद्योगों और घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देकर औद्योगीकरण और रोज़गार में समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात [675] सभी स्वीकार करते हैं कि यदि भारत के जनसाधारण को उदासीनता और हार मानने की भावना से मुक्त करना है, तो बढ़ती हुई [700] बेरोज़गारी को दूर करने का उपाय करना होगा। इस दिशा में घरेलू उद्योग धंधे, बहुत-से लोगों को आंशिक या पूर्ण उपयोगी काम देकर इस [725] समस्या का बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में पुराने घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने और चालू कुटीर उद्योगों को [750] प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है।

विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमारी सफलता और भी अधिक है। हमारी नीति, जिसे मैं सक्रिय और [775] सोद्देश्य तटस्थता की नीति कहना चाहूँगा, वास्तविक व्यवहार में किसी भी देश अथवा यहाँ के लोगों को अपना शत्रु न समझने की नीति है। [800] इस नीति के फलस्वरूप हमें विश्वशांति के पक्ष की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। हम प्रसन्न और आभारी हैं कि संसार [825] के राष्ट्रों में भारत का स्थान इतना ऊँचा है। 'इंडोचीन निरीक्षण और नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय आयोग' की अध्यक्षता हमने स्वेच्छा से स्वीकार की है [850] और हमारे नागरिक यथासाध्य उस देश में शांतिपूर्ण निर्वाचन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम सभी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का [875] निबटारा शांतिपूर्ण ढंग से चाहते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की समस्या शांति और सद्भावना के वातावरण में सुलझ सकी है। [900] शांतिपूर्ण प्रणाली की सफलता का वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुर्भाग्य से भारत में पुर्तगाली बस्तियों की ऐसी ही समस्या को सुलझाने की दिशा में [925] प्रगति नहीं की जा सकी। मैं आशा करता हूँ कि पुर्तगाल इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार करेगा और [950] फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों का अनुसरण करेगा। जैसे ही यह वर्ष समाप्त हो रहा है, हम अपने सबसे निकट के पड़ोसी [975] पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में अपने सुखद परिवर्तन देखते हैं। पाकिस्तान के लिए हमारे हृदय में सदैव से पूर्ण सद्भावना और शुभकामनाएँ हैं। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 5

महोदय, बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो वह अनुभव से प्राप्त हो न कि केवल स्मरण शक्ति पर आश्रित रहकर रटाई द्वारा । उन्होंने [25] सोचा था, और उच्चतम शिक्षाशास्त्रियों का भी यही विचार है कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान बच्चों में जागरूकता, कार्यकुशलता, स्वतंत्र भावना पैदा [50] करता है जो इस जीवन के संग्राम में बहुत सहायक हो सकता है । दूसरा मौलिक विचार उनका यह था कि इस प्रकार की शिक्षा [75] इस देश के लिए अनुकूल ही नहीं बल्कि अनिवार्य है । बच्चों से जो कुछ भी काम कराया जाए, वह उत्पादक काम हो और उससे [100] जो कुछ भी पैदा हो उससे शिक्षा का व्यय यदि पूरा-पूरा नहीं तो अधिकांश निकल सके क्योंकि यदि शिक्षा का व्यय दूसरे [125] प्रकार से निकालने का प्रयत्न किया जाएगा तो वह बोझ इतना बड़ा होगा कि शिक्षा सार्वजनिक नहीं बन सकेगी । पिछले वर्षों में जो [150] कुछ भी विचार किया गया था या प्रयोग करके देखा गया उससे जहाँ तक मैं समझता हूँ वही निष्कर्ष निकाला जा सकता है [175] जो पहले सम्मेलन में हुई बहस से निकाला जा सकता था । हमारे शिक्षाशास्त्रियों ने इस पद्धति की अनुकूलता और श्रेष्ठता तो मान ली थी, [200] पर उनकी दृष्टि में इसके द्वारा शिक्षा का व्यय निकालना असंभव ही नहीं अनुचित भी था । प्रयोग से देखा गया है कि इस [225] पद्धति की उपयोगिता है और इससे पूरा नहीं तो अधिकांश व्यय निकाला जा सकता है । यह मैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में [250] कह रहा हूँ ।

उच्च कोटि की शिक्षा के संबंध में अभी प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है, इसलिए उसके संबंध में अभी कुछ [275] भी कहना संभव नहीं है । इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि इस पद्धति को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला और न इसका उतना [300] प्रचार ही हुआ जितना होना चाहिए था और जितना स्वराज्य प्राप्ति के बाद हम कर सकते थे । इसका कारण, जहाँ तक मैं समझता हूँ, [325] यही है कि इसकी उपयोगित प्रमाणित होने पर भी पुरानी पद्धति पर जो आस्था थी, वह अभी दूर नहीं हुई है और इसी कारण [350] शिक्षा के काम में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनका न तो इस ओर ध्यान गय है और न उन्होंने इस विषय पर [375] गहराई से चिंतन ही किया है ।

आज भी हम इतना ही कह सकते हैं कि इस पद्धति का, अभी केवल प्रयोग ही किया जा रहा है । [400] इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम मानकर हमारी सरकार ने उसको चालू करने का निश्चय नहीं किया और क्रियात्मक रूप से कुछ करने की बात [425] तो नहीं के बराबर ही है । उसका परिणाम यह हुआ है कि पुरानी पद्धति की संस्थाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और शिक्षा पर [450] सरकार जो कुछ भी व्यय कर सकती है या करना चाहती है उसका बहुत बड़ा अंश उस पद्धति को ही बनाए [475] रखने में व्यय हो रहा है और इस पद्धति को बहुत कम प्रोत्साहन मिला है । मेरा अपना विश्वास है कि शिक्षा में मौलिक परिवर्तन अवश्य किया जाएगा । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 6

महोदय, बहुत बड़ा अंश **अनुभव** और लोगों की कही-सुनी बातों से, देखे हुए **दृश्यों** से और कुल तथा समाज की **परंपरा** से प्राप्त होता है । 525 सिनेमा इस **सभी प्रकार के** ज्ञान की प्राप्ति में **सहायक हो सकता है,** क्योंकि यह मनुष्य की **दृश्य** और **श्रव्य अनुभूतियों** के क्षेत्र 550 को बहुत ही बढ़ा सकता है । यह एक साधारण-सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल **सुनी-सुनाई** बात की अपेक्षा हम पर 575 देखे हुए दृश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज को देख लेते हैं, तो उसका उतना फल तो 600 नहीं होता जितना स्वयं आँखों द्वारा देखने से मिलता है । उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी दृश्य के वर्णन करने 625 से पड़ती है । **मनबहलाव** के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं । कुछ तो ऐसे हैं जो मनबहलाव के साथ-साथ **शिक्षाप्रद** 650 भी होते हैं और इसके विपरीत बुरे संस्कारों का साधन बन जाते हैं । **मैं स्वयं यह दावा नहीं कर सकता कि** मैंने बहुत-सी 675 फिल्में देखी हैं । सच पूछिए तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है । पर मेरे पास जो खबरें पहुँचती हैं, बहुतेरे **विश्वसनीय** भाइयों 700 और बहनों द्वारा जो शिकायतें **पहुँचाई** जाती हैं, उनसे मालूम होता है कि बहुतेरी फिल्में दूसरी कोटि की हैं जो शिक्षा अथवा मनबहलाव 725 का साधन न बनकर बुरी **वासनाओं** को **जागृत करती हैं, विशेषकर** युवकों के **चरित्र** पर बुरा प्रभाव डालती हैं । **हो सकता है कि** 750 **इस प्रकार की** फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हों, उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों । कुछ लोग **यह कह सकते हैं कि** 775 **फिल्म-निर्माताओं** का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हों क्योंकि वे एक प्रकार की माँग को पूरा करती हैं । 800

यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मनबहलाव ही है । उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों 825 का मन बहला सकें जिन **लोगों के लिए** बनाई गई हों । ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती हैं, पर **मैं चाहूँगा** 850 **कि** कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों, वे यदि अपना कर्तव्य समाज-सेवा समझते हैं और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए 875 तो उन सबके लिए ये सब बातें यदि **अग्राह्य** नहीं तो गौण अवश्य हैं और उनका **मुख्य उद्देश्य** तो सेवा ही होना चाहिए । 900

सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह **सेव्य** का हित करे न कि उसे गिराए । इसलिए **मैं चाहूँगा कि** फिल्म बनाने वाले इस 925 पर विचार करें कि उनका उद्देश्य क्या है । उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए और सेवा के साथ-साथ यदि **धनोपार्जन** भी हो जाए 950 **तो निर्दोष है** । यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य हो और सेवा न हो, तो वह अग्राह्य होना चाहिए । यदि मुनष्य अपने **स्वार्थवश** कुछ ऐसा 975 काम करता है जो उसके **व्यक्तिगत** लाभ के लिए तो ठीक हो पर जिससे समाज को हानि पहुँचती हो, तो उसे **रोकना पड़ता है** । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 7

महोदय, **यहाँ यह उल्लेखनीय है कि** शीत युद्ध की समाप्ति व समाधान एशिया की घटनाओं तथा **अफ़गानिस्तान से सोवियत सेना** की वापसी से ही हुआ [25] है । अफ़गानिस्तान में लंबे अरसे तक चला युद्ध **सोवियत संघ के अस्तित्व के लिए कष्टदायी** और मुश्किल हो गया । इस **भयावह** युद्ध से सोवियत सेनाओं [50] की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया जिनकी **परिणति शीत युद्ध** की समाप्ति से हुई तथा जिसमें जर्मनी का एकीकरण तथा सोवियत संघ [75] का **विघटन** शामिल है । **संक्षेप में**, शीत युद्ध का और इस **तनाव** का एशिया की एकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ा । एशिया के सभी देश [100] यह चाहते थे कि क्षेत्र में शांति बनी रहे । चीन और सोवियत संघ का सीमा विवाद, चीन और वियतनाम का झगड़ा और भारत व चीन का [125] सीमा विवाद उस समय की **परिस्थितियों** को स्पष्ट करता है । **इस तरह से** पाकिस्तान पूरी तरह से **थाईलैंड** और **फिलीपींस** के साथ अमरीका [150] के खेमे में चला गया था । जापान अपने आर्थिक और **व्यापारिक संबंधों** के कारण पश्चिम के देशों में **सामीप्य स्थापित कर रहा था** । इससे [175] एशिया की एकता को एक नया धक्का लगा है क्योंकि एशिया के देश अलग-अलग खेमों में बँट गए थे । 1960 के दशक में [200] एक नया मोड़ आया, जब शीत युद्ध के समय में **आसियान** के नाम से एक नए गुट का **प्रादुर्भाव** हुआ । इससे **दक्षिणी-पूर्वी एशिया** [225] के देशों में नए आर्थिक और **सुरक्षा संबंधी प्रयास किए गए** । इन देशों में **सांस्कृतिक एकरूपता** की वजह से भी एक नए गुट ने [250] जन्म लिया । लेकिन **यह कहना कठिन होगा कि** इन दक्षिण-पूर्वी **एशियाई देशों** से समूचे एशिया की **पहचान** या एकता बनाने में **सहायता मिली** [275] **है** या उससे धक्का लगा है क्योंकि इन देशों ने अपनी नीति बहुत स्पष्ट नहीं की और केवल अपने ही गुट के अंदर [300] **भूमिपुत्र** नीति को जन्म दिया । भारत भी अब **आसियान** का सहयोगी सदस्य बनने जा रहा है ।

भारत की पहल से **दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन** [325] **(सार्क)** की स्थापना सन् 1985 में की गई जिसके **फलस्वरूप** पड़ोसी देशों के आपसी सहयोग के लिए नया **वातावरण** तैयार हुआ । यह प्रयास [350] **शनैः शनैः** उपयोगी रूप **लेता जा रहा है**, जो एशिया की पहचान बनाने की ओर महत्वपूर्ण कदम है । **व्यापार**, निवेश, **तकनीकी ज्ञान**, **संचार** माध्यमों में [375] **बढ़ोतरी** ने 'विश्व गाँव' के विचार को भी पैदा किया । बढ़ते हुए व्यापार, निवेश, संचार एवं विज्ञान की **आधुनिक तकनीकों** ने पूरी दुनिया में [400] **एक-दूसरे-पर**, निर्भर रहने के नए विचारों को जन्म दिया । अंग्रेजी भाषा, हालीवुड, **कंप्यूटर्स** और **उपभोक्ता** संस्कृति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, [425] जिससे देशों में फासले कम हुए, संस्कृति और सभ्यता भी प्रभावित हुई । **हो सकता है** कि इसके अच्छे परिणाम न हों, ऐसी भी [450] **आशंका** की जाती है । **उदाहरणतः** जापान दूसरे **महायुद्ध** तक अपनी **संस्कृति** और सभ्यता व संयुक्त परिवार जैसी **आधारभूत** सामाजिक मान्यताओं को **केवल अपनाए** [475] हुए नहीं था, बल्कि उससे चिपटा हुआ था, लेकिन जापान जैसे सभ्यता वाले देश भी यूरोप के प्रभाव से बच नहीं **सके** । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 8

महोदय, दूसरे शब्दों में आर्थिक, व्यापारिक निवेश और तकनीकी कारणों से द्वितीय महायुद्ध के बाद और शीत युद्ध के दौरान एशिया के देशों [525] में पुनः धुँधलापन पैदा हुआ। लेकिन, यह बात सही नहीं है कि एशिया की संस्कृति और सभ्यता को पश्चिम के प्रभाव और आधुनिकतम तरीकों ने [550] नष्ट कर दिया, हाँ एक धक्का जरूर दिया। पर समय-समय-पर एशिया का यह रूप, एशिया की यह सभ्यता और संस्कृति बलशाली तरीके [575] से उदयमान होती दिखाई देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में एशिया की पहचान पर लिखा है कि हजार [600] वर्षों से जब यूरोप अपने अंधकार के युग में था एशिया ने अपने मनुष्यों की प्रगतिशील आत्मा को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया। उन्होंने यह [625] विश्वास भी जताया कि एशिया की संस्कृति और सभ्यता यूरोप की संस्कृति और सभ्यता से अधिक प्राचीन है। आज के दिनों में भी चीन के [650] नेता अपने यहाँ आध्यात्मिक क्रांति की बात करते दिखाई देते हैं, और अपने आर्थिक विकास को भी प्रतिबिंबित करते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री [675] भी बड़े गर्व के साथ 'मलेशिया के रास्ते' की बात करते हैं, और आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति के मिश्रण से मलेशिया का विकास करना चाहते हैं। [700] भारत के प्रधानमंत्री भी मध्य मार्ग की बात करते हैं जिसको वे भारत का पारंपरिक विचार कहा करते हैं। वियतनाम के यशस्वी नेता [725] भी साम्यवादी विचारधारा को पारंपरिक सहिष्णुता के अनुसार ढालना चाहते थे। एशिया के इन सब नेताओं की समय-समय पर की गई घोषणाओं का वर्तमान [750] संदर्भों में पूरा अर्थ लिया जाना चाहिए जो एशिया की पहचान को नए सिरे से बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा हे।

यहाँ यह भी [775] बताना उचित होगा कि हाल के वर्षों में एशियाई देश, विशेष रूप से पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देश, एशिया के सुदृढ़ देशों के [800] रूप में उभरे हैं और इन देशों के आर्थिक विकास की दर विश्व के किसी भी अन्य देश के आर्थिक विकास की दर से अधिक है तथा [825] जिनके, आने वाली शताब्दी में, विश्व आर्थिक व्यवस्था के निर्माताओं के रूप में उभरने की आशा है। आर्थिक सफलता की इन कहानियों का श्रेय [850] मुख्य रूप से अनुशासित कार्य, किफायत एवं बचत की ऊँची दरों जैसी एशियाई विशेषताओं को जाता है तथा इनसे देशों की जनता के जीवन [875] स्तर में सुधार आया है और एशिया की 'पुनः खोज' जैसा वातावरण बन रहा है। एशिया के देशों में अब आपसी भाईचारे की भावना [900] उभर रही है और इससे ये देश परस्पर निर्भर हो रहे हैं तथा शीत युद्ध के प्रभाव से मुक्त होते जा रहे हैं। [925] हमारी सरकार ने अपने एशियाई पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने में पहल करके इस बदलते रुख के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया है। [950] इन सब प्रश्नों का जवाब आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन शनैः शनैः इन प्रश्नों में ही इसके उत्तर मिलेंगे। एशिया अपने इन प्रश्नों के उत्तर [975] में एक नए एशिया को जन्म देगा और अपनी एक नई पहचान बनाएगा। यूरोप और अमरीका के आधुनिक औद्योगिक विकास में फर्क नज़र आता है। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 9

महोदय, बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं । यह यथार्थ सत्य है और सदियों से इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल 25 दिया गया है । जन्म से लेकर बच्चों के स्वास्थ्य, रहन-सहन और उनकी शिक्षा को लेकर उनके माता-पिता का चिंतित होना स्वाभाविक 50 है । लेकिन तेजी से अपनी जड़ें जमा रहे भौतिकवाद ने हर छोटे-बड़े समाज के सामने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि बच्चों 75 को किस तरह उनका हक दिलाया जाए जिससे वे आगे चलकर मजबूती और आत्मविश्वास के साथ समाज के सजग प्रहरी बन सकें । 100 पिछले कुछ दशकों से बच्चों के भविष्य को लेकर उपजी चिंताओं ने वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों को शोध और अनुसंधान के लिए बाध्य किया है । 125 नित नई-नई समस्याओं ने माता-पिता को दुविधा में डाल दिया है । एक ओर जहाँ जीवनयापन के लिए महिलाएँ भी पुरुषों की तरह 150 कमर कस कर घर की चारदीवारी से बाहर निकल रही हैं वहीं इसके कारण सदियों से चली आ रही सामाजिक संरचना गड़बड़ाने 175 लगी है । आजीविका कमाने और अत्यधिक सुख वैभव की चाहत ने हर दंपत्ति को जीवन-शैली बदलने पर मजबूर कर दिया है । समाज में 200 हो रहे इस बदलाव के कारण बच्चे सबसे ज्यादा उपेक्षित होने लगे हैं । अब तक की तमाम रिपोर्टों के मुताबिक यह स्पष्ट है कि 225 अगर बच्चों के प्रति माता-पिता की उदासीनता इसी प्रकार बढ़ती रही तो आने वाला वक्त तमाम परेशानियों के कारण जटिलता भरा हो जाएगा । 250 बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो सबसे पहली समस्या सामने आती है वह है उनका स्वास्थ्य ।

माता-पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य को 275 लेकर चिंतित रहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार वह कम से कम बच्चों के खाने-पीने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते । 300 इस प्रयास में अक्सर यही देखा गया है कि माता-पिता खाने-पीने के माभले में बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव रखने में लगे रहते हैं । 325 उनकी कोशिश यही रहती है कि उनका बच्चा हमेशा खाता-पीता रहे और फिर यह होता है कि बच्चे के खाने-पीने का 350 कोई समय निर्धारित नहीं हो पाता और उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं । असमय खाने-पीने के कारण कई प्रकार की समस्याएँ पैदा होती हैं । 375 इन बच्चों में मोटापा होना प्रमुख है । अगर आँकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि विकसित देशों में खासतौर से बच्चों 400 का मोटापा चिंता का विषय बनता जा रहा है । पिछले पाँच दशकों से खासतौर से अमरीका में मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या दुगुनी 425 हो गई है । कुल मिलाकर छह से सत्रह वर्ष की उम्र के ऐसे अमरीकी बच्चों की संख्या लगभग 450 47 लाख थी । यही नहीं इस उम्र के मोटापे के शिकार बच्चों का कुल औसत 10.9 प्रतिशत था । ऐसे बच्चों की प्रतिशत 475 औसत की तुलना में दो गुना से अधिक थी । इनमें मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या पिछले दस-बारह सालों में काफी तेजी से बढ़ी है । 500

प्रतिलेखन संख्या - 10

महोदय, **विकसित देशों** की भाँति **विकासशील देशों में फिलहाल यह समस्या नहीं है** लेकिन बदली हुई **परिस्थितियों** में विशेषकर **संभ्रांत** परिवारों और [525] कामकाजी माता-पिता के बच्चों के बीच मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। वैसे तो बच्चों के मोटे **होने के लिए** [550] कई **परिस्थितियाँ** जिम्मेदार होती हैं जैसे उनके **पैतृक** गुण, भूख, उसका स्वभाव और दुखी होना। किन्हीं विशेष **प्रकरणों में हार्मोन संचय** में [575] गड़बड़ी होना मोटापे का कारण बन जाता है। यदि बच्चे के माता-पिता मोटे हैं तो बच्चे की भी मोटे होने की **संभावना** बढ़ [600] जाती है। पैतृक कारणों के अलावा बच्चे का स्वभाव भी उसके मोटापे के लिए जिम्मेदार साबित होता है। जो बच्चे ज्यादा नाखुश रहते हैं [625] वे **प्रत्यक्ष रूप से** ज्यादा खाने के आदी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में असमय खाने की आदतें कहीं ज्यादा होती है। जब कभी [650] उनका मन नहीं लगता वे कुछ खा पीकर अपना मन **बहलाने** की **कोशिश** करते हैं। और **धीरे-धीरे** यह **आदत** बढ़ती जाती है जो [675] उनके मोटापे का कारण बन जाती है। **इसके अलावा** जो बच्चे **खेलकूद** में दिलचस्पी नहीं रखते उनके भी मोटा होने [700] की संभावना होती है। **व्यायाम** की कमी से **शरीर** की ऊर्जा चर्बी में **परिणत** होने लगती है। इन सब **परिस्थितियों** में मोटापे के **आसार** बढ़ने [725] लगते हैं। 'अधिक भूख लगना और अधिक भोजन खाना' मोटापे का सबसे बड़ा कारण होता है। **नवजात शिशु** ही क्यों न हो उसे [750] आवश्यकता से अधिक दूध पिलाना **अवांछनीय** है। दूध के स्थान पर ठोस **आहार** देना कहीं अधिक **श्रेयस्कर** होता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है [775] उसके खाने-पीने में खासकर इस बात का **ध्यान रखा जाना चाहिए कि** उसमें चर्बी **बढ़ाने का कारण** बनने वाले खाद्य पदार्थ [800] खासकर घी, मक्खन आदि का इस्तेमाल **अनुपात** से ज्यादा न होने पाए।

करीब छह-सात वर्ष से लेकर चौदह पंद्रह वर्ष तक की उम्र [825] के बच्चों का **शारीरिक विकास अत्यधिक** तेज हो जाता है। इस उम्र के दौरान विभिन्न शारीरिक एवं **हार्मोन** परिवर्तनों के कारण बच्चों में **मोटापा** बढ़ने [850] का खतरा रहता है। मोटापा **बच्चों के** लिए कई बार **अभिशाप** बन जाता है। अन्य बच्चे उसे मोटा कहकर **चिढ़ाते** हैं तथा उसके [875] साथ खेलना पसंद नहीं करते। इस प्रकार दुखी होने और **अकेलेपन** के कारण स्वयं को **सांत्वना** देने के लिए बच्चा सामान्य से **क्रमशः** मोटा ही [900] होता चला जाता है। इतना ही नहीं यही मोटापा बच्चे के आलसी होने का मुख्य कारण बनता है। **सामान्य जीवन** में वह और बच्चों की [925] तुलना में पहले खेलने-कूदने में और फिर कई बार **पढ़ने-लिखने** में पिछड़ने लगता है। यही नहीं बचपन का **मोटापा युवावस्था** और अधिक [950] उम्र होने पर रोगों का कारण बनता है। मोटापा हृदय **रोग**, कुछ प्रकार के **कैंसर** और समय से पहले मौत का प्रमुख कारण बन जाता [975] है। अत्यधिक मोटापा **शरीर** में चर्बी को जन्म देता है जिसका असर रक्त की धमनियों और शिराओं पर पड़ने लगता है। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 11

भाइयो, **आखिरकार** एक लंबे संघर्ष के बाद, जो कि **मुख्य रूप से अहिंसात्मक** था और जिसका **नेतृत्व** ऐसे **विलक्षण** व्यक्ति ने किया जो [25] अहिंसा और सत्य को **ईश्वर** का **पर्याय** मानता था, परंतु **स्वतंत्रता** के किनारे पहुँचने के **अंतिम** चरण में, भारत को खून की नदी में से [50] होकर गुजरना पड़ा । और यह नदी भारतीयों ने ही **खोदी** थी, तथा इसमें भारतीयों का ही खून बह रहा था । **अभूतपूर्व** पैमाने पर लोगों [75] का **निष्क्रमण** हुआ । पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, **बीमारों** समेत एक करोड़ व्यक्ति जिनके **शरीरों** से खून चूकर भारत की भूमि तक को रंग रहा [100] था, भारत के एक ओर से दूसरी ओर गए । उन्होंने अपने पीछे न केवल मकान और जमीनें छोड़ीं, बल्कि अपने घर के **व्यक्तियों** के [125] **मृत शरीर** भी छोड़े । स्वतंत्र भारत के किनारे तक **पहुँचने के लिए** देश को यह मूल्य चुकाना पड़ा और वह दो **प्रभुतासंपन्न** राष्ट्रों [150] **भारत और पाकिस्तान** में विभाजित हो गया । यह 15 अगस्त, 1947 की बात है । कांग्रेस ने, जो **वास्तविक रूप से** 1885 से भारत की राष्ट्रीय [175] वाणी थी, हमेशा भारत की एक राजनीतिक इकाई के रूप में **संकल्पना** की थी । कांग्रेस को अंत में भारत का विभाजन **स्वीकार करना** पड़ा [200] वैसे तो यह **स्वीकृति** सहमति से दी गई थी परंतु वास्तविक रूप में देखा जाए, तो यह ब्रिटिश शासकों द्वारा पिछले कई दशकों से उत्पन्न [225] की गई परिस्थितियों के दबाव के कारण था । 'फूट डालो और राज करो' की नीति पहले-पहल **अलीगढ़** मुस्लिम कालिज की स्थापना के साथ **शुरू** [250] **की गई** । **एक दूसरे के बाद** आने वाले तीन ब्रिटिश **प्रिंसिपलों** ने **पृथकता** का विचार मुस्लिम नेताओं और छात्रों के मन पर बैठाया ।

सर [275] सैयद अहमद को विभाजनमूलक विचारों को **फैलाने के लिए** उनसे **हर प्रकार की** मदद मिली । हम यह नहीं कहेंगे कि इसमें **हिंदुओं** का [300] कोई दोष नहीं था, जो मुसलमानों से **सामाजिक स्तर** पर **अलगाव** बनाए रखते थे और **आर्थिक दृष्टि से** उनका **शोषण** करते थे । अलीगढ़ कालिज [325] के अधिकारियों को अपने उद्देश्य की **पूर्ति के लिए उपजाऊ** भूमि मिली । यह सब कुछ पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ । इन्होंने [350] **सोच-समझकर राष्ट्रीय** मुसलमानों की उपेक्षा करने की नीति **अपनाई** । 1947 में कांग्रेस के पास विभाजन स्वीकार करने के सिवा कोई विकल्प नहीं [375] था, विशेषकर गंभीर **सांप्रदायिक** झगड़ों के कारण, जो कि **गृह युद्ध** का रूप धारण कर रहे थे । जिन्ना ने यह सुझाव भी दिया [400] कि **सांप्रदायिक आधार पर** आबादी की **अदला-बदली** की जाए । शायद वह बेहतर समाधान होता क्योंकि इससे शायद वे क्रूर **कृत्य** न [425] होते, जो बहुत लंबे काल तक पड़ोस में रहने वालों के साथ उनके **पड़ोसियों** ने किए । विभाजन को **स्वीकार करते हुए** कांग्रेस ने [450] 15 जून, 1947 को दिल्ली में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें अंतिम बार भारत की मूलभूत एकता का आग्रह किया गया था । **इसमें कहा** [475] **गया था** 'पिछली दो **पीढ़ियों** के श्रम और बलिदान की नहीं, बल्कि भारत का **विस्तृत** इतिहास और **परंपरा** भी इस **मूलभूत** एकता की **साक्षी है** ।' [500]

प्रतिलेखन संख्या - 12

भाइयो, भूगोल, **पर्वत** और **समुद्र** ने भारत के **स्वरूप** का निर्माण किया है। कोई मानव संस्था इसके **आकार** को बदल नहीं सकती और 525 न ही उसके अंतिम लक्ष्य में बाधक बन सकती है। आर्थिक **परिस्थितियों** और **अंतर्राष्ट्रीय** मामलों की लगातार **माँगों के कारण** भारत की एकता 550 और भी **आवश्यक हो गई है**। भारत के जिस चित्र को हमने अपने दिलों में **संजोया** है, वह सदा हमारे दिलों और दिमागों में 575 रहेगा। **अ. भा. कांग्रेस समिति गंभीरता** से यह विश्वास करती है कि जब **वर्तमान भावनाओं की उत्तेजना समाप्त हो जाएगी**, तो भारत की समस्याओं को 600 उचित **परिप्रेक्ष्य** में देखा जाएगा और भारत में दो राष्ट्रों के **अस्तित्व** के झूठे सिद्धांत को **समाप्त कर दिया जाएगा** और सभी इसका 625 त्याग कर देंगे। सामान्यतः राष्ट्रीयता जातीय, भाषाई अथवा भौगोलिक तत्वों पर **आधारित** होती है। परंतु इस्लाम का अलग अस्तित्व है, जो अन्य **धार्मिक वर्गों** में 650 **मिश्रित** नहीं होता। 55 वर्ष की स्वतंत्र **धर्मनिरपेक्ष** राष्ट्रीयता के बाद आज भी कई जिम्मेदार मुस्लिम नेता दावा करते हैं कि मुसलमान अलग राष्ट्र है। 675

एक जिम्मेदार दल द्वारा इतने अधिक **करुणाजनक** और **आत्म-भ्रामक** प्रस्ताव की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जितना कि अ. भा. कांग्रेस 700 समिति ने 15 जून 1947 को पास किया था। सभी नेता थक चुके थे और बूढ़े हो रहे थे। **आदर्शवाद** की जिस **ज्वाला** ने 725 उन्हें 26 वर्ष पूर्व **प्रेरित** किया था, उसका जोश ठंडा **होने लगा था**। कांग्रेस का विकास सदा ही बदलते **नेतृत्व** के माध्यम से हुआ 750 था। परंतु पिछले 25 वर्षों में वही नेता कांग्रेस की सत्ता संभाले हुए थे। उनके **व्यक्तित्व** और उनके त्याग ने उनको 775 जो **ख्याति** प्रदान की थी, उनको जो बल प्रदान किया था, उसको कोई युवा नेता चुनौती देने का **साहस** नहीं कर सकता था। विभाजन के विरोध में केवल एक ही 800 **स्वर** था और वह था, गांधी जी का। परंतु वे भी बहुत बूढ़े **हो गए थे** और उनका **स्वास्थ्य** भी ठीक नहीं था। 825 उन्होंने अ. भा. कांग्रेस समिति से प्रस्ताव **स्वीकार करने के लिए** कहा, यदि वे नई कार्यकारिणी समिति और नई **अंतरिम** सरकार के लिए 850 नए नेता नहीं चुन सकते। प्रस्ताव को पहले कार्य समिति ने पास किया। गांधीजी से **विशेष रूप से प्रार्थना** की गई थी कि 875 वे उपस्थित हों और सभा को **संबोधित** भी करें। लेखक अ. भा. कांग्रेस समिति की बैठक में उपस्थित था। गांधीजी का भाषण **स्पष्ट रूप** 900 **से** उनके दुख का **द्योतक** था। **उन्होंने कहा कि** उनके विचार **सर्वविदित हैं**। फिर भी उन्होंने अ. भा. कांग्रेस समिति 925 को प्रस्ताव पास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अ. भा. कांग्रेस समिति को इसे रद्द करने का अधिकार है। परंतु किसी ने 950 इसका उत्तर नहीं दिया। उस समय ब्रिटेन भारत से चले **जाने के लिए** और अपनी **साम्राज्यवादी** धाक **छोड़ने के लिए** बहुत **उत्सुक था**। 975 अब यह बोझ उनके लिए बहुत भारी हो गया था। एशिया के राजनीतिक **पुनरुत्थान** की उठती हुई लहर को **नियंत्रित करना था**। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 13

महोदय, **निस्संदेह** ही आज भी हम भले ही कई **मुश्किलों** का **सामना कर रहे हों**, फिर भी हम 1991 के उन दिनों जैसी स्थिति में [25] नहीं हैं । एक राष्ट्र के रूप में हमने काफी **भरपाई** करली है और **हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं** । श्री राव के [50] **नेतृत्व के बिना यह** संभव **नहीं था** । अब यह अटकल लगाना **व्यर्थ** और **मूर्खतापूर्ण** भी है कि कोई और नेता होता तो क्या कुछ ज्यादा [75] और बेहतर **किया जा सकता था** या नहीं । तथ्य **यह है कि** वही नेता थे **जिनके कारण** हम एक ऐसी स्थिति तक पहुँच [100] गए हैं जो देश और उसकी **तरक्की के लिए** निरापद है । हम जिस अवधि से गुज़रे हैं वह बहुत मुश्किल और **हलचलपूर्ण** थी । [125] **सोवियत संघ** के पतन और **विघटन** से हमारी जो कुछ भी **अंतर्राष्ट्रीय स्थिति** थी उसका आधार ही **खत्म** हो गया । ऐसा लगता है [150] कि हमारे देश में कुछ लोग इस घटना का पूरा मतलब नहीं समझ पाए हैं । **बेशक** यह **कम्युनिस्टों** और आधुनिक समाजवाद के अन्य **समर्थकों के** [175] **लिए** बेहद चिंता का विषय था । इससे उन सभी निष्पक्ष **देशभक्तों** को काफी दुख हुआ जिनके लिए **सोवियत संघ** अच्छा मित्र [200] था और अकेली विदेशी शक्ति थी जो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती थी । उससे हमें काफी नैतिक और भौतिक **समर्थन** भी मिला था । [225] हमारे देश में सोवियत संघ के तमाम मित्रों में भी सभी लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि **आर्थिक**, **वैज्ञानिक** और **प्रौद्योगिकी** के हिसाब [250] से इसका क्या **मतलब** था और है। जब हमें सख्त **जरूरत** थी तो कोई ऐसा नहीं था जिसकी ओर हम देखते । **घबराने** और [275] अपने देश को **दिवालिया** राष्ट्र घोषित करने के **बजाय** प्रधानमंत्री ने **मुश्किलों** का डटकर मुकाबला किया । हमें इस संकट से निकालने की व्यवस्था [300] की और **साहस** के साथ देश को एक नए आर्थिक रास्ते पर **अग्रसर** किया ।

कांग्रेस ने अपने **चुनाव घोषणपत्र** में इसकी मोटी [325] रूपरेखा न बना ली होती तो बेशक **यह सभंव न हो पाता** । इस घोषणापत्र के मुख्य निर्माता स्वयं **राजीव गांधी** थे और इसे [350] तैयार करने में श्री राव उनके मुख्य सहायक थे । देश को संकट से उबारने और नए आर्थिक रास्ते पर ले जाने में बेशक मनमोहन सिंह [375] की देशभक्ति, **विद्वत्ता** और **ख्याति** महत्वपूर्ण कारण थे । नई **आर्थिक** नीति जनता के हित में नहीं है, इस **काल्पनिक** तथ्य को लेकर काफी हंगामा [400] **मचाया जा रहा है** । इसके उलट अगर उसे **अपेक्षित** ढंग से लागू **नहीं किया जा रहा है** तो इसकी वजह यह है कि [425] जनता के नाम पर हर तरह की **आंशिक** और **कारपोरेट** माँगे पूरी की जा रही हैं । **प्रधान** मंत्री ने दो महत्वपूर्ण तरीकों से नई आर्थिक [450] **नीतियाँ** बनाने में अपना योगदान दिया है । सबसे पहले तो उन्होंने नई नीति **लागू करने के लिए मध्यम मार्ग अपनाने** पर जोर दिया है । [475] नए आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने में उन्होंने जो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान किया है वह है इसके पक्ष में **राष्ट्रीय सहमति** बनाना । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 14

महोदय, हमारे देश में राजनैतिक विचारों में जितनी भिन्नता है उसके मद्देनज़र यह एक असाधारण बात है। जबकि इनमें से ज्यादातर लोग [525] यही ठाने रहते हैं कि चाहे जो हो और जो भी मुद्दा हो उन्हें विरोध करना है। चुनावों में झटकों और यदाकदा टेढ़े-मेढ़े [550] रास्तों के बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया [575] है, माकपा से लेकर जनता दल और भाजपा तक। आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत सुधार के अलावा पंजाब में नाटकीय बदलाव [600] आया है। बंदूक की लड़ाई की जगह अब पूरी तरह बैलट की लड़ाई ने ले ली है। उस प्रदेश की जनता के लिए यह दूसरी [625] आजादी से कुछ कम नहीं है। असम और उत्तरपूर्व के कई हिस्सों में भी ऐसे बदलाव आए हैं। हालाँकि वे पंजाब जैसे [650] नहीं हैं। ऐसा समझना कि आतंकवाद का ख़तरा टल गया है बेशक ग़लत होगा, पर जो सफलताएँ हमने पाई हैं उन्हें स्वीकार न करना [675] कम गलत नहीं होगा। पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने को भी साधारण काम नहीं समझा जाना चाहिए। इस कदम से महात्मा गांधी के [700] सपने और दिवंगत राजीव गांधी की लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता फलीभूत हुई है। यह संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक क्रांति को [725] आगे बढ़ाने का प्रतीक है। इससे हमारे राष्ट्र का लोकतांत्रिक आधार मजबूत हुआ है।

हिंदुत्व के घटते उन्माद का ध्यान रखना भी [750] उतना ही महत्वपूर्ण है। भाजपा और शिवसेना को चुनावी सफलता भले ही मिल गई हो पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व [775] भी मानता है कि उसका मुख्य कारण कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतों, बेरोज़गारी आदि जैसी सामान्य समस्याओं से निपटने में कांग्रेस सरकार की [800] नाकामी थी न कि सांप्रदायिक भावनाएँ। हिंदू सांप्रदायिकतावाद में स्पष्ट कमी आना बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। इन सबसे महत्वपूर्ण है सार्वभौमिक मामलों में [825] भारतीय व्यक्तित्व का फिर से उभरना। इसके आयाम हमारे विदेश संबंधों में आर्थिक अंश की वृद्धि से कहीं अधिक हैं। चीन से संबंध लगातार [850] सामान्य होते जा रहे हैं, भारत--ईरान संबंध फिर कायम हो गए हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के साथ परस्पर लाभ के सहयोग की नई [875] संभावनाएँ बनी हैं। अमरीका और अन्य विकसित पूँजीवादी देशों से सहयोग बढ़ाने की दिशा में समुचित ध्यान दिए जाने के बावजूद किसी भी मसले पर [900] हम नहीं झुके हैं, समर्पण की बात तो दूर है। इसमें आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण स्वरूपों के अलावा रक्षा का क्षेत्र भी शामिल है। [925] इसका सबसे ताजा उदाहरण है परमाणु अप्रसार संधि के मामले में हमारा अपनी नीति पर कायम रहना। जबकि इसके लिए हम [950] पर कई दिशाओं से भारी दबाव डाला गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन को नई नीति देने के प्रयास भी चल रहे हैं। इन सब उपलब्धियों को मिलाकर [975] एक वाक्य यह है कि प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा काम यह किया कि हमारे देश में शासन पुनःस्थापित कर दिया और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 15

महोदय, देश की लगभग तीन-चौथाई जनसंख्या गाँवों में रहती है, जिनकी आय कम होने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि [25] अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों और [50] गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है । ग्रामीण विकास [75] का व्यापक दायरा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों एवं ग्रामीणों के जीवन-स्तर का सर्वांगीण विकास शामिल है । इसका अर्थ निर्धनतम लोगों [100] की अपने स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में उत्पादन क्षमता की वृद्धि है । ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में पूँजी का निवेश एवं उसका विस्तार [125] उत्पादक शक्तियों का विकास तथा निर्धन एवं बेरोज़गार ग्रामीणों का अर्थव्यवस्था के उत्पादक विकासशील क्षेत्रों में सम्मिलित होना आवश्यक है । मंत्रालय की गतिविधियों [150] का मुख्य उद्देश्य गरीबी पर सीधा प्रहार है, जिसके अंतर्गत विशेष मजदूरी रोज़गार व स्वरोज़गार कार्यक्रम, भूमि सुधार, बंजर भूमि विकास एवं जल संभरण [175] विकास कार्यक्रम हैं । इनमें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण स्वच्छता, कृषि विपणन, ग्रामीण आवास है तथा लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा [200] सहायता और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं कृषि विपणन केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है ।

गरीबी उन्मूलन के प्रयासों का महत्व [225] इसकी योजनाओं के आबंटन में वृद्धि को बताता है । जहाँ नौवीं योजना में इसका परिव्यय 40,000 करोड़ रुपए था, उसे बढ़ाकर [250] दसवीं योजना में 80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है । इस बढ़े हुए परिव्यय के साथ-साथ, जैसा कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित [275] महत्वपूर्ण संविधान अधिनियम 1992 में बताया गया है, लोगों की कार्यक्रमों में बेहतर भागीदारी प्राप्त होगी, जिससे निर्धन ग्रामीणों के जीवन-स्तर [300] में सुधार लाने के प्रयास को नई दिशा प्राप्त होगी । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय प्रयास में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रमों [325] को दी गई नई दिशा की एक झलक इस पुस्तिका में प्रस्तुत है । ग्रामीण गरीबी की समस्या कम ग्रामीण उत्पादकता और अल्परोज़गार व बेरोजगारी से [350] जुड़ी है। यद्यपि विकास की सामान्य प्रक्रिया के अधीन ही उत्पादक रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाते हैं, फिर भी ग्रामीण लोगों के [375] लिए रोज़गार पैदा करने तथा आय के कुछ न्यूनतम स्तर प्राप्त करने हेतु विशेष रोज़गार कार्यक्रमों की सतत आधार पर जरूरत है । [400] उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर रोज़गार सृजन की विभिन्न योजनाएँ चलाई गई थीं। सातवीं योजना के आखिरी वर्ष में 1 अप्रैल, [425] 1989 से उस समय विद्यमान दो रोज़गार कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम को जवाहर रोजगार [450] योजना नामक ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम में मिला दिया गया था । जवाहर रोज़गार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गार पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अतिरिक्त [475] फायदेमंद रोज़गार का सृजन करना है । ग्रामीण आर्थिक आधार ढाँचे को सुदृढ़ बनाकर सतत आधार पर रोज़गार के अवसर सृजित करना है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 16

महोदय, सामुदायिक और सामाजिक परिसंपत्तियाँ सृजित करना ग्रामीण गरीबों को प्रत्यक्ष तथा निरंतर लाभ पहुँचाने हेतु उनके लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना । मजदूरी स्तरों [525] पर सकारात्मक प्रभाव डालना । ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में समग्र रूप से सुधार लाना । गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग [550] लक्षित वर्ग हैं । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है । रोज़गार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिए [575] आरक्षित हैं । केंद्र और राज्यों द्वारा 80 व 20 के अनुपात में व्यय वहन किया जाता है । केंद्रीय आबंटन देश के कुल गरीबों की तुलना [600] में राज्य/संघशासित क्षेत्र के गरीब ग्रामीण लोगों के अनुपात के आधार पर किया जाता है । वे सभी कार्य शुरू किए जा सकते हैं [625] जिनसे टिकाऊ उत्पादक स्वरूप की सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन होता है । । पंचायत समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन और अनुमोदन किए जाने के [650] पश्चात उसे अनुमोदन देने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम है । संसाधनों का कम से कम 60 प्रतिशत भाग मजदूरी घटक पर खर्च करना होता है । [675]

जवाहर रोज़गार योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों अथवा बिचौलियों को लगाए जाने की अनुमति नहीं है । मजदूरों को रियायती दरों पर प्रतिदिन 2 किलोग्राम [700] खाद्यान्न दिया जाता है । 1755 पुनर्गठित ब्लाकों में मजदूरों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों का जारी मूल्य प्रति किलोग्राम 50 पैसे कम है । [725] जवाहर रोज़गार योजना की सामान्य प्रणाली के अलावा पिछड़ेपन के आधार पर चयन किए गए 120 पिछड़े जिलों में कार्यक्रम को तेज करने [750] के लिए 700 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं । जवाहर रोज़गार योजना की तीसरी पद्धति में विशेष और अभिनव परियोजनाएँ प्रारंभ करने का प्रावधान है [775] जिनका उद्देश्य मजदूरों का नगरों में पलायन को रोकना, महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाना तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम [800] से ऐसे विशेष कार्यक्रम चलाना है, जिनका ध्येय जल संभरण विकास/बंजर भूमि का विकास करना हो । मानव जीवनयापन के लिए आवास [825] महत्वपूर्ण है और इसलिए सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है । ग्रामीण लोग अच्छे उन्नत किस्म के मकानों की अत्यंत आवश्यकता महसूस [850] करते हैं। ग्रामीण गरीब लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में मई, 1985 में इंदिरा आवास [875] योजना शुरू की गई थी । यह कार्यक्रम अब जवाहर रोज़गार योजना की उप-योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है । [900] इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में निर्धनतम लोगों के लिए निःशुल्क रिहायशी मकानों का निर्माण करना है । ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित [925] जनजातियों तथा बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है । जवाहर रोज़गार योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 10 प्रतिशत संसाधन इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित [950] किए जाते हैं । जिलों में निधियों का वितरण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से इस विशेष वर्ग [975] के गरीबों के अनुपात के अनुसार किया जाता है । मकानों का आबंटन लाभभोगी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 17

बहनो, भारतीय स्त्री-जाति की प्राचीन गौरव-गरिमा एवं उच्च परंपराओं को ध्यान में रखकर न केवल आपको शिक्षित होना है बल्कि शिक्षा 25 समाप्त करने के पश्चात पुरुषों के साथ सहगामिनी बन कर आपको सब दिशाओं में कदम बढ़ाना है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद अब राष्ट्र के 50 नव-निर्माण के कार्य में आपको भी उचित रीति से भाग लेना चाहिए । यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम वर्तमान 75 शिक्षा पद्धति की कमियों एवं दोषों को दूर कर उसको अपने अनुकूल एवं उपयोगी बना सकेंगे । इस संबंध में भी देश में परस्पर-विरोधी 100 विचारधाराएँ प्रचलित हैं । आधुनिक सुधारवादियों या जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, उनकी धारणा यह है कि बालक-बालिकाओं को एक-साथ शिक्षा 125 दी जाए और दोनों की शिक्षा-प्रणाली एक-सी हो । उनका यह भी विचार है कि स्त्रियों को न केवल शिक्षा-पद्धति में ही 150 बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पुरुषों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए तथा उन्हें संपूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए । उन्हें समाज के समस्त व्यवसाय 175 और व्यापारों में समान रूप से भाग लेना चाहिए और शिक्षा-प्रणाली की रचना इन सबके अनुकूल होनी चाहिए । दूसरी ओर कट्टरपंथियों के विचार 200 इनके विपरीत हैं । इस प्रकार स्त्री-शिक्षा और अन्य बातों के संबंध में हमारे देश में वर्तमान समय में परस्पर-विरोधी विचारधाराएँ प्रचलित हैं । 225 इन दोनों में से कौन-सी विचारधारा उपयुक्त हो सकती है और किसके द्वारा हमारी संस्कृति एवं सभ्यता फलफूल सकती है, इस 250 पर हमें ध्यान देना आवश्यक है । जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इन दोनों के बीच के मार्ग को 275 अपनाना श्रेयस्कर होगा ।

वर्तमान शिक्षा-पद्धति के आदर्श एवं उद्देश्यों में जो दोष पाए जाते हैं, उनके अतिरिक्त वह बहुत महँगी सिद्ध हो रही 300 है । प्रतिवर्ष हम अपने शिक्षालयों द्वारा हजारों विद्यार्थियों को तैयार करते हैं जिन में से बहुतों को नौकरियाँ न मिलने पर जीविका चलाना बहुत 325 कठिन हो जाता है । इस प्रकार हम अपने शिक्षालयों द्वारा जहाँ काफी संख्या में विद्यार्थी बेकार तैयार होते देखते हैं वहाँ फैशनपरस्त भी तैयार 350 होते देखते हैं । हमारे साधारण गृहस्थ-घरों की लड़कियाँ जब प्रारंभ में आधुनिक शिक्षालयों में प्रवेश पाती हैं तो धीरे-धीरे वे भी वहाँ 375 की फैशनपरस्ती की शिकार हो जाती हैं और सुंदर-सुंदर बहुमूल्य साड़ियाँ एवं भाँति-भाँति की साज-श्रृंगार की वस्तुओं की नकल 400 करने लगती हैं जिससे अपने माँ-बाप या अभिभावकों को पर्याप्त मात्रा में व्यय कराने के संकट में डाल देती हैं । ऐसी शिक्षा प्राप्त 425 कर जब वे स्कूल या कालेज छोड़कर जाती हैं तो उनका जीवन भार-स्वरूप होने का भय रहता है क्योंकि जीवन के 450 कार्यक्षेत्र में वह अपव्ययी शिक्षा-पद्धति धनोपार्जन के उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती । यह नौकरी की आशा भी पूरी नहीं कर सकती और 475 अंत में यह शिक्षा उनके लिए निकम्मी मालूम पड़ती है । इसलिए हमें सचेत होकर सोचना है कि क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति ही हमारे लिए उपयुक्त है । 500

प्रतिलेखन संख्या - 18

महोदय, कुछ समय बाद जैसे ही समाचारपत्रों में बहुत-से लोग काम करने
लगे, और प्रकाशन कार्य के लिए व्यवसाय यंत्रों की आवश्यकता पड़ी, 525 इस कार्य
ने उद्योग का रूप धारण किया। निःशुल्क प्रचार अथवा सेवा की भावना अब
अव्यावहारिक जान पड़ी और प्रायः लुप्त हो गई। समाचार 550 पत्र उद्योग का यह
विकास संभवतः स्वाभाविक है और आधुनिक विचारधारा के अनुरूप है। फिर भी,
यद्यपि पत्रों का प्रकाशन एक उद्योग के रूप 575 में होता है, समाचारपत्र सोद्देश्य
राष्ट्र सेवा की भावना तथा नैतिक दायित्व से एकदम मुँह नहीं मोड़ सकते। यह भी
स्वीकार करना होगा 600 कि इस उद्योग की यथोचित उन्नति के लिए यह
आवश्यक है कि दूसरे उद्योगों की भाँति यह भी उन सभी साधनों से संपन्न हो जो
625 अन्य उद्योगों ने या तो प्राप्त कर लिए हैं या वे उनकी प्राप्ति के लिए
प्रयत्नशील हैं। इसलिए यह सभी के हित में 650 है कि समाचारपत्र उद्योग उन्नत हो
और इसका आधार अधिक से अधिक ठोस हो। इधर कुछ वर्षों से हमारे देश के
समाचारपत्रों 675 में जागृति की लहर आई है। उद्योग की आवश्यकताओं, श्रमजीवी
पत्रकारों की माँगों और पाठकों के हितों ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर 700 दी कि
समाचारपत्रों की दशा पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया। समाचारपत्र आयोग
की नियुक्ति, आयोग की सिफारिशों का प्रकाशन और उन 725 सिफारिशों पर सरकार
का निर्णय - ये सभी उक्त समस्या को सुलझाने के सम्मिलित प्रयत्न हैं। मैं आशा
करता हूँ कि इन प्रयत्नों द्वारा समस्या 750 का समाधान हो सकेगा, समाचारपत्र उन्नत
होंगे और इस उद्योग में कार्य करने वाले सभी लोगों को संतुष्ट किया जा सकेगा। मैं
जानता हूँ 775 कि यह सब कहना सरल दिखाई देता है, किंतु व्यवहार में लाना बहुत
कठिन होता है। परंतु मुझे सुशिक्षित श्रोताओं से यह कहने की आवश्यकता 800
नहीं कि मानवीय गतिविधि के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह राजनीति, उद्योग अथवा
प्रशासन का क्षेत्र हो विभिन्न हितों और विचारों में सहयोग की भावना 825 से राष्ट्र तथा
समाज के हितों को सामने रखकर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास आवश्यक
है।

मैं इतना निराशावादी नहीं कि मैं यह समझूँ 850 कि वे लोग जिनके सुझाव
बड़ी-बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं, निजी समस्याओं का निबटारा
करने में असफल रहेंगे। हाल में 875 भारतीय संसद ने इस संबंध में जो अधिनियम
पास किए हैं, उनका उद्देश्य समाचारपत्रों की समस्याओं को सुलझाना है। यह कहना
अनावश्यक होता कि 900 कोई भी अधिनियम, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में सुधार के
लिए लागू किया जाए, प्रभावपूर्ण रूप से तभी कार्यान्वित हो सकता है जब 925 सभी
संबद्ध दल उसे सहयोग की भावना से ही कार्य रूप दें। इन मामलों में अधिनियम के
शब्दों का इतना महत्व नहीं जितना उनके 950 पीछे निहित भावना का होता है। क्या मैं
आपकी संस्था से यह अनुरोध कर सकता हूँ कि इस मामले में आप समाचारपत्रों को
975 मार्ग दिखाएँ। आपकी संस्था निश्चय ही प्रमुख तथा अत्यंत प्रभावशाली समाचारपत्रों
की प्रतिनिधि संस्था है। प्रायः सभी बड़े समाचारपत्र आपके सदस्य हैं। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 19

आदरणीय साथियो, भारत में पंचायती राज की मान्यता सदियों से रही है। पंचों में परमेश्वर वास करता है, ऐसी हमारी मान्यता रही है। वेदों में [25] कहा है कि पाँच व्यक्ति समर्पित रूप से मिलकर यज्ञ को पूर्ण करें। स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मान्यता थी कि 'भारत की [50] आत्मा गाँवों में बसती है। जब तक गाँव स्वतंत्र नहीं होते, देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा।' गांधी जी के अनुसार सच्चे लोकतंत्र [75] का परिचालन केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं कराया जा सकता है। इसका क्रियान्वयन प्रत्येक गाँव के निवासियों के माध्यम से ही होना [100] चाहिए। उनके अनुसार जन-समर्थन प्राप्त पंचायतों को कोई भी कानूनी कार्य करने से नहीं रोक सकता। गाँवों का प्रत्येक समूह या उस समूह [125] के सदस्य अपनी पंचायत बना सकते हैं, चाहे भारत के अन्य गाँवों में पंचायतें हों अथवा नहीं हों। गांधी जी की यह मान्यता थी कि [150] हर अधिकार कर्तव्य से ही मिलता है। ऐसे अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। पंचायत लोगों की सेवा करने के लिए है तथा [175] भारत का हर लोकतंत्र इकाई गाँव ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के संबंध में अंकित किया गया है कि [200] 'राज्य ग्रम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों [225] के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।' इस उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने [250] के लिए समय-समय पर कदम उठाए हैं। 2 अक्तूबर, 1952 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। [275] इसके अधीन स्थानीय विकास हेतु सरकार द्वारा विकास खंडों को अनुदान राशि दी गई। भारत सरकार ने देश के ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करने [300] हेतु पंचायत राज संस्थाओं के संबंध में 1957 में बलवंत रोय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने सिफारिश की कि विकास से संबंधित [325] समस्त कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए।

समिति की सिफारिश के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें पूर्णतः निर्वाचित हों। [350] इनमें दो महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि मनोनीत हो। ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति विकास के समस्त कार्य हाथ में ले। [375] ऐसी व्यवस्था है कि पंचायत समिति धीरे-धीरे एक सक्षम प्रजातांत्रिक संस्था के रूप में कार्य करे। जिला स्तर पर पंचायत समिति में समन्वय [400] रखने हेतु प्रत्येक जिले में जिला परिषद का गठन हो तथा उसमें सांसद, विधानसभा सदस्य भी सदस्य रहें। भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता [425] समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने हेतु पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाए। [450] राजस्थान सरकार ने देश में सबसे पहले 2 अक्तूबर, 1959 को नागौर में दीप प्रज्ज्वलित कर त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आरंभ की। यद्यपि राज्य [475] में ग्राम पंचायतें पहले से थीं। ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति व जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया गया। वर्ष 1960 में प्रथम चुनाव हुए। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 20

आदरणीय साथियो, कई **सरपंच निर्विरोध** चुने गए । अनेक चुनाव के बाद जीत कर सरपंच बने । **ग्राम पंचायतों** के सरपंच ही पंचायत समितियों के सदस्य बने [525] एवं उनमें से प्रधान व उपप्रधान **अप्रत्यक्ष रूप से** निर्वाचित होते रहे । सब पंचायत समितियों के प्रधान, सांसद व विधान सभा सदस्य जिला परिषद [550] के सदस्य बनते रहे । उन्हीं में से जिला परिषदों के प्रमुख व उप प्रमुख चुने जाते रहे हैं । न केवल, **राजस्थान राज्य में ही अपितु** [575] देश के **अधिकांश** राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की **स्थापना** के आरंभ के वर्षों में इन संस्थाओं ने ग्रामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम [600] दिए । लेकिन, कुछ वर्षों बाद किन्हीं कारणों की वजह से पंचायती राज संस्थाएँ अपने सौंपे गए **उत्तरदायित्व** को सही ढंग से **निष्पादित करने में** असमर्थ [625] दिखाई देने लगीं अर्थात् ये संस्थाएँ **अपेक्षित** परिणाम देने में असफल रहीं । इसका सबसे बड़ा कारण इन **संस्थाओं** के पास वित्तीय साधनों की [650] कमी रही । साथ ही अधिकांश **राज्य सरकारों** ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी अधिक रुचि नहीं ली । पंचायती राज संस्थाओं को अधिक गतिशील [675] बनाने हेतु अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की कि विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को **क्रियान्वित** करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों की हो । **समिति के अनुसार** [700] पंचायतें 10–15 गाँवों की मंडल पंचायतें हों तो अधिक **सक्षम** होंगी । ये मंडल पंचायतें ग्रामीण विकास योजनाओं को **क्रियान्वित** करेंगी । साथ ही समिति [725] ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी से करवाने की **सिफारिश** भी की । ग्रामीण विकास की **प्रशासनिक व्यवस्था** व गरीबी **उन्मूलन** समस्याओं हेतु [750] गठित जी.वी.के. राव कमेटी ने जिला स्तर पर योजनाएँ बनाने व **नियमित** चुनाव कराने की सिफारिश की थी । देश की पंचायत राज व्यवस्था [775] को सुदृढ़ व **पुनर्जीवित** करने हेतु गठित डॉ. **लक्ष्मीमल** सिंघवी कमेटी ने ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय साधन देकर अधिक सक्षम बनाने पर बल दिया [800] तथा साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को **संवैधानिक** मान्यता दिए जाने पर भी विशेष बल दिया ।

देश में पंचायती राज संस्थाओं की बिगड़ती हुई स्थिति [825] को ध्यान में रखते हुए पूर्व **प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी** ने पंचायती राज ढाँचे को सुदृढ़ बनाने की कल्पना की थी और उन्होंने [850] पंचायतों को अधिक अधिकार सौंपने तथा महिलाओं और **कमजोर वर्गों** की इन संस्थाओं में **अधिक से अधिक** भागीदारी देने की **परिकल्पना** की थी । हमारे वर्तमान [875] प्रधानमंत्री के प्रयासों से अब यह संभव हो पाया है कि इस **संबंध में शुरू किए गए** प्रयासों तथा [900] राष्ट्रपिता **महात्मा** गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को **साकार** बनाने की दृष्टि से संविधान में 73वीं संशोधन की कुछ **महत्वपूर्ण** बातों का **जिक्र** [925] **करना चाहूँगा । पंचायती राज संस्थाओं** को प्रथम बार संवैधानिक दर्जा दिया गया । सभी राज्यों में पंचायती राज की **त्रि–स्तरीय पद्धति** लागू की गई । लेकिन जिन [950] राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ बीच के स्तर की इकाई गठित करने की मर्जी **राज्य सरकारों** पर छोड़ी गई है । [975] ग्राम सभा को वैधानिक दर्जा दिया गया । हर पाँच वर्षों में **अनिवार्य रूप से** चुनाव होंगे । चुनावों की व्यवस्था एक स्वतंत्र चुनाव आयोग करवाएगा । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 21

महोदय, भारत जैसे बहुभाषाभाषी देश में, जहाँ विभिन्न-भाषा परिवारों की 1652 भाषाएँ बोली जाती हों, अष्टम सूची के अनुसार भी देश [25] की 18 प्रधान भाषाएँ हों; खान-पान, वेशभूषा, रीति-रिवाज़ आदि की दृष्टि से भी एक प्रांत दूसरे प्रांत से बहुत भिन्न हो, [50] वहाँ देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि संपूर्ण देश के नागरिकों का वैचारिक स्तर पर [75] आदान-प्रदान हो, सांस्कृतिक विनिमय हो, एक दूसरे को समझने-सराहने की चेष्टा हो । जहाँ संपूर्ण देश की भाषा एक हो, वहाँ तो शायद [100] उस एक राष्ट्रभाषा से यह संभव भी हो सके, किंतु भारत जैसे विशाल तथा विभिन्न संस्कृतियों और विविध भाषाओं वाले देश में अनुवाद ही [125] सबसे सशक्त माध्यम है, जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में बाँधे रखने में सहायक हो सकता हे । द्विभाषिकता का महत्व भारत में प्राचीन [150] काल से रहा है । आज भी भारतीय जनसंख्या के सांख्यिकीय आँकड़े यह बताते हैं कि भारत में द्विभाषियों का प्रतिशत काफ़ी ऊँचा है । [175] कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी भारतवासी सामान्यतः हिंदी या निकटवर्ती प्रांत की भाषा को दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं । अहिंदीभाषियों [200] के मध्य हिंदी का प्रचार, शिक्षा, व्यवसाय, जनसंचार, फ़िल्म आदि कई कारणों से हुआ । द्विभाषिकता का महत्व रोज़ी-रोटी तथा आत्मविकास [225] या आत्मप्रचार से बढ़ता है । यह द्विभाषिकता अनुवाद की मूल भित्ति है । एक व्यक्ति अपने भावों व विचारों को दूसरे तक पहुँचा सके तथा [250] दूसरे की बात स्वयं समझ सके, इसीलिए वह दो या अधिक भाषाएँ सीखता है । यह व्यावहारिक सत्य है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएँ [275] जानता है, वह उतना ही बहुज्ञ है, क्योंकि भाषा के सहारे उसका, परिचय-क्षेत्र तो बढ़ता ही है, वह विभिन्न भाषिक संस्कृतियों से [300] भी परिचित होता है ।

देश चाहे भौगोलिक दृष्टि से छोटा हो या बड़ा, शक्तिशाली हो या निर्बल, धनी हो या निर्धन, संश्लिष्ट अंतर्राष्ट्रीय [325] राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए, दूसरे देशों की साहित्यिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक स्थिति को समझने तथा उनसे लाभ उठाने के लिए उसे अनुवाद का [350] सहारा लेना पड़ता है । सभी विकसित देशों में इसीलिए अनुवाद का बड़ा महत्व है। अनुवाद संबंधी बड़े-बड़े संस्थान हैं तथा बड़े सुनियोजित [375] ढंग से अनुवाद कार्य होता है । मैं आपको यूरोप के एक छोटे से देश बल्गारिया का उदाहरण देता हूँ । बल्गारिया की जनसंख्या [400] 40 लाख है । बल्गारिया में पर्यटकों की वर्ष भर भरमार रहती है और उसका विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्रोत भी पर्यटन उद्योग [425] ही है । विश्व के अनेक देशों के पर्यटक वहाँ आते हैं, जिनमें बल्गारियन भाषा जानने वालों की संख्या नहीं के बराबर ही होती है । [450] इन पर्यटकों की सुख-सुविधा के लिए तथा उन्हें भाषा की कठिनाई न हो इसलिए दुभाषियों की, जो यूरोप की विभिन्न भाषाएँ जानते हों, [475] आवश्यकता होती है । इसके लिए विश्व-विद्यालयों में नियमित रूप से युवक-युवतियाँ विदेशी भाषाएँ सीखते हैं और दुभाषिए का काम करते हैं । [500]

प्रतिलेखन संख्या – 22

महोदय, सरकार की ओर से इन भाषा **संस्थानों** को विशेष **संरक्षण** तथा सुविधाएँ प्राप्त हैं । यह **द्विभाषी** केवल पर्यटन से जुड़े हुए हों, ऐसा नहीं 525 है । दूसरी भाषा सीख कर ये अनुवाद कार्य करते हैं, **प्रकाशन** संस्थानों में, जन-संचार माध्यमों में तथा **विज्ञान निकायों** में **प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप** 550 **में** जाने जाते हैं। ये **सर्जनात्मक ललित साहित्य** का **अनुवाद करते हैं**, विदेशी समाचारों का अपनी भाषा में तथा बल्गारिया के समाचारों का विदेशी भाषाओं 575 में अनुवाद करते हैं । ये अनुवादक अपनी-अपनी भाषा के **विशेषज्ञ माने जाते हैं** । यदि आप कभी बल्गारिया जाएँ तो आप देखेंगे कि आप 600 चाहे इनकी भाषा न जानते हों, किंतु आपकी भाषा जानने वाले आपको जरूर मिलेंगे । अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात 625 है, जब भारत के **राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा** बल्गारिया गए । वहाँ **बल्गारियावासियों** ने हिंदी में उनका स्वागत किया और भारत 650 संबंधी प्रश्न भी उन्होंने राष्ट्रपति जी से हिंदी में ही किए । **भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए यह सुखद** आश्चर्य था । **वस्तुतः** 675 अनुवाद या **भाषांतरण** उनके लिए **व्यावसायिक अनिवार्यता** है । यूरोप के अन्य देशों में भी यही स्थिति है, जहाँ विश्व में प्रकाशित किसी भी 700 भाषा का महत्वपूर्ण शोध निबंध, या कोई विदेशी चर्चित **साहित्यिक** कृति उस देश की भाषा में तत्काल अनूदित हो जाती है ।

इतिहास **साक्षी** है कि 725 ईसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है । ईसाई धर्म के **विश्वव्यापी** प्रचार के लिए **बाइबिल** के अनुवाद की 750 व्यापक योजना बनाई गई । अनुवाद ने ही बाइबिल को भारत के **गाँव-गाँव**, यहाँ तक कि **आदिवासी** क्षेत्रों तक पहुँचा दिया। बाइबिल के बाद 775 सबसे अधिक भाषाओं में और एक ही भाषा में कई बार **भगवद्गीता** का अनुवाद हुआ। **भारतीय दर्शन** और **प्रतिभा** को समझने की लालसा ने 800 **विदेशियों** को **प्रेरित** किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भाषा में करें । आज विश्व की सभी **प्रमुख भाषाओं** में गीता का अनुवाद आपको 825 मिलेगा । अवधि भाषा में लिखित **रामचरितमानस** भी देश और विदेश की अनेक भाषाओं में अनूदित होकर विश्व साहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया है । 850 **वस्तुतः** अनुवाद ही वह माध्यम है, जो देशीय रचना को भौगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व-मंच पर प्रतिष्ठित करता है । **गीतांजलि** की **ख्याति** 875 का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषाओं में अनूदित होना भी है । अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो 900 **संस्कृतियों** को निकट लाता है । अनुवाद की **नींव** है दो भाषाओं का ज्ञान और उन भाषाओं पर **व्याकरण** और शैली की दृष्टि से ऐसा पूर्ण 925 अधिकार कि **अनुवादक** एक भाषा भाव व विचार राशि को दूसरी भाषा में **पूर्णतः** इस प्रकार रूपांतरित करे कि पाठक मूल रचना 950 की **संवेदना** से भी परिचित हो सके तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मिल सके । यही लक्ष्य अनुवादक के लिए समस्या 975 उत्पन्न करता है और इसी में उसके **कौशल** की पहचान भी होती है । **स्रोतभाषा** का ज्ञान अनुवादक के लिए इसीलिए **अपरिहार्य** माना जाता है । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 23

भाइयो और बहनो, आज **मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि** हमारे बड़े-बड़े कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ अपने **अनुसंधानों** के सार **राष्ट्रभाषा** हिंदी में [25] **प्रस्तुत करने के लिए** पूरे देश से यहाँ **एकत्र** हुए हैं । मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ कि किसानों तक नई **जानकारी** उनकी [50] ही भाषा में **पहुँचाई** जा सकती है। आपने अच्छा किया कि **श्रीगणेश** राष्ट्रभाषा हिंदी से किया । मैं तो चाहूँगा कि सभी **भारतीय** [75] **भाषाओं में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन** आयोजित किए जाएँ, ताकि सभी क्षेत्रों के किसानों को पता चले कि उनके लिए इस देश के कृषि **वैज्ञानिक** [100] कितनी **मेहनत** से नई-नई किस्में और **तकनीकें** निकाल रहे हैं। अब से तीन दिन बाद हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे । **मुझे बताया गया** [125] **कि** सन् 1995 के वर्ष को **'यूनेस्को'** ने **सहनशीलता** का वर्ष घोषित किया हुआ था । शायद भारत में इसके बारे में ज्यादा चहल-पहल [150] या चर्चा नहीं हुई, क्योंकि भारत देश और भारतीय लोग तो हैं ही **सहनशील** । इसमें भी सबसे ज्यादा सहनशील हैं किसान । आप [175] खुद हिसाब लगा लो । **हर तरह से** भारत का किसान **संसार** का सबसे सहनशील प्राणी सिद्ध होगा ।

आजकल जाड़ा जोरों से पड़ना शुरू [200] **हो गया है** । फिर भी उत्तर भारत का किसान शीत लहर की **परवाह** किए बिना आधी रात को उठकर अपने गेहूँ के खेत में [225] पानी लगा रहा है, **क्योंकि** बिजली कुछ घंटों के लिए आती है । किसान ठंड सहकर फसल उगाएगा और फसल **पकते-पकते** गर्मियाँ शुरू [250] हो जाएँगी तो जेठ की तपती धूप में वह खेतों में कटाई व **मड़ाई** का काम करेगा । यह जाड़ा, पाला सहना और कड़ी गर्मी में [275] पसीने से **लथपथ** होकर काम करते रहना, इतनी सहनशीलता बस किसान के बूते की ही है । फिर हिंदी बोलने वाला तो और भी ज्यादा [300] सहनशील है । हर हाल में जी रहा है । गेहूँ, चावल **विदेशों** में किस भाव बिकता है और हम उसे क्या भाव देते हैं ? हर चीज [325] के दाम **आसमान** पर पहुँच गए हैं । महँगाई इतनी बढ़ गई है मगर किसान की **मेहनत** का पूरा **मुआवजा** देने में हम दस बहाने [350] बनाते हैं और किसान है कि **बर्दाश्त** कर रहा है । बिजली महँगी हो गई, **डीज़ल** महँगा हो गया, संकर बीज महँगा मिलता है, **रासायनिक** खादें [375] महँगी मिलती हैं, मगर दालों के भाव चढ़ गए तो **चिल्लपों शुरू हो जाती है** । मेहनत करता है किसान और उसकी मेहनत पर [400] फलते-फूलते हैं बिचौलिए; मंडी के **दलाल**, आलू के चिप्स बनाने वाले व्यापारी; उसकी फसलों का तेल निकालने वाले **व्यवसायी** । ये सारी बातें सहते [425] हैं हमारे किसान भाई । सो किसान से बड़ा **सहनशील** और कोई नहीं । कोई आता है तो **खराब** किस्म का बीज बेच जाता है । तो दूसरा [450] जिप्सम के नाम पर मिट्टी बेच जाता है । कई एक नकली **कीटनाशक** दवाए बिक रही हैं; छिड़को तो कोई असर ही नहीं होता । किसान बेचारा सब [475] कुछ सह रहा है । **मैं समझता हूँ कि** यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक हिंदी में अपने **शोध-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं**, वे भी बड़े सहनशील होंगे । [500]

प्रतिलेखन संख्या – 24

भाइयो और बहनो, मतलब यह है कि अगर संसार को सहनशील बनाना है तो सभी लोगों को **दुनिया भर** में हिंदी भाषा का प्रचार और 525 **प्रसार करना चाहिए । ज्यादातर व्यापार के लिए** कच्चा माल तो किसान ही **पैदा करता है ।** फिर किसान के लिए कृषि अनुसंधान के खर्च में दुनिया 550 भर में कटौती क्यों की जा रही है । **कटौती** करनी है तो बहुत–से और क्षेत्र भी हैं । अमीर देश सन् 1990 में **खेती–बाड़ी** 575 को आगे **बढ़ाने के लिए** जो सहायता दे रहे थे वह थी 12 अरब डालर और दस साल बाद 2000 में 2 अरब डालर की 600 कटौती कर दी और यह **10 अरब डालर** रह गई । तो पूरी दुनिया को **खेती–बाड़ी** से जोड़ने की जरूरत है, तभी ये दुनिया आपस 625 में लड़ना–मरना बंद करेगी । मेरा बस चले तो, मैं तो **हिमालय** की सबसे ऊँची चोटी '**सगरमाथा**' जिसे दुनिया '**एवरेस्ट**' कहती है पर 650 चढ़ूँ और पूरे जोर से आवाज लगाऊँ कि ऐ धरती के वासियो. **बंदूकें** छोड़ो और हल उठाओ । नहीं तो आप ही सोचो कि 20 साल 675 बाद 2020 में जब दुनिया की **आबादी 8** अरब हो जाएगी तो सबको खिलाने लायक **खाद्यान्न** कैसे उपलब्ध होगा । उस समय चीन को भी 700 बाहर से गेहूँ मँगाना पड़ेगा । **सौभाग्य से** भारत के बारे में तो कृषि **विशेषज्ञों** का यही अनुमान है कि भारत के किसान और कृषि वैज्ञानिक 725 **मिल–जुलकर** बढ़ी हुई आबादी का भी पेट भर पाएँगे ।

आज हमारे अन्न **भंडार** में साढ़े तीन करोड़ टन से ज्यादा **अनाज** भरा है 750 रबी की फसल आने के बाद यह **बढ़कर** पाँच करोड़ टन तक जा सकता है । रखने की जगह नहीं है इसलिए समाज 775 कल्याण के कामों में लगाने और **विविध** रूपों में निर्यात करने के अवसर बढ़ रहे हैं । काम के बदले अनाज और बच्चों को **पाठशालाओं** में 800 नाश्ता कराने व खाना खिलाने के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा सकेंगे । यह **एक तरह से** दूसरी कृषि क्रांति का ही नतीजा है 825 कि हम 101 करोड़ से ज्यादा आबादी को अपने खेतों में उपजाई फसल से ही **खाद्यान्न** उपलब्ध करा रहे हैं । खाने वाले तेल की कुछ 850 वर्ष पहले कमी हुई थी । हमने **पुरजोर** कोशिश की । पिछले कुछ वर्षों में **आयात** तो घटकर प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए का हो 875 गया, वहीं **तिलहनी** फसलों और उनसे उत्पन्न **पदार्थों** का निर्यात आठ गुना बढ़कर 2500 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो गया। यह सब 900 फल है किसानों, वैज्ञानिकों एवं प्रसार **कार्यकर्ताओं** के **अथक** प्रयास का । इस प्रगति में आज कृषि वैज्ञानिकों का योगदान किसी से छुपा नहीं है, 925 इसे सारी दुनिया मानती है । जहाँ भी भूख है, वहाँ लोग भारत की मिसाल देते हैं कि देखो इस महान देश ने भूख की 950 **चुनौती** का किस तरह डटकर सामना किया । आज जब **निर्यात** के अवसर खुले हैं, विश्व का **परिवेश** बदल रहा है । सारी दुनिया के बाजार 975 खुल गए हैं । सौभाग्य से दुनिया में **शाकाहार** भी बढ़ रहा है । इस समय हमारे विविध **व्यंजनों** को विश्व बाजार में **प्रचलित करने के** बड़े मौके हैं। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 25

उपाध्यक्ष महोदय, आज **स्वतंत्र भारत** में जब हिंदी इस देश की **राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है,** अब **संघर्ष** अथवा विरोध का समय नहीं रहा । [25] आज का समय ठोस **रचनात्मक** कार्य का समय है । **मैं जानता हूँ** संघर्ष करना कठिन है, परंतु उसी **एकाग्रता** से रचनात्मक कार्य करना उससे [50] भी कहीं अधिक कठिन है । **यह भी स्पष्ट है कि** संघर्ष के बाद यदि रचनात्मक कार्य नहीं होता तो संघर्ष की उपादेयता ही लुप्त हो [75] जाती है और जो सफलता प्राप्त की गई हो उसकी **सार्थकता** संकट में पड़ जाती है । **इसीलिए रचनात्मक** कार्य के समय को **वास्तविक** [100] परीक्षा का समय माना जाता है, जिसमें उन सभी **सिद्धांतों, उद्देश्यों** और **आदर्शों** की पूरी परख होती है जिनका सहारा लेकर संघर्ष को जीवित [125] **रखा गया हो** । हिंदी के **हितैषियों** और **साहित्य-सेवियों** के लिए अब यही समय है । **मैं कह सकता हूँ कि** शायद पहले कभी उन पर [150] इतना गंभीर **दायित्व** नहीं आया था जितना कि अब हिंदी के राष्ट्रभाषा **बनने** से आया है । समस्त राष्ट्र ने **सर्वसम्मति** से हिंदी भाषा [175] का जो मान किया है और हमारे **संविधान** ने उसे जो स्थान दिया है, वह हम सब के लिए एक **सद्भावनापूर्ण** चुनौती के समान है । [200] यह निर्णय **एक प्रकार से** सभी **हिंदी-भाषियों** और **साहित्यिकों** में विश्वास के प्रस्ताव के समान है । इस आदर को हम कैसे निभाएँ जिससे [225] विभिन्न **प्रादेशिक भाषाओं** के बोलने वाले **प्रतिनिधियों** द्वारा किए गए उक्त निर्णय के **औचित्य** को **सिद्ध कर सकें** ? यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर [250] सभी हिंदी-सेवियों को **विचार करना चाहिए ।**

हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत बड़ी संस्था है जिसके निर्माण में इस देश के अनेकों **यशस्वी** विद्वानों और [275] देशभक्तों ने योग दिया है । **मैं समझता हूँ कि यद्यपि** सम्मेलन की स्थापना हिंदी के **प्रचारार्थ** हुई थी, इसे **हिंदीभाषी क्षेत्रों** में प्रादेशिक [300] भाषाओं के प्रचार का कार्य भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए । इससे एक ओर हिंदी और दूसरी भाषाओं में **पारस्परिक आदान-प्रदान** बढ़ेगा [325] और दूसरी ओर **सम्मेलन** का आधार भी अधिक व्यापक हो जाएगा । **मेरे विचार से** यह कार्य राष्ट्रीय साहित्य, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य सम्मेलन तीनों [350] के हित की दृष्टि से उचित होगा । बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, जिसके **रजत जयंती समारोह** के उद्घाटन के लिए आपने मुझे **आमंत्रित** [375] करने की कृपा की है, पच्चीस वर्षों से भी अधिक समय पूर्व सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में **पदार्पण** किया था । इस राज्य के सभी लोग सम्मेलन [400] की सेवाओं से भली प्रकार परिचित हैं । **मैंआशा करता हूँ कि** यह रजत जयंती समारोह इस राज्य के साहित्य सेवियों को और अधिक बल [425] देगा जिससे वे साहित्य की **समृद्धि** द्वारा और हिंदी तथा अहिंदी प्रदेशों के बीच पूर्ण सद्भावना का **वातावरण** तैयार करके, इस राज्य के [450] लोगों की ही नहीं बल्कि देश भर की सेवा कर सकेंगे । **मेरे विचार से** हिंदी साहित्य की **श्रीवृद्धि** करके और सभी भाषाभाषियों [475] के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं । कम से कम इस ओर सबका ध्यान **आकृष्ट हो चुका है ।** [500]

प्रतिलेखन संख्या - 26

बहनो, शिक्षा संस्थाओं से जब कभी भी मुझे बुलावा आता है तो मैं वहाँ जाने से इंकार **नहीं कर पाता** क्योंकि शिक्षा संस्थाओं 525 से मेरा आरंभ से ही **कुछ न कुछ** संबंध रहा है और **शिक्षाशास्त्र** में भी मेरी पहले से काफी रुचि रही है । **अतएव** मुझे 550 जब आपका **निमंत्रण** मिला, मैंने उसे बड़े **हर्ष के साथ** स्वीकार किया और **मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि** आज मैं यहाँ आ सका । 575 आप सब बड़ी **सौभाग्यशालिनी हैं कि** आप इस कन्या **महाविद्यालय** में शिक्षा पा रही हैं क्योंकि इस महाविद्यालय का इस राज्य 600 में अपना एक विशेष महत्व है और इसका इतिहास **नारी जागृति** तथा **उन्नति** का इतिहास है । इसकी **स्थापना** उच्च आदर्शों को लेकर एवं 625 नारी-जागृति तथा **राष्ट्रीय उन्नति** की **पुनीत भावनाओं से प्रेरित** होकर आज से बहुत साल पहले एक ऐसे सच्चे **समाज-सुधारक** के द्वारा हुई थी 650 जिनके हृदय में **मुख्यतः** नारी जाति के प्रति विशेष **गौरव** और महान आदर था । आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे देश में 675 दो प्रकार की शिक्षा संस्थाएँ विद्यमान हैं । एक तो वे जो अंग्रेजी शासकों द्वारा अपने उद्देश्यों की **पूर्ति के लिए** स्थापित की गई थीं 700 और दूसरी वे जो **स्वतंत्र रूप से** राष्ट्र प्रेमियों द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं से **ओतप्रोत** होकर अपने देश की संस्कृति एवं सभ्यता को **पुनर्जीवित** 725 एवं **पुनःस्थापित** करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थीं । आपका यह कन्या महाविद्यालय भी लगभग इन्हीं **पवित्र भावनाओं** से प्रेरित होकर 750 बहुत साल पहले स्थापित किया गया था और आपके लिए **यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपमें से कुछ** आज इस विद्यालय 775 में अपनी शिक्षा समाप्त कर जीवन के **कार्यक्षेत्र** में प्रवेश करने जा रही हैं । उच्च शिक्षा-प्राप्ति की **उपाधि** जो आपको मिल चुकी 800 है, आपकी एक अमूल निधि है जिससे आपकी **गुरुता** और भी बढ़ती है ।

आपमें से जो आज प्रमाणपत्र लेकर जा 825 रही हैं, वे इस **विद्यालय** के सीमित दायरे में से निकलकर जीवन के विशाल **प्रांगण** में कर्मठ कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं । 850 आपके कंधों पर जीवन का महत्वपूर्ण **उत्तरदायित्व** है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी शिक्षा और अनुभव के बल और आधार पर 875 उसे **योग्यतापूर्वक** संभाल सकने में सफल हो सकेंगी । अब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहा, अब आगे आपका **व्यावहारिक** एवं **क्रियात्मक जीवन** रहेगा 900 और आपको अपने जीवन के कार्यक्षेत्र में अनेक समस्याओं का **सामना करते हुए** आगे **बढ़ना है । मुझे आशा है कि** आपने 925 यहाँ जो **शिक्षा-दीक्षा** ग्रहण की उससे आप शक्ति और **स्फूर्ति** ग्रहण कर स्वतंत्र देश की **दायित्वपूर्ण** नागरिकाओं की भाँति उसे **निबाह** सकेंगी । 950 यह सब आपके लिए तभी संभव होगा जब आप यह **भलीभाँति** समझ लेंगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है । 975 आप सब यह भलीभाँति जानती ही होंगी कि **प्राचीन काल** में हमारे देश में स्त्रियों का कितना महत्वपूर्ण व **उत्कृष्ट** स्थान रहा है । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 27

महोदय, जब हम भारत की **संपदाओं** और **उत्पादन** के **उपादानों** के **संदर्भ** में भारत की **अर्थव्यवस्था** की **चर्चा करते हैं** तो उस समय **अनिवार्य** [25] रूप से **उपयुक्त टैक्नोलॉजी** से **संब्द्ध** प्रश्न उठ खड़े होते हैं । इसके लिए कोई **निश्चित** उत्तर नहीं दिया जा सकता; यह तो अलग-अलग [50] **उद्योग के लिए** अलग-अलग होगा । कुछ उद्योग **अपरिहार्य रूप से** पूँजी-प्रधान होंगे । इसका हमारे सुधारों और विदेशी निवेश से **कोई संबंध** [75] **नहीं है** । हमारे अपने सरकारी क्षेत्र में स्थापित कई उद्योग बहुत ही **पूँजी-प्रधान हैं** । ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहाँ उत्पादन के श्रम-प्रधान [100] तरीकों का उपयोग होता है और वे **प्रतियोगिता** का सामना भी करते हैं। सारी दुनिया में हम आज **यह देख रहे हैं कि** एक जगह [125] वेतन अधिक **होने के कारण** तथा दूसरी जगह सस्ते विकल्प होने के कारण उद्योग अपने स्थान बदलते रहते हैं । यह बात **एक दूसरे से** [150] कतई भिन्न क्षेत्रों पर भी लागू होती है जैसे वस्त्र उद्योग, चमड़े का सामान, **इलेक्ट्रॉनिक्स** और कई अन्य उद्योग । अन्य **स्थानों** से आकर भारत में [175] जो निवेश किए जा रहे हैं, वे ठीक इन्हीं कारणों से किए जाते हैं और ये उद्योग बड़ी मात्रा में रोज़गार प्रदान करेंगे। यह आर्थिक [200] निर्णय लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग होता है । ऐसा सोचना **अनुभवहीनता** ही कहा जाएगा कि भारत में पूँजी-प्रधान उद्योगों की स्थापना लोग **जानबूझ** [225] **कर करें** बिना इस बात पर विचार किए कि दोनों देशों में **आपेक्षिक** मूल्य और हमारे **सुस्थापित तुलनात्मक** लाभ क्या हैं ? उसी के साथ [250] जहाँ पूँजी-प्रधान **टैक्नोलॉजियाँ**, और उच्चतर **उत्पादकता** तथा वेतन साथ-साथ चलते हैं, उनका हमें **स्वागत करना चाहिए** । उन्हें टालना नहीं चाहिए । [275] अंतिम निर्णय तो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करेगा ।

मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हमारे **उद्यमी निर्णय करने में** किसी से कम कुशल हैं । [300] तथापि यहाँ पर यह जोर देना **अप्रासंगिक** नहीं होगा कि **टैक्नोलॉजी** का चुनाव अत्यंत **सावधानीपूर्वक** किया जाना चाहिए । इस संदर्भ में विदेशी टैक्नोलॉजी का [325] आयात करने वालों को देश में उपलब्ध **टैक्नोलॉजियों** की भी सावधानीपूर्वक **जाँच करनी चाहिए** । सामान्य रूप से टैक्नोलॉजी का **विलयन** और **अंगीकरण** उतना महत्वपूर्ण [350] नहीं होता जितना टैक्नोलॉजी को तैयार करने की **क्षमता** पैदा करना । हमारे पास क्षमताएँ हैं और इस क्षेत्र में हमें अपनी संपदाओं का **इष्टतम उपयोग** [375] **करना चाहिए** । वास्तव में तो अपने ही देश में विकास और अनुसंधान करने का स्थान और कुछ नहीं ले सकता । तभी हम **प्रतियोगिताओं** का [400] लाभ उठा सकते हैं **विशेषकर** उस स्थिति में जब **अन्यत्र** टैक्नोलॉजी में विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और उनके पुराने पड़ने [425] की दर भी बहुत ही ज्यादा है । यह बात पूरी तरह **स्वीकार की जाती है कि नियंत्रणों** और **परमिटों** की प्रणाली से **ईमानदारी** का **खात्मा** [450] हो जाता है । **उदारीकरण** प्रक्रिया का **तात्पर्य** इन नियंत्रणों को **समाप्त करना है** । मुझे यह देखकर सचमुच बहुत खेद होता है कि इस **संक्रमण** [475] काल में, जब हम **लाइसेंस** राज से **उदारीकरण की प्रणाली** की ओर बढ़ रहे हैं, **संरचनात्मक समायोजन** हो रहा है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 28

महोदय, पिछले कुछ वर्षों से **पर्यावरण** की सुरक्षा के बारे में एक **उत्साहजनक** जागरूकता देखने को मिल रही है । जैस-जैसे हम अपने विकास का 525 खाका बनाने लगे हैं, वैसे-वैसे यह बात **अनुभव** की जाने लगी है कि वह अपने बूते पर खड़ा रह सके और पर्यावरण की दृष्टि 550 से भी **उपयुक्त** हो । अपने देश की जनता के प्रति हमारा यह **दायित्व** है कि हम अपनी **प्राकृतिक** संपदा की रक्षा करें । अपने प्रयासों द्वारा 575 और यदि आवश्यक हो तो विदेशी **टैक्नोलॉजियों** का उपयोग करके हमें पर्यावरण के विनाश की **समस्याओं** को **हल करने की** चेष्टा करनी चाहिए । 600 असल में तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत इस दिशा में पीछे नहीं है क्योंकि उन्होंने अब तक जिन टैक्नोलॉजियों का प्रयोग 625 किया है वे **विनाशकारी** रहीं और उन्हें **तुरंत** छोड़ देने की आवश्यकता है । वे भी नई टैक्नोलॉजियों की खोज कर रहे हैं । इसलिए हम 650 उनसे बहुत पीछे नहीं हैं । कमोबेश हम उनके साथ-साथ ही हैं । इसलिए हम सबके लिए, अन्य **देशों के लिए** भी 675 और **हमारे देश के लिए** भी यह संभव होगा कि हम मिलकर समूचे **विश्व के लिए,** इस पृथ्वी ग्रह के लिए अपना योगदान 700 दें ताकि **मिल-जुलकर** सहयोग से हम पर्यावरण की रक्षा के उपाय **ढूँढ** सकें । **ब्राजील** में दो वर्ष पहले हुए विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन725 में जिस कार्यसूची 21 को हमने स्वीकार किया था, वह इस बात का अच्छा उदाहरण है, और **मुझे विश्वास है कि** इस 750 **कार्यसूची के अनुसार, काम किया जा रहा है, यद्यपि** कोई भी काम बिना **कठिनाइयों** से भरा नहीं होता विशेषकर जब इसे जटिल विश्व 775 में एक जटिल स्थिति में लागू करना पड़े । परंतु मुझे विश्वास है कि स्थिति **आशाजनक** है, और यह आशा बढ़ती जा रही है । 800 और जहाँ तक विश्व के पर्यावरण के **भविष्य** का सवाल है, वह पहले जैसा **अंधकारमय** नहीं है ।

ऐसी टैक्नोलॉजियों को अपनाना **संभव** होना चाहिए 825 जिनसे पर्यावरण के बेहतर स्तर कायम हो सकें, प्राकृतिक **संसाधनों** को संरक्षण मिल सके और व्यर्थ पड़ी चीजों की बेहतर व्यवस्था हो सके । 850 पहल करने के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे पर्यावरण को होने वाले खतरे को **रोका जा सका है** और लागत की दृष्टि से 875 भी वे **प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं** । इस बड़े **चिंतनीय** विषय पर **विचार करते समय** हम सबको मिल-जुलकर **प्रयास करना होगा** । 900 हमारी **सांस्कृतिक** परंपरा **विशेष रूप से** प्रकृति और पर्यावरण के प्रति **मैत्रीपूर्ण** रही है, इसलिए हम अपने देशी ढंग से भी इस दिशा में 925 बहुत कुछ कर सकते हैं । मैं जानता हूँ कि सुधारों का यह मार्ग **फूलों की सेज** नहीं है, **विशेषकर** इतने बड़े **आकार** के 950 एक **लोकतंत्री** देश में । जिस देश ने भी इस दिशा में **चेष्टा** की है, यह उनके लिए बड़ा **दुष्कर** कार्य सिद्ध हुआ है । 975 मुझे इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है; और **राजनीतिक दृष्टि से** भी इस मार्ग का चुनाव करना एक कठिन कार्य था । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 29

अध्यक्ष महोदय, नई तालीम में मेरी रुचि उसी दिन से रही है जिस दिन प्रातः स्मरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने इस विषय पर विचार 25 करने के लिए पहले-पहल एक सम्मेलन वर्धा में किया था जिसमें देश के कुछ शिक्षाशास्त्री और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंध रखने वाले 50 कार्यकर्ता आमंत्रित थे । उस दिन से इस पद्धति की जिस प्रकार से जाँच और प्रगति हुई है, मेरा उससे कुछ न कुछ संबंध 75 रहा है और इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने आज मुझे शिक्षा संबंधी विचारों को व्यक्त करने का अवसर 100 दिया, यद्यपि मैं जानता हूँ कि ऐसा करने में बहुत अंश में पुनरावृत्ति करूँगा और हो सकता है मेरे मत से दूसरों का, विशेषकर 125 शिक्षाशास्त्रियों का मत न मिले । इसके अतिरिक्त विचारणीय बात यह भी है कि शिक्षा के संबंध में केंद्रीय और राज्यों की सरकारें आज 150 जो नीति बरत रही हैं, उसका मेरे मत के साथ कहाँ तक मेल होता है और मेरे मत में अथवा उस नीति में परिवर्तन 175 कहाँ तक आवश्यक दीखता है । इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं आज जो कुछ कहूँगा, वह व्यक्तिगत विचार के रूप में ही समझा 200 और देखा जाएगा और उस पर आप निर्भीकतापूर्वक और निर्लिप्त रूप से भलीभाँति विचार करेंगे । यह एक मानी हुई बात है कि जो 225 पद्धति आज तक प्राथमिक वर्ग से लेकर विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षा तक प्रचलित है, वह वही पद्धति है जिसको ब्रिटिश सरकार ने इस 250 देश में चलाया था और स्वराज्य-प्राप्ति के बाद भी अभी तक उसमें कहीं कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ हे । उसके लिए 275 हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि जिस प्रकार शांतिपूर्वक हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ, उसमें यह अनिवार्य था कि स्वराज्य के 300 साथ-साथ वह शासन-पद्धति, शिक्षा पद्धति तथा सारा उपक्रम जो अंग्रेजी राज्य में प्रचलित था उस परिस्थिति के प्रकाश में विचार करें और जो कुछ परिवर्तन 325 आवश्यक जँचे, उसे अमल में लाएँ ।

इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेजों ने जो शिक्षापद्धति आरंभ की, वह विशेषकर अपने राज को आसानी से 350 और सुविधा के साथ चलाने के लिए जारी की थी । उसके साथ-साथ उनके दिल और दिमाग में भी यह विचारधारा काम कर 375 रही थी कि यहाँ की संस्कृति और साहित्य में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वे अपनी संस्कृति, साहित्य इत्यादि की अपेक्षा अधिक 400 अच्छा समझें अथवा जिनको वे बनाए रखना उचित समझें । धीर-धीरे उनकी विचारधारा में थोड़ा-बहुत परिवर्तन भी हुआ पर मूल रूप से 425 नहीं और इसी बीच यूरोप में विज्ञान की जो प्रगति हुई, वह इस देश में उनकी भाषा के द्वारा ही प्रसारित हो सकती थी । 450 इन सबका परिणाम यह हुआ कि शासन की सुविधा और अपनी भाषा तथा संस्कृति के प्रति श्रद्धा के कारण उन्होंने इस पद्धति को 475 जारी रखा और इसको अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया गया । इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कई पीढ़ियों ने जो शिक्षा पाई इसी पद्धति से पाई । 500

प्रतिलेखन संख्या - 30

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का विचार है कि हमारी अपनी भाषा ही ऐसी भाषा हो सकती है जो **केवल शिक्षालयों** के लिए ही नहीं बल्कि 525 प्रत्येक **व्यक्ति के लिए** शिक्षा का माध्यम बन सकती **है** और जब तक उसको **माध्यम** बनाने की ओर **ध्यान नहीं दिया जाएगा** तब तक 550 शिक्षा इने-गिने लोगों की ही वस्तु रहेगी और **जन-समूह** के जीवन तक नहीं पहुँच सकेगी। दूसरी **विचारधारा** यह है कि आज के 575 **विज्ञान-युग** में हम इस देश को **यूरोपीय** विचारधारा से अलग नहीं रख सकते और न इसका अलग रहना **वांछनीय** है, और इसलिए 600 कम से कम उच्च शिक्षा अंग्रेजी के **माध्यम** द्वारा ही **दी जानी चाहिए**। यदि ऐसा **नहीं किया जाएगा** तो हम जीवन की **दौड़** में और 625 देशों की तुलना में पीछे रह जाएँगे और प्रगति **नहीं कर सकेंगे**। यह बात केवल शिक्षा के माध्यम **के संबंध में** ही नहीं बल्कि विचार 650 करके देखा जाए तो बहुत गहरी है और सारी पद्धति के संबंध में है। इससे **स्पष्ट हो जाता है कि** देश में शिक्षा 675 प्राप्त करने की इच्छा बहुत अधिक है जो अब शहरों तक ही सीमित न रह कर ग्रामीण जनता में भी दीख रही है। पर उसका 700 एक फल यह भी देखने में आ रहा है कि इतने लोग इन संस्थाओं से **उत्तीर्ण** होकर अपने को **एक प्रकार से** बेकार पा रहे हैं। 725 सरकारी **नौकरियाँ** अथवा दूसरे प्रकार के काम जो **शिक्षित वर्ग** को मिल सकते हैं सीमित हैं, और जितने लोग **उत्तीर्ण** होते हैं उनमें से 750 थोड़े ही लोग उनमें लग सकते हैं या उनमें लगने की योग्यता रखते हैं। **अधिकांश** विद्यार्थी अब वह काम **नहीं कर सकते** जो 775 उनके पिता और दूसरे **पूर्वज** लोग किया करते थे। अंग्रेजी शिक्षा के **फलस्वरूप** उस काम के प्रति उनकी भावना में परिवर्तन आ गया। 800 परिणाम हुआ कि बेकारी बढ़ी और उसके फलस्वरूप जीवन के प्रति **असंतोष** और **उपेक्षा की भावना** को बल मिला। यह इस देश 825 के लिए बहुत **भयंकर** चीज है। इसलिए हम इस विषय पर **मौलिक रूप से** विचार करें कि जो पद्धति आज चल रही है और 850 जिस पर हम इतना व्यय करके युवक और युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित कर रहे हैं, वह आज की परिस्थितियों के 875 कहाँ तक अनुकूल और लाभदायक है।

महात्मा **गांधी** ने इस आने वाली परिस्थिति का अनुमान लगा कर यह **निश्चय कर लिया था कि** यदि 900 इस देश में अमीर और गरीब प्रत्येक **भारतवासी के लिए** शिक्षा आवश्यक है तो वह इस पद्धति से नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि इसमें 925 व्यय इतना है कि यह देश उस भार को नहीं उठा सकेगा। इन्हीं दोनों विचारों से उन्होंने नई तालीम की पद्धति निकाली जिसको 950 अन्य देशों के **उच्चकोटि** के शिक्षाशास्त्रियों ने भी **शास्त्रीय** ढंग से विचार करके उपयोगी और **लाभदायक ठहराया। महात्मा जी** के विचार से 975 जहाँ तक मैं उसको समझ सकता हूँ, इस पद्धति में अपने दो मौलिक तथ्य थे। एक तो इसमें शिक्षा केवल पुस्तकों के द्वारा ही दी जाए। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 31

महोदय, सूर्य से प्राप्त होने वाली **ऊर्जा विज्ञान का विषय है,** परंतु आज ऊर्जा-**संसाधनों** का जो संकट हमारे सामने उपस्थित है उसको देखते [25] हुए हमारी **आशाएँ** सूर्य और उससे मिलने वाली ऊर्जा पर टिकी हैं। यों, यह विषय सामान्य हित का है और उसमें हमारी समान [50] **अभिरुचि** भी दीख पड़ती है। अतः इस पाठ में **सौर-ऊर्जा** की **संकल्पना** और उसकी **उपयोगिता** पर **स्फुट** विचार अर्ध **तकनीकी भाषा** में [75] यहाँ प्रस्तुत हैं। ऊर्जा संसार के प्राणियों के जीवित रहने और दैनिक **कार्यों के लिए** परम आवश्यक है । पेड़-पौधे, सूर्य से ऊर्जा **ग्रहण** करते हैं । [100] सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं । समस्त **स्रोतों** से ऊर्जा-**प्राप्त करते हैं ।** ऊर्जा के बिना न तो जीवन [125] संभव है और न ही कोई कार्य हो सकता है । **इसीलिए** मानव प्राचीन युग से लेकर **आज तक** ऊर्जा **प्राप्ति के लिए** अनेक स्रोतों [150] और **प्रक्रियाओं** को खोजता रहा है । ऊर्जा जिन साधनों से प्राप्त होती रही है, उन्हें हम ऊर्जा-प्राप्ति के **पारंपरिक** स्रोत कहते हैं। स्रोत हैं [175] लकड़ी, कोयला, **पैट्रोल,** मिट्टी का तेल आदि । इनसे हम ऊर्जा **प्राप्त करते हैं ।** वायु और जल को भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में [200] **प्रयोग किया जाता रहा है । आधुनिक युग** में विज्ञान ने ऊर्जा के और नए स्रोत निकाले हैं। इन्हें आजकल **गैर-पारंपरिक** स्रोत **कहा** [225] **जाता है ।** आज ऊर्जा के अनेक रूप हमें ज्ञात हैं: ईंधन वाली ऊर्जा, पवनऊर्जा, जलऊर्जा **जीवाष्मी ऊर्जा** या जमीन के नीचे पथराए [250] ईंधन वाली ऊर्जा, गैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा आदि ।

पारंपरिक स्रोतों से **निकलने वाली** ऊर्जा की **कमी के** [275] **कारण** गैर-पारंपरिक स्रोतों की खोज का काम आज बड़ी तेजी से किया जा रहा है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सन् [300] 1950 से ही **सौर-ऊर्जा** का प्रयोग आरंभ किया । सन् 1973 में जब पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि पदार्थों का संकट अनेक देशों ने अनुभव [325] किया, तब **वैज्ञानिकों** ने **व्यावहारिक स्तर** पर सूर्य को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में स्वीकार किया । **भारत सरकार** के गैर-पारंपरिक ऊर्जा-स्रोत विभाग [350] ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है । वह राज्यों के ऊर्जा-विभागों की सहायता से इन कार्यक्रमों और साधनों को **अधिक से अधिक** लोकप्रिय [375] बनाने का प्रयास कर रहा है । ऊर्जा-कार्यक्रमों के **अंतर्गत गैर-पारंपरिक** ऊर्जा स्रोतों के निर्माण और उनके **रख-रखाव** और प्रचार आदि [400] **पर बल दिया जाता है ।** इनके अनुसंधान तथा **विकास के लिए** उच्चतम तकनीकी ज्ञान तथा प्रशिक्षण को **बढ़ावा दिया जाता है । सौर ऊर्जा** [425] हमारे अनेक कार्यों में **उपयोगी सिद्ध हो सकती है।** सौर ऊर्जा से बिजली भी पैदा की जाती है जिससे घरों में और सड़कों पर [450] प्रकाश होता है । सौरऊर्जा से सोलर-कुकर, सोलर-हीटर, सोलर-ड्रायर, सोलर-**रेफ्रिजरेटर** इत्यादि का विकास राष्ट्रीय भौतिकी **प्रयोगशालाओं** में हो [475] रहा है । **सोलर-कुकर संदूक के आकार** का होता है जो धूप वाले दिनों में दो घंटे में दाल, चावल आदि पका सकता है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 32

महोदय, मांस, मछली आदि को भी इससे पकाया जा सकता है । सोलर-हीटर सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल, होटल, कारखाने आदि में पानी गरम करने 525 के लिए काम में लाए जाते हैं । सोलर ड्रायर की सहायता से अनाज, तंबाकू, नारियल, इमारती लकड़ियाँ आदि को सुखाया जाता हे । अब तो ऐसे 550 सौर संयंत्रों का विकास किया जा रहा है जिनसे समुद्र जल के खारेपन को दूर किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से हमारे 575 दूर-दराज के गाँव भी अब प्रकाश से जगमगा उठेंगे और गाँव भी शहरों की तरह सभी आधुनिक साधनों से संपन्न हो जाएँगे । 600 हम भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सौर ऊर्जा बारहों महीने सुलभ है । हमें चाहिए कि हम सौर ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाएँ । 625 इससे न केवल पारंपरिक ऊर्जा की बचत होगी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि के लिए विदेशों का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा बल्कि विदेशी 650 मुद्रा में भी ज्यादा बचत हो सकेगी । निस्संदेह सौर ऊर्जा की क्रांति से सामान्य व्यक्ति को लाभ मिलेगा और देश चहुँमुखी विकास का स्वप्न 675 साकार कर सकेगा । चुनाव के पहले की स्थिति से देश गुजर रहा है । देश का लाखों-करोड़ों का खर्च चुनाव पर होता है - चुनाव 700 प्रक्रिया पर होता है अतिरिक्त इसके चुनाव प्रत्याशी भी लाखों करोड़ों का खर्च करते हैं, जन-जन तक पहुँचने के लिए, जननेता बनने के 725 लिए । अशिक्षित जनता भीड़ देखती है, दिखावा देखती है, प्रदर्शन देखती है - फिर कुछ छोटे-मोटे लालच भी काम करते हैं और जनता गुमराह 750 हो जाती हे । ऐसी स्थिति में चुने गए प्रत्याशियों से भला क्या देश का हित हो सकता है । शिक्षित, बुद्धिजीवी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया 775 से, चुनाव परिणामों से हताश होकर प्रक्रिया से ही अपने को दूर रखने का उपक्रम करते हैं या करने को मजबूर हो 800 जाते हैं, लंबी खड़ी कतारों में अपना समय नहीं लगाना चाहते ।

लोकसभा, विधान सभा, पंचायत सभी चुनाव यदि एक ही समय कराए जाएँ 825 तो बहुत संभव है लोगों में रुचि बने, समय का व्यय रुके । आर्थिक खर्च भार जो देश को बार-बार करना पड़ता है वह 850 बच सकता है। क्या ऐसा कुछ सोचा नहीं जा सकता । प्रत्याशी बनने के लिए भी कुछ मापदंड निर्धारित होने चाहिए । उनको शिक्षित होना 875 चाहिए और चुने जाने के बाद उनके लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए । उनके खर्च एवं संपदा पर एक प्रतिबंध होना चाहिए; 900 एक गवेषणात्मक दृष्टि होनी चाहिए । समाज का हित चाहने वाले ऐसे चुनिंदा लोगों का जीवन महात्मा गांधी की तरह सरल, स्वच्छ एवं सादगी वाला 925 होना चाहिए । यदि ऐसा होने लगा तो व्यापारिक भावना से आने वाले प्रत्याशी स्वयं हट जाएँगे । अच्छे चुनिंदा व्यक्ति ही देश को सही दिशा दे 950 सकते हैं - देश का हित कर सकते हैं। बहुजन-संप्रेषण के माध्यमों के अभिनव विकास तथा राष्ट्रीय चेतना का अंतर्राष्ट्रीय जीवन से संबंध बढ़ा है जिसके 975 कारण मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ भी जटिल होती गई हैं । वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी निरंतर उर्ध्वमुखी हो रहा है । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 33

महोदय, आज के इस समारोह का अपना अलग महत्व है । **'पंचायत' भारतवर्ष** की एक बहुत पुरानी संस्था है और जैसा अभी कहा गया इन्हीं [25] पंचायतों के कारण ही **भारतवर्ष** अब तक जीवित रह सका है । हम पर बाहर से बार-बार आक्रमण हुए, **विदेशियों** की विजय हुई पर [50] **ग्राम पंचायतें** अपने स्थान पर ज्यों-की-त्यों बनी रहीं । अंग्रेजी शासन के विस्तार के **फलस्वरूप** अन्य संस्थाओं के बिखर जाने के साथ-साथ [75] ये पंचायतें भी नष्ट हो गईं । जिस समय हम लोग **ब्रिटिश सरकार** से भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए थे [100] उस समय गाँव-गाँव में जो कांग्रेस **कमेटियाँ** स्थापित हुईं वे **एक प्रकार से** पंचायतें ही तो थीं । पर उस समय हमारे हाथों में अधिकार [125] नहीं था और जो पंचायतें स्थापित हुईं वे जनता की इच्छा से ही स्थापित हुईं । हमारे हाथों में जब अधिकार आया तो उस समय ये [150] ग्राम पंचायतें सभी **स्थानों** पर थीं । संविधान बनाते समय भी यही सोचा गया कि ऊँची **व्यवस्थापिका** सभाओं तक **पहुँचने के लिए** पंचायतें ही सबसे [175] पहली कड़ी होंगी । **उसके बाद** सभी प्रदेशों और राज्यों की सरकारों ने पंचायत संबंधी कानून पास किए और पंचायतें स्थापित होने लगीं। इस समय [200] **प्रायः** सभी राज्यों में पंचायतें हैं । यह दूसरी बात है कि कहीं पर उनका काम **भली-भाँति** चल रहा है और कहीं उतने **सुचारु** [225] **रूप से** नहीं चल रहा । आज **यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि** आपके इस राज्य में पंचायतों को **ठीक रूप से** चलाने [250] पर बड़ा जोर **दिया जा रहा है** । जिनका काम सबसे अच्छा और सुंदर समझा जाता है उनको **पुरस्कार** दिया जाता है । [275] इसलिए मैंने आपकी ओर से आज दो-चार पंचायतों के मुखिया लोगों को अनुदान दिया । मैं उनको बधाई भी **देना चाहता** [300] **हूँ कि** उनका काम चार हजार ग्राम-पंचायतों में सबसे अच्छा समझा गया ।

हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पहले की हमारी पंचायतें [325] क्यों मिट गईं । **हमारे देश में** पंचायतें परंपरा से चली आ रही थीं । अंग्रेजों ने भी **मुक्त कंठ से** इस बात को स्वीकार किया कि [350] भारत का प्रत्येक गाँव **गणराज्य** था । पर एक समय आया जब गाँव स्वतंत्र गणराज्य न रहे और देश परतंत्र हो गया । [375] इसका कारण हममें **कमजोरियों** का आना था । हमें उन कमजोरियों से अभी भी बचते रहना चाहिए जिससे फिर से वह दिन न देखना पड़े । [400] वह कमजोरी थी उन पंचायतों का **संकीर्ण** दृष्टिकोण । लोगों ने पंचायतों की **परिधि** के क्षेत्र को ही अपना देश माना और इस कारण जब एक [425] पंचायत पर आक्रमण हुआ तो दूसरी पंचायतों ने उसकी **रक्षा** में हाथ **बँटाना** अपना धर्म नहीं समझा । इसी प्रकार विदेशियों ने एक-एक पर [450] आक्रमण करके सारे देश पर अपना **अधिकार कर लिया** । हमारे शत्रुओं ने हमारे **पारस्परिक वैमनस्य** और **भेदभाव** से भी लाभ उठाया । अभी हाल [475] में जब **भाषावार** राज्यों का प्रश्न उपस्थित हुआ तो गाँव की छोटी-छोटी पंचायतों ने जैसी सम्मतियाँ प्रकट कीं उनसे **यह स्पष्ट हो गया** । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 34

महोदय, अन्य उद्योगों और प्रत्येक राष्ट्रीय गतिविधि की भाँति समाचारपत्रों को भी समय-समय पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनना होता 525 है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के अवसर पर राष्ट्रीय पत्रों ने बहुत बड़ा काम किया जिसे राष्ट्र प्रशंसा की भावना के साथ सदा स्मरण रखेगा। देश 550 के स्वाधीन होने के बाद से समाचारपत्रों के दायित्व में मौलिक परिवर्तन हुआ है। देश से विदेशी सत्ता के जाते ही शासनतंत्र राष्ट्र 575 के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया। यह स्वाभाविक था कि इस परिवर्तन के बाद सभी समाचारपत्र अथवा उनमें से अधिकांश अपनी नीति पर 600 पुनर्विचार करें। इन नौ वर्षों में अधिकांश पत्रों ने इस दायित्व को सुचारू रूप से निभाया है। मैं यह प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ 625 कि पत्रों ने राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर सरकार का समर्थन कर उसका बल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि जब कभी विचार-स्वातंत्र्य और सच्चे 650 मतभेद की माँग हुई तो पत्रों ने आलोचना का आश्रय भी लिया। किसी भी पत्र का मूल्य अंततोगत्वा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसके निर्भीक 675 और निष्पक्ष विचारों के आधार पर ही आँका जा सकता है। मैं समझता हूँ, एक साधारण पाठक की दृष्टि में आदर्श समाचारपत्र वही है 700 जो निष्पक्षता तथा निर्भीकता से सभी उचित बातों का समर्थन करे और प्रत्येक अनुचित कार्यवाही की निंदा करे। ऐसे देश में जहाँ विचार-स्वातंत्र्य की 725 पूर्ण व्यवस्था है, समाचारपत्र ही अपने निष्पक्ष तथा वस्तुगत मूल्यांकन से जनता का पथप्रदर्शन कर सकते हैं। यह काम उतना ही आवश्यक 750 है जितना जनसाधारण में संवादों का प्रसार करना।

भारत में समाचारपत्र उद्योग लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस काल में पत्रों ने बहुत 775 प्रगति की है और शक्ति तथा यश का उपार्जन किया है। किंतु जब हम भारतीय पत्रों की दूसरे प्रगतिशील देशों के पत्रों से तुलना 800 करते हैं, तो हम बहुत-सी बातों में, विशेष कर प्रकाशन-संख्या की दृष्टि से अपने पत्रों को बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं। लघु प्रकाशन-संख्या 825 का प्रमुख कारण हमारे देश में साक्षरता का भारी अभाव है। यह हर्ष का विषय है कि कुछ समय से पत्रों की प्रकाशन-संख्या 850 बराबर बढ़ती जा रही है और देर-सवेर उसकी दूसरे देशों के पत्रों की प्रकाशन-संख्या से तुलना की जा सकेगी। यह कहना असंगत न 875 होगा कि समाचारपत्र उद्योग दूसरे उद्योगों से कुछ भिन्न है। वास्तव में इस उद्योग और दूसरे उद्योगों में यदि कोई सामान्य बात है तो 900 यही कि दोनों ही की गणना उद्योगों में होती है। इसके अतिरिक्त समाचारपत्रों और अन्य उद्योगों में बहुत कुछ भेद हैं। किसी भी उद्योग पर 925 राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्र के लोगों के विचार, उनके लक्ष्य तथा महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने का इतना भारी उत्तरदायित्व नहीं जितना समाचारपत्र उद्योग पर है। 950 पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन संसार के सभी देशों में आरंभ में एक साधारण प्रचार कार्य के रूप में हुआ। उस समय यह कार्य 975 आर्थिक लाभ से ऊपर था। धीरे-धीरे जैसे पत्रों के पाठकों तथा ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और पत्र विज्ञापन का माध्यम माने जाने लगे। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 35

बहनो व भाइयो, ग्राम पंचायतों की तरह पंचायत समितियों व **जिला परिषदों** के सदस्य **मतदाताओं** द्वारा सीधे चुने जाएँगे। पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर 25 सभी पदों पर **महिलाओं** का एक-तिहाई **आरक्षण सुनिश्चित किया गया** अर्थात 33 प्रतिशत महिला पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख बन सकेंगे। **अनुसूचित जाति** व **अनुसूचित** 50 **जनजाति के लिए** भी **जनसंख्या** के प्रतिशत में पद आरक्षित रहेंगे। पिछड़ी जाति के हेतु भी **राज्य सरकार** ने आरक्षण किया है। 75 राज्य वित्त आयोग गठित होगा जो संसाधनों को देखकर **पंचायती राज संस्थाओं** को राज्य सरकार के करों की आय का हिस्सा दिलाने की सिफारिश करेगा। 100 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 एवं पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम, 1959 को **समाहित** कर तथा 73वें संविधान संशोधन के **प्रावधानों** को ध्यान में 125 रखते हुए राजस्थान विधान सभा में नया पंचायती राज अधिनियम 9 अप्रैल, 1994 को पारित किया गया जो **राज्यपाल महोदय** के अनुमोदन के 150 पश्चात 23 अप्रैल, 1994 को राज्य में लागू हो गया। हमारे देश विशेषकर राजस्थान में पंचायती राज की आवश्यकता क्यों महसूस की गई ? यह 175 प्रश्न आज हमारे मन में **कौंधता है**। आज पंचायती राज इसलिए आवश्यक है कि इससे प्रशासन में जन सामान्य की **सहभागिता** बढ़ेगी। 200 इससे लोकतंत्र की **जड़ें** मजबूत होंगी। गाँव की **आवश्यकता के अनुसार** विकास योजनाएँ बनेंगी। योजनाओं का **क्रियान्वयन** सब लोगों के सामने होगा। 225 **लोकतांत्रिक पद्धतियों** में प्रशिक्षण पाने और **जनतांत्रिक** मूल्यों को ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। ग्रामीणों का **उत्तर-दायित्व** बढ़ेगा तथा इससे **भ्रष्टाचार** में 250 कमी आएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य **पिछड़े वर्गों** की प्रभावकारी सहभागिता से राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक खाई पटेगी। विकास संबंधी निर्णयों में 275 **महिलाओं** की भागीदारी बढ़ेगी तथा सामाजिक **कुरीतियाँ** मिटेंगी। लोगों में सहयोग और **अपनत्व** की भावना बढ़ेगी। इससे ग्रामीण जीवन सुंदर और सुखी बनेगा। 300 गाँव की समृद्धि - देश को गरिमा व शक्ति देगी और **कमजोर वर्गों** पर विशेष **ध्यान दिया जा सकेगा।**

पंचायती राज संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों 325 का विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ें वर्गो आदि को उचित मात्रा में **प्रतिनिधित्व** देने में विशेष ध्यान रखा है। 350 राज्य के पंचायती राज इतिहास में इस बार **उपरोक्त वर्गों के जन-प्रतिनिधि** अधिक मात्रा में निर्वाचित हो कर आए हैं। मैं इन सभी का **स्वागत** 375 **करता हूँ** और **उम्मीद करता हूँ कि** इससे सभी वर्गों को **समान रूप से** इन संस्थाओं में भागीदारी मिलेगी, विशेषकर महिलाओं को। 400 जो लोग चुनकर आए हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वे अपने गाँव, अपने **मोहल्ले**, अपने क्षेत्र के विकास के लिए 425 तन-मन-धन तथा पूरे **मनोयोग** से काम करें और अपने क्षेत्र की **खुशहाली** तथा **उन्नति के लिए प्रयत्नशील** रहें। **केंद्र सरकार** पंचायतों के 450 **उत्थान** के लिए **पूरी तरह से** सभी राज्यों को **यथाशक्ति** मदद देगी। देश की **लगभग तीन-चौथाई जनसंख्या** गाँवों में रहती है, 475 जिनकी आय कम **होने के साथ-साथ** शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी उन्हें **पर्याप्त मात्रा** में **उपलब्ध नहीं हैं।** 500

प्रतिलेखन संख्या - 36

बहनो व भाइयो, ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर **अनुसूचित जातियों**, जनजातियों, **कमजोर वर्गों** और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का 525 विकास एवं गरीबी **उन्मूलन** भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है । हमारे प्रधानमंत्री के **नेतृत्व** में ग्रामीण विकास हेतु **जवाहर रोज़गार योजना**, दस 550 लाख कुओं के निर्माण की योजना, सुनिश्चित रोज़गार योजना, **समन्वित** ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा **बाल विकास कार्यक्रम**, ग्रामीण युवा स्वरोज़गार **प्रशिक्षण** 575 **योजना**, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औज़ार किट की आपूर्ति, **सूखाग्रस्त** क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, **मरुभूमि** विकास कार्यक्रम, राजीव 600 गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा ग्रामीण स्वच्छता आदि कार्यक्रमों का **कार्यान्वयन** तेजी से किया जा रहा है । इन कार्यक्रमों के माध्यम से 625 **गरीबों** को रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हमारे ग्राम प्रधानों के लिए **केंद्र सरकार** ने हर गाँव में **टेलीफोन** उपलब्ध कराने की व्यवस्था 650 की है, ताकि उन्हें राज्य के **मुख्यालय** तथा **केंद्र सरकार** के मुख्यालयों से संपर्क करने में कोई कठिनाई न हो । यदि कहीं यह सुविधा उपलब्ध 675 नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ यह सुविधा उपलब्ध हो जाए । केंद्र सरकार ने **संसद सदस्यों** के माध्यम से सभी क्षेत्रों के **विकास** 700 **के लिए** 1 करोड़ रुपया **मुहैया** कराने का जो कार्यक्रम बनाया है उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और यह काम सभी 725 पंचायतों के जरिये से ही होना है । हम तो चाहते हैं कि शासन का **केंद्रीकरण** न होकर **विकेंद्रीकरण** हो । सरकार की सत्ता सभी लोगों 750 विशेषकर हमारी पंचायतों के हाथ में हो ।

हमारे **प्रधानमंत्री** जी गाँवों के उत्थान के लिए **विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं** । 775 उन्होंने अपने इस बजट में ग्राम **विकास के लिए** काफी अधिक धनराशि रखी है । आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 800 अभी हाल ही में कई **योजनाओं** की घोषणाएँ की हैं जो आरंभ भी हो चुकी हैं । जिसमें से एक है **वृद्धावस्था पेंशन** । इसके 825 तहत **बुजुर्गों** को 200 रुपये प्रति माह **दिए जा रहे हैं**। दूसरी योजना है, जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले किसी व्यक्ति की **मृत्यु** हो 850 जाती है तो उसे एक बीमा योजना के तहत 5 हजार रुपए तथा **10 हजार रुपये**, जैसा भी मामला हो दिए जाते हैं । 875 **प्राकृतिक रूप से** मृत्यु होने पर 5 हजार रुपये तथा दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में 10 हजार रुपये सरकार देती है । एक योजना 900 हमने स्कूली बच्चों के लिए शुरू की है । हमने देखा है कि हमारे बच्चों का विकास **पूर्णतया** नहीं हो पाता है और बच्चों 925 से ही हमारे देश का भविष्य है । जिस देश के बच्चे कमज़ोर और **कुपोषित** होंगे उस देश की तरक्की **स्वभावतः** नहीं हो पाती है । अतः 950 हमने स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की है । वैसे तो **पंचायतों** के माध्यम से हमने पहले से ही 975 कई योजनाएँ चलाई हुई हैं जैसे कि **महिला समृद्धि योजना**, **इंदिरा आवास योजना**, **मातृत्व** लाभ योजना के दौरान 300 रुपए दिए जाते हैं । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 37

महोदय, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि इस स्थिति का वास्तविक हल बेहोशी की दवा देकर नहीं किया जा सकता । [25] इससे रोग के लक्षणों की उग्रता को तो कुछ समय के लिए भूला जा सकता है, पर अंततः तो रोग बढ़ ही जाता है । [50] सभी जगह राजनीतिज्ञों की इस उलझन को मैं समझता हूँ जो बड़े उपायों पर सच्ची सहमति न होने के अभाव में तात्कालिक लाभ के उपायों [75] को ही प्राथमिकता देने लगते हैं । इसलिए आज वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि लोगों और परिवारों को जल्दी से लाभ [100] पहुँचाने के उपायों में और पूरे समाज को लाभ पहुँचाने वाले दीर्घकालीन उपायों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित किया जाए क्योंकि अप्रत्यक्ष ढंग [125] से उन से भी लोगों और व्यक्तियों को लाभ पहुँचता है । इसलिए हमारा कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति, परिवार और [150] समाज सभी के लिए उपयुक्त हो और माइक्रो स्तर पर तीनों तरफ चलने वाले हमारे प्रयास एक ओर मिल जाएँ । हमारी आठवीं योजना में इसी [175] बात पर जोर दिया गया है । इस योजना में ग्रामीण विकास की राशि में भारी वृद्धि की गई है जो 11,000 करोड़ रुपये से [200] बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दी गई है । इसमें जिन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, उनमें रोज़गार पैदा करना, रोज़गार का आश्वासन [225] देना, समन्वित बाल विकास योजनाएँ, टीकाकरण शिक्षा और अन्य कई सामाजिक आवश्यकताएँ पूरी करने वाली योजनाएँ भी शामिल हैं । इस बात की आवश्यकता [250] हमेशा बनी रहती है कि समय-समय पर लोगों की जरूरतों और माँगों को देखते हुए उनमें हमेशा यथोचित सामंजस्य किया जाना चाहिए । तथापि केवल [275] इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि योजनाएँ शुरू कर दी जाएँ । योजनाएँ शुरू करने के साथ-साथ यह भी जरूरी होता है कि लोगों को [300] उन्हीं की भाषा में शिक्षित करने और समझाने के लिए एक व्यापक साधन और सतत अभियान चलाया जाए ताकि उनके समझने और देखने [325] के ढंग में जो छिद्र या गलतफहमी है उसे दूर किया जाए क्योंकि प्रायः उसके कारण विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू [350] हो जाते हैं । इसलिए गाँवों में उन्हें समझाने के माध्यम में परिवर्तन करना अत्यधिक महत्व का है । और मुझे इस बात का निश्चय [375] नहीं कि इस दिशा में हमने जो कुछ करना है, क्या वह हम कर चुके हैं ।

प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी [400] लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है । यह जरूरी है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे [425] ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, उद्यम करने की भावना बढ़ सके, उसका विकास हो सके और वह पनप सके । हमने यही करने की [450] चेष्टा की है । अब यह काम उद्यमियों का है कि पूँजी निवेश करके, उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिक कुशलता लाकर ज्यादा [475] रोज़गार पैदा करें और आय बढ़ाएँ । आय बढ़ने के साथ-साथ माँग बढ़ेगी और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 38

महोदय, इस तरह पूरा **पिरामिड** बढ़ता जाएगा । यह विचार बड़ा स्पष्ट और सरल लगता है परंतु जब इसे हमारे जैसे विशाल **आकार**, **जनसंख्या** और 525 सामाजिक **जटिलताओं** वाले देश पर लागू किया जाता है तो इसे **कार्यान्वित** करना अत्यंत **दुष्कर** कार्य हो जाता है । अब चूँकि प्रगति और वृद्धि 550 के लिए वातावरण अधिक अनुकूल बन गया है, इसलिए अब **संसाधनों** का प्रश्न सामने आता है। **टैक्नोलॉजी गुणवत्ता, उत्पादकता** और **प्रतियोगिता** के प्रश्न 575 सामने आते हैं। इन प्रश्नों पर **विचार करते समय** हमें विदेशी कारकों की समस्या पर भी ध्यान रखना पड़ता है । इस **संदर्भ** में विदेश से 600 निवेश और टैक्नोलॉजी अपने देश में आती रहे, यह प्रश्न **प्रासंगिक** बन जाता है । बाजार में प्रवेश मिलने का प्रश्न भी **महत्वपूर्ण** बन जाता है। 625 हमें अपनी **अर्थव्यवस्था** को विश्व अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए । हम एक **अलग–थलग** द्वीप बनकर 650 नहीं रह सकते, हमें तो स्वयं को विश्व की प्रणाली के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए । इसी के साथ द्वीप का भी 675 **अस्तित्व** बने रहना चाहिए और राष्ट्रीय हितों को भुलाया नहीं जा सकता । जिसे **विश्वव्यापीकरण कहा जाता है**, वह विश्व का एक भाग बनने का 700 **प्रयास मात्र** है । इसके बाद ही हम शेष विश्व से यह आशा कर सकेंगे कि वह हमें हमारी आवश्यकता की चीजें प्रदान करे । 725 **मुझे विश्वास है कि** ऐसा करते समय **विसम्मति** की कोई आवाज नहीं होगी । किंतु हम विश्वव्यापीकरण महज उसी की **खातिर** नहीं कर रहे । 750 यह तो विशिष्ट रूप से भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए **किया जाना चाहिए** क्योंकि शून्य देकर केवल शून्य ही 775 मिलता है, इसलिए हम अपना लक्ष्य तभी **प्राप्त कर** सकते **हैं** जब हम यह दिखा दें कि इससे देने वाले और लेने 800 वाले दोनों का लाभ है।

विश्व अर्थव्यवस्था आज **अधिकांशतः** बाजार की ताकतों के **सहारे** चल रही है, और यदि हम इन बातों को 825 **अनदेखा** कर देंगे तो इससे हमें भी भारी हानि उठानी पड़ेगी । अपने प्रयासों में हमने इस **वास्तविकता** को स्वीकार करने का प्रयास 850 किया है । विश्वव्यापीकरण से हम **अभिभूत** नहीं हैं परंतु हम अपनी ओर से यथार्थ को समझने की पूरी चेष्टा करते हैं । कुछ आलोचकों ने 875 यह कहा है कि विदेशी **निवेशकर्ता** हमारी अर्थव्यवस्था पर छा जाएँगे । **इस संबंध में** मैं केवल **यह** कह **सकता हूँ कि** अब 900 तक यद्यपि हमारी नीतियों पर अच्छी **प्रतिक्रिया** हुई है और विदेशी निवेश **आकर्षित** हुआ है । परंतु यह हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए नितांत 925 **अपर्याप्त** है। आपको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कल विदेशी निवेशकों के छा जाने का **खतरा** लग रहा है । मुझे 950 लगता है कि यहाँ **उपस्थित** आप लोगों में विश्वास की, **आत्मविश्वास** की भावना बड़ी प्रबल है और यही इस प्रकार की आलोचनाओं का सही 975 उत्तर है । मैं विदेशी निवेश के प्रस्तावों की दो विशेषताओं को दोहराना चाहूँगा ताकि हर व्यक्ति इस बारे में **आश्वस्त** हो जाए । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 39

सज्जनो और देवियो, विगत दो दशकों से मेरा संपर्क, जहाँ तक **कार्यालयीन कार्यभार** का प्रश्न है, देश के विभिन्न भागों में **कार्यरत** [25] **स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं** से रहा है । **अतएव** आज इस गौरवपूर्ण मंच से संस्थाओं और उनके **इर्द-गिर्द** की बातों पर अपने विचार केंद्रित करूँगा । [50] जहाँ हिंदी शिक्षण एवं परीक्षा संचालन हिंदी प्रचार-प्रसार के **सर्वाधिक** रचनात्मक कार्यक्रम हैं, वहीं **हिंदीतर** क्षेत्र में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण [75] निर्माण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है । आज इन कार्यक्रमों के संचालन सहज सुगम नहीं रह गए बल्कि **चुनौतीपूर्ण** हो गए हैं । **विद्यार्थियों** की [100] योग्यता **बढ़ाने के लिए** शिक्षा एवं परीक्षा के अतिरिक्त हिंदी **वक्तव्य,** निबंध, **वाद-विवाद** के साथ-साथ नाटक-एकांकी **प्रतियोगिताएँ** आयोजित की जाती हैं । [125] हिंदी शिक्षकों-प्रचारकों के लिए शिविर, **पुनश्चर्या** कार्य शिविर, **पुरस्कार योजना** जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए जहाँ [150] इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और परिणामी बनाने की आवश्यकता है वहीं अन्य प्रभावी कार्यक्रमों की **परिकल्पना** करनी होगी । हिंदी शिक्षण, परीक्षा संचालन [175] और वातावरण निर्माण इन तीनों के **आनुपातिक** और सफल आयोजन पर **विद्यार्थियों** का हिंदी ज्ञान अर्थात हिंदी बोलने, पढ़ने एवं लिखने की **दक्षता** का पूरा [200] **दारोमदार** टिका रहता है । आज जबकि बहुतेरे विद्यार्थी शिक्षक बनने की राह में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो हिंदी शिक्षक की योग्यता एवं [225] दक्षता ऐसे ध्यान देने का विषय हैं जो राज्य के इतने सारे हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों के स्तर के लिए **निर्णायक** पहलू है । यह [250] नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी **संस्था के लिए** उनके प्रचारक ही **आधारभूत परिसंपत्तियाँ** होते हैं । प्रचारकों के **सत्प्रयास** एवं सुकार्य [275] से संस्था की जड़ें मजबूत होती हैं । वास्तव में हिंदी की प्रचार योजनाओं का सफल **कार्यान्वयन** सभी संबंधित पक्षों के प्रयास के समन्वय से [300] ही संभव है - संस्था के **पदाधिकारी,** कार्यकर्ता, प्रचारकगण, विद्यार्थी और अंत में किंतु कदापि कम नहीं, सरकारी **व्ययस्तता के तालमेल** पर । [325] इन सबके कार्यों के उचित समन्वय का प्रयत्न स्वस्थ दृष्टि से **निरंतर** जारी रहना चाहिए, और यह भी ध्यान रहे कि जाने-अनजाने [350] दामन में दाग न लग जाए ।

भारत ग्रामों का देश है और **अधिकांश** भारतीय जनता ग्रामों में बसती है। नगरों और शहरों के नागरिकों [375] को शिक्षा की कई सुविधाएँ प्राप्त हैं, यों उन्हें हिंदी पढ़ने के **यथेष्ठ** अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। अब आवश्यकता इस बात [400] की है कि **ग्रामवासियों** को भी हिंदी सीखने के अधिक अवसर प्रदान किए जाएँ । हिंदी राष्ट्रीय **अस्मिता,** राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय **गौरव** की भाषा है । [425] **यह राष्ट्रभाषा, राजभाषा** घोषित तो हो चुकी है किंतु अब तक इसे अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए [450] जब तक शासन और जनता दोनों ओर से **समवेत** प्रयास नहीं होगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी । राष्ट्रभाषा से ही किसी राष्ट्र की [475] **भावात्मक** एकता, **राष्ट्रीय एकता** की प्राप्ति की जा सकती है। अपने देश की भाषा को छोड़ किसी अन्य विदेशी भाषा से इसकी प्राप्ति **कदापि** नहीं की जा सकती । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 40

महोदय, कुछ लोग आज यह कहते देखे गए हैं कि **राष्ट्रीय एकता** अंग्रेजी के **माध्यम** से हो सकती है । कई लोगों की धारणा है कि अंग्रेजी 525 निकाल दी जाए तो राष्ट्र **टुकड़े-टुकड़े** हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति रुक जाएगी आदि । इससे **बढ़कर भ्रामक** विचार और कुछ भी नहीं हो 550 सकता। मैं अंग्रेजी की **उपादेयता** को **नकार** नहीं रहा, किंतु हर जगह उसका **वर्चस्व** हो यह स्वीकार्य नहीं हो सकता । किसी देश की भाषा 575 के साथ उस देश की संस्कृति, विचारधारा और **मान्याताएँ** जुड़ी रहती हैं, और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भाषा ही 600 **सर्वसक्षम** होती है। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय **गौरव** आम जनता को दृष्टि में रख कर किया जाता था । राष्ट्रीय एकता का अर्थ 625 है करोड़ों **भारतीयों** की एकता और यह एकता हिंदी से ही लाई जा सकती है, अंग्रेजी से नहीं । अंग्रेजी को बनाए रखने की नीति 650 मानसिक दासता की **द्योतक** है यदि हिंदी और भारतीय भाषाओं के विरुद्ध अंग्रेजी **षडयंत्र** को विफल नहीं किया गया तो जनतंत्र एक मखौल 675 बनकर रह जाएगा। हिंदी और भारतीय भाषाएँ तो **सहोदराएँ** हैं । उनमें आपसी कोई विरोध नहीं । उनका विरोध और संघर्ष तो अंग्रेजी 700 के साथ है । जिस दिन **क्षेत्रीय भाषाएँ**, अपने क्षेत्र के प्रशासन, न्याय, शिक्षा आदि में स्थापित हो जाएँगी उसी दिन राष्ट्रीय स्तर पर **राष्ट्रभाषा**, 725 **राजभाषा** और **संपर्क भाषा** के रूप में हिंदी के स्थापित हो जाने का मार्ग **प्रशस्त** हो जाएगा। **स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएँ** अपने इस मूल उद्देश्य 750 को कभी भी **धूमिल** होने न दें क्योंकि हिंदी के **प्रचार-प्रसार** के क्षेत्र में वे **सर्वाधिक** महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। **इस दृष्टि से** मैसूर 775 **हिंदी प्रचार परिषद** का यह कार्यक्रम **श्लाघनीय** है कि वह हिंदी के साथ **कन्नड़ेतर जिज्ञासुओं** के लिए कन्नड़ की प्रारंभिक और उच्च कक्षाएँ 800 एवं परीक्षाएँ चला रही हैं । अपनी **दैनंदिनी** में भी हिंदी के साथ-साथ कन्नड़ में दिन और तिथियाँ दी हैं। इस तरह के 825 छोटे किंतु दिन-दिन के व्यवहार में राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा साथ-साथ **गलबहियाँ** डालकर चलें, इससे बढ़कर सुखद स्थिति 850 और क्या हो सकती है ।

और प्रिय **स्नातको**, आज का दिन आपका है, और कल का दिन भी आपका ही होगा । विगत 875 महीनों और वर्षों में आपने कठिन परिश्रम कर हिंदी रत्न अथवा हिंदी प्रशिक्षण की **परीक्षाएँ** दी हैं, उत्तीर्ण हुए हैं । आपकी दीक्षा पूरी 900 हो चुकी है । अब आप समाज और राष्ट्र की सेवा में **समर्पित** हो जाइए । भारतीय भाषा, संस्कृति, उनकी रक्षा, उनका **संवर्धन** आपके 925 हाथों सौंप दिया गया है । आप दायित्व का निर्वाह कर सकें, जीवन में सफलता पाएँ, यही **शुभकामना** है । जिन्होंने हिंदी प्रवेश, हिंदी 950 **उत्तमा** की परीक्षाएँ **उत्तीर्ण** की हैं वे और आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे **यही आशा है** । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की विभिन्न 975 परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अंत में, इस गौरवपूर्ण **समारोह** में आपने मुझे **आमंत्रित** किया उसके लिए पुनः **धन्यवाद देता हूँ** । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 41

उपाध्यक्ष महोदय, मै इस बिल का समर्थन करता हूँ । मुझे खुशी है कि कृषि मंत्री एक क्रांतिकारी बिल लाए है, लेकिन दुख है [25] कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं आया है । मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत से यह बिल [50] पेश किया है परंतु कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है । उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब तक वनों [75] को हम बचा कर नहीं रखेंगे और जमीन पर कब्जा करने की लोगों की जो भूख है, उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम वनों [100] को नहीं बढ़ा सकेंगे ।

देश की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, वह है बेरोज़गारी । उसे यही एक विभाग है जो सब से [125] ज्यादा दूर करता है । आदिवासी लोगों को, गरीब और पिछड़े लोगों को वनों से ही रोज़गार मिलता है । काफी ऐसे लोग हैं जो 6 महीने [150] वनों से ही फल-फूल द्वारा भोजन करते हैं । मैं इस विषय में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा क्षेत्र अंडमान निकोबार [175] है, जो बहुत हरा-भरा है । वहाँ काफी जंगल हैं लेकिन उनको काटा जा रहा है। अगर इसको सही ढंग से रोकेंगे नहीं [200] तो एक दिन ऐसा आएगा जब वर्षा भी वहाँ नहीं होगी । मैंने प्रधानमंत्री जी को इस विषय में जुलाई मास में एक पत्र [225] लिखा था । उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जंगलों की कुछ व्यवस्था की जाए । इसके बाद एक समिति बनी, जिसको [250] वहाँ जा कर सारी चीजों को देखना था । उसकी सिफारिश के अनुसार वहाँ काम होना था । इस समिति को बने हुए छह-सात महीने [275] हो गए हैं, लेकिन यह समिति आज तक वहाँ नहीं जा सकी है । झगड़ा क्या है ? झगड़ा यह है कि कनिष्ठ अधिकारी को इस समिति [300] का अध्यक्ष बना दिया गया है । जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे, उनके साथ कैसे [325] जाएँगे । इस वास्ते यह जो चीज़ है, इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए । [350]

हमारी जो अर्थ नीति है वह वनों पर आधारित है। जो गरीब लोग हैं, उनका गुजारा इन वनों से ही चलता है । जो इमारतें [375] हैं, वे लकड़ी की ही बनती हैं । ईंटें वहाँ नहीं बनती हैं, सीमेंट का वहाँ कोई कारखाना नहीं है । इधर से ही वहाँ सीमेंट जाता [400] है । उससे सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है । आज सारे देश में एक चर्चा, [425] चल रही है कि अंडमान में बहुत टिम्बर है । असम से टिम्बर नहीं आता है । चूँकि वहीं से आ सकता है, इस वास्ते वहाँ पर [450] भी इसका भाव बहुत ऊँचा हो गया है और वह असम से टिम्बर न आने की वजह से हुआ है। लकड़ी के दाम आज [475] इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि बेचारे गरीब लोगों को तो अपने घर बनाने में भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 42

सभापति महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूँगा। मैं केवल एक दो बातों की ओर **वित्त मंत्री** और सरकार का ध्यान **खींचना चाहता** 525 **हूँ** । आज बिजली के मामले में **राजस्थान** की हालत बहुत नाजुक है । **खास तौर से** पिछले पाँच-सात दिनों से गाँव में **परेशानी** बहुत बढ़ 550 गई है। मैंने देखा है कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है । **नतीजा** यह हुआ है कि जो फसल बोई 575 गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है । वहाँ पहले से ही **अकाल** की स्थिति है । बिजली ठीक तरह से न **मिलने के कारण** 600 किसानों की फसल **बरबाद** हो रही है । इसलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को **छोड़कर** सरकार उसकी पूर्ति को **नियमित** 625 करे ।

उधर से जो **माननीय सदस्य** बोलते हैं, वे बातें करीब-करीब वही करते हैं, जो **हम कर रहे हैं** । दोनों में कोई फर्क 650 नहीं है । वे भी कहते हैं कि मँहगाई है, बेकारी है और हालत खराब है । सरकार की तरफ से भी हरेक **वक्तव्य** को इसी 675 वाक्य से शुरू किया जाता है कि उसे **विरासत में खराब** हालत मिली है, जिसे **सुधारने** में समय लगेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 700 सरकार एक अवधि **निर्धारित कर दे** कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी । हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे । वह हमको 725 भाषण लिखकर दे दे और बता दे कि हम क्या करेंगे। हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जनता के सामने बोलेंगे । लेकिन 750 वह देश की हालत को **सुधारे** । आज चारों तरफ हालत बिगड़ रही है । आज गाँवों में कोई व्यवस्था नहीं है । सरकार हम लोगों को कब तक 775 दोष देती रहेगी ? अगर हालत न सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे, हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा । आज गाँवों में 800 हालत बहुत **खतरनाक ढंग से** बिगड़ रही है । मैं बड़ी जिम्मेदारी और **गंभीरता** के साथ यह बात कह रहा हूँ । **आखिर** सरकार का और 825 हमारा काम एक ही है । कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ।

हालत सब तरफ 850 से खराब है । **बिजली खराब** है, कोयला खराब है, तेल नहीं मिल रहा है । **किसानों** के काम सब तरफ से रुके हुए हैं । गाँवों के 875 **अंदर** इतनी महँगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महँगाई जोर से **बढ़ेगी** । **गेहूँ** का उत्पादन कम हो 900 गया है । भाव अभी ऊँचे हो रहे हैं, आगे और भी ऊँचे होंगे। आगे आप फिर कहेंगे कि **आयात** के बिल बढ़ रहे हैं, **पैट्रोल** 925 और **डीजल** के दाम बढ़ गए हैं । तो आप **मुसीबत** में फँस गए हैं । आप मुसीबत में फँसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती 950 है । इसीलिए आप गंभीरता से सोचें कुछ हमसे सहायता **लेना चाहते हैं** तो लें, **जिस तरह से** भी लेना चाहते हैं लें । आप 975 जैसा कहेंगे वैसा ही हम जनता से जाकर बोलेंगे । अंत में, **मैं निवेदन करना चाहता हूँ** कि आप राजस्थान के लिए जरूर कुछ करें । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 43

महोदय, हमारे जीवन में **संगीत** का व्यापक स्थान है। **भारतवासियों** को अपने प्राचीन युग से अथवा अपने **पूर्वजों** से **शास्त्रीय** संगीत के रूप में एक [25] **बहुमूल्य** निधि मिली है । हमारे पूर्वजों की दृष्टि में संगीत का ध्येय **आध्यात्मिक** साधना था और **उन्होंने** संगीत का इसी आदर्श के अनुकूल [50] विकास किया । **हम कह सकते हैं** कि हमारे देश में यह कला **पूर्णता** के शिखर पर पहुँच चुकी थी । संगीत के ध्येय **के संबंध में** [75] आज हमारे विचार चाहे कुछ भी हों, **यह सभी स्वीकार करेंगे कि** इसमें **सामंजस्य** की ओर ले जाने वाली और व्यक्त जगत से **ऐक्य** का [100] आभास कराने वाली शक्ति **निहित** है । **संगीत** के वातावरण में ही नहीं बल्कि **श्रोताओं** और गायकों के मन में भी सामंजस्य की **उत्पत्ति** होती है । [125] संगीत के उच्च ध्येय और व्यापक प्रभाव के कारण ही **प्राचीनकाल** में भारतवासियों ने संगीत को **जनसाधारण** के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में [150] ऊँचा स्थान दिया था। शायद ही कोई ऐसा भारतीय **त्यौहार** या **उत्सव** हो जिसमें संगीत का आयोजन न होता हो । संगीत जन्म से **मृत्युपर्यंत** [175] हमारे साथ रहता है । हमारे सभी **रीति-रिवाज़ों** में इसका **कुछ-न-कुछ स्थान** है । **शताब्दियों** से हम **संगीत** के **प्रशंसक** तथा उपासक रहे [200] हैं और हमने इसकी गणना सदा मानव की उच्चतम **साधनाओं** में की है।

काल के प्रभाव से हम लोगों की रुचि में [225] काफी परिवर्तन हुआ, परंतु **शास्त्रीय** संगीत उसी प्रकार बना रहा और उसमें कोई विशेष और मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। मुसलमान बादशाहों और **अमीर-उमरों** के [250] द्वारा संगीत को केवल प्रोत्साहन ही नहीं मिला, इसमें **समयानुकूल हेर-फेर** भी हुए और आज विशेषकर **उत्तर भारत** के संगीत ने उसी [275] युग से प्रभावित और बहुत **अंशों** में **अनुप्राणित** होकर अपना नया रूप **ग्रहण कर लिया है** । पर जो भी हेर-फेर हुए, वे हैं ऊपरी [300] **पोषाक** मात्र ही । भारतीय संगीत **शरीर** और आत्मा से अभी भी वही प्राचीन शास्त्रीय संगीत बना हुआ है । ऐसी आशा की जाती है कि इसमें [325] अभी भी इतनी शक्ति है कि यह अपने को एक बार फिर **आधुनिक वातावरण** के अनुकूल बना लेगा । प्राचीन संगीत-कला भारतीय **रजवाड़ों** के दरबारों [350] में उनके **आश्रय** से पनपती रही । **यह स्वीकार करना होगा कि** भारतीय **नरेशों** द्वारा दिए गए **प्रश्रय** के कारण संगीत लुप्त होने से **बच** [375] गया, परंतु **यह भी मानना पड़ेगा कि** इन वर्षों में भारत की जनता का शास्त्रीय संगीत से बहुत कम संपर्क रहा । अतः जनता और हमारे [400] **परंपरागत सर्वश्रेष्ठ** संगीत के बीच एक खाई पैदा हो गई । यदि हमें संगीत को जीवित रखना है और सहस्रों वर्ष पुरानी इस **अमूल्य** परंपरा [425] की रक्षा करनी है तो हमें इस खाई को पाटना होगा । यदि यह आवश्यक हो तो शास्त्रीय संगीत में ऐसे संशोधन करने में कोई [450] बुराई नहीं जिनके **फलस्वरूप** यह **लोकप्रिय** बन सके । इसके साथ ही जनसाधारण को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे [475] उनकी रुचि अधिक **परिष्कृत** हो सके और वे शास्त्रीय संगीत का आनंद उठा सकें। **भारत गणराज्य** में नरेशों अथवा **रजवाड़ो** का अच्छा स्थान है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 44

महोदय, **आधुनिक युग** की एक बड़ी देन **यह है** कि हम किसी भी चीज की बहुत प्रतियाँ बना सकते है । **प्राचीनकाल** में यदि कोई 525 पुस्तक लिखता था तो ग्रंथ की **हस्तलिखित** प्रति एक ही होती थी। उसकी यदि प्रतियाँ बनानी हुईं तो दूसरे आदमी को पूरा **ग्रंथ** 550 लिखना पड़ता था, जो बहुत ही **व्ययसाध्य** और **श्रमसाध्य** काम होता था । आज किसी ग्रंथ या वस्तु की प्रतियाँ केवल **मुद्रणालय** में ही नहीं बल्कि 575 अन्य प्रकार से भी बन सकती हैं । एक का अनेक बना देना आज एक खेल-सा हो गया है। यदि किसी अच्छे **नाटककार** ने 600 मंच पर अच्छा खेल दिखलाया तो उसकी बड़ी **ख्याति** हुआ करती थी, पर वह नाटककार एक ही **स्थान** पर अपना खेल दिखला 625 सकता था और **यह भी नहीं कहा जा सकता कि** एक ही खेल को यदि वह फिर से दिखलाना चाहे तो उसे उतनी ही कुशलता 650 से दिखला सकेगा जितनी कुशलता से उसने पहली बार दिखलाया था । आज केवल यही नहीं कि नाटककार के चित्र की प्रतियाँ बहुत बन सकती 675 हैं, बल्कि उसके **चलचित्र** की प्रतियाँ बनती हैं और साथ-साथ उसकी वाणी भी सुनने में आ सकती है और वह केवल 700 एक स्थान पर ही नहीं बल्कि **संसार** के एक कोने से दूसरे कोने तक जहाँ चाहें, सभी स्थानों पर और जितनी बार चाहें सुन सकते 725 हैं और देख सकते हैं । इसी का नाम **साधारणतः** फिल्म हो गया है।

फिल्म में बड़ी शक्ति है । यदि अच्छे पात्र, अच्छे **कथानक** और 750 अच्छा आदर्श **दिखलाया जाए** तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है जैसे किसी भी अच्छे नाटक का । पर वहाँ भी यदि कथानक **दूषित** 775 हो, पात्र **चरित्रवान** न हों और **गतिविधि** उनकी ऐसी हो जो समाज अथवा व्यक्ति को ऊपर उठाने के बदले नीचे ले जाने वाली 800 हो, तो उसका प्रभाव उतना ही बुरा पड़ता है । नाटक तो एक आदमी एक स्थान पर करके उसका भला या बुरा **प्रभाव** 825 वहाँ बैठे हुए लोगों पर ही डाल सकता है, दूर-दूर के लोगों तक उसका प्रभाव नहीं पहुँच सकता । पर **फिल्मों** में भला या 850 बुरा करने की शक्ति कई गुनी अधिक हो जाती है । किसी फिल्म की जितनी प्रतियाँ बना ली जाती हैं, उतना ही उसका प्रभाव भी 875 **असीमित** हो सकता है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जिस चीज में इतनी शक्ति हो, उसका उपयोग **इस प्रकार से** किया 900 जाए कि उससे **अच्छे से अच्छा** फल मिले और उसमें **किसी प्रकार की** बुराई न आने पाए । आज सिनेमा का उपयोग तीन कामों में 925 होता है - शिक्षा, **मनबहलाव** और प्रचार । ये तीनों काम जीवन में महत्वपूर्ण हैं । सिनेमा का उपयोग शिक्षा के काम में जितना बढ़ेगा, उतना ही 950 हो सकता है, पर शर्त यह है कि कथानक **शिक्षाप्रद** हो और जो पद्धति अपनाई जाए वह ऐसी हो जिसके द्वारा **शिक्षार्थियों** 975 को सच्ची शिक्षा मिल सके। जब मैं शिक्षा शब्द का **उपयोग करता हूँ**, तो मेरे ध्यान में केवल बच्चों की ही शिक्षा नहीं है । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 45

महोदय, हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का उनके भिन्न देश अथवा भाषा में उद्गम होने के कारण बहिष्कार नहीं [25] किया। सच पूछिए तो सभी जीती-जागती भाषाओं का यह एक गुण है कि वे अपने शब्द-भंडार को बढ़ाने में हिचकती नहीं चाहे [50] शब्द किसी भी उद्गम के हों। उन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता क्योंकि सभी जीती-जागती भाषाओं में आदान-प्रदान [75] होता ही रहता है। इसलिए जब हम हिंदी को भारत के लिए एक सार्वभौम भाषा बनाना चाहते हैं तो प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों और [100] मुहावरों के लिए भी द्वार खुला रखना चाहिए। मैंनें ऐसे कई लोगों के लेख देखे हैं जो हिंदी-भाषी नहीं हैं और जिन्होंने हिंदी [125] का अभ्यास राष्ट्रीय कामों के लिए ही किया है। उनके लेखों में कुछ ऐसे शब्द और मुहावरे देखने में आए हैं जो अर्थ तो [150] स्पष्ट कर देते हैं पर आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं हैं। अन्य भाषा-भाषी ऐसे शब्दों और मुहावरों को अक्सर व्यवहार में लाया करेंगे और [175] हम हिंदी-भाषियों को उनका स्वागत करना चाहिए न कि बहिष्कार। हिंदी सच्चे अर्थ में राष्ट्रभाषा तभी होगी जब भारत के सभी निवासी [200] इसके साथ प्रेम करने लगेंगे और इसकी उन्नति में अपना गौरव मानने लगेंगे। यह भावना तभी उत्पन्न और परिपुष्ट हो सकती है जब [225] वे यह समझने लगें कि हिंदी में कुछ उनकी भी अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है। मैं समझता [250] हूँ कि हमें इस भावना का स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। मैं तो यह भी मानता हूँ कि कहीं-कहीं [275] हमारे व्याकरण पर भी अहिंदी-भाषियों का प्रभाव पड़ेगा और हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए।

इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदी-भाषी [300] और हिंदी संस्थाएँ निस्पृह भाव से हिंदी की श्रीवृद्धि में लग जाएँ जिससे अन्य भाषा-भाषी भी उसके विभिन्न प्रकार के साहित्य [325] से परिचय पाने के लिए उसे सीखना आवश्यक समझें जिस प्रकार आज कोई भी विद्वान आधुनिक विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए यूरोपीय भाषाओं [350] का अध्ययन करना आवश्यक समझता है। यदि केवल काव्य अथवा ललित कला संबंधी ग्रंथ ही यूरोपीय भाषाओं में होते तो हमको उन भाषाओं को [375] सीखने की शायद आवश्यकता भी न होती, पर विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं का जानना अनिवार्य हो गया है। [400] उसी प्रकार हिंदी भी इतनी समृद्ध होनी चाहिए कि आधुनिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उसका जानना केवल पर्याप्त ही नहीं, आवश्यक भी [425] हो जाए तथा इस भाषा में मौलिक ग्रंथ भी लिखे जाएँ जिनको पढ़ने के लिए अहिंदी-भाषियों के लिए हिंदी सीखना आवश्यक हो जाए। [450] जितनी बड़ी संख्या हिंदी जानने वालों की है, उतनी बड़ी संख्या संसार की दो-तीन भाषाओं के बोलने वालों की है। इसलिए यदि इतने [475] लोगों में यह भावना उत्पन्न हो जाए कि वे हिंदी को संसार की भाषाओं में समुचित स्थान उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हिंदी का गौरव बढ़ेगा। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 46

आदरणीय महोदय, हिंदी के लिए यह अवश्य ही **गौरव का विषय है कि** उसे भारतीय संविधान ने **अखिल भारतीय भाषा** का स्थान दिया है । [525] इससे **हिंदी-भाषियों** और हिंदी से संबंध रखने वाली सभी संस्थाओं का **दायित्व** बहुत बढ़ गया है । संविधान में हिंदी को यह ऊँचा स्थान [550] दिए जाने का विशेष कारण यह था कि इसके जानने और **बोलने वालों** की संख्या भारत की दूसरी भाषाओं के जानने वालों से कहीं [575] अधिक है । उन भाषाओं का भी अपना **गौरवपूर्ण** साहित्य है और उनके बोलने वाले अपनी भाषाओं के साथ प्रेम रखते हैं और उन पर [600] गर्व करते हैं । इसलिए सभी ने हिंदी को जब वह स्थान दिया है, तो **यह समझ कर नहीं कि** उनकी अपनी भाषा किसी [625] बात में कम है पर यह समझ कर कि राष्ट्रीय काम के लिए हिंदी का ही **प्रचार और प्रसार** सुगम और सुलभ होगा । हिंदी को [650] अखिल भारतीय कामों के लिए **प्रधानता** देते हुए **प्रादेशिक भाषाओं** को यहाँ के कामों के लिए प्रधानता दी गई है । इसलिए यह अनिवार्य है [675] कि जहाँ हिंदी का प्रचार हो, वहाँ प्रादेशिक कामों के लिए **स्थानीय** भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए और वे अपने सीमित क्षेत्र में अपना [700] काम **सुचारू रूप से** करें । शायद यह कहना भी **अनुचित** न होगा कि हिंदी-भाषी राज्यों में तो हिंदी का वही **स्थान** होगा जो किसी [725] भी प्रादेशिक भाषा का उसके अपने राज्य में, पर अन्य **भाषा-भाषी** राज्यों में सीमित काम और अखिल भारतीय क्षेत्र में **प्रायः** सभी काम [750] हिंदी द्वारा किए जाएँगे ।

हिंदी-भाषियों का प्रयत्न यह होना चाहिए कि **अहिंदी-भाषियों** ने जिस **सद्भावना** से हिंदी को राष्ट्रीय कामों के लिए [775] स्थान दिया है, उसी सद्भावना के साथ वे हिंदी के प्रचार में **तत्पर** हों। हिंदी को किसी भी प्रादेशिक भाषा से होड़ नहीं है । सच [800] पूछिए तो हिंदी-भाषियों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं का **पोषक** और समर्थक होना चाहिए जिस प्रकार अहिंदी-भाषी हिंदी के पोषक और **समर्थक** होना [825] चाहते हैं । हिंदी-भाषियों के व्यवहार और **आचरण** से यदि कहीं भूल से भी यह **आभासित** हुआ कि हिंदी अन्य सभी भाषाओं से अधिक **समृद्ध**, [850] अधिक **परिपुष्ट** साहित्य वाली या प्राचीन तथा नवीन विचारों और भावों को **व्यक्त करने में** अधिक शक्तिशाली भाषा है और इसलिए इसको [875] अधिकार है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय **कामों के लिए** यह राष्ट्रभाषा मानी जाए, तो इसका फल यह होगा कि अन्य भाषा-भाषी हिंदी के [900] प्रति **ईर्ष्या** करने लगेंगे और जो **संविधान** चाहता है, वह काम पूरा नहीं हो सकेगा और हिंदी उस स्थान को प्राप्त **नहीं कर सकेगी** जो [925] संविधान ने उसे देने का **निश्चय किया है** । दूसरे शब्दों में हमें हिंदी का प्रचार **नम्रतापूर्वक** करना चाहिए । मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष होता [950] है कि इस दिशा में **नागरी प्रचारिणी सभा** का दृष्टिकोण सदा से व्यापक और उदार रहा है। सभा के **पदाधिकारियों** तथा कार्यकर्ताओं ने सदा ही [975] अन्य भारतीय भाषाओं का समुचित आदर किया । **यह सभा की परंपराओं** के अनुकूल ही है कि हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रकाशन योजना बनाई गई है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 47

महोदय, इस उपग्रह पर मानव **अस्तित्व** को बनाए **रखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि** ऐसे विकास कार्यों को जारी रखा जाए [25] जो सामाजिक न्याय पर **आधारित** हों और जिन्हें **न्यायपालिका** का समर्थन प्राप्त हो **अन्यथा पर्यावरणीय** प्रदूषण के कारण न तो **पीने के लिए** साफ [50] पानी मिलेगा और न **साँस** लेने के लिए शुद्ध वायु और **न** ही **आश्रय** देने वाले **वृक्ष** ही रहेंगे । इक्कीसवीं सदी में संपूर्ण संसार मात्र [75] **श्मशान** भूमि तथा उद्योगों की छीजन और रेडियोधर्मी कचरे की कूड़ेदानी बनकर रह जाएगा । लोभी मानव को सोने का अंडा देने [100] वाली मुर्गी को **नहीं मारना चाहिए** । वायु, जल, **वनस्पतियाँ** और पशु-पक्षी मनुष्य जाति के अस्तित्व के **अभिन्न** अंग हैं जिन पर उसका [125] भविष्य निर्भर करता है । **सार्वभौमिक** न्याय का यही मूल तत्व है जिसे राष्ट्रीय और **अंतर्राष्ट्रीय** कानूनों का रूप दिया जाना चाहिए । कुछ विशेष **अपवादों** [150] **को छोड़कर** हमारे न्यायालय समझते हैं कि पर्यावरण संबंधी कानून से न्याय व्यवस्था भंग हो जाएगी और कानूनी अधिकारों का **हनन** होगा क्योंकि [175] हमारे **विधिवेत्ता** और न्याय प्रणाली कानून के इन नए आयामों से अपरिचित ही नहीं **अनभिज्ञ** भी हैं । यह **अधिनियम** काफी व्यापक है और इसमें विभिन्न [200] प्रकार के जल स्रोतों को **शामिल किया गया है** । अधिनियम में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडलों की स्थापना का प्रावधान किया [225] गया है, जो स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करेंगे । अधिनियम के **कार्यान्वयन के लिए** स्थापित इन मंडलों के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं **प्रदूषण** मानक [250] निर्धारित करना तथा उद्योगों के **कचरे** और वाहित-मल को नदियों में **बहाने के लिए स्वीकृति** प्रदान करना । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, केंद्र सरकार और [275] राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण मंडल **राज्य सरकारों** के लिखित निदेशों का **पालन करने के लिए बाध्य** होंगे । राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित [300] मानकों का **अतिक्रमण** और सहमति की शर्तों का **उल्लंघन** करने वालों को कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया है तथापि इस अधिनियम के अधीन [325] प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा शिकायत किए जाने पर या उसकी **पूर्वानुमति** से ही किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध पर विचार किया जा [350] सकता है । अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कार्य से जल प्रदूषण की **आशंका** हो तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल [375] द्वारा उसे रोकने के लिए **न्यायालय** में याचिका दायर की जा सकती है। इस अधिनियम के द्वारा पानी के नमूने लेने, जाँच और **मुआयना** करने [400] के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं ।

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जल प्रयोगशाला और राज्यों में **राज्यस्तरीय** जल **प्रयोगशालाओं** [425] की स्थापना और विशेषज्ञों की नियुक्ति का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है । वाहित-मल और उद्योगों के कचरे से होने वाले [450] जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय स्वयं करने का अधिकार भी **राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडलों** को दिया गया है । यह अधिनिमय **लगभग** [475] ब्रिटिश अधिनियम की नकल है और प्रदूषण फैलाने वाले या उससे प्रभावित **समुदाय** दोनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 48

महोदय, **विधिवेत्ताओं** ने इस अधिनियम की कमियों को बताया और कुछ **मायनों** में ब्रिटिश कानून से भिन्न **होने के कारण** यह उतना शक्तिशाली नहीं 525 रहा। भारत में प्रदूषण **निवारण के लिए** अनेक **प्राधिकरण** और अधिकारी, **अनेक प्रकार के** नियंत्रण और अलग-अलग कानून एक समस्या है जिससे 550 कानून कमजोर पड़ जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है । **इसके अलावा**, जो लोग प्रदूषण के शिकार होते हैं वे 575 प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्वीकृति के बिना सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते । इससे जनता कानून से **विमुख** हो जाती है । अधिनियम की **खामियों** 600 **के कारण** हाल ही में केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मुकदमा खारिज कर दिया गया । जल अधिनियम, 1974 के **अनुरूप** 625 वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 **तैयार किया गया । खेद है कि** अधिनियम का प्रारूप **तैयार करने वालों** और विधायकों ने इसके 650 लिए समाजवादी राष्ट्रों के व्यापक **पर्यावरणीय** कानूनों की सहायता नहीं ली । **यह बड़े हर्ष का विषय है कि** वर्तमान कानूनों की कमियों को देखते 675 हुए संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम, 1986 का 29वाँ अधिनियम पारित किया गया । यह अधिनियम काफी व्यापक है और इसका क्षेत्र भी 700 **विस्तृत** है तथा इसके अधीन भारत सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और किसी भी प्रकार के प्रदूषण को **कम करने के लिए** 725 काफी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसमें जल, वायु आदि के मानक **निर्दिष्ट** करने और उद्योगों की स्थापना तथा **खतरनाक** पदार्थों के **रख-रखाव** के 750 संबंध में प्रतिबंध लगाने में सावधानी बरती गई है ।

पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटना से बचने और उद्योगों की **चिमनियों** से निकलने 775 वाले **प्रदूषणकारी** तत्वों पर नियंत्रण के लिए अन्य उपाय करना **केंद्र सरकार** के अधिकार क्षेत्र में आता है । इसके अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाएँ स्थापित की 800 जा सकती हैं और **विश्लेषक** नियुक्त किए जा सकते हैं । दोषी निगमित क्षेत्र और सरकार के विभागों को भी **दंड दिया जा सकता है** । 825 **यद्यपि** यह कानून काफी **साहसिक** कदम **समझा जा सकता है** लेकिन संकट के समय **निष्प्रभाव** साबित हो सकता है । इन नए कानूनों में **भयंकर** 850 दोष रह गए हैं । **आश्चर्य है कि** ध्वनि प्रदूषण जैसे विषय को छोड़ दिया गया । यद्यपि **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** द्वारा हाल ही में 875 इस संबंध में संशोधन किया गया है जिसे अभी लागू किया जाना है । जनता की भागीदारी को **प्रोत्साहित** नहीं किया जाता और **अफसरशाही** पर अत्यधिक 900 भरोसा किया जाता है । कारबार की स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध लगाए गए हैं और पर्यावरण सुरक्षा के कारण खतरनाक उद्योगों को **नियंत्रित** या मनाही की 925 जा सकती है । संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के अधीन प्रदूषक उद्योगों पर लगाए गए सारे प्रतिबंध वैध हैं । 950 **बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा** को नष्ट होने या क्षति से बचाने के लिए **अनुच्छेद** 39 के अधीन राज्य द्वारा औद्योगिक और कृषि कार्यों पर 975 प्रतिबंध **लगाया जा सकता है** । अनुच्छेद 39 (ख) के अधीन भौतिक **संसाधनों** पर **नियंत्रण** ताकि उनका सामान्य हित में **सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके** । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 49

महोदय, बहुत पहले से ही **महिलाओं** को अपने अधीन रखकर **पुरुष** प्रधान भारतीय समाज ने उनके विकास के **द्वार** बंद कर रखे हैं । 25 प्राचीन भारत में सामाजिक और **राजनैतिक** बदलाव के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति में भी **बदलाव** आता रहा है । कभी तो **यह माना गया** 50 **कि** जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं तो कभी उसे ताड़ना का पात्र बताया गया । इतिहास के एक बड़े काल-खंड 75 में उसे **चारदीवारी** और परदे के अंदर रखा गया। इसके **बावजूद** जब भी नारी को परदे से बाहर आकर दुनिया को 100 देखने व समझने का अवसर दिया गया उसने अपनी **क्षमता,** योग्यता और **प्रतिभा** का भरपूर **प्रदर्शन** किया ।

भारत को स्वतंत्र हुए पाँच दशक पूरे 125 **होने जा रहे हैं। स्वतंत्रता** प्राप्त करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए संविधान में अनेक **प्रावधान** किए गए हैं, परंतु मात्र नियम-कानून 150 बना देने से किसी व्यक्ति या वर्ग में परिवर्तन नहीं आते, इसके लिए व्यवहार और अमल की भी आवश्यकता है, किंतु भारतीय **महिलाओं** के 175 लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया । यूँ तो **प्रथम योजना काल** से ही महिला विकास के छिटपुट प्रयास आरंभ हो गए थे 200 परंतु **हकीकत में सर्वप्रथम** छठी योजना के **दस्तावेज** में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास का **अध्याय** जोड़ा गया । इसके बाद से 225 महिला विकास की योजनाएँ **निरंतर क्रियाशील** रहीं फिर भी भारतीय महिलाओं की स्थिति में **अपेक्षित** परिवर्तन **नहीं लाया जा सका है** ।

जब भारतीय महिलाओं की तुलना 250 दूसरे देशों की महिलाओं से की जाती है तो हमें बड़े दिलचस्प तथ्यों से **साक्षात्कार** करना पड़ता है, और हम तभी जान 275 पाते हैं कि भारतीय महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है, यानी बेहद **चिंताजनक** और दुरूह । क्योंकि एक **अध्ययन** से ज्ञात हुआ कि दुनिया के 300 130 देशों में भारतीय महिलाएँ 99वें स्थान पर हैं । शायद इसका कारण है भारतीय महिलाओं के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएँ । 325 जैसे, शिक्षा के अवसर उपलब्ध न होना इससे उसका **स्वाभिमान,** उसकी चिंतन-शक्ति और उसकी **जिजीविषा** का विकास **अवरुद्ध** हो गया । 350 इसका प्रमाण है, स्वतंत्रता के बाद 48 वर्षों तक कभी शिक्षा में महिलाओं को पुरुषों के **बराबर** न ला पाना । जबकि दूसरे 375 देशों ने महिलाओं को शिक्षित बनाने में अधिक जोर दिया । हाल ही में नई दिल्ली स्थित **भारतीय विश्वविद्यालय संगठन,** द्वारा प्रकाशित **आँकड़े** बताते हैं 400 कि हमारे देश की 15 वर्ष से अधिक आयु वाली 34 प्रतिशत महिलाएँ ही शिक्षा **प्राप्त कर सकी हैं** जबकि इस्राइल, स्पेन, 425 इटली व **हंगरी** की 89 से 94 प्रतिशत, श्रीलंका की 85 प्रतिशत, चीन की 68 प्रतिशत, ईरान की 52 प्रतिशत तथा पाकिस्तान की 14 प्रतिशत 450 महिलाएँ शिक्षित हैं ।

शिक्षा के इस **अधोपतन** के अतिरिक्त **अल्पायु** में महिलाओं का विवाह भी उनके विकास में एक बड़ी बाधा रही है । 475 वैसे तो भारत में बाल-विवाह बहुत पहले से ही प्रचलित रहा है परंतु अब क़ानून द्वारा बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है । 500

प्रतिलेखन संख्या - 50

महोदय, **राजस्थान**, बिहार, **मध्यप्रदेश** तथा **उत्तर प्रदेश** जैसे राज्यों में 12 से 14 वर्ष की आयु में अबोध बच्चों का **विवाह संपन्न** होना एक **सामान्य** [525] सी घटना है । **'आखातीज'** के दिन **राजस्थान** में छोटे-छोटे बच्चों के **सामूहिक** विवाह की **परंपरा** किसी से छिपी नहीं है । अल्पायु में विवाह के कारण [550] **अपरिपक्व** अवस्था में ही **गर्भ धारण** व **प्रजनन** कार्य **आरंभ हो जाता हे** । इसी कारण भारतीय महिलाओं में औसत कुल प्रजनन दर 3.4 है जबकि [575] जापान, इटली, स्पेन, हंगरी व कनाडा में यह दर 1.2 व 1.8 के मध्य तथा चीन, **संयुक्त राज्य अमेरिका**, श्रीलंका [600] तथा **इस्राइल** में 2.0 व 2.8 के मध्य पाई जाती है । महिलाओं में प्रजनन दर **कम करने के लिए** परिवार कल्याण कार्यक्रम के जरिए [625] अनेक सरकारी **प्रयास किए गए हैं**, परंतु **परंपरावादी विचारधारा**, **साक्षरता** और **सरकारी मशीनरी** की **सक्रियता** में कमी जैसी समस्याओं के कारण भारतीय समाज [650] **में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों** में गर्भनिरोधक आधुनिक उपायों - कंडोम, गोली, **नसबंदी** आदि का प्रचलन कम हो पाया है । जब गर्भनिरोधक [675] उपायों का प्रचलन ही कम हो तो भला जनसंख्या वृद्धि के ग्राफ में **गिरावट** की आशा कैसे की जा सकती है ? 1990-2000 के [700] उपलब्ध **आँकड़ों केअनुसार** 36 प्रतिशत भारतीय महिलाओं में गर्भनिरोधक आधुनिक उपाय प्रचलित हैं जबकि पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका, कनाडा, हंगरी, [725] जापान, चीन, श्रीलंका तथा **ईरान** की महिलाओं में अधिक है। एक **अनुमान के अनुसार** विवाहित भारतीय महिलाओं के [750] प्रजनन काल का 80 प्रतिशत समय बच्चों को जन्म देने व उनको **स्तनपान** कराने में ही **व्यतीत हो जाता है** । यह गर्भनिरोधक [775] आधुनिक उपायों के कम प्रचलित होने का ही **दुष्परिणाम** है ।

अल्पायु में 'विवाह' तथा 'गर्भधारण' महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत [800] बुरा प्रभाव डालते हैं तथा **प्रसव** के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाएँ उपलब्ध न हो पाने के कारण उनकी जान भी **जोखिम** में रहती है । 2000-2001 के आँकड़ों के [825] अनुसार प्रसव के समय भारत की 33 प्रतिशत महिलाओं को ही प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाएँ मिल पाती हैं [850] जबकि अमेरिका, कनाडा, हंगरी, स्पेन, इस्राइल, जापान, चीन तथा **श्रीलंका** की 94 से 100 प्रतिशत महिलाओं को प्रसव के समय **प्रशिक्षित** स्वास्थ्यकर्मियों की [875] सेवाएँ मिलती हैं । इस क्षेत्र में पाकिस्तान की महिलाएँ भी भारतीय महिलाओं की तुलना में **बेहतर** हैं । ग्रामीण भारत में **अप्रशिक्षित दाइयों** द्वारा परंपरागत [900] विधि द्वारा प्रसव कराए जाते हैं । इस प्रक्रिया में अनेक बार जच्चा को मृत्यु का शिकार भी **होना पड़ता है** । 1990-2000 के [925] आँकड़ों के अनुसार प्रति लाख प्रसव के समय 460 भारतीय महिलाएँ मृत्यु का **शिकार** हो जाती हैं जबकि पाकिस्तान को **छोड़ कर** अन्य देशों [950] में यह संख्या काफी कम है । यद्यपि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का **पर्याप्त** प्रसार हो गया है जिसके **परिणामस्वरूप** लोगों के सामान्य [975] स्वास्थ्य में सुधार आया है तथा व्यक्ति के जीवन जीने की **प्रत्याशा** बढ़ी है परंतु वर्तमान **मृत्यु-दर** पर भारतीय बालिका के जीवन जीने की प्रत्याशा 57 वर्ष की है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 51

महोदय, **मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि स्थिरता** का अर्थ गलती से जड़ता नहीं **समझ लिया जाना चाहिए । सुधारों** के मूल में यह बात [25] समझनी होती है कि **परिवर्तन** आवश्यक है । भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हम जिन **आर्थिक नीतियों** पर चले, उनसे हम विकास के [50] एक ऐसे **सोपान** पर पहुँच गए कि जिससे 2001 तक हमारा काम अच्छी तरह चलता रहा । इससे पहले भी परिवर्तन की आवश्यकता **अनुभव** [75] की गई थी और **अस्सी** के दशक के अंत में परिवर्तन शुरू भी किए गए थे । 1990-91 के संकट से तो इस **प्रक्रिया** [100] में तेजी आ गई । अपनी पिछली नीति से हमें जो **सफलताएँ** मिली थीं, ये सुधार उसी पर **आधारित** थे । यदि हम 1991 में **नियमनों** को [125] दूर कर सके और **उदारीकरण** को जारी कर सके तो इसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री के [150] **बुद्धिमत्तापूर्ण मार्गदर्शन** में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारी **अर्थव्यवस्था** के विभिन्न क्षेत्रों ने प्रगति करके एक **आंतरिक शक्ति प्राप्त कर** [175] **ली थी ।** उनका घोषणा-पत्र, पार्टी का 1991 का घोषणा-पत्र इस बात का स्पष्ट और बिलकुल **सही द्योतक** है कि क्या आने [200] वाला है । कृषि में अपनी प्रगति के फलस्वरूप हम **आत्मनिर्भर** हो गए थे, हमारे उद्योग इतने मजबूत बन गए थे कि बाहर के [225] विदेशी संपर्क को वे झेल सकें - **प्रतियोगिता** के क्षेत्र में भी और सहयोग के क्षेत्र में भी । हमारी नीति में एक **निरंतरता** बनी रही [250] है जिसके परिणामस्वरूप हमें अपने सुधारों के लिए आधार मिला है । जो नई आवश्यकताएँ आ रही थीं और जो **वास्तविकताएँ** सामने दीख पड़ रही [275] थीं, ये सुधार उन्हें देखते हुए किए गए थे । मुझे यह कहने में कोई **संकोच** नहीं कि **भविष्य** में भी हमारे सुधारों का सिलसिला [300] इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे सामने कैसी घरेलू जरूरतें आ रही हैं ।

जैसे-जैसे हम इन **सुधारों** पर चलते जाएँगे, तो जहाँ कहीं [325] उनकी कमियाँ नजर आएँगी, उन्हें दूर करने की चेष्टा की जाएगी । मैं सुधारों को बेहतर **बनाने के लिए** दिए गए सभी सुझावों का [350] **स्वागत** करूँगा, चाहे वे आप सबसे मिलें, चाहे मेरे साथी **राजनीतिक नेताओं** से, चाहे व्यवसाय **विशेषज्ञों** से मिलें, चाहे जनता से । और यह सब [375] हमारी सुधारों की नीति के **अनुरूप** होगा और वास्तव में तो यह उस नीति को मजबूत बनाएगा, कभी उस नीति को **परिशुद्ध** करने पर [400] जोर देकर और कभी उसमें मानव हित पर ध्यान देकर, और ये दोनों पहले दिन से ही हमारी नीति का एक भाग थे । [425] **इस संबंध में मैं** हाल में उस **वाद-विवाद** की **चर्चा करना चाहूँगा** जिसमें सुधारों की आलोचना की गई है । यह कहा गया है कि [450] नई नीतियों से जनता के **अपेक्षाकृत गरीब वर्गों** को कोई लाभ नहीं हुआ । कालेज के दिनों में मैंने भी इस बात का अनुभव [475] किया है कि दिन में एक बार खाना मिलने का क्या अर्थ होता है । इसलिए गरीबों के बारे में मेरी चिंता **सचमुच वास्तविक** है । [500]

प्रतिलेखन संख्या – 52

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के सभी दशकों में सरकार ने गरीबी से जूझने की चेष्टा की है । इस समस्या पर अब तक काबू न 525 पा सकने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम वृद्धि और प्रगति की उस दर को प्राप्त नहीं कर सके जो पर्याप्त ऊँची 550 हो । इस वृद्धि और प्रगति के जो लाभ पहुँचे हैं, उनसे समस्या हल नहीं हुई । इन सुधारों का उद्देश्य यह है कि हमारी 575 वृद्धि की दर की रफ्तार त्वरित हो जाए । परंतु चूँकि वृद्धि के लाभ पहुँचने में काफी समय लगता है, इसलिए मैंने यह फैसला किया 600 कि केवल गाँव के स्तर पर अलग से साधनों का एक पार्श्व टीका लगाया जाए ताकि पहले के मुकाबले गाँवों के गरीब लोगों के लिए 625 रोज़गार पैदा करने तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक समस्याओं पर कहीं अधिक ध्यान दिया जा सके । इसे 'बाई–पास' माडल कहा जाने 650 लगा है जो गाँवों में गरीबी के एक महत्वपूर्ण कारण पर ध्यान देता है– अर्थात वर्ष भर गाँव में पूर्ण रोज़गार का अभाव 675 जिसके फलस्वरूप रोज़गार ढूँढने के लिए गाँव वाले गाँव छोड़ कर शहरों की ओर जाने को विवश होते हैं ।

विश्व भर में 700 आम तौर पर सुधारों के साथ मुद्रास्फीति आती है । उसकी कठिनाइयों को पूरी तरह मिटाने की बात तो नहीं हो सकती परंतु उन्हें कम 725 करने के लिए मैंने नए सिरे से मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया है जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को अनाज विशेष 750 रियायती दरों पर दिया जाएगा । मुसीबत में पड़े कारखानों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष शुरू किया गया है । मुद्रास्फीति 775 को न्यूनतम करने का कोई भी प्रयास छोड़ा नहीं गया। मैं यह चर्चा आपको इस बात की जानकारी देने के लिए नहीं कर 800 रहा कि हमने क्या किया है बल्कि इस बात पर जोर देने के लिए कर रहा हूँ कि हमने आँख मूँद कर ये 825 सुधार नहीं किए बल्कि इस बात पर अच्छी तरह विचार करने के बाद किए हैं कि क्या कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं और इस दिशा 850 में समझते–बूझते हुए प्रयास किए हैं कि उन कठिनाइयों को किस तरह कम किया जा सकता है ताकि इन सुधारों का लाभ समाज 875 के सभी वर्गों तक पहुँच सके ।

अंततः इन सुधारों की कसौटी यह होगी कि ये लाभ सभी तरफ पहुँचे हैं या नहीं । जब तक इन 900 सुधारों का लाभ व्यापक रूप से न पहुँचे, मैंने जनता के उन वर्गों के हितों के लिए विशेष योजनाएँ बनाई हैं जिन तक ये लाभ 925 पहुँचने में समय लगता है । मेरे लिए वृद्धि की दर के आँकड़ों का कोई मतलब नहीं । मैंने तो शुरू से मानव हितों पर ध्यान दिया 950 है और इसी दिशा में हम ने अपने प्रयास आगे बढ़ाए हैं । आज जरूरत इस बात की है कि हम बड़ी सावधानीपूर्वक 975 यह देखें कि समय–समय पर हमारे सामने क्या बाधाएँ आ सकती हैं और उनको तत्काल और प्रभावकारी ढंग से दूर करें । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 53

महोदय, मैं मानता हूँ कि यदि हम चाहें कि किसी भी भाग को अपनी इच्छा के अनुकूल बना लें तो यह संभव नहीं हो सकता । [25] किसी भी देश में जितने लोग बसते हैं, उन लोगों के हृदय में जो भावनाएँ पैदा होती हैं, उनमें जो विचार उठते हैं उन्हीं से [50] भाषा निकलती है । हिंदी कहिए या हिंदुस्तानी, दोनों ही हिंदुस्तान में पैदा हुईं और आज भी चल रही है । इसलिए मैं सदा से यह [75] बात कहता आया हूँ कि किसी विदेशी शब्द को अपनी भाषा में न घुसने देने का विचार बिल्कुल गलत है । यदि कोई भी जीती-जागती [100] भाषा आगे बढ़ रही है, उन्नति कर रही है तो उसमें बाहर के शब्द आए बिना रह नहीं सकते । यदि आप अंग्रेजी भाषा के किसी [125] भी शब्दकोश को खोल कर देखें तो उसके अंत में 20-25 पृष्ठ परिशिष्ट के जोड़े जाते हैं । उन पृष्ठों में अंग्रेजी भाषा [150] में जो नए-नए शब्द आते हैं, वे ही दिए जाते हैं । कुछ दिन हुए मुझे चैम्बर्स का एक पुराना शब्दकोश मिल गया । मैंने [175] देखा कि आज का चैम्बर्स शब्दकोश पुराने शब्दकोश से दुगना मोटा था । पिछले 60 वर्षों में जितने नए शब्द लिए गए वे सब [200] नए शब्दकोश में थे । विदेशी भाषा के जो शब्द प्रचलित हैं, यदि उन्हें निकाल देने का प्रयास किया गया तो भाषा का रूप ही दूसरा [225] होगा ।

हिंदी वालों का यह प्रयास कि अरबी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में नहीं आने देने चाहिए, उतना ही हानिकारक हैं, जितना [250] उर्दू वालों का यह प्रयास कि उर्दू में केवल अरबी और उर्दू भाषा के ही शब्द रखे जाएँ, संस्कृत के नहीं । उसके साथ-साथ [275] हमको यह भी मानना होगा कि हिंदुस्तान में जो बहुत-सी भाषाएँ हैं, वे अलग-अलग प्रदेशों की अलग-अलग भाषाएँ हैं जैसे [300] उत्तर भारत में मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगला, उड़िया तथा असमिया और दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ । इन सब भाषाओं में संस्कृत के [325] शब्द बहुत हैं । हिंदी को छोड़कर और किसी भी भाषा में उर्दू के शब्द नहीं मिलेंगे । देश में हिंदी को इस योग्य बनाना है [350] कि लोग उसे सरलता से सीख सकें । इसलिए उसमें संस्कृत के शब्द लेने ही पड़ेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता । हमारे संविधान में [375] हिंदी की व्याख्या इस प्रकार दी गई है कि हम उसी भाषा को हिंदी मानते हैं जिसके मूल में संस्कृत है । यह कोई नई [400] बात नहीं है । इसे सभी लोग मानते और समझते हैं । आज लोग कुछ ऐसी हिंदी लिखने लगे हैं, जिसमें संस्कृत के बड़े-बड़े शब्द अधिक [425] आते हैं जो मेरे जैसे आदमी को जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है, समझ में ही नहीं आते । जो व्यक्ति संस्कृत या अरबी भाषाओं [450] में से किसी को भी अधिक नहीं जानते परंतु अच्छी हिंदी या हिंदुस्तानी लिख सकते हैं, उनको इतना समय नहीं कि वे संस्कृत और [475] अरबी के बड़े-बड़े शब्द लें । वे तो छोटे शब्दों में ही अपना काम निकाल लेते हैं। बड़े शब्द लेने हों तो वह दूसरी चीज है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 54

महोदय, बोलचाल की तथा **अखबारों** में प्रयुक्त होने वाली भाषा जितनी सरल हो, उतना ही अच्छा है और उसको समझने में हिंदी और 525 **उर्दू** बोलने वालों, दोनों को ही कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । वही भाषा ठीक चलेगी । **मैं उत्तर भारत** के लोगों से जहाँ हिंदी अथवा 550 **हिंदुस्तानी** बोली जाती है, **यही कहना चाहता हूँ कि** यदि वे चाहते हैं कि हिंदी अथवा हिंदुस्तानी सारे **भारतवर्ष** में चले तो उनको 575 **अहिंदी-भाषियों** को अपने साथ लेने का **प्रयास करना चाहिए,** क्योंकि वे जिस भाषा को नहीं अपनाते वह सारे देश की भाषा नहीं हो 600 सकती । कभी-कभी अहिंदी-भाषी भी हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं । यदि उनकी हिंदी हिंदी के **व्याकरण** की दृष्टि से जाँची जाए 625 तो हिंदी भाषी, उसे **स्वीकार नहीं करेंगे** । मैं उनसे **यह भी कहना चाहता हूँ कि** उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि केवल हिंदी भाषा 650 में ही नहीं बल्कि उसके व्याकरण में भी इतना हेर-फेर करना पड़ेगा कि दूसरी भाषाओं के **मुहावरे** हिंदी भाषा में खप सकें । 675 भाषा तभी विकसित हो सकती है । **मैं आशा करता हूँ कि** भाषा के इस प्रश्न को **सांप्रदायिक** रूप नहीं दिया जाएगा । उसे एक बार सांप्रदायिकता 700 का रूप दे देने पर उसका उसमें से निकलना कठिन हो जाएगा । इसलिए आवश्यकता **इस बात की है कि** हम इस प्रश्न को 725 सांप्रदायिकता से परे केवल एक भाषा के रूप में देखें और भाषा का अर्थ यह है कि अपनी **भावनाओं** और अपने विचारों को उसी के 750 द्वारा दूसरों तक पहुँचा जा सके । यदि **राष्ट्रभाषा** ऐसी भाषा बना दी गई जिसे कुछ ही लोग समझें तो हमारी समस्या **हल नहीं हो** 775 **सकती** । हमें **संकीर्ण** विचारों से **दूर रहना चाहिए।**

भाषा **के संबंध में विचार करते समय** किसी एक राज्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि सारे देश 800 की दृष्टि से **विचार करना चाहिए** और तभी भाषा को वह रूप प्राप्त होगा जिसका मैंने उल्लेख किया है । महात्मा गांधी देश में उस 825 भाषा को **चलाना चाहते थे** जिसे वह कभी हिंदुस्तानी अथवा कभी हिंदी कहते थे । दोनों में कोई अंतर नहीं है । यदि ऐसी भाषा को जिसे 850 सभी लोग समझ सकें हम हिंदी कहें या हिंदुस्तानी उसमें कोई अंतर नहीं । मैं नहीं समझ पाता कि इसमें **झगड़े** की क्या बात है । 875 एक दूसरा झगड़ा लिपि के बारे में भी है । हिंदुस्तानी अरबी और नागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है । हमारे संविधान ने नागरी लिपि को 900 ही माना है । इसमें **जबरदस्ती** की **गुंजाइश** नहीं है । **यह खुशी की बात है** । मगर हिंदुस्तान में जितने लोग बसते हैं, हम उनके विचारों 925 से अवगत **होना चाहते हैं** । यदि हम उनको समझना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की जितनी लिपियाँ हैं, उनको हमें सीखना होगा । दक्षिण वालों 950 को हिंदी भाषा भाषियों से **यही शिकायत रही है कि** वे तो हिंदी सीखते हैं पर हिंदी वाले दक्षिण की भाषा कभी नहीं सीखते । 975 उसी प्रकार उर्दू के **अक्षर** हम जाने और उर्दू की किताबों से अपना **परिचय** रखें तो उनसे हमारा संबंध और अधिक **घनिष्ट हो सकता है** । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 55

महोदय, **संसद सदस्यों** से बहुधा उनके **निर्वाचक** उनके **चुनाव** में **पूँजीगत स्वरूप** के छोटे-छोटे कार्यों को कराए **जाने के लिए** संपर्क [25] करते **हैं** । इसलिए संसद सदस्यों की एक माँग थी कि उन्हें अपने **चुनाव क्षेत्र** में कार्य कराए जाने की सिफारिश करने में **समर्थ** होना [50] चाहिए । इन सुझावों पर **विचार करते हुए** प्रधान मंत्री जी ने दिनांक 23 दिसंबर, 1993 को संसद में 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' की घोषणा की । [75] इस योजना के **अंतर्गत** प्रत्येक संसद सदस्य को अपने चुनाव क्षेत्र में एक करोड़ रुपये तक की लागत के कार्य, जिसमें प्रत्येक कार्य [100] 10 लाख रुपये से अधिक लागत का नहीं होगा, **कार्यान्वित** किए जाने के लिए जिला कलेक्टरों को सुझाव देने होंगे । **राज्य सभा** का सदस्य [125] जिस राज्य से चुना गया है उस राज्य का कोई भी एक जिला इस योजना के **अंतर्गत** कार्यों का चयन करने के लिए [150] चुन सकता है । सांसदों द्वारा भेजे गए **सुझावों** के आधार पर इन **मार्गदर्शिकाओं** के अनुसार **प्राथमिकताएँ** निर्धारित की जाएँगी । इस योजना के अंतर्गत जिन [175] कार्यों की **सिफारिश** की गई हो वे जिले के अंदर चल रही जिला योजनाओं और केंद्रीय **प्रायोजित** तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों के [200] अंतर्गत परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के सामान्य **पैटर्न के अनुरूप** होंगे । उनका कार्यान्वयन अन्य सभी कार्यों के साथ-साथ ही किया जा सकता है, [225] लेकिन एक तरह से वे संसद सदस्य द्वारा **अनुशासित** कार्य के रूप में **अभिव्यक्त** होंगे । इस प्रकार इन कार्यों की **स्वीकृति** एवं **कार्यान्वयन के लिए** निर्धारित प्रक्रिया [250] समान कार्यों की सामान्य स्वीकृति एवं कार्यान्वयन को **संचालित** करने वाली प्रक्रियाओं, जिनका कार्यान्वयन लोगों की **प्रतिनिधि** संस्थाओं द्वारा किया जाता है,से भिन्न [275] नहीं हैं । सांसदों के सुझावों को जिला **कलेक्टरों** द्वारा **संकलित** किया जाएगा एवं इन **मार्गदर्शिकाओं** के **अंतर्गत** उन पर विचार किया जाएगा तथा सामान्य [300] प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए **यथासंभव** उनको जिले में चल रहे जिला योजना कार्यक्रमों एवं अन्य केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र [325] कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा ।

सांसदों को जिले में पंचायतों तथा **नगरपालिकाओं** द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समग्र रूप देने के लिए [350] और पूरे जिले के लिए विकास योजना मसौदा **तैयार करने के लिए संवैधानिक रूप से** गठित जिला योजना समितियों का सदस्य बनाया जाएगा । **अधिनियम** 1992 [375] के अंतर्गत गठित किए जा रहे नए पंचायती राज निकायों में जिला तथा **माध्यमिक स्तरों** पर जिनमें उनके चुनाव क्षेत्र पूर्ण या **आंशिक** रूप [400] से आते हैं, पंचायत सदस्यों के रूप में **प्रतिनिधित्व** भी दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, सांसद जिलों में **जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों** के [425] शासी निकाय के सदस्य हैं, जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसके संबद्ध कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी एवं **मूल्यांकन** कार्यों [450] के प्रभारी हैं । यह सब उन्हें इस योजना के **अंतर्गत** उनके द्वारा चुने एवं सुझाए गए कार्यों को **जिला स्तर** विकास कार्यक्रमों की [475] योजना एवं कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर **संस्थागत** ढाँचे द्वारा कार्यान्वित कराए जाने को **सुनिश्चित करने** का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 56

महोदय, इन **मार्गदर्शिकाओं** की सीमा के **अंतर्गत** आने वाले कार्यों जिनके लिए **सांसदों** ने अपनी **अनुशंसा** दी है, की तकनीकी एवं **प्रशासनिक स्वीकृति** 525 **संबंधित** राज्यों में सामान्य विभागीय **प्रक्रियाओं** के अनुरूप की जाएगी । कार्यों को जिला **कलेक्टर** द्वारा जिले की सरकारी **एजेंसियों** के माध्यम से कार्यान्वित कराया जाएगा । 550 इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य मुख्य रूप से **परिसंपत्ति सृजन** स्वरूप के होंगे तथा सामग्री, उपकरण आदि की खरीद अथवा **राजस्व** 575 खर्च की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । कार्य इस तरह के होने चाहिए, जो काम के एक अथवा दो मौसमों में पूरे हो सकते हों 600 तथा जिनसे टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियाँ **सृजित** होती हों । योजना के तहत स्थानीय अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर छोटे-छोटे विकास कार्यों का 625 चयन किया जाना है और उनकी सिफारिश की जानी है । सुझाए गए प्रत्येक कार्य की लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए । 650 **सुझाव के अनुसार** लिए जाने वाले कार्य जिला योजना, विशेषकर **न्यूनतम** आवश्यकता कार्यक्रम के **तहत** आने वाले कार्यों की श्रेणी के होने चाहिए । 675 इस योजना के अंतर्गत कार्यों के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा सांसदों से लिखित सुझाव माँगे जाने चाहिए अथवा 700 अपने जिले के सभी सांसदों के साथ वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एक बैठक **बुलाई जानी चाहिए** । ऐसे मामलों में जहाँ संसदीय **चुनाव क्षेत्र** 725 एक से अधिक जिले तक फैला हुआ है संबंधित सांसद राज्य योजना विभाग तथा जिला कलेक्टरों को इन मार्गदर्शिकाओं में **उल्लिखित** समग्र सीमाओं के 750 भीतर उनके जिलों में कार्यों की प्राथमिकता का **उल्लेख कर सकते हैं** । इन मार्गदर्शिकाओं के आलोक में संसद सदस्यों द्वारा सुझाए गए 775 कार्यों की **संवीक्षा** करने के पश्चात् जिला **कलेक्टरों** द्वारा योजना के **अंतर्गत** इन्हें **विचारार्थ** एवं जिला योजनाओं तथा जिलों में चल रहे केंद्रीय 800 **प्रायोजित** व **केंद्रीय क्षेत्र** कार्यक्रमों में योजना के अंतर्गत **प्राथमिकता दर्शाने** वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए । इस प्रकार निर्धारित सूची को 825 जिले में संबंधित योजना तथा **कार्यान्वयन एजेंसियों** को भेजा जाना चाहिए, जिसमें संबंधित राज्यों की सामान्य विभागीय प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए **प्राक्कलन** तैयार 850 करने तथा तकनीकी **व्यवहार्यता** और **स्वीकृतियों के लिए पंचायती राज संस्थाओं, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों**, शहरी स्थानीय निकायों, अन्य जिला स्तरीय विकास विभागों आदि को 875 शामिल किया जाएगा ।

जिला कलेक्टरों द्वारा योजना के अंतर्गत **सांसदों** द्वारा सुझाए गए कार्यों की सूची इस प्रकार निर्धारित करने के पश्चात **यह सुनिश्चित** 900 **किया जाना चाहिए कि** उसमें **निर्दिष्ट** कार्यों को अनुमोदन और **कार्यान्वयन** हेतु जिले में संबंधित विभागों/संगठनों के **विचारार्थ** भेजा जाए । कलेक्टर राज्य योजना 925 विभागों की **मार्फत** विभिन्न विभागों/संगठनों में कार्यों के विभाजन के ब्यौरों और **भारत सरकार** के संबंधित लेखा **शीर्ष** के अंतर्गत किए गए खर्च के 950 बारे में भी सूचित करेंगे । यदि जिला कलेक्टर **उल्लिखित** रूप से सांसदों द्वारा सुझाए कार्यों की सूची में किसी कार्य पर विचार कर उसका 975 **कार्यान्वयन** सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है, तो उनके द्वारा **यथाशीघ्र** राज्य योजना विभाग को उसकी आवश्यकताओं के बारे में रिपोर्ट अवश्य **भेजी जानी चाहिए** । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 57

अध्यक्ष महोदय, भारत, **संसार** के सभी देशों के साथ शांति और मैत्री की नीति का **अनुसरण करता रहा है** और ऐसे **अवसरों पर** जब भी 25 यह आशा हुई कि हम शांति-स्थापना के हेतु **कुछ कर सकते हैं,** हमारे देश ने **जिम्मेदारियों** को उठाने में कोई **संकोच** नहीं किया । 50 कोरिया में मेरी सरकार ने तटस्थ राष्ट्रीय **प्रत्यावर्तन आयोग** की अध्यक्षता स्वीकार की और **युद्ध-बंदियों** के भविष्य के संबंध में **अंतिम** निर्णय होने तक 75 उनकी **देखभाल के लिए संरक्षण** सेना वहाँ भेजी। **दुर्भाग्यवश** विराम-संधि समझौते में सुझाई गई **पद्धति के अनुसार कार्यवाही** नहीं की जा सकी, 100 जिसके कारण एक कठिन स्थिति पैदा हो गई । कुछ दिनों में ही आयोग अपना काम **समाप्त कर देगा** और संरक्षण सेना अब धीरे-धीरे 125 भारत वापस आ रही है । कोरिया में प्रमुख **विवादग्रस्त** प्रश्नों का अभी तक **निबटारा** नहीं हुआ है । **मुझे पूर्ण आशा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ** 150 की महासभा में अथवा कहीं और इन आवश्यक मामलों को सुलझाने का शीघ्र ही **प्रयत्न किया जाएगा । आप सबकी ओर से** और अपनी 175 ओर से, मैं कोरिया में तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग में अपने **प्रतिनिधियों** और संरक्षण सेना के अधिकारियों तथा **सिपाहियों** की **इस बात के लिए प्रशंसा** 200 **करना चाहूँगा कि** उन्होंने एक कठिन और नाजुक काम को बड़ी योग्यता तथा **निष्पक्षता** के साथ निभाया ।

विदेशों से भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण बने 225 रहे हैं, **यद्यपि** कभी-कभी **गलतफहमियाँ** पैदा हो जाती हैं। इस समय मेरी सरकार के प्रतिनिधि चीनी गणतंत्र की सरकार से तिब्बत **के संबंध में** 250 सामान्य हित के विभिन्न मामलों पर **बातचीत** कर रहे हैं। **मुझे पूरी आशा है कि** इस बातचीत के **परिणामस्वरूप** सभी **विशिष्ट** समस्याओं के बारे 275 में समझौता हो सकेगा। **सोवियत संघ** और कई अन्य देशों से हमारी व्यापारिक **संधियाँ** हुई हैं । पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के **प्रधानमंत्री** 300 से मिले । ये **मुलाकातें** मैत्रीपूर्ण थीं और इनके **फलस्वरूप** दोनों देशों के बीच कई एक **विवादग्रस्त** मामलों के बारे में, जो बहुत दिनों 325 से चले आ रहे थे, पारस्परिक **सद्भावना** पैदा हो सकी । इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़े थे पर **दुर्भाग्य से** कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं 350 हैं जिनके कारण प्रगति में रुकावटें पड़ रही हैं । **मुझे खुशी है कि** मेरी सरकार और **श्रीलंका** की सरकार के बीच श्रीलंका के भारतीय 375 **प्रवासियों** के प्रश्न पर समझौता हो गया है । इस समझौते द्वारा उक्त समस्या का अंतिम रूप से **निबटारा** नहीं होता, परंतु उस दिशा में यह 400 पहला कदम है और समस्या के हल के लिए गंभीर प्रयास है इसलिए मैं इसका **स्वागत करता हूँ ।** अपने पड़ोसी राष्ट्रों, श्रीलंका तथा 425 बर्मा से जिन के साथ हमारे भौगोलिक ही नहीं बल्कि चिरकाल से **सांस्कृतिक** संबंध भी हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध **को उन्नत करने** का मेरी सरकार 450 सतत प्रयत्न करती रही है । **पश्चिमी एशिया** के देशों और मिस्र के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण और **पारस्परिक सहयोग** के रहे हैं। सूडान के **निर्वाचन** 475 **आयोग** के अध्यक्ष के रूप में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाओं की **प्रशंसा** की गई है और चुनाव **व्यवस्थित ढंग से संपन्न** हो गए हैं । 500

प्रतिलेखन संख्या - 58

अध्यक्ष महोदय, मैं सूडान में स्वाधीनता के उदय का स्वागत करता हूँ । जो स्वयंमेव तो शुभ है ही, चिरकाल से त्रस्त और आजकल 525 भी अनेक संकटों के शिकार अफ्रीकी भूखंडों की भावी उन्नति के लिए भी यह एक शुभ लक्षण है । गत वर्ष इस अवसर पर मेरे अभिभाषण 550 के बाद भारतीय संघ में आंध्र नामक नए राज्य का उदय हुआ है । भारतीय राज्यों में इस अभिवृद्धि का मैं स्वागत करता हूँ और 575 नए राज्य की सफलता की कामना करता हूँ । भारत में राज्यों के पुनर्गठन की माँग को देखते हुए मेरी सरकार ने इस कार्य के 600 लिए एक आयोग की स्थापना की है, जिसमें योग्य और अनुभवी सदस्य रखे हैं । यह कार्य बड़ा और ऐतिहासिक महत्व का है । इसे वस्तुगत रूप 625 से पूर्ण शांतचित्तता के साथ करना है, जिससे संबंधित क्षेत्रों की जनता का और इसके साथ ही समस्त राष्ट्र का अधिक कल्याण 650 हो सके । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोग के काम में सभी लोग सद्भावना और समझदारी के साथ सहयोग देंगे । हमारे संघ के दो 675 राज्यों में, तिरुवांकुर-कोचीन और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ में, आजकल आम चुनाव हो रहे हैं । उपर्युक्त दूसरे राज्य में संविधान सुचारू 700 रूप से नहीं चल सका और नए चुनाव होने तक प्रशासन का कार्यभार मुझे अपने अधीन लेना पड़ा ।

हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना की आधी 725 अवधि समाप्त हो चुकी है । कुछ मामलों में प्रगति इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हम आशा करते थे, परंतु कुछ अन्य मामलों में महत्वपूर्ण प्रगति 750 हुई है । सामुदायिक योजना कार्यों के कार्य में विशेष रूप से उन्नति हुई है और राष्ट्रीय विकास कार्य में भी, जिसका श्रीगणेश अक्तूबर, 775 1953 में हुआ था, संतोषजनक उन्नति हुई है । इस कार्य में जनसाधारण का योगदान बहुत उत्साहवर्धक है । इस कार्य का यह पहलू बहुत 800 ही आशाजनक है । यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में और कई एक दूसरे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई है, फिर भी व्यापक बेरोज़गारी की समस्या मेरी सरकार 825 के लिए चिंता का विषय है । लोगों को अधिक रोज़गार दिलाने के उद्देश्य से योजना आयोग पहली पंचवर्षीय योजना पर पुनर्विचार कर रहा है । 850 साधारण आर्थिक स्थिति में बराबर सुधार हुआ है । 1952-53 में अनाजों का उत्पादन उसके एक वर्ष पहले की अपेक्षा पाँच लाख टन अधिक 875 हुआ है और इस वर्ष की स्थिति भी अच्छी है । खाद्य की स्थिति में सुधार बहुत संतोषजनक है और देश इस दिशा में आत्मनिर्भरता 900 के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है । औद्योगिक उत्पादन में, विशेषकर सूती कपड़े, कागज़, रासायनिक पदार्थ, बाइसिकल, नमक और बहुत-से 925 इंजीनियरिंग संबंधी उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन काफी ज्यादा होता रहा है। औद्योगिक उत्पादन की सूचक संख्या बढ़कर 1953 में 1345 हो गई 950 जबकि 1952 में वह 129 थी । युद्ध के बाद से हमारे औद्योगिक उत्पादन का यह उच्चतम स्तर है । इस्पात उद्योग के विस्तार और इस्पात 975 के एक नए कारखाने की स्थापना के संबंध में इस समय अंतिम कार्यवाही हो रही है । पटसन और चाय उद्योग अब अच्छी स्थिति में हैं । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 59

महोदय, मैं आपके यहाँ बहुत **उत्सुकता** के साथ इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी आँखों से **यह देख सकूँ कि** यहाँ क्या-क्या 25 हो रहा है और क्या करने का विचार है । **स्वागताध्यक्ष** जी ने अपने भाषण में अभी **दिग्दर्शन** कराया कि यहाँ क्या तो आप करने 50 **जा रहे हैं**, क्या-क्या सरकार की ओर से **किया जा रहा है** और किन चीजों की कमी है । मैं इन सब चीजों के संबंध 75 में केवल इतना ही **कह सकता हूँ कि** जहाँ तक मुझे मालूम है, आपकी राज्य सरकार और **केंद्रीय सरकार** दोनों इस बात के लिए 100 **तत्पर** हैं कि **आदिवासियों** की **उन्नति के लिए** यथेष्ट और प्रत्येक संभव प्रयत्न किए जाएँ । जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ और हमको स्वतंत्र 125 संविधान बनाने का अवसर मिला तो हमने उस संविधान में इस बात का ध्यान रखा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आगे 150 बढ़ाना और दूसरों के समान स्तर पर ला देना हमारा पहला कर्तव्य है। **इसीलिए** संविधान में कुछ ऐसी विशेष धाराएँ रखी गईं **जिनके** 175 **अनुसार** पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का भार हमारे ऊपर आया । पिछड़े हुए लोगों में तीन प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो वे 200 हैं जो **अछूत** माने जाते हैं। **अस्पृश्यता दूर करने के लिए महात्मा गांधी** ने इतना बड़ा प्रयत्न किया और आज ईश्वर की दया से वह 225 बहुत सीमा तक कम होती भी जा रही है और आशा की जाती है कि **दूर हो जाएगी** । दूसरे लोग जो पिछड़े हुए समझे जाते 250 हैं, **आदिमजाति** के लोग हैं । ये सारे **भारतवर्ष** में अलग-अलग स्थानों में फैले हुए हैं, **विशेषकर** पहाड़ी और **जंगली क्षेत्रों** में 275 इनकी संख्या देश में **प्रायः** दो करोड़ है । 35 करोड़ में यदि 2 करोड़ व्यक्ति इस प्रकार पीछे रह जाएँ तो वह हमें **शोभा** 300 नहीं देता। उनकी **उन्नति** करना हमारा **परमावश्यक** काम है । उनके **अतिरिक्त** कुछ वे लोग हैं जो इन दोनों से अलग परंतु वे भी 325 किसी कारणवश अन्य की तुलना में पीछे हैं। इन सबके लिए हमारे संविधान में अलग-अलग व्यवस्था की गई है ।

जहाँ तक **आदिवासियों** का 350 प्रश्न है उनके लिए **विधान मंडलों** और संसद में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं । इन **स्थानों के लिए** वे अपने **प्रतिनिधि** चुनते हैं जो 375 वहाँ जाकर उनके सुख-दुख को रख सकते हैं और वहाँ से उनकी **भलाई के लिए कुछ करवा सकते हैं** । आज दिल्ली में 400 जो संसद है और सभी राज्यों में जो विधानमंडल हैं, उन सबके सदस्यों में **आदिवासियों** के प्रतिनिधि भी हैं और उनको 425 वही अधिकार प्राप्त हैं जो और किसी दूसरे प्रतिनिधि को । इसके अतिरिक्त आदिवासियों **के संबंध में** विशेषकर असम में जहाँ उनकी **संख्या** 450 बहुत अधिक है और जो अन्य **स्थानों** के आदिवासियों से कुछ भिन्न भी हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाएँ दी गई हैं । अन्य स्थानों 475 में, जैसी यहाँ स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार प्रबंध करने के लिए **मैं समझता हूँ कि आदेश दे दिए गए हैं** । 500

प्रतिलेखन संख्या - 60

महोदय, गौड लोग खेती का काम करते हैं और उन्होंने खेती के काम को भली प्रकार सीख लिया है। बैगा जाति के लोग दूसरे प्रकार 525 से खेती करते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थानों को जाते रहते हैं। एक खेत में खेती करके उसकी फसल आदि को 550 लेकर फिर उस खेत को जलाकर वे आगे बढ़ जाते हैं। इससे भूमि को बहुत हानि होती है। जंगल को भी हानि होती 575 है। वे जितना परिश्रम करते हैं उसका उनको पूरा फल नहीं मिलता। सरकार ने उन लोगों को यह समझाने-बुझाने का निश्चय किया 600 है कि वे कहीं एक स्थान में रहकर खेतीबाड़ी करें तो उनको थोड़ी-सी भूमि से ही अधिक अन्न प्राप्त हो सकता 625 है और वे अधिक सुख से रह सकते हैं। आज सारे देश में खेती की उन्नति के लिए जहाँ-तहाँ पानी का अभाव है, वहाँ 650 अधिक पानी पहुँचाने का प्रबंध किया जा रहा है। लोगों को गड्ढे खोद कर तथा उनमें कूड़ा-कचरा आदि डाल कर खाद तैयार करना सिखाया 675 जा रहा है, जिससे खेती की उन्नति की जा सके। लोगों को अच्छे बीज देकर अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा 700 है। यह सब कुछ आदिवासियों को भी बताया जा रहा है। अभी यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने यहाँ पर 725 एक हजार एकड़ भूमि में उनको बसाने का निश्चय किया है। उनकी हर प्रकार से सहायता की जाएगी। यों तो हम लोग खेती 750 करते हैं और अपने तथा अपने बाल-बच्चों के लिए, अन्न पैदा करते हैं पर हमारे देश के किसानों के पास बहुत थोड़ी भूमि है 775 और थोड़ी भूमि में अधिक पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए सोचा यह गया है कि यदि कई किसान मिलकर अपनी खेती सामूहिक 800 रूप से एक साथ करें तो उससे उनको अधिक लाभ होगा।

मान लो कि एक किसान के पास दो बैल हैं परंतु 825 उसके पास भूमि इतनी है कि वह दो बैलों से नहीं जोती-बोई जा सकती। ऐसी स्थिति में उस भूमि में खेती पूरे रूप 850 से नहीं हो सकती क्योंकि वह चार बैल रख नहीं सकता और दो बैलों से उसका काम पूरा नहीं होता। तो यदि दो 875 किसान परस्पर मिल-जुलकर खेती करें तो उन सबकी समस्या का समाधान हो जाता है। दो व्यक्ति मिल-जुलकर खेती के आसपास 900 पानी की भी व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार यदि कई आदमी मिलकर एक साथ खेती करें तो उनको खेती में व्यय भी 925 कम करना पड़े और आय अधिक हो। इसलिए यहाँ सामूहिक रूप से खेती करने का प्रयास किया जा रहा है और यदि इसमें भलीभाँति 950 सफल हुए तो इस चीज का औरों में भी प्रसार होगा और विशेषकर आदिवासी लोग, जो अभी तक इस प्रकार खेती नहीं करते, इस चीज 975 को अधिक सरलता से सीख लेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। और यदि वे इस पद्धति को अपनाएँगे तो इससे उनको बहुत लाभ होगा। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 61

सभापति महोदय, इस समय जब कि हमें अपने नेताओं के अनुभव और **बुद्धिमत्ता** की आवश्यकता है, **यह दुर्भाग्य की बात है कि** अपने ज्येष्ठ **राजनायकों** [25] में से अत्यंत प्रमुख और लगन वाले एक राजनायक को हमने खो दिया है। बड़े दुख के साथ **मैंने** यह सुना कि बड़े सवेरे [50] कल श्री **अय्यंगार** की मृत्यु हो गई। अपने पूरे जीवन में **उन्होंने** अनेक उच्च पदों को दुर्लभ योग्यता से **सुशोभित** किया था। अपने **स्वास्थ्य** [75] तथा अपने आराम का जिसके कि वह पूरी तरह अधिकारी हो चुके थे, विचार न करके वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक [100] देश और जनता की सेवा में लगे रहे। जब कोई भी **कठिन** समस्या हमारे सामने आती थी, तो सरकार में उनके सहकारी [125] उनकी **परिपक्व** बुद्धिमत्ता पर निर्भर करते थे। उनकी मृत्यु देश और हम सबके लिए भारी हानि है। जब कि हम नवीन और समृद्ध [150] भारत का निर्माण करने में तथा उन लाखों लोगों को **सुख-सुविधा** पहुँचाने में लगे हुए हैं, जिन्हें **दरिद्रता** के अभिशाप से भूतकाल में [175] काफी पीड़ित रहना पड़ा। संसार की **समस्याएँ** हमारे सामने बलात आ खड़ी होती हैं और हम न तो उनसे बच सकते हैं और [200] न अपने को उनसे अलग **रख सकते हैं**। मेरी सरकार की अन्य देशों के मामलों में **हस्तक्षेप** करने की **लेशमात्र** भी इच्छा नहीं [225] है किंतु **स्वतंत्रता** के साथ-साथ **अनिवार्यरूपेण** भारत पर जो जिम्मेदारी आ पड़ी है, उसको तो इसे निभाना ही है। जैसा कि **सर्वविदित** [250] है, हमने संसार के सब देशों के प्रति मैत्री और शांति की नीति बरतने का प्रयास किया है। शनैः शनैः वे लोग भी, [275] जो इससे सर्वदा सहमत नहीं होते, इसे समझने और इसका आदर करने लगे हैं, और यह बात मानी जाने लगी है कि भारत [300] संसार में शांति का समर्थक है और वह ऐसा कोई कदम न उठाएगा जिसका **परिणाम लड़ाई की प्रवृत्ति** को जगाना हो।

इसी नीति के [325] **अनुसरणार्थ** मेरी सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्ताव पेश किए थे, जिनसे उसे यह आशा थी कि कोरिया-युद्ध के बारे में समझौता हो जाएगा। [350] इन प्रस्तावों को बहुत भारी समर्थन मिला, किंतु **दुर्भाग्यवश** उन महान देशों में से कुछ इन्हें स्वीकार न कर सके जिनका उससे **निकटतम** [375] संबंध था। वह युद्ध जारी है, और उससे न केवल कोरिया की जनता को ही **कठोर यातना** सहन करनी पड़ रही है, वरन **अवशिष्ट** [400] **संसार के लिए** भी वह खतरे का निशान है। सुदूर पूर्व पर प्रभाव डालने वाले हाल में किए गए कुछ **वक्तव्यों** से और [425] उनके **परिणामस्वरूप** कोरिया के युद्ध का विस्तार होने से समस्त संसार में बहुत **आशंका** पैदा हुई है। मेरी सरकार भी इन बातों [450] को गंभीर चिंता से देखती है। **मुझे विश्वास है कि** युद्ध का, जो अपने साथ पहले ही भारी विपत्ति लाया है, विस्तार न [475] होने दिया जाएगा तथा राष्ट्र और जातियों के हृदय को इन समस्याओं को शांतिपूर्ण रीति से सुलझाने की ओर मोड़ दिया जाएगा। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 62

सभापति महोदय, इस उद्देश्य को **पूरा करने के लिए** मेरी सरकार **प्रयत्नशील** रहेगी और किसी भी प्रकार का किसी राष्ट्रपुंज से 525 कोई गठबंधन किए बिना सब देशों के प्रति मैत्री की नीति पर चलती रहेगी। अपने देश में जिन लोकतंत्रात्मक तरीकों से 550 हम आबद्ध हैं, उनमें समस्याओं को सुलझाने का **शांतिपूर्ण** तरीका निहित है। यदि लोकतंत्र को बचाए रखना है तो **अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र** में भी शांति का 575 **वातावरण** और समझौते की प्रवृत्ति **अपनाई जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ** की महासभा की बैठक निकट भविष्य में फिर होगी और उसमें उन गंभीर 600 समस्याओं पर विचार किया जाएगा जिन पर संसार में शांति अथवा युद्ध के महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय **आश्रित** है। मेरी यह हार्दिक आशा है कि 625 वे महान राष्ट्र जिनके **प्रतिनिधि** वहाँ इकट्ठे होंगे, संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में **समाविष्ट** उद्देश्यों के **परिपालन** तथा समझौते की प्रवृत्ति को 650 बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अफ्रीका **महाद्वीप** में, जो **उपनिवेशवाद** का आज भी सबसे बड़ा अड्डा है, हालत पहले से **खराब** हो रही है। 675 दक्षिण अफ्रीका में **मूलवंशीय** प्रभुता के सिद्धांत का खुले आम **ढँढोरा** पीटा जा रहा है और पूरी शक्ति से उसे लोगों पर लादा जा 700 रहा हे। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इस समस्या को तय करने के जो प्रयत्न किए हैं, दक्षिण अफ्रीका की सरकार उनकी **अवहेलना** कर रही है। 725 मूलवंशीय विभेद के विरुद्ध आंदोलन को, जो शांति और **अनुशासनपूर्ण** ढंग के लिए **उल्लेखनीय** है, ऐसे कानूनों और सरकारी कार्यवाही द्वारा कुचलने 750 की कोशिश की जा रही है जो **लोकतंत्रात्मक** तरीकों और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में उद्घोषित प्रयोजन की **अवहेलना के लिए** इससे पूर्व 775 कभी नहीं अपनाए गए। पूर्वी अफ्रीका में आज जो मूलवंशीय संघर्ष चल रहा है उसे यदि जनता के संतोष के साथ समाप्त न किया 800 गया, तो वह अफ्रीका के बहुत अधिक क्षेत्रों में भी फैल जाएगा। अब भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो इस बात को नहीं 825 **पहचानते** कि आज के संसार में मूलवंशीय प्रभुता और विभेद को सहन नहीं किया जा सकता और इनको जारी रखने के किसी भी प्रयास का परिणाम **भयानक** 850 ही होगा।

पश्चिमी और **दक्षिणपूर्व** एशिया के हमारे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध **घनिष्ट** और मैत्रीपूर्ण हैं और हममें **पारस्परिक सहयोग** की मात्रा 875 बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से भी जिससे कि **दुर्भाग्यवश** हमारे संबंध कुछ खिंचे से रहे हैं, हमारे संबंधों में कुछ सुधार हुआ है। 900 यह सुधार कुछ बड़ा नहीं है, किंतु यह ऐसा चिह्न है जिसका मैं **स्वागत करता हूँ**। दोनों देशों के **प्रतिनिधियों** के बीच हाल में 925 हुए सम्मेलन **मैत्रीपूर्ण** वातावरण में हुए और **मुझे आशा है कि** ये फलदायी सिद्ध होंगे। **पारपत्र प्रणाली** आरंभ किए जाने से दोनों 950 देशों में जो **उथल-पुथल** हुई थी वह अब शांत हो गई है और इसके कारण बहुत-सी कठिनाइयाँ पैदा हुई थीं। 975 वे अब धीरे-धीरे समाप्त की जा रही हैं। मुझे विश्वास है कि विश्व शांति के लिए हरेक देश प्रयत्नशील रहेगा। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 63

महोदय, **समीक्षाधीन** वर्ष में **ग्रामीण विकास कार्यक्रमों** को और कारगर तथा **सुदृढ़** बनाया गया। **मंत्रालय** के कार्यक्रमों में दूरगामी प्रभाव वाले [25] कई तरह के सुधार करने की पहल की गई। इन सभी **सुधारों** में मंत्रालय से संबंधित दो मुख्य मुद्दे हैं - ठोस **जल संभरण** विकास नीति [50] के जरिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को **स्थायित्व** प्रदान करना और इन कार्यक्रमों में लोगों की **अधिक से अधिक** भागीदारी सुनिश्चित करना। [75] ये नए कदम **ऐतिहासिक** 73वें संविधान संशोधन **अधिनियम**, 1992 की **पृष्ठभूमि** में उठाए गए थे जिनका उद्देश्य **पंचायती राज संस्थाओं** को शक्तियाँ प्रदान [100] करना तथा ग्राम पंचायतों के स्तर तक सही मायनों में **विकेंद्रीकरण** की प्रक्रिया को **सुनिश्चित करना है**। अब पहले से कहीं अधिक इस बात को [125] महसूस किया जा रहा है कि ग्रामीण **गरीबी** के दलदल में फँसी हुई काफी अधिक ग्रामीण जनता को इसके **चंगुल** से **छुड़ाने** [150] **के लिए यह आवश्यक है कि** हम ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में अधिक लोगों को शामिल करें। दसवीं योजना **दस्तावेज** के आमुख [175] में इस मौलिक मुद्दे का **संक्षेप** में उल्लेख किया गया है कि विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर ताकते रहने तथा उस पर [200] **पूरी तरह से** निर्भर रहने की **प्रवृत्ति** बढ़ती जा रही है जिसे बदलना होगा। विकास की प्रक्रिया में लोगों को पूरी तरह से **भाग लेना** [225] **चाहिए** और सरकार को उसमें **सहयोग करना चाहिए**। लोगों की **जरूरतों** और निचले स्तर पर योजना बनाने में उनकी भागीदारी को मंत्रालय के [250] **एजेंडा** में शामिल किया गया है। इससे कार्यक्रमों की आयोजना तैयार करने हेतु ऊपर के स्तर से नीचे की ओर पहले से चली [275] आ रही पद्धति में **निश्चित रूप से** परिवर्तन आया है और यह लोगों, स्वैच्छिक एजेंसियों और सरकार का सहयोग लेने की प्रक्रिया से संभव [300] हुआ है। कार्यक्रमों में नई पहल के **परिणामस्वरूप** लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और यदि यह प्रयास इसी गति से [325] आगे जारी रहा तो इससे निकट **भविष्य** में विकास की प्रक्रिया में **उल्लेखनीय** परिवर्तन आ सकता है।

इसी **पृष्ठभूमि** में वर्ष 2000-2001 में [350] मंत्रालय की **उपलब्धियों** को **देखा जाना चाहिए**। **मजदूरी**, रोज़गार तथा ऋण से जुड़े स्वरोज़गार कार्यक्रम गरीबी निवारण के कार्यक्रम हैं, जिन्हें [375] **मंत्रालय** द्वारा किए जाने वाले काम की **कार्यसूची** में **प्राथमिकता** दी जाती रही है। गाँवों में कम **उत्पादकता** और अल्प **रोज़गार** सहित बेरोज़गारी [400] की समस्या से **विशेष रूप से** जुड़ी हुई अपनाई गई नीति ग्रामीण गरीबों पर **तीव्रता** से सीधा प्रहार करने की रही है। लक्ष्य यह है [425] कि इस शताब्दी के अंत तक **जरूरतमंद** लोगों को पूरा रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य गरीबी को कम करना [450] है। इसके लिए केंद्रीय योजना **आबंटन** में 3 वर्षों के दौरान **उत्तरोत्तर बढ़ोतरी** की गई है। **ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए** [475] 2001-2002 में 7010 करोड़ रुपये का **परिव्यय** रखा गया है जोकि देश में **ऐतिहासिक** तथा सबसे अधिक आबंटन है। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 64

महोदय, बढ़ाई गई इस धनराशि से ग्रामीण विकास के लिए सरकार की इस चिंता और इच्छा शक्ति का पता चलता है कि वह [525] आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के जरिए और बिचौलियों के द्वारा उत्पन्न हर संभावित प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए बाजार ढाँचे में सुधार लाकर [550] ग्रामीण गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। मंत्रालय के कार्यक्रमों में इतना अधिक निवेश पहले कभी नहीं किया गया है, इससे [575] वास्तव में ग्रामीण गरीबों को प्रभावी सुरक्षा मिलेगी। बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी और अल्परोज़गार की समस्या से निपटने के लिए नई-नई नीतियाँ [600] तथा कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का ध्यान विशेष तौर पर विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों और कृषि मजदूरों, मुक्त बंधुआ मजदूरों, छोटे [625] और सीमांत किसानों, कारीगरों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों आदि जैसे उपेक्षित वर्गों के विकास पर किया गया है। संक्षेप में इन कार्यक्रमों [650] का उद्देश्य गरीबी की प्रचंडता को कम करना तथा उसका उन्मूलन करना है। जवाहर रोज़गार योजना एकमात्र सबसे बड़ा रोज़गार कार्यक्रम है। [675] इसके अलावा गहन जवाहर रोजगार योजना उन अत्यधिक पिछड़े 120 जिलों में शुरू की गई हे, जहाँ बेरोज़गारी और अल्प रोज़गार की समस्या [700] काफी अधिक है, जहाँ लोग रोज़गार की तलाश में अन्य स्थानों पर पलायन कर जाते है, और जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की काफी कमी है। [725] जवाहर रोज़गार योजना और गहन जवाहर रोज़गार योजना से लगभग 1037 मिलियन श्रम दिनों का रोज़गार पैदा होने की संभावना है जिसके लिए केंद्र [750] का अंश 3,855 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार सुनिश्चित रोज़गार योजना गरीबों को खेती के खाली मौसम के दौरान 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार [775] उपलब्ध कराने की दृष्टि से अक्तूबर, 1993 में शुरू की गई थी। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्थान बना लिया है और वहाँ [800] इसका बेरोज़गारी और अल्प रोज़गार की समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काफी स्वागत किया गया है। [825]

इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ से अधिक लोगों को पंजीकृत किया गया है जो कि देश के पिछड़े और कम साधन वाले खंडों में [850] निर्धनतम लोगों को रोज़गार की सुरक्षा तथा खाद्य उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथा मुख्य माध्यम है। शुरू में यह योजना सूखाग्रस्त, [875] मरुस्थली, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के 1778 पिछड़े इलाकों में शुरू की गई थी जहाँ पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। [900] इस वर्ष से इस योजना को और 409 पिछड़े खंडों में लागू किया गया है। इस योजना से लोगों को मजदूरी, रोज़गार के लिए बहुत [925] बड़ा आश्वासन मिला है और उन्हें रोज़गार के लिए एक नई दिशा प्राप्त हुई है। यह योजना गति पकड़ रही है और चालू वर्ष के [950] दौरान 1200 करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय से लगभग 200 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार सृजित होने की संभावना है। ग्रामीण गरीबों के सबसे कमजोर वर्गों [975] को मकान उपलब्ध कराना न केवल उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है बल्कि इससे उन्हें स्थायित्व मिलता है तथा एक सामाजिक स्तर उपलब्ध होता है। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 65

महोदय, आधारभूत, युक्तिपरक, व्यावहारिक और अनुकूलित अनुसंधान निरंतर और अबाध गति से चलने चाहिए। नीतिगत प्रश्नों को सुलझाने के लिए अधिक अनुसंधान [25] प्रयासों की आवश्यकता होगी। क्योंकि अंततः इन्हीं के आधार पर उत्पादन प्रणालियों को अपेक्षित स्थायित्व मिल पाएगा। प्रथम पंक्ति में आने के लिए भारतीय [50] कृषि अनुसंधान को श्रेष्ठता के केंद्रों और कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक बंधनों को मजबूत बनाना होगा। [75] बदलते परिवेश में किसी भी तंत्र की दक्षता और प्रभावशीलता परखने के मानदंड भी मात्रात्मक से गुणात्मकता की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। [100] अंतिम विश्लेषण में हम यही पाते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक संगठन की सामर्थ्य अब भौतिक साधनों से नहीं आँकी जाएगी बल्कि उसके निष्पादन [125] पर आधारित होगी। कृषि अनुसंधान में प्रभाव मूल्यांकन अभी तक अनुसंधान में किए गए निवेश और नई तकनीकों के प्रसार और अंगीकरण के आर्थिक लाभों [150] को लेकर ही मुख्यतया आँके गए हैं। प्रभाव मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कृषि अनुसंधान के अंतिम सुफल प्राप्त करने में आर्थिक नीतियों [175] और प्रौद्योगिकी की परस्पर क्रिया का क्या प्रभाव पड़ा। जिस समय अनुसंधान नियोजित किया जा रहा है या प्रायोजना क्रियान्वित की जा रही है, उसी [200] समय मूल्यांकन कर लिया जाए तो नीति निर्माताओं को अनुसंधान की भावी दिशाएँ खोजने में सहायता मिलती है। अतः इस बात की तीव्र आवश्यकता है कि [225] राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में उसकी क्षमताओं को आँकने के लिए आंतरिक समीक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए ताकि प्रभाव मूल्यांकन की अंतर्निहित [250] व्यवस्था मजबूत बने। इस तरह के अभ्यासों से अनुसंधान कार्यक्रमों में व्याप्त रिक्तियों की पहचान होगी और कार्यक्रम की कमजोरियों को दूर करके, [275] जहाँ जरूरी है वहाँ काट-छाँट या मजबूत बनाने का निर्णय लिया जा सकेगा। इसके साथ ही उपलब्धियों और बाधाओं का सही विवेचन [300] करने तथा खेतों तक पहुँचाने के लिए तैयार तकनीकों को पहचानने में मदद मिलेगी।

कृषि के फलस्वरूप आए व्यापक परिवर्तन का प्रभाव बहुत [325] स्पष्ट है, जैसे कि (क) सन् 1961 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की कुल उपलब्धता 468 ग्राम थी जोकि 55 साल बाद सन् 2001 [350] में 40 प्रतिशत बढ़कर 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो गई। 101 करोड़ की आबादी को देखते हुए यह उपलब्धि थोड़ी [375] नहीं है, (ख) भूख और खपत के बीच की असमता को समाप्त करना, (ग) समाज के सभी वर्गों को सामर्थ्य के अनुसार उचित [400] दामों पर राशन उपलब्ध कराना, और (घ) विविध कृषि उत्पादों और प्रशोधित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। अनाज और खाने के तेल [425] के निर्यात में कमी से विदेशी मुद्रा की बचत को अलग करते हुए भी कृषि क्षेत्र से निर्यात की राशि गत वर्ष 100 अरब रुपये [450] की सीमा को पार कर गई। इन उपलब्धियों के बावजूद और माँग में वृद्धि को देखते हुए कृषि उत्पादन की ओर से आपूर्ति में भी [475] वृद्धि का वही स्तर बनाए रखते हुए भी हम अपनी भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की ढील नहीं दे सकते। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 66

महोदय, **उदाहरण के लिए खाद्यान्न** में आत्मनिर्भरता का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए भी **हमें यह सुनिश्चित करना होगा** कि हर साल खाद्यान्न [525] **में कम से कम** 70 लाख टन की वृद्धि **बराबर** होती रहे । वर्तमान में **अनेक प्रकार की** बाधाओं को देखते हुए **यह स्वाभाविक ही है** [550] **कि** हम अपने भीतर झाँककर इस प्रश्न का उत्तर खोजें कि क्या अगले दो दशकों में उत्पादन वृद्धि की वर्तमान दर को बनाए [575] रखने और इसी **रफ्तार** से बढ़ाए रखने की **संभावनाएँ** उपलब्ध **हैं** अथवा नहीं । **इसके साथ ही** हमें **इस बात पर** भी **विचार करना** [600] **होगा कि** हमारे अनुसंधान का आधार क्या इतना मजबूत है कि इन भावी **चुनौतियों** का टिकाऊ आधार पर **सामना कर सकें** । **भारत सरकार** की नई [625] **कृषि नीति** को देखें तो उसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि ग्रामीण भारत में खाद्य और पोषण **सुरक्षा** बराबर बनी रहे, आमदनी बढ़ाने और [650] **रोज़गार** के अवसर बढ़ते रहें । **इस दृष्टि से** टिकाऊ कृषि और **ग्रामीण** विकास **के लिए अल्पकालिक** और **दीर्घकालिक** ऋण नीतियाँ कुछ इस प्रकार [675] की होनी चाहिए । खाद्य उत्पादन **में पौध प्रारूप** को **सुधार कर** विकसित की गई गेहूँ और धान की अधिक उपजशील किस्मों और मक्का, ज्वार [700] तथा बाजरा में **संकर ओज** का उपयोग करके ही विशाल प्रगति की गई । लेकिन अब भी इन फसलों की **उन्नत किस्मों की** आनुवंशिक [725] संभावनाओं का पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं तो किसानों के खेतों पर और **प्रयोगशालाओं** के खेतों पर उपज के स्तर में इतना [750] भारी फर्क देखने को नहीं मिलता । उदाहरण के लिए **मध्यम अवधि** वाले बौने धान की किस्में छह टन प्रति हैक्टर तक पैदावार दे सकते [775] हैं, जबकि **सिंचित क्षेत्रों** में इन किस्मों की औसत उपज तीन टन प्रति हैक्टर भी नहीं है । इससे साफ पता चलता है कि [800] बौने धान की उपज **संभावना** का केवल 40 से 50 प्रतिशत इस्तेमाल किया गया । **यही बात गेहूँ, ज्वार और** बाजरा पर भी लागू होती है । [825] यदि उपज को **अस्थिर** बनाने वाले कारकों को पहचान कर उनका **सुधार कर दिया जाए** तो इस समय उपलब्ध किस्मों का ही उपयोग करके [850] अगले **वर्षों में ढाई करोड़ से तीन करोड़ टन अतिरिक्त** खाद्यान्न पैदा **किया जा सकता है** ।

जहाँ तक बाधाओं की बात है, **जैविक** [875] और **अजैविक** दबाव 30 से 35 **प्रतिशत** तक उपज **तबाह** कर देते हैं । यदि किस्मों और संकरों में बाधा का वांछित स्तर दिया जाए और [900] समेकित कीट प्रबंध की **तकनीकें** अपनाई जाएँ तो यह हानि काफी हद तक कम की जा सकती है । पोषक तत्वों के **असंतुलित** और कम मात्रा [925] में उपयोग करने, अनुचित किस्मों को चुनने और घटिया बीज के कारण भी उपज की बहुत हानि होती है, जिसे **कम किया जा सकता है** । [950] इस तरह उपज का **अधिकतम** स्तर **प्राप्त किया जा सकता है** । हाल ही के वर्षों में जहाँ नई तकनीकें नहीं पहुँची हैं, वहाँ उनका [975] प्रसार करके **आशातीत** सफलताएँ मिली हैं। **उदाहरण के लिए** पूर्वी राज्यों में 'बोरो' यानी बसंत के मौसम में धान के क्षेत्र में विस्तार हुआ है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 67

महोदय, मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग जो आदिम जातियों के हित में अपने-अपने तरीकों से कार्य करने में रत 25 रहे हैं और जिन्हें आदिमजातियों की सेवा करने का प्रयास करने वालों के सामने आने वाली समस्याओं से अब तक काफी परिचय हो गया है, 50 आज इस सम्मेलन में इस विचार से समवेत हुए हैं कि इस महान समस्या पर सम्मिलित रूप से विचार किया जा सके और आदिमजातीय लोगों 75 की सेवा के लिए एक समन्वित योजना तैयार की जा सके। भारत के संविधान ने देश की सरकार का यह अनिवार्य कर्तव्य विहित कर दिया 100 है कि वह इस समस्या पर विशिष्ट ध्यान दे। अपने इस अनिवार्य कर्तव्य का पालन करने के लिए सरकार ने इस कार्य की देख-भाल 125 हेतु एक विशिष्ट पदाधिकारी नियुक्त किया है। आप सब लोग श्री लक्ष्मीदास श्रीकांत को जानते हैं। आदिमजातियों के हितार्थ कार्य करना उनके 150 जीवन का उद्‌देश्य है और अब तक रहा है। किंतु यह समस्या इतनी उलझी हुई और जटिल है कि इसके लिए अनेक विचारवान व्यक्तियों 175 के सहयोग की आवश्यकता है और इसलिए आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं जिससे आप इस समस्या के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट 200 करने तथा इसको शीघ्र सुलझाने के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण अंशदान कर सकें।

भारत में अनुसूचित आदिमजातियों के नाम से 225 ज्ञात लोगों की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। वे समस्त देश में फैले हुए हैं किंतु उनकी जनसंख्या का बड़ा भाग बिहार, बंबई, 250 उड़ीसा, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्यभारत, मद्रास और राजस्थान के राज्यों में है। उनसे संबंधित अनेक समस्याएँ हैं जिनका सहानुभूतिपूर्ण और 275 समझ-बूझ से हल करना आवश्यक है। वे देश की अन्य जनसंख्या से बहुत बातों में भिन्न हैं। उदाहरणार्थ उनकी भाषाएँ विभिन्न हैं, 300 उनके रीति-रिवाज भिन्न हैं, उनके रहन-सहन का तरीका अलग है और साधारणतया यह कहा जा सकता है कि वे इन 325 विभेदों के कारण अन्य लोगों से सहज में ही अलग पहचाने जा सकते हैं। परस्पर भी वे लोग एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। 350 विभिन्नताओं के कारण उनकी समस्या को सुलझाना कठिन हो जाता है। वे देश के अनेक भागों में जंगल भरे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं 375 और इसलिए उन तक पहुँचना सरल बात नहीं है। इस कारण भी वे समाज के अन्य लोगों से न्यूनाधिक अलग बने रहे हैं। 400 यह स्वाभाविक है कि वे लोग शिक्षा में अन्य लोगों से पिछड़े हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है। कुछ स्थानों में 425 तो उन्होंने खेतीबाड़ी आरंभ कर दी है किंतु अनेक स्थानों में वे अभी स्थायी दृष्टि से कृषक नहीं हो पाए हैं। वे जो कुछ 450 खेती-बाड़ी करते हैं वह भी बहुत ही पुराने युग की सी है। उनके यहाँ कातने-बुनने की किस्म के कुछ कुटीर-उद्‌योग हैं 475 और कुछ आदिमजातियाँ तो बुनावट में बड़ी ही सुंदर डिजाइन डाल लेती हैं। ये साफ-सुथरे और खूबसूरत बने हुए घरों में रहते हैं। 500

प्रतिलेखन संख्या - 68

महोदय, सामान्यतः जीवन की आधुनिक सुविधाओं में से उन्हें कोई भी प्राप्त नहीं है। संसार के विभिन्न देशों में ईसाई धर्म प्रचारकों तथा संस्थाओं ने [525] उनमें काफी काम किया है । उन्होंने उनमें शिक्षा का प्रसार किया है और उनकी रहन-सहन की स्थिति में भी सुधार करने में [550] काफी सहायता की है । ईसाई धर्म प्रचारक उन्हें ईसाई बनाने में भी सफल हुए हैं। आस-पास की जनसंख्या में घुलमिल [575] जाने की एक अन्य अज्ञात और संभवतः अदृष्ट क्रिया भी बराबर चलती रही है और विशेषतया जिन प्रदेशों में वे रहते हैं उनके छोर [600] वाले क्षेत्रों में आज भी ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनमें से अनेक किसी न किसी समय वहाँ की आदिमजातियों की जनसंख्या [625] के भाग अवश्य रहे होंगे। किंतु वे लोग उस प्रदेश के समाज में इस प्रकार आत्मसात हो गए और घुलमिल गए हैं कि [650] अब यह संभव नहीं कि उन लोगों को वहाँ के अन्य लोगों से अलग पहचाना जा सके । मेरा अपना यह विश्वास है कि आदिमजातियों [675] और अन्य भारतीयों के बीच बहुत काफी रक्त अभिमिश्रण हुआ है और यदि कोई यह कहे कि उदाहरणार्थ तथाकथित बिहार के हिंदुओं की [700] उच्च जातियों में से अनेकों में ऐसा अभिमिश्रण नहीं हुआ है तो वह सचमुच में ही अनुचित साहस करने का दोषी होगा। ऐसे लोगों [725] का अभाव नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों के शिक्षा में पिछड़े होने के कारण इनका शोषण करने में रुकते नहीं । [750] अतः हमें जिस समस्या को बड़े पैमाने पर हल करना है वह यही है कि हम ऐसी सुविधाएँ पैदा करें जिनसे ये आदिमजातियाँ शिक्षा [775] और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अन्य लोगों के स्तर पर आने में समर्थ हो सकें ।

प्रश्न यह उठता है कि हम उनके लिए [800] किस प्रकार की उन्नति और प्रगति चाहते हैं । क्या यह वांछनीय नहीं है कि उन्हें ऐसी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ जिनसे वे अपनी [825] रीति-रिवाज़ों, रहन-सहन और संस्कृति को बनाए रखकर भी अपना आर्थिक और अन्य प्रकार का विकास कर सकें ? चाहे जो कोई भी तरीका [850] अपनाया जाए, एक बात तो मान ही लेनी है और हर हालत में उस पर चलना है । वह यह है कि धर्म, भाषा, रहन-सहन, [875] अथवा रीति-रिवाज़ों की दृष्टि से उन पर किसी चीज को लादने का विचार या अभिप्राय न तो हो सकता है और न होना ही [900] चाहिए । यह बात बिलकुल न्यायसंगत नहीं हो सकती कि हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी उन पर लादें । मेरा अपना विचार है [925] कि हमें उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक जीवन में साधारण दृष्टि से सुधार के लिए उन्हें सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए और यह बात [950] उन पर छोड़ दी जाए कि वे अपने चारों ओर के समाज से घुलमिल जाना चाहते हैं अथवा अपना [975] अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। अपने यहाँ की रहन-सहन की विभिन्नताओं के कारण भारत में आदिमजातियों के लिए इस बात के लिए पर्याप्त अवसर है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 69

सभापति महोदय, स्त्री के शोषण से **उद्वेलित** और उसके आर्थिक तथा सामाजिक हितों की रक्षा में सभी लोग आज यह मानकर चल रहे 25 हैं कि भारतीय स्त्री के चारों ओर यदि कानून का ऊँचा घेरा **डाल दिया जाए** तो वह बहुत कुछ सीमा तक शोषण से मुक्त 50 तथा सुरक्षित हो जाएगी । **यकीनन** कानून की सत्ता के प्रति इनकी गहरी आस्था **यह संकेत देती है कि** अनेक कानूनी अधिकारों से वंचित 75 **होने के कारण** ही भारतीय स्त्री **उत्पीड़ित** और शोषित है । इनके पास उनकी बहुत-सी समस्याओं का सीधा-सादा समाधान है : कानून 100 **के रामबाणों** का निर्माण । इन रामबाणों के हाथ में आते ही भारतीय स्त्री **सबल और सक्षम** हो जाएगी । कानून की शक्ति के प्रति 125 इनका विश्वास इस **तथ्य के बावजूद** भी है कि अब तक जितने कानून बने हैं, **यथार्थ** और व्यवहार के धरातल पर, **आमतौर से** 150 काठ की तलवार ही साबित हुए हैं । काठ की तलवार तभी तक **भयभीत कर सकती है** जब तक उसे दूर से **चमकाया** 175 **जाता है** या उसे **आजमाया** नहीं जाता । इसके भरोसे जो **स्त्री संघर्ष** में विजयी होने का स्वप्न देखती है, उसे यह स्वप्न 200 बहुत महँगा पड़ता है । कानून की पुस्तकों में बताए अधिकारों को जीवन के यथार्थ में **उतारने** के साधन सामान्य भारतीय स्त्री के पास नहीं हैं । 225 जो मुट्ठी खाली है, कानून भी उस मुट्ठी के बाहर रहता है । **इसके साथ** समय और शिक्षा का अभाव और जुड़ जाता है । 250 भारतीय स्त्री की लाचारी मूलतः साधनों की लाचारी है । इसलिए उसके पक्ष में बनाए गए कानून भी उसके जीवन को नई 275 दिशा देने में तब तक **असफल** ही रहेंगे जब तक भारतीय स्त्री **साधनसंपन्न** नहीं हो जाती ।

शोषण के कई मामले ऐसे भी हैं जिनसे 300 भिड़ने का रास्ता कानून के पास भी नहीं है । **अविवाहित** स्त्री का परिवार द्वारा सम्मिलित शोषण इस प्रकार के शोषण का सबसे अप्रिय 325 उदाहरण है । दिलचस्प बात यह है कि इसमें शोषण पुरुष समुदाय के साथ-साथ स्त्री का योगदान लगभग **बराबर** का ही होता है । 350 आज़ादी के बाद के दशकों की तुलना हम आज करें तो एक नए समाज का रूप उभरकर सामने आता है । शहरी **निम्न मध्यम वर्ग** 375 और कुछ सीमा तक मध्यम वर्ग में भी शिक्षित अविवाहित स्त्रियों की संख्या लगातार **बढ़ती जा रही है** किंतु इस वर्ग में अविवाहित स्त्रियों 400 की बढ़ती संख्या को नारी मुक्ति के साथ जोड़ना **सरासर** गलत होगा । यह नारी मुक्ति का नहीं, उस पर हो रहे एक नए प्रकार के 425 शोषण का प्रमाण है । आज इस वर्ग के **माता-पिता** का अपनी कमाऊ बेटी के पीले हाथ करने के प्रति उत्साह **घटता जा रहा है** । 450 वे उसे **हर तरह से** अविवाहित रहने को **प्रेरित करते हैं** । जहाँ प्रेरणा पर्याप्त नहीं होती वहाँ **युक्तियाँ भिड़ाकर** उसे अविवाहित रखा जाता है । 475 **हालाँकि** बहुत-सी लड़कियों ने खुद अविवाहित रहना एक **जीवनशैली** के रूप में चुना है और अपने **रहने के लिए** एक अलग ठिकाना भी बनाती हैं । 500

प्रतिलेखन संख्या - 70

सभापति महोदय, इस कारण परिवार वाले उस पर हावी नहीं हो पाते । ऐसी **अविवाहित** स्त्री अपने **आचरण** की **संहिता** भी स्वयं गढ़ती है । यहाँ केवल [525] उन अविवाहित स्त्रियों की ओर **संकेत किया जा रहा है** जिनको परिवार ने किसी **स्वार्थवश किसी भी प्रकार के** जीवन का चुनाव [550] करने का अवसर नहीं दिया है जो **माँ बाप** द्वारा तय किए गए जीवन को ही जीने को मजबूर हैं । बहुत-से **अभिभावक** सामाजिक [575] रूप से काफी प्रगतिशील हो गए हैं । उन्हें **यह स्वीकार नहीं है कि** धन कमाने वाली बेटी को 'पराया धन' मानकर किसी पराए के [600] साथ घर से विदा कर दिया जाए । अपनी कमाऊ बेटी को अपनी ही बनाए रखना उनका ध्येय बन गया है । इस ध्येय तक [625] **पहुँचने के लिए** वे **प्रशंसा** बाणों का सहारा भी लेते हैं "वैसे तो सब **नालायक** हैं, पर बेटी बहुत जिम्मेदार है ! हमे अकेला छोड़ने [650] को **तैयार नहीं है** । इसलिए शादी का नाम लेते ही गुस्सा हो जाती है । हमारी बेटी तो बेटों से **बढ़कर** है, सारा [675] उसी पर टिका है ।" जिम्मेदार होने का आला खिताब पाने के बाद बेटी का **तन–मन–धन** से माता-पिता की सेवा में **समर्पित हो** [700] **जाना स्वाभाविक है** । इसमें उसे **नैतिक रूप से** भाइयों से आगे निकल जाने का मानसिक संतोष भी मिलता है । **प्रशंसात्मक** ऐसे जुमले वास्तव में [725] एक **मनोवैज्ञानिक अस्त्र** का **काम करते हैं** । अपनी हर **आज्ञा** मनवाने वाले माता-पिता बेटी के जीवन के अहम प्रश्न पर उसकी तथाकथित [750] इच्छा के आगे **नतमस्तक** हो जाते हैं । बेटी की ऐसी इच्छा में उन्हें विद्रोह की गंध नहीं आती । अत: ऐसे में किसी प्रतिवाद या [775] **भर्त्सना** का प्रश्न भी नहीं उठता है । इस विद्रोह को जग जाहिर करके वे एक गहरे गौरव का **अनुभव करते हैं** । अविवाहित स्थिति को [800] स्वीकार करके बेटी अपने शरीर के नकार को भी **स्वीकार कर लेती है** ।

भारतीय परंपरा में शरीर के **नकार** का **ऊँचा स्थान** है । [825] शरीर का यही नकार संतो की सबसे बड़ी पहचान है । संतों का **अनुसरण** करके बेटी माँ-बाप का यश बढ़ा देती है, [850] विवाह के लिए बेटी की **अनिच्छा के सार्वजनिक** प्रचार के पीछे एक **विशेष उद्देश्य** छिपा रहता है, माता-पिता का अपनी सार्वजनिक आलोचना से बचाव । [875] उन्हें इस बात का भी पूरा भरोसा है कि उनके सार्वजनिक प्रचार के प्रतिवाद में बेटी अपने होठ नहीं खोलेगी । खुल कर शादी [900] की इच्छा व्यक्त करना, इस वर्ग की शहरी **लड़कियों के लिए** भी उतनी ही **लज्जाजनक** बात है जितनी गाँवों में रहने वाली लड़कियों [925] के लिए है । विवाहित स्त्री का गौरव यदि **पतिव्रता** होने में है तो अविवाहित स्त्री का **परिवार-व्रता** होना ठहरा दिया जाता है । [950] परिवार-व्रता को अपना आचरण किन नियमों के अनुसार ढालना चाहिए, ये सब माता-पिता द्वारा रचित **आचार संहिता** में विस्तार से दर्ज **कर दिया जाता है** [975] जैसे पतिव्रता पर-पुरुषों पर दृष्टि नहीं डालती है, वैसे ही परिवार-व्रता परिवार से परे पुरुषों को **कोसों** दूर रखने को बाध्य है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 71

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गंगा नहर शताब्दी महोत्सव के उद्‌घाटन के लिए मैं यहाँ आ सका । यह नहर भारत की वर्तमान नहरों [25] में शायद सबसे पुरानी है । इस नहर से इस क्षेत्र के लोगों को जो अनेक लाभ पहुँचे हैं और अनाज तथा बिजली के उत्पादन [50] से यहाँ जिस संपन्नता के युग का आरंभ हुआ है, उसके कारण नदियों की उपयोगिता में जनसाधारण का परंपरागत विश्वास और भी दृढ़ [75] हुआ है । इस देश में नदियों को सदा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है । आज भी हम नदियों को सिंचाई का और इसके द्‌वारा [100] धनधान्य की उत्पत्ति का सर्वोत्तम साधन मानते हैं और उन्हें यातायात का साधन भी समझते हैं। आधुनिक विज्ञान ने नदियों की उपयोगिता में कुछ [125] और वृद्‌धि कर दी है जिसमें सबसे प्रमुख जलप्रपात द्‌वारा विद्‌युत शक्ति का उत्पादन है । हमारे देश में नदियों का जाल बिछा हुआ [150] है । मैं समझता हूँ कि सिंचाई की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान दूसरा है । केवल एक देश ही हमसे आगे बढ़ा है । [175] भारत की जनता के लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि नहरों की इस शृंखला का श्रीगणेश इस देश में गंगा की नहर से हुआ । [200] पुनीत पावन गंगा जो एक प्रकार से हमारे प्राचीन साहित्य और पौराणिक विचारधारा का आधार रही है और जो आज भी भारतीय साहित्य तथा भारतीयों [225] के सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाज़ों पर छाई हुई है, हमारे इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है । अब से हजारों वर्ष पूर्व भी यहाँ [250] के लोग गंगा को पावनता का स्रोत और वरदानदात्री मानते थे । इसीलिए आज यदि वास्तव में भारत के सबसे बड़े राज्य [275] के एक भाग ने अपनी संपन्नता गंगा की नहर से प्राप्त की है, तो हम यही कह सकते हैं कि पुरातन विचारधारा इतिहास के रूप [300] में प्रकट हुई है । यह तथ्य चाहे एक संयोग-मात्र ही हो, किंतु हम सबके लिए निश्चय ही इसका महत्व है ।

संभव है [325] कुछ लोग सोचें कि सौ वर्ष पुरानी किसी घटना को इस प्रकार सामने लाकर उत्सव के रूप में मनाने का क्या अभिप्राय है । ऐसी शंका [350] का आधार मानव स्वभाव से अनभिज्ञ और प्रेरणा के एक महत्वपूर्ण स्रोत को ग्रहण न करने की इच्छा ही हो सकता है । बीती बातों पर [375] विवेकपूर्ण विचार का अपना ही महत्व है । इसके द्‌वारा ही क्रमागत उन्नति संभव है । इसीलिए अतीत की सफलताओं को भावी प्रगति की [400] नींव माना जाता है । आप मुझसे सहमत होंगे कि गंगा नहर मानव-कल्याण और वैज्ञानिक विकास, दोनों की दृष्टियों से एक महान सफलता है । [425] आज जबकि हम इस सफलता की शताब्दी मना रहे हैं तो अनिवार्य रूप से इससे हमें स्फूर्ति और प्रेरणा मिलती है । इस अवसर पर [450] हमें उन इंजीनियरों के प्रति भी आभार प्रगट करना चाहिए जिनके परिश्रम और सतत प्रयास के कारण ही यह योजना फलीभूत हो सकी । [475] आज हमें कर्नल कोटले और उनके साथी विदेशी महानुभावों का स्मरण होता है जिन्होंने निजी प्रयत्नों से इस कठिन कार्य को संपन्न किया । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 72

उपाध्यक्ष महोदय, आज यहाँ गंगा के पुल का **शिलान्यास** करते हुए मुझे **बड़ी प्रसन्नता हो रही है** । बिहार में गंगा पर यह पहला पुल होगा [525] और मैं भली **प्रकार** जानता हूँ कि इस राज्य के **लोगों के लिए** यह कितना बड़ा वरदान है और इसके द्वारा कितनी बड़ी आवश्यकता [550] की पूर्ति होगी । मैं इसी राज्य का रहने वाला हूँ और अपने **सार्वजनिक जीवन** में मुझे **बराबर** इस राज्य के सभी भागों का दौरा करने [575] का अवसर मिला है । इसलिए मैं निजी अनुभव से **कह सकता हूँ कि** इस पुल के निर्माण से बिहार के लोगों को **विशेष रूप** [600] **से** और देश के लोगों को **साधारण रूप से** अनेक सुविधाएँ प्राप्त होंगी । बिहार के मध्य से होकर गंगा **प्राचीनकाल** से बहती आ रही [625] है और आरंभ से ही इसके कारण यह राज्य दो भागों में विभक्त रहा है जो मिथिला और मगध के नाम से प्रसिद्ध थे । [650] प्राचीन काल में जबकि **यातायात** के साधन इतने उन्नत नहीं थे और लोगों को **प्रायः** महीनों तक लंबी यात्रा करनी पड़ती थी और जब [675] भारत के सभी भूभागों में **आत्मनिर्भरता** अर्थव्यवस्था का आधार थी, उस समय **संभव** है इस प्रदेश में गंगा पर पुल का [700] अभाव इतना न खलता हो । परंतु आज के युग में विज्ञान के **आविष्कार** स्थान तथा दूरी पर विजय पा चुके हैं और यातायात के **गतिमय** [725] साधनों का बहुत महत्व है । इसलिए उत्तर तथा दक्षिण बिहार के बीच सीधा रेल तथा सड़क मार्ग न होना निश्चय ही बहुत बड़ी असुविधा [750] है । बिहार के इन दोनों भूभागों की **अर्थ-व्यवस्था** ऐसी है कि अपने पूर्ण विकास के लिए एक भाग दूसरे पर निर्भर करता है । [775] उत्तर बिहार **कृषि-प्रधान क्षेत्र है** और वहाँ गन्ना तथा **खाद्यान्न** भारी परिमाण में होते हैं, किंतु दक्षिण बिहार कोयला, लोहा, तांबा, अभरक, **सीमेंट** आदि [800] खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं पदार्थों द्वारा **आधुनिक उद्योगों** की **मौलिक आवश्यकताएँ** पूरी होती हैं । यातायात के साधन **दोषपूर्ण** होने के कारण [825] उत्तर बिहार के विकास पर **हानिकारक** प्रभाव पड़ा है । **क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि** धनबाद से दिल्ली कोयला पहुँचाना गंगा के [850] उस पार उत्तरी बिहार के जिलों में पहुँचाने की अपेक्षा कहीं अधिक सरल है ।

इस **शताब्दी** के आरंभ में इन **असुविधाओं** का अनुभव किया जाने [875] लगा और तभी **मोकामाघाट** के निकट नाव द्वारा यात्री और सामान इधर-उधर ढोने के स्थान पर गंगा पर पुल बनाने की चर्चा **होने लगी** । [900] गंगा के दोनों ओर दो विभिन्न **रेल कंपनियों** की गाड़ियाँ चलती थीं। इन कंपनियों का दृष्टिकोण **विशुद्ध रूप** से व्यापारिक था । इसलिए लोगों [925] की सुविधा अथवा देश के यातायात साधनों के विकास की अपेक्षा वे अपने लाभ और **साझेदारों** के लाभ को अधिक ऊँचा स्थान देती थीं । **यही** [950] **कारण है** कि पुल के संबंध में **यद्यपि** 40 वर्ष तक **सोच-विचार** होता रहा किंतु दूसरे विश्व युद्ध तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका । [975] जब कभी यह प्रश्न रेल अधिकारियों के सामने आया, इस पर रेल कंपनियों के साझेदारों के लाभ-हानि की दृष्टि से ही **विचार किया गया** । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 73

महोदय, **मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि** जो बड़े-बड़े काम हमारे सामने हैं, उन्हें करते समय आप भारत के इस प्राचीन तथा **चिर-नवीन** 25 संदेश को याद रखेंगे और छोटे **उद्देश्यों** की तुलना में राष्ट्र और मानवता के हित की ओर अधिक ध्यान देकर सहकारी **प्रयास की भावना** से 50 कार्य करेंगे । हमें भारत की एकता का, अर्थात् अपने भावी भाग्य **निर्माण के लिए प्रयत्नशील स्वतंत्र** लोगों की एकता का निर्माण करना है । इसलिए 75 हमें उन सब **प्रवृत्तियों** को, जो इस एकता को **क्षीण** करती हैं तथा हम लोगों में एक दूसरे के बीच दीवारें, **सांप्रदायिक** दीवारें, 100 **प्रांतीयता** की दीवारें और **जातपाँत** की दीवारें खड़ी करती है, **खत्म कर देना है** । अनेक राजनीतिक और **आर्थिक विषयों** पर मतभेद होगा और होना 125 भी चाहिए, किंतु यदि भारत और उसके लोगों का हित ही हमारा प्रधान उद्देश्य हो और हम इस बात को समझें, जैसा कि 150 **हमें समझना ही चाहिए**, कि इस हित की प्राप्ति **पारस्परिक सहयोग** और **लोकतंत्रात्मक** रीतियों से ही की जा सकती है तो ये मतभेद हमारे 175 **सार्वजनिक जीवन** को **समृद्ध** ही करेंगे । मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसी दृष्टिकोण से देश की **समस्याओं** को हल करें और 200 संसार के अन्य देशों के साथ **निर्भयतापूर्वक** और मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करें । आज सारा संसार किसी आने वाली विपत्ति के भय से **भयभीत** 225 है । किसी व्यक्ति अथवा किसी राष्ट्र का **उत्कर्ष** भय से नहीं होता, वह तो जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, केवल **अभय** से 250 ही हो सकता है।

हमने संसार के सभी देशों के साथ **बराबर** मैत्री की नीति बरती है और **यद्यपि** कभी-कभी इसके बारे 275 में **भ्रांति** हुई है तो भी इस नीति को दूसरे लोग **अधिकाधिक** समझने लग गए हैं और इसका परिणाम भी अच्छा हुआ है । 300 **मुझे विश्वास है कि** हम इस नीति का दृढ़ता से पालन करते रहेंगे और आज संसार के **अधिकांश** भागों में जो तनातनी है, इस प्रकार 325 उसको कुछ कम करने का प्रयास करेंगे । **भारत सरकार** दूसरे देशों के मामलों में **हस्तक्षेप नहीं करना चाहती** क्योंकि हम अपने देश में 350 दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते । जहाँ कहीं संभव हुआ है, हमने सहयोग से ही काम लिया है और हम शांति-स्थापना में सहायता 375 **देने के लिए** सदा तत्पर हैं। हम अपनी सहायता का भार किसी पर लादना नहीं चाहते किंतु **हम इस बात को समझते हैं** 400 **कि** आज के संसार में कोई भी देश बिल्कुल अलग होकर नहीं रह सकता और यह **अनिवार्य** भी है कि **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** बढ़ता रहे 425 ताकि सुदूर भविष्य में मानव जाति की **उन्नति के लिए** संसार के सारे राष्ट्र महान सहकारी प्रयास में सम्मिलित हो जाएँ । प्रायः एक वर्ष से 450 कोरिया में विराम संधि स्थापित करने का **प्रयत्न किया जा रहा है** जिससे उन बहुतेरी समस्याओं को, जिन्होंने सुदूरपूर्व एशिया में 475 **उथल-पुथल** मचवा रखी है, शांतिमय ढंग से निबटाया जा सके । मैंने कई बार यह आशा प्रकट की है कि ये प्रयत्न सफल होंगे । 500

प्रतिलेखन संख्या - 74

महोदय, आज जितनी तेजी के साथ लोगों के ख्यालों में तबदीली हो रही है उससे इंसान यह महसूस करने लगा है कि वह जो [525] चाहे कर सकता है और करा सकता है । मगर वह करने और कराने की ताकत क्या है ? वह एक दिन के अंदर कोई एक शहर [550] ही नहीं सैकड़ों इलाकों को बर्बाद कर सकता है । अभी तक किसी आदमी के हाथ में बर्बाद करने की ताकत के अलावा पैदा करने की [575] ताकत नहीं आई है । हो सकता है कभी वह ताकत भी आ जाए । पर आज बर्बाद करने की ताकत है, पैदा करने की ताकत नहीं । [600] गांधी जी जिस समाज का स्वप्न देखा करते थे वह एक ऐसा समाज था जिसमें सब लोग खुशहाल होंगे और किसी को किसी दूसरे को [625] सताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंसान, इंसान रहेगा । वह न तो शैतान बनने की कोशिश करेगा और न खुदा बनने की । वह चाहते थे [650] कि मनुष्य के लिए चारों तरफ से जो हदें बांधी गई हैं, उन्हीं के अंदर रहकर जितनी हो सकती है वह अपनी उन्नति करें [675] पर उन हदों के बाहर न जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज साइंस की काफी तरक्की हो गई है, पर किस ओर ? आज रोगों [700] की परीक्षा के तरीकों में बहुत कुछ तरक्की हो गई है और साथ ही साथ रोगों में भी तरक्की होती जा रही है । इस दौड़ [725] का एक ही नतीजा हो सकता है कि हजारों की तादाद में रोगियों की संख्या बढ़ती जाए । जहाँ सिर्फ नाड़ी देखकर ही सब कुछ [750] पहचाना जाता था, वहाँ आज कम से कम पाँच-सात लेबोरेटरीज़ की जरूरत पड़ती है ।

इसी तरह से जहाँ घर में चरखा चलाकर हम [775] अपना कपड़ा बना सकते थे वहाँ आज हमको रुई दुनिया के एक कोने से लानी पड़ती है । उसे लाने के लिए जहाज, रेल आदि [800] हर तरह के वाहनों की जरूरत पड़ती है । इसके अलावा उसे एक कारखाने से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में भेजना [825] पड़ता है और उसके बाद एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी में । तब कहीं हमारे घर में कपड़ा आता [850] है । जिसको हम पहले आसानी से घर पर तैयार कर लिया करते थे, उसमें अब कितनी देर होती है । मैं यह नहीं कहता कि [875] जो कुछ हुआ है, सब गलत हुआ है क्योंकि ऐसा कहने से लोग समझते हैं कि यह पिछड़ा आदमी है । हम तो यह [900] चाहते हैं कि साइंस के द्वारा आज हमें जितनी अच्छी चीजें मिलनी हैं उनमें से हम एक को भी न छोड़ें और उनसे [925] जो लाभ उठा सकते हैं जरूर लाभ उठाएँ । मगर इसके पहले हम यह सोच-समझ लें कि किस चीज की कीमत क्या है और [950] यह हमें कहाँ तक ले जाएगी और किस ओर । यदि हम इतना समझ-बूझकर करेंगे तो इंसान, इंसान रह सकता है । मैं [975] यही चाहता हूँ कि जो रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी ने बताया वह बहुत अनुभव के बाद इन सब चीजों को परख करके ही उन्होंने निकाला था । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 75

डिप्टी स्पीकार महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझे गांधी भवन के उद्‌घाटन का मौका दिया। महात्मा गांधी ने अपनी 25 जिंदगी में जो कुछ किया वह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए है। हम उनकी यादगार में कोई इमारत 50 खड़ी करके या संस्था बनाकर किसी तरह से अपने काम में बल हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम उनके नाम में स्मारक के 75 रूप में जहाँ-तहाँ कुछ बना रहे हैं। आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ-तहाँ गांधी जी के स्मारक के 100 रूप में इमारतें बनाई जा रही हैं। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हैदराबाद के निवासियों को भी ऐसा ख्याल हुआ कि यहाँ 125 इस प्रकार का स्मारक बनाया जाए। यह सिर्फ एक इमारत ही न रहे बल्कि जैसे सरदार पटेल ने कहा था यह जानदार स्मारक हो। 150 इसका अर्थ यह है कि वह केवल ईंट-पत्थर का न हो बल्कि महात्मा गांधी ने जो हमें सिखाया और बताया था तथा उनके 175 जो विचार थे उनका कोई जीता-जागता रूप यहाँ देखने में आए। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कई बार कहा था कि किसी 200 आदमी के लिए उसका शरीर कोई कीमत नहीं रखता, वह तो मिट्टी का पुतला है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। मगर उसके 225 पास कोई चीज रह जाती है तो एक तरफ उसकी आत्मा और दूसरी तरफ उसके किए हुए अच्छे या बुरे काम। इसलिए 250 उन अच्छे कामों का नमूना हमारे सामने होना चाहिए और आपने यह बहुत अच्छा सोचा कि रचनात्मक काम के बारे में गांधी जी के 275 जो विचार थे, जिन-जिन चीजों में उनको खास दिलचस्पी थी उन चीजों को लेकर आप इस स्मारक में काम करें और जो-जो 300 संस्थाएँ इस तरह के काम में लगी हों यहाँ आप उनको भी जगह दें।

इस भवन में रचनात्मक काम करने वालों के अलग-अलग 325 दफ्तरों के लिए अलग-अलग स्थान रखा गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपका काम दिन-प्रतिदिन बढ़ेगा और गांधी जी का 350 जो चित्र यहाँ बना रखा है, उसकी ओर आपका ध्यान जाएगा। गांधी जी ने हमें जो कुछ सिखाया उसकी तरफ भी 375 आपका ध्यान जाएगा। अपनी जिंदगी में उन्होंने कई बार कहा था कि यदि चरखा चलाने वाले को उस पर विश्वास न हो 400 और उसको वह ठीक से समझ नहीं पाता और केवल उनके कहने से या देखा-देखी चरखा चलाता या खद्दर पहनता है तो 425 काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसका अर्थ तो केवल इतना ही हो सकता है कि जब तक लोग उनको मानते रहेंगे इस काम 450 को करते रहेंगे और जिस दिन वह आँखों से ओझल होंगे उस दिन यह काम बंद हो जाएगा। इसलिए वह कहते थे 475 कि ठीक समझ करके करना चाहते हो तो करो और नहीं तो चरखे को जला दो, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। 500

प्रतिलेखन संख्या – 76

डिप्टी स्पीकर महोदय, उन्होंने अपनी आँखों के सामने समाज का एक **ढाँचा** रखा था और वे चाहते थे कि समाज की **पुनर्रचना** उस नए [525] ढाँचे के अनुसार की जाए । अभी हम उस रास्ते पर **नहीं चल सके हैं** । मैं इस बात को दुख से मगर सच्चाई के साथ मानता [550] हूँ कि समाज का जो रूप गांधी जी ने अपनी आँखों के सामने रखा था हम उसके मुताबिक **नहीं चल रहे हैं** । हमारे सामने [575] एक दूसरा ढाँचा है और हम उस पर चलने का **प्रयत्न** कर रहे हैं । **मैं यह नहीं कहना चाहता कि** उसमें से कौन बेहतर है [600] और कौन बुरा । मैं तो **इतना ही कह देना** काफी **समझता हूँ कि** हम जिस रास्ते पर चलकर आज **आगे बढ़ना चाहते हैं**, वह [625] रास्ता वह नहीं जो हमें उस जगह पर ले जाए जहाँ गांधी जी हमको **ले जाना चाहते थे** । हम अगर उसके ठीक [650] विपरीत रास्ते पर नहीं तो **कम से कम** कुछ अगल–बगल या कुछ दूसरी तरफ तो जरूर जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी [675] आँखें **आहिस्ता–आहिस्ता** खुलें और फिर हम सीधे रास्ते पर आ जाएँ । आज देश में जो रचनात्मक **काम हो रहा है** उसकी मैं बड़ी [700] कीमत इसलिए लगाता हूँ कि फिर कभी हम उस रास्ते पर आ सकेंगे । और अगर हमने इस काम को भी छोड़ दिया तो फिर [725] इधर लौटने की कोई **उम्मीद** नज़र नहीं आती । इसलिए **मैं चाहता हूँ कि** हम इस रचनात्मक काम को पूरे बल और ताकत के साथ [750] आगे **बढ़ाते** जाएँ ।

बहुत जमाना हुआ जब एक अंग्रेज यहाँ आया था । वह बड़ा **विद्वान** था । उनकी किताबें अब भी चल रही हैं । गांधी [775] जी उस समय खादी और **ग्रामोद्योग** की बात चला रहे थे । आप जानते हैं कि **पश्चिमी देशों** में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो [800] बिना **यंत्र** के हो । वहाँ सब काम **मशीनों** के द्वारा किए जाते हैं, यहाँ तक कि मेज पर खाना परोसने का काम भी खुद व [825] खुद हो जाता है और आदमी को लाकर रखने की खास जरूरत नहीं पड़ती । वहाँ के आदमी ने आकर यह देखा कि हमारे यहाँ के [850] लोग घर में बैठे–बैठे **रुई** का सूत बना लेते हैं, उस सूत से कपड़ा बुनते हैं और उसी से घर में कपड़ा सी लेते [875] हैं। उसने यह भी देखा कि यहाँ के लोग इसी प्रकार खेती के काम में भी धान को कूट–पीसकर चावल बना लेते [900] हैं, रोटी और तरह–तरह की चीजें घर में ही बना लेते हैं और खा लेते हैं । हमारी इन सब चीजों को देखकर **उसने** [925] **कहा कि** हम इन चीजों को अपने यहाँ कायम रखें, अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम **नमूने के तौर पर** तो कायम [950] रखें ही । एक दिन आएगा जब दुनिया सब **मशीनों** को छोड़ फिर इसी चक्की का उपयोग करेगी और इसी चरखे पर सूत कातेगी । यह बात मैंने [975] 25–30 बरस पहले की कही है । पिछले **ढाई हजार वर्षों** में साइंस की तरक्की हुई है और पिछले 10–15 वर्षों में तो बहुत ही हुई है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 77

महोदय, **भारतीय उद्योग परिसंघ** के **शताब्दी समारोहों** के अवसर पर यहाँ आकर **मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है** । इस बात का विशेष महत्व है 25 कि ये समारोह **कलकत्ता** में हो रहे हैं । हमारे देश के **औद्योगीकरण** में इस शहर ने **अग्रणी** भूमिका निबाही है । कलकत्ता हमारा पहला औद्योगिक 50 व **व्यापारिक** केंद्र था जहाँ **विशेष रूप से** चाय, पटसन और इंजीनियरी उद्योगों से संबंधित **गतिविधियाँ** केंद्रित थीं । अपनी महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति के कारण 75 यह पूर्वी भारत की प्रगति और **अभिवृद्धि** का मुख्य केंद्र बना रहेगा। हमारी नई नीतियों के **परिणामस्वरूप** जिस नई पहल और 100 प्रेरणा का **प्रादुर्भाव** हो रहा है, उससे **मेरा विश्वास है कि** कलकत्ता शहर का और इस सारे क्षेत्र का **कायापलट** हो जाएगा । 125 मैं आपको बिलकुल अभी हाल में प्राप्त एक महान **सफलता के लिए** भी बधाई देता हूँ और यह इस क्षेत्र के **औद्योगीकरण के लिए** 150 एक बड़ा अच्छा **शकुन** है । चीजें इतनी बदल गई हैं कि कल तक जो विरोधी थे वही आज **रक्षक** बन गए हैं और यह 175 **सचमुच** में बड़ी खुशी की बात है ।

इस खुशी के मौके पर मैं भारतीय उद्योग परिसंघ को बधाई देता हूँ । सन् 1895 में केवल 200 पाँच **इंजीनियरिंग कंपनियाँ** इसकी सदस्य थीं। आज इसमें इतना **बदलाव** आया है कि यह 3,000 सदस्यों वाला एक शीर्ष संगठन बन गया है 225 जिसमें बड़े, मध्यम और छोटे सभी उद्योग शामिल हैं और यह वास्तव में एक **शानदार** सफलता है । आपके संगठन में सभी 250 विविध प्रकार के व्यावसायिक और **औद्योगिक हितों** का समावेश है । आपने यह फासला इतनी सफलता से तय किया है कि अगली दीर्घ यात्रा भी अच्छी 275 तरह पूरी होने की आशा बलवती हो जाती है । जब हम **यात्राओं** की बातें कर रहे हैं, तो **इस अवसर पर** यह विचार 300 करना भी उचित ही होगा कि हम कहाँ पर थे, आज हम कहाँ हैं और हमारा लक्ष्य कहाँ जाने का है । 1991 में हमने 325 जिस गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया था, मुझे उसके विस्तार में जाने की कोई जरूरत नहीं । आज आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, 350 उन सबको उस संकट के बारे में **व्यक्तिगत** और प्रत्यक्ष जानकारी है । **यह भी अच्छी बात है कि** लगता है कि लोग 375 संकट के उन दिनों को भुला बैठे हैं और मानव प्रकृति का **यह बहुत अच्छा गुण है** । इसलिए आइए, यह देखें कि आज हम 400 कहाँ खड़े हैं । जैसा कि आपको भी लगता है कि हमारी **अर्थव्यवस्था** पुनः उठ रही है और **विशेषकर** उद्योग के क्षेत्र में । 425 निर्माण के क्षेत्र में वर्ष के पहले **चार महीनों** में जो **नौ प्रतिशत** की वृद्धि हुई है, वह **निस्संदेह उत्साहजनक** है । चूँकि यह प्रगति 450 बड़ी व्यापक है और **औद्योगिक क्षेत्र** के सभी **खंडों** में हुई है, इससे हमारी **अर्थव्यवस्था** को बड़ा बल मिला है । पिछले तीन 475 वर्षों में उद्योगों की **आधारिक संरचना** में **निरंतर** सतत प्रगति दीख पड़ती है । **उपभोक्ता** वस्तुओं के **निर्माण** में भी लगातार **सुधार हो रहा है** । 500

प्रतिलेखन संख्या - 78

महोदय, आर्थिक पर्यावरण में सब तरफ समायोजन होने लगा है । कृषि के क्षेत्र ने आर्थिक पुनरुत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निबाही है और [525] वास्तव में तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था के बाकी सभी क्षेत्रों को गति मिली है । हमारे खाद्यान्न का भंडार 3 करोड़ टन से [550] अधिक है और हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 20 अरब डालर का है । इससे हमें अपने पर विश्वास भी होता है और [575] आश्वासन भी मिलता है । यह सचमुच 1991 की परिस्थितियों के मुकाबले भारी परिवर्तन है । आज हम जो यह पुनरुत्थान देख रहे हैं, निस्संदेह यह [600] हमारी कड़ी मेहनत और अत्यधिक प्रयासों का फल है । गाँव में किसान ने कड़ी मेहनत की है, कारखानों में मजदूर ने कड़ी मेहनत की है [625] और ऐसे ही मैनेजरों या प्रबंधकों और उद्योग के अग्रणी व्यक्तियों ने की है । 1991 में हमने जिन सुधारों की घोषणा की थी [650] उसे व्यापक स्वागत और समर्थन मिला है और उसी के परिणामस्वरूप यह संभव हुआ है कि हम सब मिलकर देश को [675] संकट से उबार सके । चाहे इसे आप किसी भी स्तर से मापिए, यह एक भगीरथ प्रयास था । अब तक हमें जो सफलता मिली है, [700] उससे हमें उत्साह मिलना चाहिए और हमें नई प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए ।

मैंने यह कई बार कहा है कि किसी भी प्रयास [725] के सफल होने की सबसे पक्की गारंटी यह होती है कि उसके पीछे आम सहमति हो । हमारे सुधार अब तक इसलिए आगे [750] बढ़ सके हैं कि उन्हें व्यापक स्वीकृति मिली है । अब तक मेरा यह प्रयास रहा है, अब भी यही प्रयास है और आगे भी यही [775] प्रयास रहेगा कि इन सुधारों पर आधारित हमारी आर्थिक नीतियों के पैरामीटर को आम सहमति मिलनी चाहिए ताकि यह नीति सच्चे अर्थों में [800] स्थिरता ला सके । आज जब मैं स्थिति का जायजा ले रहा हूँ, तो मुझे यह देख कर प्रोत्साहन मिलता है कि सचमुच में ऐसी ही [825] स्थिति है । मुझे निश्चय है कि सभी राज्य यह चाहते हैं । और यह उनकी आवश्यकता भी है कि तेजी से औद्योगीकरण हो, निजी क्षेत्र [850] में भी । कुछ राज्य सरकारें कभी-कभी केंद्रीय सरकार से इसलिए रुष्ट हो जाती हैं कि वह उन्हें उतना धन नहीं देती जिसकी [875] वे माँग करती हैं। परंतु उनकी नाराज़गी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वे जानती हैं कि केंद्रीय सरकार के पास [900] भी उस प्रकार का धन नहीं होता जिसकी वे माँग करती हैं । वे सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की माँग करती हैं जो उचित भी [925] है परंतु फिर वे अनिच्छापूर्वक इस बात के लिए सहमत हो जाती हैं कि वे उद्योग निजी क्षेत्र में खोले जाएँ और उसके पीछे [950] सबसे बढ़िया कारण यह है कि वे भी जनता के लिए आवश्यक हैं । इस तरह विभिन्न कारणों से इन सुधारों या उनकी भावना [975] के प्रति आम सहमति हो गई है । मैं और किसी चीज की माँग नहीं कर रहा और मैं बिना किसी हिचक के आज यह घोषणा करना चाहूँगा । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 79

महोदय, किसी भी देश या समाज के विकास हेतु शिक्षा अत्यंत सशक्त एवं महत्वपूर्ण साधन है । व्यापक रूप में शिक्षा जीवनपर्यंत चलने वाली ऐसी [25] प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी नैसर्गिक शक्तियों के विकास में सहायता पहुँचाती है तथा उसे अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने की योग्यता [50] प्रदान करती है । साथ ही व्यक्ति को उसके वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करने की योग्यता, ज्ञान एवं कौशल प्रदान करती है । [75] भारतीय संदर्भ में उद्देश्य एवं उपयोगिता की दृष्टि से प्रौढ़ से प्रौढ़ शिक्षा भी इससे भिन्न नहीं है, बल्कि आज की सामाजिक, आर्थिक, [100] राजनीतिक परिस्थितियों में प्रौढ़ शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है । डॉ॰ मुखर्जी ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा के दो महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं [125] प्रथम : प्रौढ़ साक्षरता अर्थात उन प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करना, जिनको विद्यालय में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है । [150] दूसरा : साक्षर प्रौढ़ों की अनवरत शिक्षा ।

भारत एक जनतांत्रिक देश है । जनतंत्र की सफलता के प्रमुख आधार हैं - उसके नागरिकों की [175] साक्षरता, उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा उनमें नागरिकता की समान भावना का विकास । इस दृष्टि से भारत के लिए प्रौढ़ शिक्षा को केवल [200] प्रौढ़ साक्षरता तक सीमित रखना देश के समुचित विकास एवं देश की जनतंत्रीय व्यवस्था के लिए हितकर नहीं माना गया । वैसे भी [225] यह निर्विवाद तथ्य है कि शिक्षा केवल साक्षरता ही नहीं है । हाँ, साक्षरता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग अवश्य है । इस संदर्भ में [250] डॉ॰ विद्यानिवास मिश्र का कथन उल्लेखनीय है कि भारत का व्यक्ति निरक्षर होते हुए भी शिक्षित है । अपनी बात को अधिक स्पष्ट करते [275] हुए उन्होंने कहा है कि - यदि हमारे प्रौढ़ अशिक्षित होते तो सदियों से चली आई हमारी संस्कृति, मर्यादाएँ कैसे बनी रहतीं । डॉ॰ मिश्र [300] के शब्दों में - प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य है - निरक्षर, अर्ध साक्षर या विस्मृताक्षर प्रौढ़ों को पुनः साक्षरता का संस्कार देना साथ ही जीवन [325] क्षेत्र में आवश्यक जानकारी को विशेष बल देना । एक समृद्ध मौखिक परंपरा में हमारा प्रौढ़ शिक्षित है और उसे यदि साक्षर बनाने की योजना [350] बनानी है तो उसके मौखिक परंपरा से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखना होगा ।

एक तथ्य तय है कि - देश की प्रगति के लिए निरक्षर [375] व्यक्तियों को साक्षर बनाने के अतिरिक्त उनका नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भी आवश्यक है । इसी दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक अर्थों में [400] लेते हुए 1948 में श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में नियुक्त समिति के परामर्शों को स्वीकार करके सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा [425] की संज्ञा से अभिहित किया । जनवरी 1949 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के इलाहाबाद में संपन्न 15वें अधिवेशन में भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने [450] प्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा का संदेश देते हुए कहा - प्रौढ़ शिक्षा को केवल व्यक्तियों को साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए । [475] प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत व्यापक रूप से सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रयास करना चाहिए । यह सबसे अच्छा रास्ता होगा और हमें सफलता मिलेगी । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 80

महोदय, इसमें उस शिक्षा को भी **सम्मिलित किया जाना चाहिए** जो प्रत्येक नागरिक को **लोकतांत्रिक व्यवस्था** का **विवेकपूर्ण** सदस्य बना दे । इसी समय [525] से प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा में परिवर्तन हुआ और उसे '**समाज शिक्षा**' के नाम से पुकारा गया। 1949 में मैसूर में संपन्न '**ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा**'[550] के यूनेस्को सेमीनार में **तत्कालीन शिक्षा मंत्री** ने समाज शिक्षा को **स्पष्ट करते हुए कहा था**– समाज शिक्षा से हमारा **तात्पर्य है** – पूर्ण मानव की [575] शिक्षा । यह उसको साक्षरता प्रदान करेगी जिससे कि विश्व का ज्ञान उसे उपलब्ध हो सके । यह उसको **बताएगी** कि वह अपने आपका [600] वातावरण से **अनुकूलन** किस प्रकार करे एवं जिन **प्राकृतिक** दशाओं में वह निवास करता है उसका **सर्वोत्तम** प्रयोग किस प्रकार करे । इसका [625] **अभिप्राय** उसे उत्तम कला कौशलों तथा उत्पादन की विधियों की शिक्षा देना है जिससे कि वह अधिक उत्तम **आर्थिक स्थिति** को प्राप्त कर सके । [650] इसका उद्देश्य उसे व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए **स्वास्थ्य** विज्ञान के प्राथमिक **सिद्धांतों** की शिक्षा देना भी है जिससे हमारा **गृहस्थ** [675] **जीवन** स्वस्थ तथा समृद्ध हो सके । इस शिक्षा को उसे नागरिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे कि उसे **संसार** की बातों का ज्ञान [700] प्राप्त हो जाए और वह अपनी सरकार को उन निर्णयों के निर्माण में सहायता दे सके जो शांति तथा प्रगति में योगदान करें । [725] प्रो० कबीर ने समाज शिक्षा की **परिभाषा** देते हुए लिखा है कि समाज शिक्षा को **अध्ययन** के एक प्रकार के पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित [750] किया जा सकता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में **नागरिकता** की चेतना का उदय और उनमें सामाजिक **समैक्य** की उन्नति करना है । [775]

स्वाभाविक **उपलक्ष्य** के रूप में समाज शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं समाज के सदस्य के रूप में नागरिकता के अधिकारों तथा कर्तव्यों की तीव्र भावना [800] का समावेश करने का प्रयत्न करती है – अब आइए जरा गौर करें कि वर्तमान भारतीय **परिवेश** में प्रौढ़ शिक्षा या समाज शिक्षा प्रयास कितना [825] सार्थक हुआ है । आज से तेईस साल पूर्व सन् 1978 में **साहित्य** परिचय-प्रौढ़ शिक्षा **विशेषांक** के अपने एक लेख में डॉ० चौबे ने प्रारंभ [850] में ही लिखा है जब कोई समाज जातिवाद, वर्गवाद, **क्षेत्रवाद,** गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी तथा असमानता से ग्रस्त रहता है तो उसका विकास अवरुद्ध [875] हो जाता है । ऐसी यही **ग्रस्तता** आज हमारे समाज में, हमारे **क्रियाकलापों** के विविध अंगों में **परिलक्षित** हो रही है । जब तक हम [900] इस ग्रस्तता से मुक्त न होंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं होगा । इस ग्रस्तता से दूर होने के लिए हमें अनेक उपाय करने होंगे। [925] इन उपायों में शिक्षा का स्थान बहुत ऊँचा है । हमारे देश की **अधिकांश** जनता अभी भी साक्षर नहीं हो पाई है । जब तक हम [950] इस **प्रयास में सफल** नहीं होते तब तक हमारी जनतंत्रीय व्यवस्था **खोखली** रहेगी । उल्लेखनीय है कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी [975] स्तर पर स्वतंत्रता के पूर्व से ही प्रयास प्रारंभ **हो गया था** जिसमें आज तक कई मोर्चों पर प्रौढ़ शिक्षा के **प्रचार-प्रसार** का कार्य जारी है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या – 81

महोदय, **संयुक्त राष्ट्रसंघ** के कई **सर्वेक्षणों के आधार पर** यह **तथ्य** सामने आया है कि दुनिया का दो–तिहाई **श्रम महिलाएँ** करती हैं । 25 महिलाओं का आर्थिक योगदान 30 प्रतिशत है, और तिहाई महिलाएँ घरों में **काम करती हैं** । 83 प्रतिशत महिलाएँ खेतिहर मजदूर हैं तथा 50 उनमें अधिकतर **पशुपालन**, दुग्ध संबंधी उद्योगों में **काम कर रही हैं**। आज लगभग 80 प्रतिशत कामगारों में **अधिकांश** महिलाएँ हैं जो अपने 75 घरों में, झुग्गियों के भीतर बैठ कर कताई, रंगाई आदि का भी काम करती हैं । बड़े–बड़े शहरों में अधिकांश महिलाएँ जो **फुटपाथों** 100 पर झुग्गियाँ डालकर अपने बच्चों और आदमी के साथ रहती हैं, सुबह उठ कर अधिकांश घरों या कोठियों में झाड़ू–पोछा लगाना, बर्तन 125 साफ करना, कपड़े धोना आदि का काम करती हैं, इन्हें **नाममात्र** की **मजदूरी** दी जाती है ।

इस प्रकार की महिलाओं की ओर देश का 150 सबसे पहले ध्यान **अहमदाबाद** की **स्वाश्रयी** कामगार सेवा संस्था ने खींचा । इसी संस्था ने पहले बुनकरों कपड़ा, बीड़ी तथा बाँस उद्योग में 175 लगी लाखों **स्त्रियों** के सहकारी संगठन स्थापित किए और उनके लिए एक सरकारी सेवा बैंक की स्थापना की । महिला मुक्तिवाद अंग्रेजी के **फैमिनिज्म** 200 शब्द का **पर्यायवाची** है । इस शब्द की आज तक कोई परिभाषा नहीं बनी जो हर समय और स्थान पर लागू की जा सके । यह 225 एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं को अपनी आजादी हासिल करने और उन्हें **सुरक्षित** रखने के लिए **चलाया गया है । समय–समय पर** इसके 250 **उद्देश्यों** को कभी **अत्यधिक** कठोर, **अपेक्षाकृत** उदार, लचीला एवं व्यापक बनाने की कोशिश की जाती रही है । फिर भी उसने अपने **बुनियादी ध्येय** में 275 और न ही उसने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई में **शिथिलता** आने दी । यह प्रश्न इस मुहिम के **प्रवर्तकों** और 300 संचालकों को **आंदोलित** करता रहा है कि महिलाओं के किन विशेष अधिकारों की **प्राप्ति के** लिए इस संघर्ष को चालू रखा जाए ? इस संदर्भ में 325 यह **ज्ञातव्य** है कि औरतों के समस्त अधिकार परिवार के **इर्द–गिर्द** घूमते हैं । इसलिए अधिकार प्राप्ति की यह लड़ाई **पारिवारिक सुख–सुविधा** में 350 अधिक बड़ा हिस्सा या कुटुंब संस्था को जड़ से **खत्म करने में** एक ही **लक्ष्य के लिए** लड़ी जा सकती है । आज महिलाओं की 375 दुविधा यह है कि वह वर्तमान सामाजिक–पारिवारिक यथार्थ को स्वीकार कर उसमें ही किस प्रकार अधिक अधिकार पाने की कोशिश करें । महिलाओं के 400 अनुभव और आवश्यकतागत भिन्नता को पूरी **संवेदनशीलता** के साथ ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु चलाए जा रहे आंदोलन 425 को **अंतर्दृष्टि** से जोड़ा जाए । **दरअसल** किसी एक समान मकसद के लिए दुनिया की सारी महिलाओं को एक मंच पर एक साथ 450 लाना संभव नहीं है । जातीय, आर्थिक और **सांस्कृतिक** भिन्नता महिलाओं की समस्याओं में आड़े आती हैं क्योंकि ये समस्याएँ परिवर्तनशील होती हैं । 475 **यही वजह है कि** आज तक विश्व की महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध **नहीं किया जा सका ।** 500

प्रतिलेखन संख्या - 82

महोदय, हालाँकि आज महिलाएँ अपार इच्छाशक्ति लिए पुरुषों के समान अधिकार पाने का दावा पेश कर रही हैं, साथ ही चाहती हैं [525] कि वे आत्मनिर्भर होकर स्वतंत्रता के साथ समाज में रह सकें । इसके बावजूद ऐसी असंख्य महिलाएँ भी हैं जो मात्र औरत होने [550] की वजह से अभिशप्त हैं। कहीं कम अधिकार पाना उनकी मूल समस्या है तो कहीं काम करने का अधिकार प्राप्त करना उनकी [575] आवश्यकता । इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों पर महिलाओं का मान व स्थान भिन्न-भिन्न रहा है, उसके उदाहरण सर्वत्र बिखरे हुए हैं । [600] सुखद स्थिति यह है कि आज महिलाएँ भी ऊँचे-ऊँचे पदों पर कार्यरत हैं। आज वे मात्र खाना पकाने वाली सेविका नहीं हैं [625] बल्कि सर्वसंपन्न गृहस्वामिनी भी हैं । उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, मत देने तथा बोलने का पूरा अधिकार है । वे अपरिचितों से बातें [650] कर सकती हैं, सभाओं में बोल सकती हैं, निर्वाचन में भाग ले सकती हैं। अब वे बंदी नहीं हैं, स्वच्छंद विचरण करने वाली आजाद [675] भारत की आजाद नारी हैं । वे मनुष्य की सहकर्मी हैं, समानधर्मी भी । वे पति की सलाहकार भी हैं और परिवार की शुभचिंतक भी । [700]

आज वे केवल मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं हैं। आज की जीविकोपार्जन करने वाली महिला को घर तथा समाज [725] में अधिक सम्मान प्राप्त है । सिनेमा हालों में सिनेमा देख सकती हैं और शादी-ब्याह में भी जा सकती हैं । उद्यमी बन सकती हैं, [750] विदेश घूम सकती हैं । विदेश जाकर सर्वोत्तम शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं । आज महिला को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है । इसके [775] बावजूद आज भी महिलाएँ दहेज की कुप्रथा से पीड़ित हैं । उन्हें मारा-पीटा जाता है, जलाया जाता है, सताया जाता है, जिनसे तंग आ [800] कर कई महिलाएँ आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाती हैं और कोई-कोई तो आत्महत्या भी कर डालती हैं । क्या इन स्थितियों के [825] रहते महिलाओं का संपूर्ण विकास माना जाएगा ।

वर्तमान में जिस रफ्तार से हमारे देश में श्रमिक महिलाओं का शोषण जारी है, उस हिसाब से [850] अनेक मामले आयोग के सामने आने चाहिए, लेकिन नहीं आ पाए । इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे देश में श्रमिक महिलाओं की [875] स्थिति बेहतर है या उनकी कोई समस्याएँ नहीं हैं, न ही उनका कोई शोषण हो रहा है । बल्कि यह स्थिति शांत [900] समुद्र की तह में घुमड़ते तूफान के आने का द्योतक है । वर्ष 1986 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार तो महिला तथा पुरुषों को [925] समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है । वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार श्रमिक को 31 रुपए दिए जाने [950] का प्रावधान है । लेकिन घरों तथा लघु उद्योगों में दिहाड़ी पर एवं बाजार में काम कर रही महिलाओं को इससे बहुत कम मजदूरी दी [975] जाती है । सिलाई-कढ़ाई के कामों में लगी महिलाओं को निश्चित अवधि से ज्यादा काम करने के बाद भी 15-20 रुपए से ज्यादा नहीं मिल पाते । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 83

महोदय, **भगवान बुद्ध** ने अपने शील में इन सभी गुणों पर **यथोचित बल दिया है** और व्यवहार की दृष्टि से उनका विवेचन किया है । [25] बुद्ध जयंती **समारोह** द्वारा संसार के राष्ट्रों को सुख तथा शांति देने वाले भगवान के **संदेश** को स्मरण करने और उसका चिंतन करने का [50] जो अवसर मिला है, **मैं समझता हूँ कि** यह मानव जाति का **सौभाग्य** है । मेरी यह धारणा है कि निजी सुख और शांति के [75] हित में **मानव** उस संदेश की ओर **अधिकाधिक** ध्यान देगा । **यह प्रसन्नता की बात है कि** कई एक राष्ट्रों ने **पंचशील** के सिद्धांतों को [100] **स्वीकार कर लिया है** । इस सिद्धांत पर **आचरण** द्वारा **पारस्परिक** मतभेद **निस्संदेह कम किया जा सकता है** और राष्ट्र बल प्रयोग अथवा युद्ध से [125] मुक्त हो सकते हैं । भगवान बुद्ध का समस्त जीवन, उनके **सारगर्भित प्रवचन** और उनका संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है । कोई [150] भी व्यक्ति उनसे लाभ उठा सकता है और अपनी आत्मा को **उन्नत** कर सकता है । हमारे देश में, जहाँ भगवान ने **निर्वाण** प्राप्त किया [175] और प्रथम उपदेश दिया, **महात्मा बुद्ध** का जनता के **हृदयों** में ऊँचे से ऊँचा स्थान है । प्राचीन **परंपरा के अनुसार** भारत के लोगों ने उन्हें **कालांतर** में [200] **ईश्वरीय** अवतार का पद दिया था और इस देश से बौद्ध मत के लुप्त **हो जाने के बाद** भी विष्णु के रूप में उनकी [225] पूजा बराबर होती रही । भगवान बुद्ध की **विचारधारा** तथा उनके **सदुपदेश** का हिंदू विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है और बौद्ध शील आज [250] भी हिंदू धर्म का एक अंग है ।

मैं **विनम्रतापूर्वक** एक और बात कहना चाहूँगा । भगवान बुद्ध ने इसी भूमि में निर्वाण प्राप्त किया और यहीं [275] उन्होंने धर्म प्रचार की व्यवस्था की । सदियों तक इस देश की **अधिकांश** जनता बौद्ध मत की **अनुयायी** रही और यहाँ के प्रतापी नरेशों और [300] **धर्मरत भिक्षुओं** के अध्यवसाय से बौद्ध मत का अनेक **देश-देशांतरों** में प्रसार हुआ । किंतु संयोग से अथवा कुछ **ऐतिहासिक कारणों** से बौद्ध मत [325] **प्रायः** भारत से लुप्त हो गया । यह सब होते हुए **मैं कह सकता हूँ कि** दो हजार वर्ष की इस समस्त अवधि में भगवान बुद्ध [350] **के प्रति** यहाँ के लोगों की आस्था तथा श्रद्धा बराबर रही । विश्व के इतिहास **में शायद और** कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मुझे कोई भी [375] दूसरा देश ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ कोई अवतार हुआ हो और समस्त जनता कुछ समय तक उसकी **अनुयायी** रह कर किसी अन्य [400] मत को अपना चुकी हो परंतु फिर भी उस देश में उस अवतार का वही आदर और उसके प्रति वही **आस्था की भावना** बनी [425] रही हो जैसी भारत में भगवान बुद्ध के प्रति हजारों वर्षों से रही है । **हो सकता है कि** यह **सहिष्णुता** और यह **उदारता** इस देश [450] को स्वयं भगवान बुद्ध की ही देन हो । इस समय मानव एक **संध्याकालीन** समय से होकर गुजर रहा है । भौतिक विज्ञान एक **पराकाष्ठा** [475] तक पहुँच चुका है । ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव ने भौतिक **संपन्नता** को ही सुख का एकमात्र साधन मान लिया है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 84

महोदय, भारत **विशेषकर** गाँवों में ही बसता है और **यद्यपि** इन दिनों शहरी **जनसंख्या** बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, पर यह [525]आज भी सच है कि भारत ज्यादातर गाँवों में ही बसता है। गाँवों और गाँववालों की **उन्नति के लिए** जो कुछ भी [550] किया जाए उसका केवल स्वागत ही **नहीं होना चाहिए** बल्कि उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और लोगों को प्रत्येक संभव प्रयत्न करना [575] चाहिए। **महात्मा गांधी** इसलिए गाँवों के विकास पर बहुत जोर दिया करते थे। यह एक बड़ा शुभ विचार है कि आज उनके [600] जन्म दिन पर इस सामुदायिक विकास योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। इस देश में **'सामुदायिक विकास'** और **'सामुदायिक योजना'** नए शब्द हैं पर [625] यह विचार बहुत पुराना है। इसका मौलिक तात्पर्य किसी एक दिशा में **उन्नति** के विपरीत **चहुमुखी** उन्नति से है। 'अधिक अन्न उपजाओ' संबधी [650] कार्यक्रम से तथा विभिन्न **राज्य सरकारों** और **गैर-सरकारी संस्थाओं** द्वारा देहात-सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्य के हमारे अनुभव से **यह** [675] **सिद्ध हो चुका है कि** देहाती जीवन के सभी पहलू **एक-दूसरे से** संबद्ध हैं और यदि एक-एक पहलू को अलग-अलग लिया लाए [700] तो स्थायी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। इसका यह **अभिप्राय** नहीं कि विशिष्ट समस्याओं को महत्व न दिया जाए परंतु उनसे संबंधित आयोजन [725] किसी **विस्तृत योजना** के ही अंग होने चाहिए और वे समस्याएँ उस योजना के **अंतर्गत** आ जाएँ। इस काम में सफलता तभी **मिल सकती है** [750] जब सरकारी व्यवस्था, गैर-सरकारी नेतृत्व और जनता के उत्साह में **परस्पर सहयोग** हो और खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पशु सुधार तथा बेकारी दूर करना [775] इत्यादि सभी प्रकार के काम एक-साथ हाथ में लिए जाएँ। **महात्मा गांधी** की **प्रेरणा** से उनके **अनुयायियों** ने देश के अनेक भागों [800] में इस प्रकार के काम बहुत **निस्स्वार्थ भाव से** किए हैं और दूसरी संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने भी इस दिशा में बहुत-कुछ किया है। लेकिन [825] पर्याप्त धन और यथेष्ट मात्रा में विशिष्ट **काम करने वाले** न **मिलने के कारण** उनका विस्तार न तो उतनी दूर तक हुआ और न [850] उतनी तेजी के साथ हुआ जितना हम चाहते थे। भारत और अमेरिका के बीच जनवरी, 1952 में हुए **प्राविधिक** सहयोग समझौते से इस दिशा में [875] उन्नति की नवीन **संभावनाएँ** पैदा हो गई हैं।

मेरा बराबर यह विश्वास रहा है कि **भारतीय** किसान खेती के काम में कुछ **नौसिखिया** नहीं और [900] उसे इसका कई **पीढ़ियों** का अनुभव है। बिहार के किसानों ने पिछले 20 वर्षों में जिस तेजी के साथ नए प्रकार के गन्ने की खेती [925] अपना ली है उससे **यह बात प्रमाणित हो जाती है कि** भारतीय किसान लकीर का फकीर नहीं जो नए **सुधरे** हुए तरीकों को **अपनाना** [950] नहीं चाहता। इसलिए आवश्यकता **इस बात की है कि** उसे इस बात का संतोष और विश्वास दिला दिया जाए कि किसी [975] नई पद्धति से या किसी नई किस्म की चीज **उपजाने** से उत्पादन अधिक होगा। देश के सामने **खाद्यान्नों** का प्रश्न **अत्यंत** महत्व का है। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 85

उपसभापति महोदय, आज का दिन केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन मानना चाहिए क्योंकि [25] आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था और यह हमारे देश का सौभाग्य था कि उनका जन्म इस देश में [50] हुआ। 80 वर्षों तक काम करके और एक प्रकार से अपना काम पूरा करके वह चले गए और जो काम वे अधूरा छोड़ गए [75] उसका भार जो लोग बच गए हैं उन पर पड़ गया है। आप जानते हैं कि महात्मा जी ने अपने जीवन में जितने काम [100] किए वह सब एक सिद्धांत के अधीन और एक सिद्धांत के अनुसार थे। उनका कार्यक्रम जब-तब समय के अनुसार बदलता था और [125] बदल सकता था पर वह जो भी कार्यक्रम बनाते थे, अपने सिद्धांतों के अनुसार ही बनाते थे। उनके चले जाने के बाद जब हम [150] सभी बातों पर विचार करके देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने मानव जीवन के और विशेषकर भारतवर्ष के लोगों [175] के जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा और सभी विषयों पर केवल अपना मत ही प्रकट नहीं किया बल्कि जो-जो प्रश्न [200] तथा समस्याएँ सामने आईं, सभी को सुलझाने का कोई न कोई प्रयत्न उन्होंने बतलाया। उस समय देश स्वाधीन नहीं था, इसलिए उनका [225] ध्यान बहुत करके स्वाधीनता-प्राप्ति की ओर गया और उसमें उनका समय भी बहुत लगा। स्वाधीनता के लिए जो संग्राम उन्होंने छेड़ा [250] देश के लोगों ने भी उसी ओर अधिक ध्यान दिया और उसी में अधिक भाग लिया। महात्मा गांधी केवल एक राजनीतिक पुरुष नहीं थे। [275] महात्मा गांधी सचमुच में महात्मा थे और महात्मा का अर्थ आप यह समझें कि जिसकी अंतरात्मा सभी बातों को समझती है। जीवन की किसी एक [300] बात को लेकर नहीं बल्कि जो व्यक्ति सभी बातों का हल बताता है और अपने जीवन में उसको कार्यरूप में परिणत करके [325] दिखलाता है, वही महात्मा होता है। इसलिए आज जब महात्मा जी नहीं रहे, और जब हमको किसी प्रश्न पर सोचना पड़ता है तो [350] हमें यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उनके सिद्धांत के अनुसार जो कार्यक्रम बना रहे हैं, वह उनकी दृष्टि से [375] ठीक उतरता है या नहीं।

आज हम सबको एक बात मान लेनी पड़ेगी कि जब से हमने स्वराज्य प्राप्त किया और उसके [400] थोड़े ही दिनों बाद महात्मा जी चले गए तो हमारे ऊपर कई प्रकार की विपत्तियाँ आईं। हमारे सामने नित्य नए-नए प्रश्न तथा नई-नई [425] समस्याएँ आती रहीं और हम अपनी बुद्धि के अनुसार उनका हल निकालते रहे। पर हमको यह भी मानना होगा कि हम उस प्रकार [450] का व्यापक विचार नहीं कर सकते जितना महात्मा जी किया करते थे। हम लोग किसी एक चीज को लेकर उसमें बह जाते हैं [475] कि वही एक चीज है जिसको महात्मा जी चाहते थे और इसी कारण लोग गांधी जी के साथ रहे हैं। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 86

उपसभापति महोदय, हम गांधी जी की सारी सीख केवल एक ही चीज में **सीमित कर देते हैं** और जो दूसरे विषय हैं उनसे [525] अपना **मतभेद स्पष्ट रूप से प्रकट किया करते हैं।** उनके **जीवन-काल** में उनका जीवन किस प्रकार का था उस ओर हमारा [550] **ध्यान नहीं जाता ।** इसलिए मैं तो **यही चाहता हूँ कि** जो मौलिक चीजें हैं उनको यदि हम ठीक रूप से समझ जाएँगे तो [575] हमारे लिए उन समस्याओं को **हल करने का** मार्ग भी शायद **ठीक रूप से** निकल सके । दुर्भाग्य से जब गांधी जी के लिए ऐसा समय [600] आया कि जब वह अपनी आवाज केवल इसी देश में ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों तक पहुँचा सकते थे और अपना **संदेश** दे [625] सकते थे, ठीक उसी समय वह हमसे छीन लिए गए । परंतु उन्होंने **लिखकर**, कहकर और उससे भी अधिक अपने जीवन [650] में बरत कर जो कुछ दिखला दिया है वह हमारी सभी समस्याओं को **हल करने के लिए** काफी है यदि हम ठीक रूप से समझें [675] और काम करें । सभी युद्धों में जो बड़ी **क्षति** देश, विदेश और सब लोगों को पहुँचा करती है वह यही है कि लोगों में **चरित्रहीनता** [700] आ जाती है । उनमें कितने प्रकार के दोष आ जाते हैं। उन दोषों से वे लोग भी जो स्वयं युद्ध में न पड़े हों परंतु [725] **किसी न किसी रूप से** उनका उससे कोई संबंध हो, अपने को नहीं बचा सकते । विगत **महायुद्ध** का एक बहुत बुरा प्रभाव [750] सभी देशों पर पड़ा है । **संसार भर** के लोग इस बात को मानते हैं कि आज हमारा **नैतिक स्तर** पहले की अपेक्षा निम्न कोटि का [775] हो गया है और उससे हम इस देश में भी नहीं बचे हैं । **मैं यह नहीं कहता कि** वह केवल युद्ध का परिणाम है, [800] हमारी अपनी **कमजोरियाँ** भी हैं तथा अन्य दूसरे बाहरी कारणों का भी प्रभाव पड़ा है ।

महात्मा गांधी जी ने अपनी **तपस्या** के बल से हमारा [825] **पथप्रदर्शन** किया और हमें बहुत ऊँचे तक उठा दिया था । उनकी तपस्या के बल से ही हममें एक प्रकार की **स्फूर्ति**, एक नया [850] जीवन, **सच्चरित्रता** और त्याग की शक्ति आ गई थी और उसी के बल पर हम आगे बढ़े । पर यह दुख की बात है कि [875] उनके चले जाते ही हम बहुत नीचे **फिसल** गए और ऐसा मालूम होता है कि **फिसलते-फिसलते** अब हम शायद गिर भी गए हैं [900] और कुछ देर में हम चित भी हो जाएँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी । इसलिए **यह अत्यंत आवश्यक है कि** यदि हम [925] गांधी जी की शिक्षा को समझने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार चलना चाहें तो हम उनके **मौलिक सिद्धांत** 'सत्य' को ग्रहण करें [950] और उसे कभी भी छोड़ें नहीं । एक इसी चीज को लेकर हममें जितने दोष हैं हम उनको **दूर कर सकते हैं** । हम कमजोर [975] तो पहले से ही थे और हममें उतनी शक्ति नहीं आ पाई थी कि हम अधिक भार सह सकें, इसलिए उनके जाते ही हम फिसल पड़े । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 87

महोदय, **आइए ! पर्यावरणीय** कानून को लागू न करने के घातक परिणामों पर एक दृष्टि डालें । कार्यकारिणी और **न्यायपालिका** दोनों में **संकल्प** की कमी है।[25] खेद है कि **प्रदूषण नियंत्रण मंडल** प्रदूषण **नियंत्रण के लिए** कुछ **नहीं कर सके** और यदि उन्होंने कोशिश की तो **उद्योगपतियों** के दबाव [50] में आकर **राजनीतिज्ञ** आड़े आ जाते हैं और अपराध के बड़े से बड़े मामले में भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते चाहे **प्रदूषक उद्योग** [75] निजी क्षेत्र के हों या **सार्वजनिक क्षेत्र** के । मेहता वाले मुकदमे में **उच्चतम न्यायालय** द्वारा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी क़ानूनों को **लागू करने के लिए** [100] न्यायालयों की सहायता के लिए पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना का **सुझाव दिया गया था** । न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक क्षति और [125] प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित झगड़ों के मुकदमे दिन-पर-दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी **आँकड़ों** का **मूल्यांकन** [150] आवश्यक होता है । इसलिए **क्षेत्रीय** आधार पर पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें एक न्यायाधीश के अतिरिक्त मामले की प्रकृति और [175] अपेक्षित **विशेषज्ञता** को देखते हुए पारिस्थितिक विज्ञान विषय के दो विशेषज्ञ हों । तथापि, पर्यावरणीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का [200] अधिकार हो ।

प्रदूषक उद्योगों में **शक्तिशाली** निहित **स्वार्थों के कारण** श्रीमती मेनका गांधी, पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्री, **भारत सरकार** के समर्थन के बावजूद [225] इस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की गई । प्रदूषण में पैसा है और **नौकरशाही** पैसे वालों का साथ देती है तथा **पारंपरिक** न्यायालय पर्यावरण न्यायालयों के प्रति [250] अति **संवेदनशील हैं** । पर्यावरण विज्ञान उनके लिए यह एक नया विषय है । न्यायालयों के इस विषय से **अनभिज्ञ** होने से हानि होती है और [275] **नकारात्मक** दृष्टिकोण के कारण न्यायाधीश ऐसे मामलों में **यथास्थिति** बनाए रखने, स्थगन आदेश देने या मुकदमा खारिज करने जैसा आसान तरीका **अपनाते** हैं।[300] उच्चतर और उच्चतम न्यायालय के कुछ **न्यायाधीशों** ने इस दिशा में **प्रशंसनीय** कार्य किया है । किंतु पारंपरिक न्यायालयों के विद्वान वकील प्रदूषण नियंत्रण के [325] **संरक्षक** नहीं हैं क्योंकि वे कानूनी प्रक्रिया संबंधी **जोड़-तोड़** में लगे रहते हैं और उन्हें (क) बनाम (ख) के पारंपरिक मुकदमों से ही **फुर्सत** नहीं [350] मिलती और न ही उनमें पर्यावरणीय मामलों को **निपटाने** की विशेष योग्यता होती है । सामाजिक **कार्यकर्त्ताओं** द्वारा दायर किए गए सामाजिक न्यास संबंधी [375] मुकदमों की **सुनवाई के लिए** उनके पास समय कहाँ है ? इसका असर सारे समाज पर पड़ता है जिसमें **न्यायाधीश** भी शामिल हैं ।[400] अन्य लोगों की तरह उन्हें भी दूषित वायु में साँस लेना पड़ता है, **प्रदूषित** पानी पीना पड़ता है, वनों की कटाई और **रेगिस्तान** का वे [425] भी रोना रोते हैं और **प्रचुर मात्रा** में उपलब्ध अनेक **नैसर्गिक** लाभों से वंचित रहना पड़ता है । लेकिन प्रकृति का आनंद लेने के लिए [450] कवि जैसा संवेदनशील हृदय होना चाहिए, जो जीवन की कविता से **परिपूर्ण** हो, जिसमें **विश्व-बंधुत्व की भावना**, प्रकृति से **एकात्मकता** और प्रत्येक [475] मानव के जीवन के अधिकार के प्रति प्रेम हो । कभी-कभी न्याय करने वाले को न्याय और उसके विविध **आयामों** की जानकारी नहीं होती ।[500]

प्रतिलेखन संख्या - 88

महोदय, हमें आवश्यकता है ऐसे संवेदनशील पर्यावरणीय न्यायालयों और **न्याय** प्रक्रिया की जिसमें सामाजिक **प्रतिबद्धता** और सतत विकास दोनों संभव हों। सभी प्रक्रियाओं को [525] तेज करने, मानीटर करने और **निगरानी के लिए** एक शक्तिशाली **उत्प्रेरक** पर्यावरणीय लोकपाल पद्धति की आवश्यकता है जो पर्यावरण सुरक्षा के सक्रिय [550] प्रहरी की भूमिका निभा सके और जिसमें उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालय का **हस्तक्षेप** न हो सके, जो **राजनीतिज्ञों** की पहुँच के [575] बाहर हो, सामाजिक कार्यकर्त्ता और दीन से दीन **आदिवासी** भी जिस तक आसानी से पहुँच सके तथा जो जनता और संसद के प्रति [600] **उत्तरदायी** हो।

लोकपाल पद्धति का ढाँचा, **कार्यविधि** ऐसी होनी चाहिए कि वास्तव में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण तथा जीव मंडल की अखंडता [625] बनी रहे। अति **प्राचीन उपनिवेशवादी** जटिल और मूल व्यवस्था से, प्रबंध कौशल, वैज्ञानिक साधन, नए-नए प्रयोग करने और नई **परिस्थितियों** के अनुकूल बनाने की [650] **क्षमता** के अभाव में प्रौद्योगिक **आतंकवाद** और उन नई चुनौतियों का मुकाबला करना संभव नहीं है जिनका सामना इस उपग्रह पृथ्वी और इसके [675] निवासियों को **करना पड़ रहा है**। हमारी न्यायिक व्यवस्था अनेक प्रकार के संकटों से घिरी है और यदि हम वास्तव में पर्यावरण संबंधी [700] मामलों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो ऐसे पर्यावरणीय **न्यायाधिकरणों** की आवश्यकता है जिनमें विधिवेत्ता और विषय-विशेषज्ञ दोनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त [725] हो। इससे भी अधिक आवश्यकता है एक **उच्चाधिकार** प्राप्त **बहुस्तरीय** लोकपाल पद्धति और कार्मिकों की जिन्हें कार्रवाई शुरू करने, जाँच [750] करने, निर्णय लेने, **निषेधाज्ञा** जारी करने के व्यापक अधिकार प्राप्त हों। यह स्वायत्त संस्था होनी चाहिए जिसमें राजनीतिज्ञों और कार्यकारिणी का **हस्तक्षेप,** पेचिदा **नकारात्मक** [775] कानूनी **अड़चनें** न हों तथा कर्मचारियों को सरकारी भय और लालच प्रभावित न कर सकें। इन उच्च **पदाधिकारियों** का चयन **प्रस्तावित** लोकपाल बिल के [800] अनुसार हो सकता है तथा इनका कार्यकाल निर्वाचन आयोग के समान हो सकता है।

आम नागरिकों और सामाजिक **कार्यकर्त्ताओं** के लिए इन[825] उच्चाधिकारियों तक पहुँचने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें **निःशुल्क** क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सूचना प्राप्त [850] करने की स्वतंत्रता अमरीका के कानून की तरह स्पष्ट हो और कानून लागू करने का **सांविधिक** अधिकार इन अधिकारियों को प्रदान किया जाए ताकि [875] इसके **अभाव** में पर्यावरणीय न्यायालय संस्था का नैतिक पतन न हो। पूर्ण न्याय दिलाना **मुख्य उद्देश्य** होना चाहिए न कि केवल आदेश जारी करना। [900] **दीवानी** न्यायालयों के सामान्य अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकार और कानून का **उल्लंघन** करने वालों के लिए दंड का उल्लेख भी इस कानून में किया [925] जाना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा प्रशासकों सभी को लोकपाल तथा पर्यावरण न्यायालयों की सहायता करनी होगी। इसके लिए शायद **संविधान** में [950] संशोधन आवश्यक होगा। इस विषय में सभी **राजनैतिक दलों** के सहमत होने के बाद संविधान कोई कठिन समस्या नहीं होगी। तकनीकी मामलों [975] में केवल **खंडपीठ** पूरी तरह न्याय नहीं कर सकती। इसके लिए इस क्षेत्र में सक्रिय **कार्यकर्त्ताओं** की सहायता आवश्यक होगी। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 89

आदरणीय महानुभावो, 26 जनवरी, 1950 को हमारे गणराज्य की स्थापना हुई थी, जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा बनाए गए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर [25] आधारित है। उसके बाद के इन 50 वर्षों का समय हमारे देश में विकास का समय रहा है। लंबी दासता के बाद भारत का [50] दुनिया में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय, इस बीच की सबसे अधिक रोमांचकारी घटना है। संसार के इतिहास में भारत की [75] आजादी के संघर्ष जैसी इससे पहले कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर मुझे अपने उन करोड़ों देशवासियों की याद आ रही है, [100] जिन्होंने देश की आजादी के लिए भारी मुसीबतें सही थीं और बड़े-से-बड़े बलिदान दिए थे। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ अपनी [125] श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे अपने उन नेताओं की राजनीतिक कुशलता और दूरदर्शिता की भी याद आती है, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण [150] किया और देश को प्रगति और विकास के लिए दिशा दी। हमारे संविधान में हमारी युगों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के गुण मौजूद हैं, [175] जिससे वह देश में समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता और लोकतंत्र को कायम रखने का महत्वपूर्ण साधन है। हमें अपनी इस राजनीतिक प्रणाली का लाभ [200] पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से मिल रहा है। हमारे देश के लोग बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ शांति और [225] प्रगति के मार्ग पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर [250] कर सामने आया है, जिससे संसार में आशाएँ बंधती हैं और विश्वास पैदा होता है।

पिछले वर्ष आज के दिन जब मैंने आपके [275] सामने भारत द्वारा हासिल अनेक कामयाबियों का जिक्र किया था, तब से हमें और भी अनेक उपलब्धियाँ मिली हैं, जिनके आधार पर हम इस [300] बात का दावा कर सकते हैं कि निर्धनता के विरुद्ध हमारी लड़ाई सही तरीके से और ठीक दिशा में चल रही है। मैं महसूस करता [325] हूँ कि इनमें से कुछ सफलताओं का यहाँ जिक्र करना गैर-मुनासिब न होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और भी ज्यादा विश्वास के [350] साथ तरक्की की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक इस बात की गवाही देते हैं कि 'सामाजिक न्याय के साथ [375] विकास' को दृष्टि में रखते हुए हमने आर्थिक विकास की जो बुनियादी नीति तैयार की है, उसके उत्साहजनक परिणाम निकले हैं। [400] हमारे लिए यह गर्व की बात है कि पिछले तीन वर्षों में देश के कुल उत्पादन में पाँच प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई है, [425] जब कि संसार में आमतौर से आर्थिक रूप में विकास की दरों में कमी हुई और मुद्रा के फैलाव तथा बेरोज़गारी में भारी बढ़ोत्तरी [450] हुई। हमारी अर्थव्यवस्था रोज़गार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ-साथ आगे बढ़ रही है, जो देश में श्रम-शक्ति की वृद्धि की [475] दर से कहीं अधिक है। हमने अब तक जो प्रगति की है, वह विज्ञान और टैक्नोलॉजी में ठोस आधार तैयार करने के लिए की गई है। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 90

आदरणीय महानुभावो, सरकार की नीति का उद्देश्य तेजी के साथ **आत्मविश्वास** पैदा करना, स्वदेशी विज्ञान और **टैक्नोलॉजी** को **बढ़ावा** देना, बाहर से आयात की 525 गई टैक्नोलॉजी को मुनासिब तरीके से **अपनाना** और **यह देखना रहा है कि** टैक्नोलॉजी ही का **अंतरण** कुशलता के साथ, प्रयोग के लिए हो। परमाणु, 550 **अंतरिक्ष** और **सागर विज्ञान** संबंधी खोजों में हमने जो **कामयाबियाँ** हासिल की हैं, वे इस बात का **जीता-जागता** सबूत हैं कि हमने 575 जो रास्ता चुना है और जिस **ईमानदारी** और पक्के इरादे के साथ हमारे **वैज्ञानिकों** ने काम किया है, वह निश्चय ही **प्रशंसनीय** है। पृथ्वी के 600 चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इन्सेट 1-बी और बर्फ से ढके **महाद्वीप** पर हमारा तीसरा **दक्षिणी** ध्रुव **अभियान** और महासागर की असीम **गहराइयों** 625 में खोज करने वाला 'सागर कन्या' समुद्री जहाज, हमारी वे **सफलताएँ** हैं, जिन पर हम सब गर्व कर सकते हैं और उनसे **प्रेरणा** ले 650 सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत ने भारी प्रगति की है। उम्मीद है कि इस वर्ष में हमारी **ख़रीफ** और रबी की फसलों की 675 पैदावार पिछले सभी वर्षों से **बढ़कर** हो जाएगी। **औद्योगिक क्षेत्र** में हमारा एक ठोस बुनियादी ढाँचा **तैयार हो गया है, जिसकी सहायता से** 700 हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी प्रगति की है। हमारी **अर्थव्यवस्था के लिए** एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि खनिज तेल के 725 उत्पादन और उसे साफ करने की दृष्टि से हमारी **आत्मनिर्भरता** बढ़ती जा रही है। हाल ही के वर्षों में जिस गति के साथ हमारे 750 **कार्यकलापों** में वृद्धि हुई है,उसे और भी ऊँचे स्तर पर लगातार बनाए रखने की जरूरत है। मैं खेतों, कारखानों, **प्रयोगशालाओं**, **शिक्षा-संस्थाओं**, सरकारी 775 दफ्तरों और सभी जगह **काम करने वाले** देशवासियों से **अपील करता हूँ कि** वे और कड़ी **मेहनत** और पूरे उत्साह के साथ काम करें। 800 हम जरा-सा भी समय नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम **गरीबी**, भुखमरी, बीमारी और **अज्ञानता** के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।

मैं देश 825 के कुछ भागों में हो रही अशांति की कुछ **घटनाओं** का भी **ज़िक्र करना चाहूँगा**। **जिस प्रकार से** देश में **हिंसा** की घटनाएँ घट रही 850 **हैं और जिस तरह से** आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उन पर मुझे गहरी चिंता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। 875 मुझे यह देखकर दुख होता है कि धर्म के नाम पर हिंसा का सहारा **लिया जा रहा है**। मैं, फिर इस बात को **दोहराना** 900 **चाहता हूँ** कि दुनिया में कोई भी ऐसा मामला नहीं होता, जो शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए न **सुलझाया जा सके**। दूसरे धार्मिक विश्वासों 925 के प्रति आदर और दूसरे लोगों के **प्रति सहनशीलता** हमारी प्राचीन परंपराएँ रही हैं। देश के **दूर-दराज** के इलाकों की अपनी यात्रा के दौरान 950 मुझे लोगों के जीवन में भाईचारे और प्रेम-भावना के दर्शन हुए हैं। अपने संकीर्ण उद्देश्यों **के लिए** इस भावना को नष्ट 975 **नहीं किया जाना चाहिए**, क्योंकि ऐसा करने से बड़ी **मुसीबतों** के साथ हासिल की गई हमारी आजादी **खतरे** में पड़ जाएगी। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 91

महोदय, जन्म से ही बच्चा अनेक वस्तुओं का **उपभोक्ता** बन जाता है। दूध, दवाएँ, साबुन, सुरमा, **पाउडर,** कपड़ा, बिस्तर, **खिलौने** इत्यादि कितनी ही चीजों की बच्चों 25 को **आवश्यकता पड़ती है** । बहुत-सी चीजों में होने वाली **मिलावट** या घटिया चीजें बच्चों के **स्वास्थ्य** को **प्रभावित करती हैं** । माँ के दूध के 50 **स्थान** पर डिब्बे का दूध, मिलावटी दवाएँ, **नुकसानदेह** साबुन, पाउडर, काजल इत्यादि बच्चों में नाना **बीमारियों** को उत्पन्न करते हैं । यहीं से बाल उपभोक्ताओं 75 के रूप में बच्चों की **शारीरिक क्षति प्रारंभ हो जाती हैं** । बच्चे ज्यों ही चलना सीखते हैं उनके कदम टॉफी, **आइसक्रीम,** इमली, चूरन 100 इत्यादि **खरीदने के लिए** घर से बाहर निकलने लगते हैं । ये बाल-उपभोक्ता अपने भले-बुरे का ज्ञान नहीं रखते हैं। **इसीलिए** ये बच्चे 125 एक ओर **मिलावटयुक्त** खाद्य पदार्थ खाकर बीमारियों से **ग्रसित** हो जाते हैं, तो दूसरी ओर पैसे की **बर्बादी** करते हैं । स्वभाव से बच्चे 150 जिद्दी होते हैं। वे जिस चीज को देखते हैं, उसी को खरीदने की माँग करने लगते हैं । कोई भी फेरीवाला, ठेले वाला घर के 175 आगे से गुजरते ही वे उस वस्तु को खरीदने की जिद **करने लगते हैं** । भले ही वह वस्तु उनके मतलब की हो या नहीं । 200 फेरी वाले भी बच्चों का **मनोविज्ञान** जानते हैं । जिस घर में उन्हें बच्चों की **उपस्थिति** का **आभास** होता है, उसके आसपास देर 225 तक खड़े हो कर आवाज लगाते रहते हैं, बिक्री के **संकेत** के रूप में घंटी आदि बजाते रहते हैं। इन **आवाजों** को सुनकर बच्चे 250 सहज ही घर के बाहर आ कर वस्तु खरीदने की जिद **स्वजनों से करने लगते हैं।** अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की 275 माँग को पूरा नहीं करते हैं तो वे दूसरों से चीज **दिलाने के लिए रिरियाने** लगते हैं । यहीं से उनमें माँगने की आदत विकसित होती 300 है और वे **बेशर्म** बन जाते हैं ।

मेलों-ठेलों या **हाट-बाज़ारों** में **बच्चे प्रायः** हर वस्तु खरीदने की इच्छा **जाहिर करते हैं** । कभी-कभी 325 तो वे फैल भी जाते हैं । ऐसे में मजबूर हो कर **अभिभावकों** को शर्म के कारण वस्तु दिलानी पड़ती है । **दुकानदार** बच्चों की जिद का 350 फायदा उठाकर मुँह माँगे दाम वसूल करते हैं । मेलों में बच्चे प्रायः एक खिलौना लेने के बाद दूसरे खिलौने की और **दूसरे के बाद** 375 तीसरे खिलौने की माँग करने लगते हैं । बच्चों की ऐसी हरकत पर **माँ-बाप** को गुस्सा भी बहुत आता है, पर वे विवश होते हैं । 400 बाजार में हँसी भी **नहीं करा सकते** । इसलिए जानकर भी ठगे जाते हैं । छोटे बच्चों को जैसे ही कागज और नोट में भेद 425 करना आ जाता है, वे नोट देखते ही चीज खरीदने चल देते हैं । आइसक्रीम, **बुढ़िया** के बाल या चूरन-इमली वाले की आवाज 450 सुनते ही पैसे या नोट ले कर **दरवाजे** के बाहर आ जाते हैं । उन्हें न तो **यह ज्ञान होता है कि** यह पाँच-दस पैसे 475 का सिक्का है और न ही वे जानते हैं कि नोट कितने का है । उन्हें तो हाथ का पैसा या नोट देकर चीज चाहिए । 500

प्रतिलेखन संख्या - 92

महोदय, श्रीमती नीरा ऐरन ने बताया कि उनका बेटा बंटी फेरी वाले की आवाज सुनते ही रोने और **मचलने लगता है । आखिर** उसकी [525] जिद पूरी की जाती है । एक दिन मैं सो रही थी, आँख खुली तो देखा कि बंटी आइसक्रीम खा रहा है । मैंने पूछा, यह [550] आइसक्रीम कहाँ से आई ? तो **कहने लगा**, मैंने आपके तकिए के नीचे से नोट निकाल कर आइसक्रीम **खरीदी है** । मेरा माथा [575] ठनका । तकिए के नीचे देखा तो सौ का नोट गायब था । मैंने उससे पूछा बाकी पैसे कहाँ हैं ? तो कहने लगा उसने [600] एक नोट की एक **आइसक्रीम** दे दी । मैं मन मार कर रह गई । दूसरे दिन कई आइसक्रीम वालों से पूछा, पर नोट कहाँ [625] मिलना था । इस प्रकार की **खरीददारी के कारण** कई बार तो बच्चों में चोरी की आदत ही पड़ जाती है । वे अपनी **गुल्लक**, मम्मी के [650] पर्स और पापा की जेब से पैसे निकालने लगते हैं । **इस प्रकार के** पैसों का अधिक महत्व नहीं समझने के कारण अधिक मूल्य [675] दे कर वे कम और घटिया वस्तु **खरीद** लेते हैं । स्कूल जाने वाले बाल उपभोक्ता स्कूल के **वातावरण, परिवहन** साधन तथा आधी छुट्टी के समय [700] मिलने वाले खाद्य पदार्थों से **प्रभावित** होते हैं । स्कूल में पूरी फीस देने के बाद भी यदि बच्चों को हवा, प्रकाश, **जनप्रसाधन** और स्वच्छ [725] वातावरण नहीं मिलता है, तो वे स्वाभाविक ही **शोषण** के शिकार बन जाते हैं । स्कूल बस या रिक्शे में बच्चों को भेड़-बकरियों की तरह [750] यदि ठूँस कर भरा जाता है तो इसका भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । स्कूल के बाहर **खोमचों** और ठेलों पर बिकने वाली [775] चीजें प्रायः **अस्वास्थ्यकर, हानिकारक** होती हैं । बच्चे इन चीजों को बड़े स्वाद से खाते हैं । वे नहीं जानते कि मीठी इमली, चुस्की, [800] **आइसक्रीम**, मिठाई, चाट-पकौड़ी, चूरन इत्यादि में कृत्रिम हानिकारक रंगों तथा अखाद्य **पदार्थों** की मिलावट की गई है। इन्हीं से बच्चे को **खाद्य-विषाक्तता** होती है । [825]

इन सब कठिनाइयों से **बचने के लिए** बच्चों को प्रारंभ से ही जागरूक उपभोक्ता बनाने का प्रशिक्षण **दिया जाना चाहिए** । आज के [850] आर्थिक **उपभोक्तावादी** संस्कृति के युग में बच्चों को खरीददारी से वंचित नहीं **रखा जा सकता** । इसलिए बच्चों को पैसे का महत्व समझाते हुए सही [875] खरीददारी का **व्यावहारिक** ज्ञान कराना चाहिए । मेलों और बाजारों में बच्चों को ले जाते समय उनको पहले ही **समझा कर ले जाना चाहिए** । [900] उनके माँगने से पहले ही उनके मतलब की कोई चीज उन्हें दिला देनी चाहिए । इससे उन्हें कुछ संतोष मिल सकता है । [925] **विज्ञापन**, विक्रय कला के **भ्रमजाल** में न फँसने की भी **हिदायत** उन्हें **समय-समय पर** देते रहना चाहिए । विश्वास की जगह से [950] वस्तु खरीदने और फेरी वालों की ठगी से बचने की बात बच्चों के मन में बैठा देनी चाहिए । रुपए पैसे की पहचान के [975] साथ-साथ सही **नापतोल** का ज्ञान भी बच्चों को कराना चाहिए । कुशल बाल उपभोक्ता ही भविष्य में अच्छे खरीददार **सिद्ध हो सकते हैं** । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 93

भाइयो और बहनो, आज रात मैं आपसे कश्मीर **के बारे में कुछ कहना** चाहता हूँ । इस प्रसिद्ध घाटी के **सौंदर्य** के बारे में नहीं, 25 बल्कि उस **भयकंप** के बारे में, जिसका कश्मीर को हाल में **सामना करना पड़ा है** । हम लोग बहुत संकट के दिनों से होकर 50 गुजरे हैं और हमें कितने ही **महत्वपूर्ण** और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़े हैं । हमने ऐसे निर्णय किए हैं और मैं 75 आपको **उनके बारे में बताना चाहता हूँ** । पड़ोसी सरकार ने, ऐसी भाषा में, जो सरकारों की तो क्या बल्कि जिम्मेदार लोगों की भी 100 भाषा नहीं है, **भारत सरकार** पर यह आरोप लगाया है कि उसने कश्मीर को **धोखेबाजी से भारतीय संघ** में सम्मिलित किया है । ऐसी 125 भाषा के प्रयोग से मैं, उनकी **बराबरी नहीं कर सकता** और न ऐसा करने की मेरी इच्छा ही है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार 150 सरकार और जिम्मेदार जनता की तरफ से बोल रहा हूँ । मैं मानता हूँ कि कश्मीर में दंगा और बल-प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रश्न यह 175 है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? जम्मू और कश्मीर **रियासत** के बड़े हिस्से बाहरी **आक्रमण-कारियों** द्वारा, जो कि **हथियारों** और सामान से **सुसज्जित** 200 हैं, **ध्वस्त हो चुके हैं** । उन्होंने गाँवों को लूटा तथा **तबाह** किया है । उन्होंने वहाँ बहुत-से निवासियों को तलवार 225 के घाट उतार दिया है । इस **सुरम्य** और शांत देश में **भीषणता** का आक्रमण हुआ और श्रीनगर का सुंदर शहर भी नष्ट होते-होते बचा । 250

मैं यह सबसे पहले बता **देना चाहता हूँ** कि कश्मीर **के संबंध में** हमने हरेक कदम पूरे **सोच-विचार** के बाद 275 और **परिणामों** को ध्यान में रखते हुए उठाया है । और **मुझे विश्वास है कि** हमने जो कुछ किया है, ठीक किया है । इन कदमों 300 का न उठाना हमारे लिए एक **दायित्व** के प्रति धोखा देना होता और बल-प्रयोग के सामने, जिसके साथ ही साथ **अग्निकांड, स्त्रियों** 325 के साथ **बलात्कार** और कत्ल हो रहे हों, **बुज़दिली** के साथ झुक जाना होता। कुछ हफ्तों से हमें जम्मू प्रांत के रियासती **प्रदेश में** 350 आक्रमणकारी दलों के चुपके-चुपके प्रवेश करने के समाचार **मिल रहे थे**, इस बात के भी कि कश्मीर और **पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत** की सीमा 375 पर **हथियारबंद** आदमियों का जमाव हो रहा है । हम **स्वभावतः** इससे **चिंतित** हुए, न केवल इस ख्याल से कि कश्मीर और उसके लोगों 400 से हमारे निकट के संबंध हैं, बल्कि इसलिए भी कि कश्मीर बड़े-बड़े राष्ट्रों का सीमावर्ती इलाका है, इसलिए वहाँ जो कुछ हो 425 रहा है, उसमें दिलचस्पी लेना हमारे लिए **अनिवार्य** है । लेकिन हम किसी तरह का **हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे** और न हम लोगों 450 ने **हस्तक्षेप** का कोई कदम उठाया, **हालाँकि** जम्मू प्रांत के एक हिस्से पर आक्रमणकारी चढ़ आए थे । **यह कहा गया है कि** 475 जम्मू की ओर से पाकिस्तान की सीमा पार करके हमले हुए थे और मुसलमान मारे, भगाए या **निकाल दिए गए थे** । 500

प्रतिलेखन संख्या - 94

भाइयो और बहनो, हमने बुराई की **निंदा** करने में कभी **संकोच** नहीं किया है, चाहे उसके करने वाले **हिंदू** हों या सिख हों [525] या मुसलमान हों । इसलिए अगर हिंदुओं या सिखों या रियासत के कर्मचारियों ने जम्मू प्रांत में कोई **दुर्व्यवहार** किया है, तो हम **निश्चित रूप से** [550] उसकी निंदा करते हैं और उनके किए पर खेद **प्रकट करते हैं** । लेकिन मेरे सामने जम्मू सूबे के 95 गाँवों की एक **विस्तृत** [575] सूची है जिनका पाकिस्तान से आए **आक्रमणकारियों** ने **विध्वंस** किया है । भिम्बर जैसे एक काफी बड़े कस्बे को लूटकर उसे ध्वस्त **कर** [600] **दिया गया है** । और भी कस्बों पर घेरा डाल दिया गया और **पुंच्छ** और मीरपुर के इलाकों के काफी बड़े हिस्से आज हमला करने वालों [625] **के अधिकार में हैं** । क्या यह इस बात का संकेत देता है कि कश्मीर की ओर से पश्चिमी पंजाब पर आक्रमण हुए । इससे क्या [650] यह नहीं प्रकट होता कि पश्चिमी पंजाब से कश्मीर रियासत में बराबर **संगठित** हमले होते रहे हैं ? इन **हमला करने वालों** के पास नए से [675] नए ढंग के आधुनिक हथियार हैं । **यह कहा गया है कि** आग **फेंकने** वाले **अस्त्रों** का भी प्रयोग हुआ है और उनके पास एक [700] बिगड़ा हुआ टेंक भी पाया गया है । इस समय के आसपास कश्मीर रियासत ने हमसे हथियारों की माँग की । हमने **इस विषय** [725] **में** कोई जल्दी नहीं की हालाँकि हमारे रियासती और रक्षा मंत्रियों ने मंजूरी दे दी थी, **तथापि वास्तव** में कोई हथियार भेजे नहीं गए । [750]

24 **अक्तूबर** की रात को पहली बार कश्मीर रियासत की ओर से भारत में मिलने की तथा **सैनिक सहायता** की **प्रार्थना** की गई । 25 तारीख [775] को हमने रक्षा समिति में इस पर विचार किया लेकिन सेना भेजने के विषय में इस कार्य की **प्रत्यक्ष कठिनाइयों** को ध्यान में [800] रखते हुए, कोई निर्णय नहीं किया । 26 तारीख को सवेरे हमने इस मामले पर फिर विचार किया । अब तक स्थिति और भी **नाजुक** हो [825] चुकी थी । धावा करने वालों ने कई कस्बों में **लूटमार** की थी और माहोबा के विशाल **बिजलीघर** को, जहाँ से सारे कश्मीर में [850] बिजली पहुँचती है नष्ट कर दिया था । वे घाटी में प्रवेश करने ही वाले थे । **श्रीनगर** और सारे कश्मीर का भाग्य **अधर में था** [875] हमारे पास सहायता माँगने के जरूरी संदेश न केवल महाराज की सरकार की ओर से, बल्कि जनता के **प्रतिनिधियों** की ओर से भी आए, [900] खासकर कश्मीर के उस बड़े नेता और **नेशनल कांफ्रेस** के सभापति शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के पास से । कश्मीर सरकार और नेशनल कांफ्रेंस दोनों [925] ही ने इस पर ज़ोर दिया कि कश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश हम स्वीकार करें । हमने इस प्रवेश को स्वीकार करने का और [950] **हवाई जहाजों** से सेना भेजने का निश्चय किया, लेकिन हमने एक शर्त लगाई कि इस प्रवेश पर रियासत में शांति और व्यवस्था स्थापित हो [975] **जाने के बाद** कश्मीर की जनता की राय ली जाए । हमें इस बात की चिंता थी कि हम कोई **अंतिम निर्णय** न कर लें । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 95

सभापति जी, जब से इस विश्वविद्यालय ने अपना नया रूप धारण किया है तब से यह पहला अवसर है कि मैं इसके आचार्यों [25] और स्नातकों से अपनी कुछ बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ। भारत में जिन विश्वविद्यालयों को इस दृष्टि से कि उनकी स्थापना [50] को अभी पूरे 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं नया कहा जा सकता है, उनमें वाराणसी विश्वविद्यालय को छोड़कर संभवतः यही विश्वविद्यालय [75] सबसे पुराना है। किंतु अभी कुछ ही दिन पहले इसने अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। इस दृष्टि से यह इन सब नवीन विश्वविद्यालयों [100] में नवीनतम विश्वविद्यालय माना जा सकता है। अभी इसकी परंपराओं की, शृंखलाएँ इतनी कठोर नहीं हो गई हैं कि यह नए पथ पर [125] सरलता से अग्रसर न हो सके। अतः मैं इससे यह आशा करता हूँ कि यह अपनी शिक्षा का ढंग कुछ ऐसा रखेगा जिससे [150] कि यह मानव जीवन की शिक्षा के सब प्रयोजनों को पूरा कर सके। मैं यह कई अवसरों पर और कई स्थानों पर कह चुका [175] हूँ कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, चाहे वह प्राथमिक विद्यालयों की, माध्यमिक विद्यालयों की अथवा विश्वविद्यालयों की हो, उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करती प्रतीत [200] नहीं होती। कम से कम यह बात तो है ही कि यह ऐसी नहीं है कि शिक्षा के उद्देश्यों को संतुलित रीति से पूरा कर [225] सके। आपकी अनुमति से इस संबंध में मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

मेरा यह मत है कि शिक्षा के तीन उद्देश्य [250] होते हैं जिनमें से दो उद्देश्य तो व्यक्ति के अपने निजी जीवन से संबंध रखते हैं और तीसरा व्यक्ति के सामूहिक जीवन से संबंधित है। [275] प्रथमतः शिक्षा का यह प्रयोजन है कि वह व्यक्ति की ईश्वर प्रदत्त सहज विवेक-बुद्धि की सामर्थ्य और क्षमता को बढ़ाए। यह ठीक है कि [300] मानव को विवेक-बुद्धि जन्म से ही प्रकृति या ईश्वर से मिली हुई होती है किंतु अपनी नैसर्गिक अवस्था में इसकी सामर्थ्य और क्षमता [325] अत्यंत सीमित होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल उसी के सहारे छोड़ दिया जाए तो अपनी देशकाल की सीमाओं के कारण वह उससे [350] न तो अपना ही कोई लाभ उठा सकेगा और न अपने अन्य भाइयों का कोई भला कर सकेगा। किंतु यदि उसकी विवेक-बुद्धि को [375] पिछली पीढ़ियों की संचित अनुभूति से संपन्न कर दिया जाता है तो उसकी शक्ति और क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि उस [400] अवस्था में उसे अपने और बाह्य चराचर जगत के बारे में ऐसी अनेक उपयोगी और आवश्यक बातें ज्ञात हो जाती हैं जिन्हें वह केवल अपने [425] विवेक या विचार-शक्ति से नहीं जान सकता था। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया द्वारा उसकी विवेक-बुद्धि इतनी सक्षम और सामर्थ्यवान हो जाती [450] है कि उसके सहारे वह अपने को और अपने चारों ओर के जड़ और सजीव जगत को समझने और उसमें रहकर अपने जीवन [475] को ठीक दिशा में चलाने के योग्य हो जाता है। बुद्धि एवं विचार-शक्ति को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 96

सभापति जी, शिक्षा का दूसरा **प्रयोजन** यह है कि वह प्रत्येक मानव को अपनी **कर्मेन्द्रियों** का ऐसा प्रयोग सिखाए जो उसे अपनी **शारीरिक** और अन्य [525] प्रकार की **आवश्यकताओं** की पूर्ति करने के योग्य बना सके । इन कर्मेन्द्रियों के उचित प्रयोग के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता होती है । कितना ही [550] **सबल** व्यक्ति क्यों न हो, कितना ही **स्फूर्तिमय** कोई क्यों न हो, वह तब तक कुछ अधिक फलमय कार्य **नहीं कर सकता** जब तक कि [575] उस कार्य के संपादन के लिए उसकी कर्मेन्द्रियों को आवश्यक **प्रशिक्षा** न मिली हो अथवा उन्हें उसका **अभ्यास** न कराया गया हो । [600] शिक्षा का तीसरा प्रयोजन मेरे विचार में यह है कि व्यक्ति में अपने जैसे ही सब व्यक्तियों के साथ रहने और उनके साथ **काम** [625] **करने के लिए** आवश्यक गुणों का उदय हो जाए । इच्छा से अथवा **अनिच्छा** से प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही जैसे अन्य **व्यक्तियों** के साथ तो [650] रहना ही पड़ता है । **संसार** से दूर कोई भी अपनी अलग कुटिया नहीं बना सकता और न बना पाता है । **एकाकी जीवन** कवि की सुंदर [675] कल्पना के **अतिरिक्त** न तो **वास्तविक** तथ्य है और न हो सकता है । व्यक्ति चाहे कुछ **क्षण** के लिए एकाकी रह सके किंतु **सर्वदा** वह [700] एकाकी रह ही नहीं सकता । अत: जब **सामूहिक जीवन मानव जीवन** का अनिवार्य तथ्य है तब यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ रहने [725] की कला आ जाए । पिछली **शताब्दियों** में जब सामूहिक जीवन का क्षेत्र सीमित था और जब आर्थिक क्रियाएँ इतनी **केंद्रित** नहीं हुई थीं, इन तीनों [750] प्रयोजनों के लिए **संगठित** प्रयास करने की तथा उनमें **प्रतिक्षण** संतुलन बनाए रखने की विशेष आवश्यकता न थी। किंतु आज तो सामूहिक जीवन का क्षेत्र [775] भूमंडलव्यापी है और आर्थिक क्रियाओं का **सीमातिरेक संकेंद्रण** हो गया है । अत: आज **यह बात अत्यंत आवश्यक है कि** प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रक्रिया [800] द्वारा इन तीनों बातों से केवल पूर्ण परिचित ही न कराया जाए वरन उसको **कार्यरूप में अपनाने** के योग्य भी **बना दिया जाए ।** [825]

अत: पिछली कुछ दशाब्दियों में सारे जगत के लोगों को **अतीत** से दाय में मिली **शिक्षा-व्यवस्था** में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता का [850] अनुभव होता रहा है और **विभिन्न देशों** में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते भी रहे हैं । **यह कहना अनुचित न होगा कि** पिछले दिनों जगत [875] भर में शिक्षा के क्षेत्र में भी वैसी क्रांति होती रही है जैसी कि आर्थिक और राजनीतिक जगत में हुई है । किंतु **दुर्भाग्यवश** हमारे [900] देश में और **विशिष्टतया** इस बिहार राज्य में शिक्षा के बारे में वैसी कोई व्यापक क्रांति नहीं हुई । इस दिशा में लोगों का ध्यान तो [925] गया है किंतु कार्यक्षेत्र में उसका अभी कोई **उल्लेखनीय** फल दिखाई नहीं पड़ता । **यह ठीक है कि** किसी सीमा तक हमारी शिक्षा संस्थाएँ [950] शिक्षा के प्रथम प्रयोजन को पूरा करती हैं । इन संस्थाओं के **सदस्यों** को पिछली **पीढ़ियों** की **संचित** अनुभूति से किसी सीमा तक परिचित अवश्य कराया जाता [975] है । किंतु यह परिचय कराने का जो उद्देश्य है अर्थात् विवेक या विचार -बुद्धि को सजग, **सक्षम** और **सामर्थ्यवान** बनाना वह पूरा नहीं हो रहा है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 97

देशवासियो, मैंने अभी-अभी **राष्ट्रपति** के पद की **शपथ ली है** और इस महान देश की सेवा में अपने को **समर्पण** कर देने का **दृढ़** निश्चय 25 व्यक्त किया है । मैं आपके सामने भारत के **गणराज्य** के प्रतीक और **चिह्नस्वरूप** राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हूँ । हमें अपने प्राचीन 50 इतिहास में देश के **विभिन्न भागों** में और विभिन्न युगों में **गणराज्यों** की स्थापना के उल्लेख मिलते हैं, किंतु उनका **प्रभुत्व** देश के छोटे-छोटे 75 भागों तक ही सीमित था और हमें उनकी **राज्य-पद्धति** का भी **पूरा ज्ञान नहीं है। यह पहला ही अवसर है** जब यह सारा देश 100 **एकछत्र** गणराज्य के **आधिपत्य** और शासन के नीचे आया है । हमारे संविधान ने इस गणराज्य की व्यापक **नींव** का आधार इस देश 125 के सब **वयस्क स्त्री-पुरुषों** को बनाया है। भारत के प्रशासन और उसके भाग्य का निर्माण **करने के लिए** करोड़ से अधिक भारतीयों 150 ने अपने **प्रतिनिधि** चुने हैं । इन प्रतिनिधियों ने मुझे राष्ट्रपति चुना है और यह कार्य करके उन्होंने उस संविधान को **कार्यान्वित** 175 किया है जिसे हमने इतने **परिश्रम** से बनाया था । **व्यक्तिगत रूप में**, आपके एक देशवासी के नाते तथा इससे भी 200 कहीं अधिक भारत की **स्वतंत्रता** के संघर्ष में आपमें से अनेक के एक साथी के नाते, मैं आपके विश्वास के इस **अपूर्व** प्रदर्शन 225 के लिए अत्यंत **कृतज्ञ** हूँ । किंतु कृतज्ञता से भी कहीं अधिक मैं इस उच्च पद के **गुरुतर उत्तरदायित्व** और भार का **अनुभव कर रहा हूँ** । 250

इस **लोकतंत्रात्मक** गणराज्य की **स्थापना** तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ही हो सकती थी। अतः इस स्वतंत्रता को, जिसे हमने कई 275 **पीढ़ियों** के **संघर्ष** और **तपस्या** के बाद प्राप्त किया है **सुरक्षित** रखना हममें से प्रत्येक का प्रथम और **सर्वोपरि** कर्तव्य है । 300 **हमारा अटल उद्देश्य यह है कि** हम जनता की स्थिति सुधारें और उसकी उन्नति करें, किंतु देश के सुधार और **उन्नति** की हमारी सब 325 योजनाएँ हमारी स्वतंत्रता स्थिर बने रहने पर ही निर्भर करती हैं। उसी **आधारभूत** स्वतंत्रता पर ही तो हमारा **वैयक्तिक** और **राष्ट्रीय जीवन** निर्भर है । 350 अतः आपके समान ही मेरा भी यह कर्तव्य है कि चाहे जो भी त्याग करना पड़े, हम इस स्वतंत्रता को **स्थिर** बनाए रखें और 375 इसकी रक्षा करें। इस कर्तव्य को **पूरा करने में** मेरा प्रथम और सर्वोपरि प्रयास यह होगा कि देश के विभिन्न भागों, विभिन्न धर्मों और 400 विचारों के लोगों के प्रति मैं समता और **निष्पक्षता** बरतूँ । दूसरा कर्तव्य, जिसमें कि मैं आपका **सहभागी हूँ**, यह है कि मैं अन्य सब 425 देशों की मैत्री प्राप्त करने का प्रयास करूँ और उनसे सहयोग करने के रास्ते निकालूँ । इस देश के सब लोगों से **मेरा निवेदन है** 450 **कि** वे मुझे अपने में से ही एक मानें और मुझे ऐसा अवसर और **प्रोत्साहन** दें जिससे मैं यथाशक्ति उनकी सेवा कर सकूँ । 475 भगवान से मेरी विनती है कि वह मुझे शक्ति और सुबुद्धि दे ताकि मैं सच्ची **सेवा-भावना** से अपने **कर्तव्यों** और **उत्तरदायित्वों** को **पूरा कर सकूँ** । 500

प्रतिलेखन संख्या - 98

आदरणीय सदस्यो, **भारत गणराज्य** की **सर्वप्रथम** संसद के, जो हमारे **संविधान के अनुसार** चुनी गई हैं, सदस्यों के रूप में मैं आप लोगों का **स्वागत** [525] **करता हूँ । विधान सभाओं** की रचना और राज्य के अधिपति संबंधी संविधान के उपबंधों को हमने पूरी तरह से **कार्यान्वित किया है** और इस [550] प्रकार हमने अपनी यात्रा की एक **मंजिल पूरी कर ली है।** जैसे ही यह मंजिल समाप्त होती है दूसरी मंजिल **शुरू हो जाती है ।** [575] कोई भी जाति या राष्ट्र अपनी भावी निर्माण-यात्रा में आराम से नहीं बैठ सकता । 17 करोड़ से अधिक भारतीयों द्वारा **नव-निर्वाचित** संसद के सदस्यों के [600] रूप में आप ऐसे यात्री हैं जिन्हें उनके साथ-साथ आगे बढ़ना है । आपका यह बड़ा सौभाग्य है और आप पर भारी **उत्तरदायित्व** [625] **है** । इस **ऐतिहासिक** अवसर पर जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे अपने प्राचीन देश और उसमें बसने वाले करोड़ों **नर-नारियों** का [650] ध्यान हो उठता है । भाग्य हमारे सामने है और यह हमारा काम है कि हम उसके **निमंत्रण** को स्वीकार करें । वह आवाहन महान भारत [675] देश की **सेवा के लिए** है जिसने इतिहास के **ऊषाकाल** से ही, जबकि **सहस्रों** वर्ष पूर्व उसकी कहानी आरंभ हुई थीं [700] **सुदिन** और **दुर्दिन** दोनों ही देखे हैं । इस दीर्घकाल में इस देश को महान गौरव भी मिला और हमारा भाग्य **विपत्तिमय** भी रहा । [725] अब **जबकि** हम भारत की लंबी कहानी का नया **अध्याय आरंभ करने वाले** हैं, हमें पुनः यह निर्णय करना है कि हम उसकी [750] **सर्वोत्तम सेवा** किस प्रकार कर सकते हैं । आपने और मैंने अपने इस देश की सेवा का व्रत लिया है । मेरी प्रार्थना है कि हम [775] अपने व्रत में **सत्य-निष्ठ** सिद्ध हों और इसे **पूरा करने के लिए** अपना तन-मन-धन लगा दें ।

सुदीर्घ काल की **पराधीनता के** [800] बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है । **सब** कुछ सह कर भी इस स्वतंत्रता को बनाए रखना है, बचाना है और **बढ़ाना** है, क्योंकि [825] इसी स्वतंत्रता **के आधार पर** ही तो प्रगति की जा सकती है । किंतु केवल स्वतंत्रता ही **पर्याप्त नहीं है** । उसे अपने साथ जनता को भी [850] कुछ सुख-लाभ कराना चाहिए और वे जिन बोझों से दबे हुए हैं, उनको **कम करना चाहिए,** इसलिए, यह बात हमारे लिए [875] अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, कि हम तेजी के साथ जनता की आर्थिक **उन्नति करने के लिए** जुट जाएँ और समता तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय [900] के जो उच्च आदर्श हमारे **संविधान** में अंकित हैं, उनको **पूरा करने के लिए** हम प्रयास करने लगें । अपने सारे इतिहास में भारत ने [925] **मानवात्मा** की कुछ अन्य **प्रेरणाओं** का **प्रतिनिधित्व** किया है । **संभवतः भारतवर्ष** का विशिष्ट **लक्षण** यही रहा है और अभी हाल में ही उस **प्राचीन** [950] **भावना** के उत्तम प्रतीक को हमने **महात्मा गांधी** के रूप में देखा है, जिन्होंने अपने **नेतृत्व** में हमें स्वतंत्रता दिलाई । उनकी दृष्टि [975] में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कदम था, पर **मानवात्मा** की **महत्तर** स्वतंत्रता की दृष्टि से वह केवल एक **प्रयास** मात्र था । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 99

महोदय, **भारत सरकार** देश की **आर्थिक स्थिति** पर **बराबर गौर करती रही है** । मैंने संसद के अपने पिछले **अभिभाषण** में थोक दामों में थोड़ी [25] कमी का उल्लेख किया था । कमी की ओर का यह **झुकाव** फरवरी और मार्च के महीनों में और जोर से बढ़ गया । कुछ **अंश** में [50] यह सारे संसार में चीजों की कीमतों के **पुनः समायोजन** के कारण हुआ। जो कमी 1950 में ही **शुरू हुई थी**, वह कोरिया में युद्ध [75] आरंभ **हो जाने के कारण** कुछ रुक-सी गई थी । कोरिया में विराम-संधि की आशा की झलक से कीमतों के पुनःसमायोजन की यह प्रक्रिया [100] जोर पकड़ गई है । देश में अधिक उत्पादन होने से और **उपभोक्ताओं** द्वारा ऊँची कीमतों का **अधिकाधिक** विरोध किए जाने से इस पुनःसमायोजन [125] के झुकाव को और भी बल मिला है । रुपए और **साख संबंधी** सरकारी नीति ने भी जो **मुद्रास्फीति** रोकने के विचार से आरंभ की [150] गई थी, दामों को गिराने में सहायता की है । जो लोग वाणिज्य और कारबार में लगे हैं, वे और **विशेषकर** कपड़े और पटसन की [175] बुनाई के कारबार वाले मूल्यों में **गिरावट** आने से कुछ संकट में पड़ गए हैं । इससे हमारे निर्यात से जो आय होती है उसमें [200] भी कमी **होने लग गई है** । हमारी सरकार स्थिति को बहुत **ध्यानपूर्वक** देख रही है जिससे इसका हमारे यहाँ के उत्पादन पर [225] और लोगों को धंधा मिलने पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े । उसका विचार है कि मूल्यों को एक उचित स्तर पर ठहरा **देने के** [250] **लिए** जो कार्यवाही आवश्यक होगी, वह करेगी । इस बात की **मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि** एक नया उत्पादन **मंत्रालय** स्थापित किया गया है । सरकार के [275] कारखानों के उत्पादन का बड़ा महत्व है और इस काम के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना किए जाने से स्पष्ट है कि इस [300] ओर विशेष **ध्यान दिया जाएगा** ।

सरकार ने पिछले वर्ष संसद को **आश्वासन दिया था कि समाचार-पत्रों** संबंधी विविध प्रश्नों पर **विचार करने के लिए** एक [325] पत्र-आयोग नियुक्त किया जाएगा । आशा है कि सरकार निकट भविष्य में ही ऐसा आयोग नियुक्त करेगी । ऐसा सोचा गया है कि संसद के [350] सामने समाचार-पत्र कानून जाँच समिति की **सिफारिशों से उद्भूत** एक विधेयक उपस्थित किया जाए। संसद का यह **सत्र** विशेष रूप **से बजट** का काम [375] करेगा और दूसरे प्रकार के कानून बनाने के लिए शायद बहुत समय नहीं मिलेगा । 1952-53 के **वित्तीय** वर्ष के लिए भारत सरकार की [400] **आय-व्यय** का अनुमान-पत्र पेश किया जाएगा और लोक-सभा के सदस्यों को खर्च की माँगों पर विचार करके उनको पारित [425] करना होगा । **अंतर्कालीन** संसद के अंतिम सत्र के बाद, **सौराष्ट्र पोर्ट डवलपमेंट** लेवी का **निरसन करने के लिए** एक **अध्यादेश** जारी **करना आवश्यक** [450] **हो गया था** । वह अध्यादेश आपके सामने एक नए विधेयक के रूप में आएगा और आपसे निवेदन किया जाएगा कि [475] आप उस पर विचार करें और उसको पारित करें । एक दूसरा अध्यादेश 1950 को जारी **रखने के लिए** जारी किया जाएगा । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 100

महोदय, हमारे बीच आज **पाकिस्तान** के **अध्यक्ष** की **उपस्थिति** इस सुखद **परिवर्तन** का प्रमाण है । **व्यक्तिगत** असुविधा के **बावजूद** उन्होंने **गणराज्य दिवस समारोह** 525 देखने के लिए हमारा **निमंत्रण** स्वीकार किया और वे यहाँ पधारे हैं। विदेशों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क की दिशा में यह वर्ष **चिरस्मरणीय** रहेगा। इस 550 वर्ष बाहर से कई एक **सम्माननीय महानुभाव** हमारे देश में आए । उनमें **यूगोस्लाविया** के राष्ट्रपति, चीनी लोकराज्य के **प्रधानमंत्री**, श्रीलंका के प्रधानमंत्री 575 और **इंडोनीशिया** के प्रधानमंत्री का मैं विशेष **उल्लेख करना चाहूँगा** । इन महान नेताओं का स्वागत करना हमारा सौभाग्य था । रूस, चीन तथा **अफ़गानिस्तान** के **सांस्कृतिक** 600 **शिष्टमंडल** भी इस वर्ष हमारे देश में आए । इन शिष्टमंडलों को भारत में बहुत **लोकप्रियता** मिली । ऐसे आगमनों और राष्ट्रों में सांस्कृतिक 625 शिष्टमंडलों के **आदान-प्रदान** की **उपादेयता** निश्चय ही बहुत अधिक है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों में हमारी आस्था **यथापूर्ण** स्थिर है । फिर भी, 650 मेरे विचार से विभिन्न **भूखंडों** के राष्ट्रों द्वारा सामान्य समस्याओं पर **विचार करने के लिए** पारस्परिक **विचार-विमर्श**, उस महान विश्व संगठन के उद्देश्य अथवा 675 आदर्शों के प्रतिकूल नहीं । एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र इंडोनीशिया में अपना एक सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें वे निजी समस्याओं पर विचार करेंगे । 700 **मुझे बहुत प्रसन्नता है कि** बोगोर सम्मेलन और **प्रस्तावित** जकार्ता सम्मेलन का आयोजन करने में भारत कुछ **सहायता कर सका है** । यह सब कार्य 725 निश्चय ही बहुत बड़े हैं, इनसे हमें **आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प** और आत्मविश्वासी बने रहने की **प्रेरणा** मिलती है । यह उस नए 750 युग का **आरंभ मात्र** है जिस भू पर उतरने की हम **प्रतिज्ञा कर चुके हैं** । जो महान कार्य हमने अपने ऊपर लिए हैं, 775 उन्हें संपन्न करने के लिए भारत को अपने प्रत्येक नागरिक की **सद्भावना**, सहयोग तथा सहायता की अपेक्षा है । यह अब **प्रत्यक्ष** होता जा रहा है 800 कि लोगों में आशा तथा **आत्मविश्वास** की कमी नहीं और भारत के **भविष्य** में उन्हें पूर्ण विश्वास है । **ये शुभ लक्षण हैं** । अपने पिछड़े 825 हुए और दलित भाइयों से दो शब्द कह कर मैं इस संदेश को **समाप्त करता हूँ** । हम अपनी **प्रतिज्ञाओं** से मार्गदर्शन और उन उच्च 850 आदर्शों से **उत्प्रेरित** हों, जिनका सदियों से भारत ने आदर किया है और जिनका फिर से स्मरण **कराने के लिए महात्मा गांधी** 875 ने इतना गंभीर प्रयत्न किया, जो भारत में सच्चा **कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए कटिबद्ध** हैं- ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाएँगे जिसमें प्रत्येक नागरिक को न 900 केवल समान अधिकार और समान अवसर मिलेगा, बल्कि वह अपने देश के प्रति कर्तव्य का भी स्वेच्छा से पालन करेगा । मेरी आज **यह प्रार्थना है** 925 **कि** हमारा यह आदर्श ध्रुव तारे के समान हमारे पथप्रदर्शन के लिए हमें प्रेरणा देने के लिए सदा हमारे सामने रहे । मैंने यह प्रयत्न 950 किया है कि संसद के इस सत्र में जो काम आपके सामने आएँगे उनमें से कुछ आपको बता दूँ । मुझे आशा है कि 975 आपका **परिश्रम** हमारे देश के **कल्याण के लिए** सफल होगा और भारत गणराज्य की यह नई संसद **मैत्रीपूर्ण** सहयोग का एक उदाहरण उपस्थित करेगी । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 101

अध्यक्ष महोदय, **प्रारंभिक** दौर के भारतीय **राष्ट्रवादी** नेताओं का विश्वास था कि राजनीतिक **मुक्ति के लिए** सीधे **संघर्ष** का कार्यक्रम इतिहास की [25] कार्यसूची में अभी नहीं था । कार्यसूची में था, **राष्ट्रवादी भावना** का पैदा किया जाना, उसे गहन करना, राष्ट्रवादी राजनीति के दायरे [50] में भारतीय जनता को अधिक संख्या में लाना और उन्हें राजनीति और **राजनीतिक आंदोलन** और **संघर्ष के लिए** प्रशिक्षित करना । इस दृष्टि से पहला [75] महत्वपूर्ण कार्य था राजनीतिक प्रश्नों में जनता की रुचि उत्पन्न करना और देश में **जनमत का संगठन** । दूसरा, **देशव्यापी स्तर** पर लोकप्रिय [100] माँगों को **व्यवस्थित रूप में** रखना ताकि विकसित होता हुआ जनमत सारे देश का ध्यान **आकर्षित कर सके** । पहले चरण में, सबसे महत्वपूर्ण था [125] **राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध देशवासियों** और राजनीतिक नेताओं–कार्यकर्ताओं में **राष्ट्रीय एकता की भावना** का जागरण । प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादी इस तथ्य के प्रति [150] **पूर्णतया सतर्क** थे कि भारत निर्माण की प्रक्रिया में है । भारतीय राष्ट्रीयता धीरे–धीरे **अस्तित्व** में आ रही थी, अतः यह मानकर नहीं चला [175] जा सकता था कि इसकी **सिद्धि हो गई है** । राजनीतिक नेताओं को क्षेत्र, जाति और धर्म के **पूर्वाग्रहों** से मुक्त होकर राष्ट्रीय एकता की [200] भावना को गहराने और विकसित करने का काम **निरंतर** और **अनिवार्य रूप में** करना ही था । **उदाहरण के लिए**, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आशा की कि [225] वह देश **के विभिन्न भागों** के **सक्रिय** राष्ट्रवादियों के बीच मित्रता के संबंधों को **प्रगाढ़** करने की दिशा में एक छोटी–सी शुरुआत करेगी । [250] प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक माँगों **को इस दृष्टि से तैयार किया था** ताकि वे भारतीय जनता को एक समान [275] आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर **संगठनबद्ध** कर सकें ।

संभवतया प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों को सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक काम उनका [300] **साम्राज्यवाद** का आर्थिक विवेचन था । उन्होंने उस वक्त के **आर्थिक शोषण** के तीनों रूपों – यानी व्यापार, उद्योग और वित्त पर नज़र रखी । [325] वे **अच्छी** तरह समझ गए कि ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्यवाद के पीछे सार दृष्टि भारतीय **अर्थव्यवस्था** को ब्रितानी अर्थव्यवस्था के अधीन रखना है । [350] उन्होंने **औपनिवेशिक** अर्थव्यवस्था के **मूलभूत लक्षणों** को विकसित करने के ब्रितानी प्रयत्न का जोरदार विरोध किया । उन्होंने **उपनिवेशवादी** ढाँचे पर खड़ी [375] सरकार की प्रायः सभी **आर्थिक नीतियों** के विरोध में **प्रभावशाली** आंदोलन आयोजित किए । **अलावा इसके**, उन्होंने **आर्थिक** जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह [400] पैरवी की कि भारत पर ब्रिटेन की आर्थिक **अधीनस्थता** कम की जाए – यहाँ तक कि उसे **समाप्त कर दिया जाए** । इस दौर के राष्ट्रवादियों [425] ने भारत की बढ़ती हुई गरीबी की चर्चा अपने लेखों और **भाषणों** में निरंतर की और उसे ब्रिटेन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण से जोड़ा । [450] दादाभाई नौरोजी ने इशारा किया कि भारतवासी 'मात्र परजीवी–दास' थे । वे अमरीकी गुलामों से भी **बदतर** थे क्योंकि उनकी देखरेख [475] उन अमेरिकी मालिकों द्वारा की जाती थी जिनकी वे संपत्ति **थे** । उन्होंने घोषणा की कि ब्रितानी शासन, पूरी तरह देश को **नष्ट कर रहा है** । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 102

अध्यक्ष महोदय, इन राष्ट्रवादियों ने परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग के विनाश और आधुनिक उद्योगों के विकास को बाधित करने वाली सरकार की आर्थिक [525] नीतियों की निंदा की। उनमें से अधिकतर ने भारत की रेलों, उद्योगों और चाय-काफी के बागानों में लगाए जाने के लिए बड़ी मात्रा [550] में विदेशी पूँजी के आयात पर इस आधार पर विरोध किया कि उसकी वजह से भारतीय पूँजीपति दब जाएँगे, और साथ ही भारत [575] की अर्थव्यवस्था पर, उसके शासनतंत्र पर ब्रिटेन की जकड़ और मज़बूत होगी। उन्हें यकीन था कि विदेशी पूँजी के निवेश ने [600] न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक गंभीर आर्थिक और राजनीतिक खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने विदेशी पूँजी को [625] देश से बाहर रखने के लिए सक्रिय प्रशासनिक कदम उठाने की माँग की। गरीबी को दूर करने के मुख्य उपाय के रूप में प्रारंभिक दौर [650] के इन राष्ट्रवादियों ने भारतीय जीवन के हर क्षेत्र को आधुनिक बनाने और खास तौर पर आधुनिक उद्योगों को विकसित करने का सुझाव दिया। [675] लेकिन तीव्रगामी उद्योगीकरण के लिए सरकार की सक्रिय सहायता और शुल्क से बचाव के लिए एक नीति की आवश्यकता थी। [700] उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह वित्तीय रियायतें देकर, सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारी नियंत्रण में चलने वाले बैंकों से ऋण और [725] जमानत दिलवाकर, तथा विदेशों से कर्ज प्राप्त करने और उसे देश में लगाने की व्यवस्था करके भारतीय उद्योग की सहायता करे। क्योंकि [750] भारतीय पूँजीपतियों में इस्पात और खान जैसे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकने की बिल्कुल सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन औद्योगिक विकास के लिए यह [775] आवश्यक था, अत: सरकार अपनी पूँजी लगाकर उस क्षेत्र के उद्योग को बढ़ावा दे। औद्योगिक-व्यापारिक सूचनाओं के एकत्रण और प्रसारण तथा तकनीकी [800] शिक्षा को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करे।

भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन राष्ट्रवादियों ने माध्यम के रूप में [825] स्वदेशी के विचार को भी प्रचारित किया। सन् 1877 के शाही दरबार में गणेश वासुदेव जोशी हाथ की बुनी विशुद्ध खादी की पोशाक [850] में उपस्थित हुए थे। सन् 1896 में महाराष्ट्र में एक प्रभावशाली स्वदेशी आंदोलन आयोजित किया गया था जिसमें छात्रों ने खुलेआम [875] विदेशी कपड़ों की होली जलाई। राष्ट्रवादियों ने सन् 1875 से 1880 के बीच आयात पर शुल्क खत्म करने और सन् 1894-96 में [900] रुई पर आबकारी कर लगा देने के लिए विरोध अखिल भारतीय स्तर पर सशक्त आंदोलन चलाया। इस आंदोलन ने पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना [925] को उभारने और ब्रितानी शासन के वास्तविक लक्ष्यों और उद्देश्यों की जानकारी देने में एक बड़ी भूमिका निभाई। 28 जनवरी, 1896 को पूना के [950] केसरी ने लिखा : "निश्चय ही भारत को एक विस्तृत चारागाह समझा जाता है जो मात्र यूरोपियों के चरने के लिए आरक्षित है।" भारतीय [975] राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने विधानमंडल में सन् 1896 में कहा, "गो, भारत ब्रितानी सत्ता की शक्तिशाली बाँहों में, विदेशी खतरे से सुरक्षित है। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 103

उपसभापति महोदय, **भारत सरकार** ने हमारे महान पड़ोसी चीन को एक **सांस्कृतिक शिष्टमंडल** भेजा है । वह शिष्टमंडल **भारतीयों** का चीन के लोगों 25 के प्रति **अभिनंदन** और **सद्भावना** लेकर गया है । चीन की सरकार और चीन के लोगों ने उसका जो **हार्दिक** स्वागत किया है उसके 50 लिए मैं **कृतज्ञता प्रकट करता हूँ** । मुझे दुख है कि **दक्षिण अफ्रीका** की सरकार की **जातीय नीति** अभी भी जारी है और उसके कारण 75 गंभीर **परिस्थिति** पैदा हुई है । भारतीय इस नीति से बहुत चिंतित हैं क्योंकि भारतीय उद्भव के अनेक लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं । किंतु 100 यह प्रश्न अब केवल दक्षिणी अफ्रीका के **हिंदुस्तानियों** का ही प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि उसका महत्व कहीं अधिक बड़ा और **विस्तृत** हो 125 गया है । यह जातिगत **आधिपत्य** और जातिगत **असहिष्णुता** का प्रश्न है । अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों से भी अधिक अब यह अफ्रीका के 150 रहने वालों के भविष्य का प्रश्न है । इस प्रश्न और ऐसे ही अन्य प्रश्नों के **निपटारे** में **विलंब** करना समस्त मानव जाति के लिए **अच्छा** 175 **नहीं है । मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि** अफ्रीका में वहाँ के **आदिवासियों** और वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों के बीच मैत्री भाव बढ़ रहा है । 200 हमारी इच्छा अफ्रीका के लोगों की उन्नति में **लेशमात्र हस्तक्षेप** करने की नहीं है, बल्कि जहाँ तक हो सके हम उनकी **सहायता करना** 225 **चाहते हैं** ।

मुझे यह भी खेद है कि श्रीलंका में बहुत दिनों से रहने वाले अनेक भारतीय मत देने के अधिकार से **वंचित कर दिए** 250 **गए हैं** । वे **श्रीलंका** के वैसे ही नागरिक होने का **दावा करते हैं** जैसे कि उस देश के अन्य निवासी करते हैं । श्रीलंका के साथ 275 हमारा संबंध **सहस्त्रों** वर्षों से रहता आया है और हमारे संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण रहे हैं । हमने श्रीलंका की स्वतंत्रता का स्वागत किया था और 300 **हम यह आशा करते थे कि** उसके लोग स्वतंत्र जाति के रूप में **हर प्रकार की** प्रगति करेंगे पर वहाँ के **नागरिकों** की एक 325 बड़ी संख्या को उनके अपने **नैसर्गिक स्वत्वों** से वंचित कर देने से सच्ची प्रगति नहीं हो सकती । उससे तो **बहुतेरे** जटिल प्रश्न और 350 उलझनें ही पैदा हो सकती हैं जैसे कि हो भी गई हैं । पिछले अनेक वर्षों से हमारे यहाँ **खाद्य पदार्थों** की कमी रही है और 375 अन्न बड़ी मात्रा में बाहर से लाना पड़ा है । इस काम में **संयुक्त राज्य अमेरिका** से हमें बड़ी सहायता मिली है और उस महान देश 400 ने जो **उदारतापूर्ण** सहायता की है, उसके लिए हम **कृतज्ञ** हैं। हाल के इतिहास में आज पहले-पहल चावल को **छोड़कर** और सब 425 अन्नों का हमारे पास बड़ा **भंडार** है और हम एक बड़ा भंडार बना रहे हैं जिससे आवश्यकता पड़ने पर हमें सहायता प्राप्त हो सकेगी । 450 इस बात का तो हमें **स्वागत करना चाहिए** । किंतु देश के बड़े भागों में वर्षा न होने से यहाँ के **लोगों के लिए** कठिन समस्या 475 पैदा हो गई है । लगातार पाँच सालों तक रायलसीमा में **अनावृष्टि** का कष्ट सहना पड़ा है और वहाँ आज **पानी की आवश्यकता है** । 500

प्रतिलेखन संख्या - 104

उपसभापति महोदय, योजनाएँ हाथ में ली गई हैं जिनके द्वारा लोगों को काम मिल रहा है और सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं । [525] जहाँ आवश्यक है, वहाँ मुफ्त खाना भी **दिया जा रहा है । विदेशों** से आए हुए अन्न की कीमत अधिक **होने के कारण** अन्न का दाम [550] चढ़ गया है । सरकार की ओर से घाटा सहते हुए सस्ता अन्न बेचकर जो सहायता की जाती थी, उसे कम कर देने से भी [575] **कीमतों** में **बढ़ोतरी** हुई है और जहाँ नाप-तोल कर **अन्न** बाँटा जाता था, वहाँ लोगों का कष्ट कुछ बढ़ा है और कुछ **असंतोष** पैदा [600] हुआ है । वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आने से इसका प्रभाव कुछ कम हो गया है । अन्न **संबंधी** सहायता कम कर दिए जाने के [625] कारण कई **राज्यों की सरकारों** ने अन्न **आयात** करने की अपनी आवश्यकता का **वास्तविकता** की दृष्टि से **अपेक्षाकृत** अधिक ठीक अनुमान लगाया है और इससे [650] जो अन्न की माँग राज्यों से आया करती थी, वह कुछ कम हो गई है और **फलतः** उनका आयात कम हो जाएगा । यह आज [675] की स्थिति में और आगे के लिए भी अवश्य ही लाभदायक है । जो राशि अन्न **संबंधी** सहायता न देने से बची है, वह **छोटी-मोटी** [700] आवश्यक योजनाओं में लगा दी जाएगी जिनसे आगे अन्न की **उत्पत्ति** बढ़ेगी और इस तरह हमें अपनी **खाद्य-समस्या** हल करने में सहायता मिलेगी । [725] हमारी सरकार इन सब बातों पर बहुत ध्यान से विचार कर रही है । उसे **तात्कालिक** और **भविष्य** के लाभ को **तुलनात्मक** दृष्टि से देखना है । [750] साथ ही वह इस बात के लिए भी चिंतित है कि लोगों को कोई कष्ट न हो और उससे जो कुछ हो सकेगा वह [775] इस विपत्ति को **टालने के लिए** करेगी।

योजना आयोग अपनी **पंचवर्षीय योजना** को **अंतिम** रूप दे रहा है । इस योजना में एक महत्वपूर्ण बात और [800] जोड़ी गई है । वह है देश भर में 55 **सर्वोन्नति** योजनाओं का प्रस्ताव । **संयुक्त राज्य अमेरिका** के **प्राविधिक** सहयोग योजना द्वारा दी गई सहायता से [825] ही यह संभव हो सका है । इस सर्वोन्नति योजना का प्रयोजन न केवल खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना ही है बल्कि उससे भी [850] कहीं अधिक यह है कि सब लोगों के **रहन-सहन** का स्तर ऊँचा किया जाए । आशा की जाती है कि यह योजना **उन्नति** करेगी और [875] भारत का एक बड़ा भू-भाग इसके **अंतर्गत** आ जाएगा । परंतु यह तभी हो सकता है, जब इसे जनता का पूरा सहयोग मिले । [900] मेरा हार्दिक विश्वास है कि इस बात में भी, जैसे कि योजना आयोग के और दूसरे **प्रस्तावों** को पूरा करने में मिला है, जनता का [925] पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा । कृषि द्वारा उत्पादन के मिले-जुले कार्यक्रम में **संतोषप्रद** प्रगति हुई है । 1947-48 की तुलना में जब **पटसन** का **उत्पादन** [950] 16 लाख गाँठ था, 1951-52 में उत्पादन **बढ़कर** 46 लाख गाँठ हो गया है । इन्हीं दिनों रुई का उत्पादन भी 24 लाख [975] गाँठ से बढ़कर 33 लाख गाँठ हो गया है । **यद्यपि** कुछ प्रदेशों में सूखा पड़ जाने से इस बढ़ती से कोई लाभ नहीं पहुँचा है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 105

महोदय, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में '**बाल दासता** विरोधी' **आंदोलन** लगातार मुखर, **संगठित** और **व्यापक** हुआ है जिसके **नतीजे** भी सामने आए हैं । [25] इसके प्रति बाहरी दबाव भी हैं, लेकिन **स्त्रियों** के कम होते जाने के **खिलाफ** न तो देश में कोई संगठित आंदोलन है और न [50] ही कोई बाहरी दबाव। जिस प्रकार 'बाल दासता' का संगठित विरोध हो रहा है, उसी तरह स्त्रियों के **गायब** होने का क्यों नहीं ? आज भी [75] देश के बहुत-से **हिस्सों में कन्याओं** को जन्म लेते ही मार **दिया जाता है** और तो और समाज के **रूढ़** दृष्टिकोण के कारण शिक्षा [100] और विज्ञान भी **कातिलों** की मदद कर रहे हैं । प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण की बढ़ती हुई लोकप्रियता और इस परीक्षण के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क [125] हमारी सामाजिक **संरचना** की **अभिव्यक्ति** है । कुछ लोग बेहद **शर्मनाक** तरीके से कहते हैं कि बेटी हो या बेटा, यह निर्णय लेना हमारा **प्राकृतिक** [150] अधिकार है । इसके लिए यह लोग बच्चों की सीमित संख्या का तर्क भी देते हैं । इनके अनुसार जब बच्चों की सीमित संख्या का [175] अधिकार उनका है तो वह बेटा हो या बेटी यह भी उनका **स्वतः**सिद्ध अधिकार है । कुछ लोग यह तर्क भी देते हैं [200] कि ऐसे बच्चे को जन्म दे कर क्या फायदा जिसके साथ **आजीवन असुरक्षा** का भय जुड़ा रहे । **उनके अनुसार** न तो बेटी घर [225] में सुरक्षित है न बाहर । न वह शादी से पहले **सुरक्षित** है न शादी के बाद । न वह **पढ़ाई-लिखाई** के **स्थान** पर सुरक्षित **है** [250] और न ही **काम-काज** के स्थान पर । न वह **परिजनों** से सुरक्षित है और न ही अन्यों से । फिर इस असुरक्षा के **आतंक** में [275] क्यों जिया जाए ?

कितना **बर्बर** और आदिम है यह तर्क कि रोग का **उन्मूलन** न हो तो रोगी को ही **खत्म कर दिया जाए** ? [300] क्यों नहीं हम उन तमाम कारकों के विषय में सोचते, जिनके कारण **बेटियाँ** आजीवन असुरक्षा और आतंक के साये में जीने को विवश [325] हैं? क्यों नहीं हम उन **तमाम** रूढ़ियों, मान्यताओं, **संदर्भों** और **परंपराओं** के खिलाफ बगावत करते, जो बेटियों को **अवांछित** बनाती हैं ? क्यों ऐसे मूल्यों के [350] पोषण के खिलाफ **सतत** अभियान नहीं चलाया जाता जो तमाम तरह की **गैर-बराबरी** की **हिमायत** करते हैं ? क्यों ऐसी मान्यताओं का पोषण नहीं किया [375] जाता जो यौन आधारित असमान रूढ़ियों का **खंडन** करती हैं ? **दरअसल** हमारी मानसिक **संरचना** पूरी तरह से विभाजित है । एक ओर हमारा **संस्कारगत** मन है, [400] दूसरी ओर है नई चेतना से **सुसज्जित** मन । संस्कारगत मन यौन **आधारित** गैर-बराबरी का पोषण करता है लेकिन नई **चेतना** से सुसज्जित मन [425] उसका **विरोध करता है**, लेकिन संस्कारगत मन नई चेतना पर हावी हो जाता है और यथा स्थितिवाद को बनाए रखने में जुट जाता है । [450] नई चेतना से सुसज्जित मन संस्कारगत मन के विरुद्ध लंबी **अवधि** तक **संघर्ष** नहीं करता है । नई चेतना की कौंध भर से संस्कारगत **मानसिकता** को [475] **बदलना संभव नहीं है। यही कारण है कि** स्त्रियाँ लगातार गायब **होती जा रही हैं** और कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 106

महोदय, **यही कारण है कि** बेटियों को **अवांछित** समझ कर गर्भ में ही मार दिया जाता है या जन्म लेने के बाद उन्हें मौत की 525 नींद **सुला दिया जाता है** । कहते हैं बेटियों को मारने की **जघन्य** परंपरा बहुत पुरानी नहीं है । **यह भी कहा जाता है कि** कुछ **तथाकथित** 550 ऊँची जातियाँ अपने झूठे दंभ के कारण बेटियों को मार देती थीं। लेकिन अब ? अब तो इसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं । देश के **दूर-दराज** 575 के **अंचलों** में प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण के लिए सुसज्जित उपकरणों से दौड़ती गाड़ियाँ सबूत हैं इस बात की कि कानूनी **प्रावधानों** के बावजूद 600 विज्ञान का यह प्रयोग लगातार मानव विरोधी **होता जा रहा है** । **दरअसल** कन्याओं के प्रति हमारे **आचरण** से साफ-साफ झलकता है कि हम उन्हें 625 उनका **प्राप्य** नहीं देते । भारतीय समाज उनकी **परवरिश** और **पढ़ाई-लिखाई** के प्रति बड़े पैमाने पर उपेक्षा बरतता है । देश की **ज्यादातर** 650 लड़कियाँ **कुपोषण** से ग्रस्त हैं । उन्हें भोजन कम मात्रा में और बचा-खुचा ही उपलब्ध होता है । **विडंबना** यह है कि माँ या दादी 675 ही ऐसा काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा **जान-बूझकर** करती हैं बल्कि उनके संस्कारों में यह रच-बस गया 700 है कि लड़कियों की परवरिश को कोई **अहमियत** नहीं देनी चाहिए । **इसीलिए** न तो उन्हें स्कूल भेजे जाने पर विशेष बल दिया जाता है, 725 न ही उनके **स्वास्थ्य** के विषय में कोई खास दिलचस्पी ली जाती है । वे तो सिर्फ बड़ी हो जाती हैं बड़ी होने के लिए, शोषण 750 और **भेदभाव** की परंपरा को अपनी से अगली पीढ़ी को **हस्तांतरित** करने के लिए ।

इसे भी एक **विडंबना** ही कहा जाएगा कि मानव-मूल्यों 775 का **पक्षधर** मीडिया भी उनके विरोध में है । मीडिया को भी **बालिकाओं, किशोरियों** और स्त्रियों की ऊपरी बनावट और रूप-**सौंदर्य** ही भाता है । 800 उसके पास भी उनमें **अंतर्निहित विशेषताओं** को परखने या पहचानने की **फुरसत** नहीं है । इस सिलसिले में सौंदर्य **प्रतियोगिताओं** की **सूचनाओं** 825 को बड़े पैमाने पर प्रकाशित करने को **देखा जा सकता है** । जबकि किसी **अखबार** ने विस्तार के साथ यह नहीं लिखा कि **मानसिक** 850 **रूप से विकलांग** विदिशा की **उर्मिला ठाकुर** ने किस ढंग से सड़क पर खेलते हुए बच्चे को ट्रक की चपेट में आने से बचाया । 875 यदि कहीं यह खबर छपी भी होगी तो बहुत छोटी । जिस ढंग से सौंदर्य प्रतियोगिताएँ राष्ट्रीय खबर बन जाती हैं उसी तरह से ऐसी खबरें 900 राष्ट्रीय **समाचार** क्यों नहीं बनतीं ? **यौन** हिंसा और **बलात्कार** की खबरें जिस ढंग से छपती हैं उनमें **कहीं न कहीं** यह स्वर अवश्य रहता है 925 कि स्त्री उपभोग की एक वस्तु है । यौन आधारित विषमता को समाप्त करने की पहली और **आखिरी** शर्त यह है कि मानसिक संरचना को 950 **बदलने के लिए बहुआयामी** संघर्ष की शुरूआत हो । यह संघर्ष सभी स्तरों पर शुरू हो । यदि गैर-बराबरी का पोषण करने वाले तमाम मूल्यों 975 को चुनौती दी जाए और उनकी वैज्ञानिक **मीमांसा** की जाए तो समाज **वास्तविकता** को स्वीकार करने की दिशा में **अग्रसर** हो सकता है । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 107

महोदय, **जिस प्रकार कोई वृक्ष योजनाबद्ध काट-छाँट** के द्वारा जीवन और **उत्पादकता** की दृष्टि से ताजगी प्राप्त करता है, उसी प्रकार सनातन धर्म [25] **के वृक्ष** को अनेक महान विद्वानों ने **क्रमशः सँवारा** और वह **आज तक** शक्तिवर्धक बना हुआ है । इसमें **रामकृष्ण परमहंस** तथा [50] उनके **शिष्यवर** स्वामी **विवेकानंद** का योगदान **ऐतिहासिक** महत्व का है । परमहंस जी ने **साधनापूर्वक** धर्म की जो **अनुभूतियाँ** प्राप्त की थीं [75] स्वामी विवेकानंद ने उनसे व्यावहारिक सिद्धांत स्थापित किया । स्वामी विवेकानंद ने सबसे बड़ा कार्य धर्म की पुनः स्थापना का किया । [100] **अभिनव** भारत को जो कुछ कहना था, वह सब विवेकानंद के मुख से भाषा एवं विचारों के रूप में प्रकट हुआ । विचारों की [125] **शाब्दिक** अभिव्यक्ति ही दर्शन है, **परिणाम-स्वरूप स्वामी विवेकानंद** ने दर्शन के **आध्यात्मिक** पक्ष को और अधिक **सुदृढ़** करके **प्रक्षेपित** किया । [150] विवेकानंद वह सेतु है जिस पर प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय-संस्कृति **आलिंगन** करती है । विवेकानंद वह समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, [175] **राष्ट्रीयता** और **अंतर्राष्ट्रीयता** तथा उपनिषद और विज्ञान सभी कुछ सम्मिलित हैं । ठाकुर **रवींद्रनाथ** ने कहा - 'यदि कोई आत्मा को समझना चाहता है [200] तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए ।'

नई पीढ़ी के लोगों में उन्होंने भारत के प्रति भक्ति जगाई, उसके **अतीत** के प्रति **गौरव** [225] एवं भविष्य के प्रति आस्था उत्पन्न की । स्वामीजी ने एक नवीन मानव जाति की कल्पना की जो **आत्म-बलिदान, आत्मनियंत्रण, आत्म-समर्पण** [250] और **आत्म-विश्लेषण** जैसे मानवीय मूल्यों से **ओत-प्रोत** हो । स्वामीजी राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति का संदेश देते थे । धर्म और संस्कृति [275] के द्वारा **देशभक्ति** एवं राजनैतिक मानसिकता स्वतः ही **प्रफुल्लित** हो उठती है । स्वामी जी का मत था कि भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पहले [300] विकसित हुई । **तदुपरांत** राजनैतिक **विचारधारा** का उदय हुआ । **आदिकाल** से ही भारतीय संस्कृति ने विश्व-संस्कृति का **नेतृत्व** किया । परंतु आधुनिक भारतीय [325] संस्कृति एवं राष्ट्रीयता का **संरक्षक** होने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को ही जाता है । स्वामी जी ने ही भारतीय संस्कृति की पताका को संपूर्ण [350] विश्व में **फहराया** । शिकागो के **सर्वधर्म सम्मेलन** में जाने के कई उद्देश्य उनके **मस्तिष्क** में **स्थापित** हुए थे । वे **भारतवासियों** के कई [375] **अंधविश्वासों** को **तोड़ना चाहते थे** । वे भारतीय **आध्यात्मिक** विचारों और आदर्शों का प्रचार **यूरोपीय देशों** में करके संपूर्ण **भू-मंडल** पर एक नवीन [400] विचारधारा का **सूत्रपात** करना **चाहते थे** । स्वामी जी ने **हिंदुत्व** की **वकालत करते हुए** यह उल्लेख किया कि हिंदू धर्म किसी सिद्धांत [425] अथवा नियम का नाम नहीं अपितु हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले **सदैव अप्रत्यक्ष** ज्ञान के लिए **निरंतर** चिंतनशील रहते हैं । स्वामीजी के विचार **आध्यात्मिकता** [450] के साथ-साथ वैज्ञानिक भी थे । स्वामीजी की **व्यावहारिकता** यह रही कि यूरोप तथा अमेरिका को उन्होंने **संयम** एवं त्याग का महत्त्व समझाया । [475] जीवन की सफलता आध्यात्मिक **उन्नति** पर निर्भर करती है । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह **पवित्रता**, भक्ति, **विनयशीलता, निःस्वार्थता** और प्रेम का विकास करे । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 108

महोदय, भारत में **दरिद्रता का साम्राज्य था** । **इसलिए स्वामी जी ने आध्यात्मिक शिक्षा** के साथ-साथ दो मुख्य **आदर्शों** - **'कर्म ही पूजा है'** तथा 525 'मानव सेवा ही **ईश्वर** सेवा है', की शिक्षा भी प्रदान की । स्वामीजी ने **विश्वभ्रमण** करके देख लिया था कि नई मानवता कितनी 550 **उच्छाल** एवं बलवती है । स्वामीजी बार-बार **कहा करते थे कि** भारत का कल्याण शक्ति की साधना में है । वे उस प्रकार के **सुधारक,** 575 और संत थे जिसकी **अनुभूति** में पुराने धर्म नवीन रूप ग्रहण करते हैं । सच्ची **ईशोपासना** यह है कि हमें अपने **मानव-बंधुओं** की 600 सेवा में **समर्पित** कर देना चाहिए । स्वामीजी ने मानवता को **सर्वोपरि** माना है । उन्होंने संपूर्ण विश्व को एक परिवार के समान प्रस्तुत 625 किया । शिकागो के **सर्वधर्म सम्मेलन** में **सभा** को **संबोधित करते हुए कहा** - 'मेरे अमेरिका के **भाइयो और बहनो !** स्वामीजी का संदेश था कि 650 आपस में मिल-जुलकर रहो और इसी भारतीय एकता के महत्व को स्वामीजी ने बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है । 675 मन से एक बनो, विचार से एक बनो । मन से एक होना समाज के **अस्तित्व** का सार है। जीवन का धर्म **आदान-प्रदान** है । 700 धर्म व्यक्ति और समाज दोनों के लिए **उपयोगी** है । स्वामीजी ने सब धर्मों को एक समान नीति का **प्रवर्तक** माना है । कोई धर्म छोटा 725 अथवा बड़ा नहीं, दोष किसी धर्म में नहीं अपितु धर्म के गलत विश्लेषण में है ।

स्वामीजी ने कहा कि हमें धर्म का आधार नहीं 750 **छोड़ना चाहिए** । 'याद रखो यदि तुम **पाश्चात्य भौतिकवादी** सभ्यता के चक्कर में पड़कर **आध्यात्मिकता** का आधार त्याग दोगे तो उसका परिणाम होगा 775 कि तीन **पीढ़ियों** में तुम्हारा जातीय अस्तित्व मिट जाएगा क्योंकि राष्ट्र का **मेरुदंड** टूट जाएगा। उनकी महान **मानवीयता** और सच्ची **सार्वभौमिक भावना** 800 हमारे दरवाज़े पर दस्तक दे रही है । मृत्यु भय कभी-कभी मनुष्य को सताता है । अपना मरण तथा **स्वजनों** का **देहावसान** आदि **अनागत भविष्य** 825 के **सोच-विचार** में कोई-कोई भय खाता है, दुखी हो जाता है । ऐसी **दुश्चिंता** क्यों ? कभी-कभी मनुष्य **मृत्युंजय** की **कल्पना करता है** । 850 **भगवद गीता के अनुसार 'अज्ञानी** को ही मृत्यु भय होता है । आत्मज्ञानी को नहीं है ।' जीवन की **सफलता के लिए** आत्मज्ञान परम आवश्यक है । 875 आत्मज्ञानी का मन सुदृढ़ हो जाता है । उसे मृत्यु भय नहीं होता है । वह अधिक बलवान और धैर्यशाली होता है । विजयी होता है । 900 वह **अनश्वर** है। उसकी आत्मा अमर है । आत्मज्ञान श्रेष्ठ विद्या है । उसके अभाव में भौतिक **अभ्युन्नति** की उपस्थिति में भी मनुष्य 925 अशांत तथा दुखी रहता है, दुर्बल हो जाता है । अतः इस **वैज्ञानिक युग** में आत्मज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक **स्त्री-पुरुष** को अनिवार्य है । 950 **आश्रमवासियों** की अपेक्षा **गृहस्थाश्रमी** को आत्मबोध या आत्मज्ञान की आवश्यकता आज ज्यादा पड़ रही है । आत्मज्ञानी के **चेहरे** पर शांति 975 एवं **चैतन्य** विद्यमान है । मानव के शरीर में एक ऐसी शक्ति-विशेष है, जिसे किसी भौतिक उपकरण द्वारा **जाना नहीं जा सकता** । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 109

मेरे देश भाइयो, भारत की स्वतंत्रता हित में अपनी सेवा अर्पित करने का सौभाग्य मुझे बहुत वर्षों से रहा है । आज मैं 25 पहली बार भारतीय जनता के प्रथम सेवक के रूप में, उसकी सेवा और सुधार के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर, अपने पद से आप से 50 बोल रहा हूँ । मैं यहाँ इसलिए हूँ कि आपकी ऐसी इच्छा थी और मैं यहाँ तभी तक हूँ, जब तक कि आप अपना 75 विश्वास देकर, मेरा सम्मान करते हैं। हम आज स्वतंत्र और पूर्ण सत्ताधारी लोग हैं और हमने अपने को अतीत के बोझ से मुक्त 100 कर लिया है । हम संसार की ओर स्पष्ट और मैत्रीपूर्ण आँखों से और भविष्य की ओर आस्था और विश्वास के साथ देखते हैं। 125 विदेशी आधिपत्य का बोझ दूर हो गया है, लेकिन स्वतंत्रता अपनी अलग जिम्मेदारियाँ और भार लाती है और उन्हें हम स्वतंत्र लोगों की भावना से 150 ही, आत्म-संयम के साथ और उस स्वतंत्रता की रक्षा और विस्तार करने के निश्चय से वहन कर सकते हैं ।

हमने बहुत कुछ हासिल 175 कर लिया है, परंतु हमें अभी इससे अधिक हासिल करना है । तो आइए, हम अपने नए धंधों में, दृढ़ता से और उन ऊँचे सिद्धांतों 200 को ग्रहण करते हुए, जिन्हें कि हमारे महान नेताओं ने सिखाया है, लग जाएँ । सौभाग्य से गांधीजी मार्ग-प्रदर्शन के लिए, हमें प्रेरणा देने 225 के लिए और सदा आदर्श अध्यवसाय का पथ दिखाने के लिए हमारे साथ हैं । बहुत दिनों से उन्होंने हमें सिखाया है कि आदर्श 250 और उद्देश्य उन साधनों से पृथक नहीं किए जा सकते, जोकि उनकी सिद्धि के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, अर्थात् अच्छे उद्देश्यों की 275 सिद्धि अच्छे साधनों द्वारा ही संभव है । यदि हम जीवन की महान बातों की ओर लक्ष्य करते हैं, यदि हम भारत का स्वप्न बड़े राष्ट्र 300 के रूप में देखते हैं, जोकि शांति और स्वतंत्रता का अपना प्राचीन संदेश दूसरों को दे रहा है, तब हमें स्वयं बड़ा बनना है 325 और भारत माता की योग्य संतान बनना है । संसार की निगाहें हम पर हैं और वे पूर्व में इस स्वतंत्रता के जन्म को ध्यान से 350 देख रही हैं और विचार कर रही हैं कि इसका अर्थ क्या है ।

हमारा पहला ध्येय यह होना चाहिए कि हम सब प्रकार के 375 आंतरिक झगड़ों और हिंसा का अंत कर दें, जो कि हमें कलुषित करके गिराते हैं और जो कि स्वतंत्रता के पक्ष को हानि 400 पहुँचाते हैं। ये जनता की महान आर्थिक समस्याओं पर, जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, विचार करने में बाधक होते हैं । अपनी दीर्घकालीन 425 पराधीनता और विश्वव्यापी युद्ध और उसके परिणामों ने हमारे आगे बहुत-सी अत्यावश्यक समस्याओं को एक साथ डाल दिया है । आज हमारी जनता 450 के लिए भोजन और वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी है, और हम मुद्रास्फीति और बढ़ती हुई कीमतों के बवंडर में पड़ गए हैं । 475 हम इन समस्याओं को तुरंत हल नहीं कर सकते, साथ ही उनके हल करने में देर भी लगा सकते हैं। 500

प्रतिलेखन संख्या - 110

मेरे देश भाइयो, हमें **बुद्धिमत्ता** के साथ ऐसी योजनाएँ बनानी हैं, **जिनसे** हमारी जनता का बोझ कम हो और उनके **रहन-सहन** का 525 स्तर ऊँचा उठे । हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन **यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि** अपनी **चिर-पीड़ित** जनता के हितों 550 का ध्यान हमें सबसे पहले होना चाहिए और अन्य **स्वार्थों** को उनके आगे झुक जाना चाहिए । हमें अपनी **दकियानूसी** भूमि **व्यवस्था** को शीघ्र 575 ही बदलना है और हमें एक बड़े और **संतुलित** पैमाने पर उद्योग-व्यवसायों को **उन्नत करना है**, जिससे कि देश की संपत्ति बढ़े और 600 लाभ उचित रूप में वितरित हो सके । उत्पादन आज की **सर्वप्रथम** आवश्यकता है और उत्पादन में रुकावट डालने या उसे कम करने का प्रत्येक 625 प्रयत्न राष्ट्र को और **विशेष रूप से** हमारे **बहुसंख्यक** श्रमिक को, हानि पहुँचा रहा है । लेकिन केवल उत्पादन पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसका 650 परिणाम **यह हो सकता है कि** संपत्ति खिंच कर कुछ थोड़े-से हाथों में आ जाए । उन्नति के मार्ग में यह बाधक होगा और आज 675 के प्रसंग में **अस्थिरता** और **संघर्ष** उत्पन्न करेगा । **अतएव** समस्या को **हल करने के लिए** उचित और **न्यायसंगत वितरण** अत्यंत आवश्यक है । **भारत सरकार** 700 के हाथ में इस समय **जलप्रवाह** के **नियंत्रण** द्वारा नदियों की घाटियों के विकास की, बांधों और जलागारों और **सिंचाई** के साधनों के 725 निर्माण और पन-बिजली की शक्ति के विकास की कई बड़ी योजनाएँ हैं । इन से खाने की वस्तुओं के उत्पादन में तथा सभी तरह के 750 **औद्योगिक विकास** में सहायता मिलेगी । ये कार्य सभी **योजनाओं के लिए** बुनियादी हैं और हम इन्हें **जल्दी-से-जल्दी पूरा करना चाहते हैं**, जिससे 775 कि जनता को इनका लाभ मिल सके । इन सब बातों के लिए शांति की स्थिति और सभी **संबंधित** लोगों का सहयोग और कठिन 800 श्रम **निरंतर** आवश्यक हे । इसलिए हमें इन महान और करने योग्य कामों में लग जाना चाहिए और आपस में **झगड़े-फसाद** को भूल 825 जाना चाहिए । झगड़ा करने का समय अलग होता है और **मिल-जुलकर** उद्योग करने का अलग । काम करने का समय अलग होता है और 850 खेल-कूद का अलग । आज न झगड़ा करने का समय है, न बहुत खेल-कूद का । यदि हम अपने देश और अपनी जनता 875 के साथ **विश्वासघात** नहीं करना चाहते, तो आज हमें एक दूसरे से **सहयोग करना चाहिए** और मिल-जुल कर **काम करना चाहिए** और यथार्थ 900 सद्भावना से काम करना चाहिए ।

मैं कुछ शब्द नागरिक तथा सैनिक **राजसेवकों** से कहना चाहूँगा । पुराने अंतर और भेद मिल गए हैं और आज 925 हम सभी भारत के स्वतंत्र बेटे और बेटियाँ हैं और अपने देश की स्वतंत्रता का तथा उसकी सेवा में लगने का हमें गर्व है । 950 हम **समान रूप से** भारत के प्रति निष्ठा रखते हैं । हमारे सामने जो कठिन समय है, उसमें हमारे राजसेवकों और **विशेषज्ञों** को बड़े 975 महत्व का भाग लेना है और हम एक साथी की भाँति उन्हें भारत की सेवा में लगकर ऐसा करने का **बुलावा** देते हैं । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 111

महोदय, अखिल हैदराबाद राज्य भारत सेवक समाज के दूसरे वार्षिक सम्मेलन का उद्‌घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है । यह संतोष और हर्ष [25] का विषय है कि आपके राज्य में भारत सेवक समाज एक जीवित संस्था है । इस संस्था ने तीन वर्षों में महत्वपूर्ण काम किया है । [50] आपने लोगों की सहायता तथा सहयोग से सड़कें बनाईं, स्कूल और अस्पताल खोले और विपत्ति में पड़े लोगों की सहायता की । ये सभी काम बहुत [75] आवश्यक हैं । यों तो हमारी पंचवर्षीय योजना का सारा कार्यक्रम ही बड़े महत्व का है, किंतु उसके अंतर्गत भारत सेवक समाज की स्थापना को [100] मैं विशेष महत्व देता हूँ । इसका कारण यह है कि यह संस्था बिल्कुल गैर-सरकारी है । सरकार का इससे केवल इतना ही संबंध [125] है कि उसके सुझाव से इस संस्था की उत्पत्ति हुई । मेरा गैर-सरकारी संस्थाओं से काफी संबंध रहा है और यह मेरा दृढ़ विश्वास [150] है कि जनसाधारण का सहयोग जितना शीघ्र और सरलता से एक गैर-सरकारी संस्था प्राप्त कर सकती है और सार्वजनिक क्षेत्र में आगे बढ़ [175] सकती है, सरकारी विभाग उतनी सरलता और गति से काम नहीं कर सकता। जब एक देश शताब्दियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्र हुआ हो और [200] जहाँ लोगों में उत्साह पैदा करना हो और उनको कर्तव्य से परिचित कराकर आगे बढ़ने का मार्ग बताना हो, वहाँ भारत सेवक समाज [225] जैसी संस्था राष्ट्र-निर्माण के काम का बहुत ही आवश्यक अंग बन जाती है ।

हमें अपने देश में एक जन-कल्याण राज्य की स्थापना करनी [250] है । ऐसे राज्य में लोगों का हित और कल्याण प्रत्येक कार्यक्रम की अंतिम कसौटी है। हमें बीमारी और दरिद्रता को मार भगाना है और [275] अभाव पर विजय पानी है । हम चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे देश के किसी भी भाग में रहते हों [300] और उनका किसी भी धर्म अथवा जाति से संबंध हो, आगे बढ़ने का समान अवसर मिले और नागरिक के रूप मे सबका एक [325] जैसा अधिकार हो । जिन्हें आजकल पिछड़े हुए वर्ग या दलित जातियाँ कहा जाता है वे उन्नत हों, दूसरे लोगों के साथ आ मिलें [350] जिससे इस देश में कोई भी पिछड़ा हुआ या दलित न कहा जा सके । जनसाधारण में इन बातों का प्रचार करने और लोगों [375] को इन्हें समझाने में भारत सेवक समाज बहुत कुछ कर सकता है । जैसा कि मैंने अभी कहा, यह कार्य ऐसा है जिसमें एक गैर-सरकारी [400] संस्था होने के कारण आपको सहज ही सफलता मिल सकती है । मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जब हमारी योजनाएँ कार्यान्वित की जा [425] चुकेंगी और इस देश में सच्चा जन-कल्याण राज्य स्थापित हो चुकेगा तो जनता में स्फूर्ति और उत्साह भरने तथा उन्हें जागरूक करने का श्रेय [450] निश्चय ही भारत सेवक समाज को मिलेगा । हैदराबाद राज्य भारत सेवक समाज तथा खम्माम जिला भारत सेवक समाज ने अभी तक जो रचनात्मक कार्य किया [475] है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ । इस काम के महत्व को केवल मिलों और पाठशालाओं तथा अस्पतालों की संख्या से ही नहीं आँका जा सकता है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 112

महोदय, भारतीय पंचांग में गोपाष्टमी एक महत्वपूर्ण दिन है जो प्रतिवर्ष हमें हमारी आर्थिक व्यवस्था में गोधन के महत्व का स्मरण कराता है। [525] देश के जीवन में गोधन के ऊँचे स्थान को ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप [550] में मनाने का निश्चय किया था । गोधन की पूजा प्राचीन काल से इस दिन की विशेषता रही है । दुर्भाग्य से कालांतर में हम इस [575] पर्व के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए और गाय की पूजा-मात्र से संतुष्ट होने लगे । इस पर्व के महत्व के विषय में जनता को [600] ठीक रूप से अवगत कराने और पशुपालन में जनसाधारण की रुचि पैदा करने के उद्देश्य से स्वाधीनता के बाद गोपाष्टमी को राष्ट्रव्यापी [625] उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया गया । 1950-51 के अनुमान के अनुसार गोधन के द्वारा राष्ट्र की आय 660 करोड़ रुपए थी । [650] यही कारण है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखे गए विकास कार्यक्रम में पशुपालन और नस्ल-सुधार को इतना ऊँचा स्थान दिया [675] गया है । जबकि पहली योजना में इस मद पर 22 करोड़ रुपए व्यय करने की व्यवस्था थी, दूसरी योजना में पशुपालन और दुग्धशाला [700] आदि के लिए 56 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । यदि हम देहातों में रहने वाली देश की अधिकांश जनता को पूर्ण लाभ [725] पहुँचाना चाहते हैं तो हमें पशुपालन और पशुओं के नस्ल-सुधार के काम को अधिक महत्व देना पड़ेगा ।

साधारणतया हमारे देश में गाय [750] को आदर की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु इस आदर का आधार धार्मिक भावना है, जीवन में गाय की व्यावहारिक उपादेयता नहीं । धार्मिक भावना [775] से इसका संबंध जोड़ने में भी मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती, किंतु केवल इसी विचार से गोसेवा का व्रत लेना और व्यावहारिक [800] उपयोगिता को कोई स्थान न देना गोपाष्टमी की प्राचीन परंपरा के लिए घातक है । यदि हम इस पर्व के मनाने को सार्थक करना चाहते हैं[825] तो हमें गाय की देखरेख और पशुपालन को एक व्यवसाय का रूप देना होगा अथवा इसका आधार आर्थिक मानना होगा और [850] इसकी व्यवस्था लोगों के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से करनी होगी । भावुकता में बुद्धि का पुट मिलाने से हम गोपाष्टमी-पर्व की सार्थकता [875] में ही वृद्धि नहीं करेंगे बल्कि अपनी धार्मिक भावना की भी अधिक रक्षा कर सकेंगे । हमारे देश के प्रायः सभी भागों में पिंजरापोल और [900] गौशालाएँ धर्मार्थ संस्थाओं के रूप में चलाई जाती हैं । इस कार्य में प्रायः आर्थिक दृष्टिकोण को स्थान नहीं दिया जाता । हमें इस कार्यप्रणाली को [925] बदलना होगा और गाय तथा दूसरे घरेलू पशुओं की देखरेख आदि के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसका आधार आर्थिक बनाना [950] होगा । मैं नहीं समझता कि यह काम किसी भी प्रकार से असंभव या कठिन है । हमें इसे वैज्ञानिक ढंग से करना होगा जिससे सभी [975] चीजों का पूर्ण उपयोग हो सके और कोई भी चीज नष्ट या व्यर्थ न जाने पाए । गोधन से बहुत-सी चीजें प्राप्त होती हैं। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 113

महोदय, अपने देश में **महिलाओं** को **पुरुषों** के समान ही अधिकार देने की बात विगत कुछ वर्षों से जोर-शोर से की जा रही है । [25] यही नहीं हमारे **संविधान** में भी महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार देने की बात स्वीकार की गई है । किंतु क्या **यह सच है** ? [50] यद्यपि आजकल सार्वजनिक **उपक्रमों**, **संगठित संस्थानों**, यहाँ तक कि राजनीति में भी महिलाओं का **प्रतिनिधित्व** बढ़ा है और उनके प्रति **भेदभाव** में [75] कमी आई है । फिर भी जहाँ तक **असंगठित** एवं निजी क्षेत्र के **प्रतिष्ठानों** की बात है तो वहाँ अभी महिलाओं के श्रम का **शोषण** किया [100] जाता है । एक तरफ जहाँ ऐसे संस्थानों/प्रतिष्ठानों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ **कामकाजी** महिलाओं का ऐसी [125] जगहों पर शोषण भी किया जाता है । यही नहीं, बल्कि उनको काम की तुलना में **पारिश्रमिक** भी नहीं दिया जाता है । महिला श्रम का [150] **अधिकांश** हिस्सा असंगठित क्षेत्रों, बागवानी एवं कृषि में कार्य करता है, जहाँ उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत कम वेतन, भत्ता दिया जाता है । [175] **अधिकतर** उन्हें दैनिक वेतनभोगी के रूप में ही **रखा जाता है** और आवश्यकता या इच्छा न होने पर **हटा दिया जाता है। यद्यपि** अब [200] प्रत्येक जगह **न्यूनतम** मजदूरी कानून लागू हो चुका है, इसके बावजूद इस कानून की अनदेखी कर महिलाओं को कम **मजदूरी** दी जाती है । [225] महिलाएँ बेरोज़गारी एवं लाचारी के चलते उस न्यूनतम मजदूरी पर भी जीतोड़ काम करती हैं । जबकि हमारे संविधान में श्रमिकों के संबंध [250] में **प्रावधान** किए गए हैं । जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का प्रत्येक मानव को अधिकार है । अपनी आर्थिक **सामर्थ्य** एवं विकासीय **परिसीमाओं के अधीन** राज्य [275] इस प्रकार के प्रभावपूर्ण प्रावधान बनाएगा कि बेकारी, **वृद्धावस्था** बीमारी, अयोग्यता एवं **अप्रत्याशित** अभावों के प्रति जनता को सहायता-सुविधा **सुनिश्चित की जा सके** । [300]

राज्य इस प्रकार **प्रयासरत** रहेगा कि देश में सभी प्रकार के श्रमिकों को एक न्यूनतम **जीवन-निर्वाह** मजदूरी सुनिश्चत की जा सके एवं श्रमिकों के लिए एक [325] उन्नत मानव जीवन तथा कार्य की श्रेष्ठ दशाएँ सुनिश्चित की जा सकें । **आश्चर्य** का विषय यह है कि भारत में महिला श्रम की स्थिति बड़ी [350] **विचित्र** है । एक तरफ जहाँ देश के कुल कामगरों में **28 प्रतिशत** हिस्सा महिला कामगरों का है, वहीं **ग्रामीण क्षेत्रों** में इनका [375] हिस्सा 32 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में मात्र 14 प्रतिशत ही है । यदि मुख्य कामगरों, **सीमांत** कामगरों एवं गैर कामगरों की [400] दृष्टि से देखें तो पाएँगे कि मुख्य कामगरों में 22 प्रतिशत हिस्सा महिला श्रमिकों का है **जबकि** सीमांत कामगरों में 90 प्रतिशत [425] हिस्सा महिला श्रमिकों का है एवं 59 प्रतिशत महिलाएँ गैर कामगरों का है । इस तरह स्पष्ट है कि कुल कामगरों एवं मुख्य कामगरों की संख्या [450] **ग्रामीण क्षेत्रों** में अधिक है, शहरी क्षेत्रों में कम । यही नहीं **शहरी क्षेत्रों** में गैर कामगर महिलाओं की **संख्या** भी अधिक है । अपने देश में [475] महिला कामगरों की संख्या कुल **जनसंख्या** का 22 प्रतिशत है । यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 26 प्रतिशत एवं **शहरी क्षेत्रों** में 9 प्रतिशत है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 114

महोदय, महिला श्रमिकों में मुख्य **कामगर** 15 प्रतिशत है । जबकि सीमांत कामगर 6 प्रतिशत है । महिला कामगरों में **सर्वाधिक** प्रतिशत महिला कृषि [525] श्रमिकों का है । जबकि सीमांत के बाद दूसरा स्थान महिला **काश्तकारों** का एवं महिला श्रमिकों का 15 प्रतिशत भाग अन्य विविध कार्यों [550] में लगा हुआ है । **गृह निर्माण कार्य** में कुल महिला कामगरों की 5 प्रतिशत महिलाएँ कार्यरत हैं । इससे स्पष्ट है कि भारतीय **अर्थव्यवस्था** [575] में महिला श्रमिकों की **सहभागिता** अत्यंत महत्वपूर्ण है । **खासतौर से** कृषि कार्यों में संलग्न श्रमिकों में तो महिलाएँ ही आधार हैं । फिर भी इनका [600] शोषण जारी है । यदि **रोज़गारवार** देश में कार्यशील जनसंख्या एवं महिला कामगर जनसंख्या का **अवलोकन** करें तो यह पता चलता है, [625] **स्वरोज़गार** में सबसे अधिक महिलाएँ लगी हुई हैं, जबकि नियमित वेतन पर रोज़गार पाने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 8 प्रतिशत है [650] एवं **आकस्मिक** मजदूरी पर रोज़गार करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 38 है। यदि ग्रामीण एवं **शहरी स्तर** पर देखें तो यह प्रतिशत क्रमशः 51 [675] प्रतिशत प्राप्त होता है । इससे देश में रोज़गारवार कार्यशील जनसंख्या एवं कार्यरत महिला जनसंख्या का **विवरण** स्पष्ट है । इससे **यह भी स्पष्ट** [700] **है कि** स्वरोज़गार के अंतर्गत ग्रामीण महिला कामगरों की संख्या में कुछ कमी आई है । जबकि **नियमित** वेतन पर **आधारित** रोज़गार में वृद्धि हुई है । [725] आकस्मिक वेतन पर आधारित रोज़गार की स्थिति उसी तरह बनी हुई है, जैसे कि पहले थी । इसी तरह शहरी महिला कामगारों की संख्या **स्वरोज़गार** के [750] अंतर्गत पहले से कम होकर पुनः कुछ बढ़ी है जबकि नियमित वेतन पर आधारित रोज़गार में महिला **श्रमिकों** की संख्या बढ़ी है । [775] आकस्मिक **मजूदरी** पर आधारित महिला श्रमिकों की संख्या पहले से कम हुई है । ठीक यही स्थिति कार्य के अन्य क्षेत्रों में व्याप्त है ।

अगर देश [800] में बेरोज़गारी की स्थिति को देखा जाए तो महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक बेरोज़गार हैं । **ग्रामीण क्षेत्रों** में, **शहरी क्षेत्रों** में जो भी रोज़गार [825] मिला हुआ है उनमें उनका **शोषण** किया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में **चूँकि** शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा बेरोज़गारी की दर अधिक है, इसलिए [850] ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अधिक रोज़गार के अवसर **जुटाने** की आवश्यकता है । अपने देश में **शिक्षित वर्ग में** पुरुष एवं महिला रोज़गार में [875] अंतर देखने को मिलता है। रोज़गार वृद्धि की दर **ग्रामीण** क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से अधिक रही है । शिक्षित वर्ग में **स्त्रियों** की रोज़गार वृद्धि [900] की दर पुरुषों की अपेक्षा अधिक रही है । **तथ्य** इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षित पुरुष वर्ग में लगातार वृद्धि [925] बेकारी का एक महत्वपूर्ण कारण महिलाओं का अधिक मात्रा में रोज़गार **ढूँढना** एवं रोज़गार प्राप्त करना है । शिक्षित वर्ग में महिलाओं में रोज़गार वृद्धि [950] की दर, **राष्ट्रीय स्तर से सदैव** अधिक रही है । इसका मुख्य कारण पुरुषों में शिक्षित व्यक्तियों की रोज़गार वृद्धि की दर में कमी [975] रहना है । जहाँ तक **स्त्री-पुरुषों** की कार्य सहभागिता का प्रश्न है तो 1991 में यह क्रमशः 22 एवं 51 रही है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 115

महोदय, मैं अपने लिए इसे बड़ा **सौभाग्य मानता हूँ कि मैं** आज के इस समारोह में सम्मिलित हो सका । कुछ दिन पहले जब लोकनायक [25] बापूजी अणे ने मेरे पास लिखा कि मैं यवतमाल आकर **लोकमान्य तिलक** की मूर्ति का **अनावरण** करूँ तो मैंने अपने लिए इसे बड़ा [50] **सम्मान** माना । **उसके साथ-साथ** बापूजी ने यह सूचना भी दी कि यदि मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे यह भी सौभाग्य मिलेगा कि [75] एक बार फिर उनके दर्शन कर सकूँगा । इन सब कारणों से मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार नहीं आया कि [100] इस **निमंत्रण** को स्वीकार करने अथवा न करने के विषय में सोचूँ । मैंने उसे एक आदेश मानकर **शिरोधार्य** कर लिया । थोड़े समय की [125] **अनिश्चितता** अवश्य रही क्योंकि मैंने लिखा था कि इधर जब आ सकूँगा तो यहाँ आऊँगा । **मुझे प्रसन्नता है कि** वह दिन आ गया [150] और मैं यहाँ आकर इस शुभ कार्य में भाग ले सका । लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की [175] बात हे । लोकमान्य ने केवल इस देश को जगाया ही नहीं बल्कि उन्होंने कांग्रेस रूपी जिस भवन की **नींव** डाली वह आज **स्वतंत्रता** [200] के रूप में हम सबको मिला है । अपनी बुद्धि, अपना **शरीर** और धन जो कुछ मनुष्य के पास हो सकता है सब कुछ देकर [225] उन्होंने देश को जागृत किया और हमें **स्वराज्य के लिए** तैयार किया । जिस समय हम यह नहीं समझ पाए थे कि उस स्वराज्य [250] के लिए और भी कितने **त्याग** की आवश्यकता होगी उस समय उन्होंने हमें केवल यही मंत्र नहीं दिया कि 'स्वराज्य हमारा **जन्मसिद्ध** [275] अधिकार है' बल्कि उन्होंने **यह भी बताया कि हो सकता है कि ब्रिटिश राज्य** के जेलखानों में रहकर हम देश की अधिक [300] **सेवा कर सकेंगे** । यही कहकर उन्होंने कड़े कारावास का दंड **हँसते-हँसते** हर्ष के साथ झेला और सारे देश के सामने एक [325] **उदाहरण** रखा जिसका इस देश के लोगों ने हजारों और **लाखों की संख्या में अनुकरण किया और अनुकरण करते-करते अंत में हमने** [350] **स्वराज्य** भी पा लिया ।

आप लोग **लोकमान्य** के काम के ढंग से और बहुत निकट के **दर्शन** से मेरी **अपेक्षा** कहीं अधिक परिचित हैं । [375] मुझे तो उनके संपर्क में आने का थोड़ा-सा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था । आपमें से **बहुतेरे** ऐसे होंगे जिनको उनके [400] पीछे-पीछे चलकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा । मुझे इस बात की और भी प्रसन्नता **है और ईश्वर को धन्यवाद है कि** [425] ऐसे लोगों में एक प्रमुख व्यक्ति लोकनायक बापूजी अणे आज भी ईश्वर की कृपा से एक **भयंकर** रोग से मुक्त होकर इस [450] सभा में उपस्थित हो सके हैं । **मुझे आशा है** कि हमें उनका उपदेश बहुत दिनों तक मिलता रहेगा और यह हमारा **पथ-प्रदर्शन** करते [475] रहेंगे । इसलिए अब जब कि हमें स्वराज्य भोगने का अवसर मिला है जिसके लिए हम **संग्राम** कर रहे थे, हमें उसे **सार्थक** बनाना है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 116

महोदय, अभी 54 वर्ष ही पूरे हुए हैं जब हमारे हाथों में अधिकार आया और उस समय से आज तक **अनेक प्रकार की विपत्तियाँ** आती [525] रहीं और देश **भाँति-भाँति की कठिनाइयों का सामना करता रहा है** । ईश्वर की दया और हमारे बड़े लोगों की **तपस्या के फलस्वरूप** हम [550] उन सब **कठिनाइयों** को **किसी-न-किसी प्रकार** झेलते और पार करते आए हैं । अब समय आ गया है जब हमें सब बातों पर **रचनात्मक** [575] **रूप से विचार करके काम करना है** जिससे हमारे देश की दरिद्रता दूर हो, शिक्षा का अभाव दूर हो तथा सभी लोग [600] भर-पेट खाकर, कपड़ा पहनकर, चैन की नींद सोकर सुख का जीवन बिता सकें । अभी हमारे सामने बहुत-से दोष हैं जिनको **दूर** [625] **करना है** । उसके लिए सच्चे सेवकों की आवश्यकता है जो देश के काम में उसी लगन, **उसी प्रकार के** त्याग और उसी प्रकार की [650] दूरदर्शिता से लग जाएँ जिसका **उदाहरण** लोकमान्य ने अपने जीवन से हमें दिया है । मुझे तो कभी-कभी यह विचार आता है [675] कि हम लोगों को इस समय जो काम करना है वह **अंग्रेजों** के समय से अधिक कठिन है । उस समय हम सब विदेशी [700] राज्य के विरुद्ध संगठित हो कर काम करते थे और हमारे सामने दूसरा कोई **प्रलोभन** नहीं था । जब **महात्मा गांधी** ने हमें **सत्याग्रह के लिए** [725] आमंत्रित किया तो किसी के सामने और कोई प्रलोभन नहीं था । उन्होंने यहाँ तक स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोई व्यक्ति जेलखाने [750] जाए तो वह इस बात की आशा न रखे कि उसके परिवार के **भरण-पोषण** का भार किसी दूसरे पर रहेगा । उन्होंने [775] **यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मुकदमा** चलने पर कोई यह आशा न रखे कि दूसरा कोई पैसे दे कर या अन्य प्रकार से [800] सहायता करेगा । उस समय **यदि** कोई प्रलोभन था तो जेल जाने का प्रलोभन था, लाठी खाने का प्रलोभन था । इसलिए उस समय मंजे हुए [825] लोग ही आते थे । वे तैयार होकर आते और इस काम में जुट जाते थे । उनके साथ सबकी **सहानुभूति** रहती थी ।

आज के [850] काम में अनेक प्रकार के प्रलोभन हैं और बहुत लोग जब-तब यह भी समझ बैठते हैं कि त्याग का युग तो गया अब भोग [875] का युग आया है । परंतु बात ऐसी नहीं है । काम करने वालों तथा **देशप्रेमियों के** लिए त्याग का समय कभी नहीं जाता और भोग [900] का समय कभी नहीं आता। आज के काम में अधिक **त्याग-भावना** की आवश्यकता है क्योंकि पहले तो कोई चीज मिलने वाली थी ही [925] नहीं तो प्रलोभन क्या होता । यदि सामने थाल **परोस** कर सुंदर भोजन रख दिया जाए और आशा यह की जाए कि कोई भी वस्तु [950] **उठाकर मुँह** में न रखी जाए तो ऐसे प्रलोभन से बचना कठिन है । ईश्वर को **धन्यवाद है कि** इस प्रलोभन के रहते हुए भी [975] हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो उसी लगन के साथ **काम कर रहे हैं** और करते रहेंगे जिस लगन से उन्होंने पहले काम किया था । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 117

आदरणीय महोदय, बच्चों और विकलांगों की सेवा करने वालों का सम्मान करने के लिए मुझे आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है । मैं पुरस्कार 25 जीतने वालों को उनकी निःस्वार्थ सेवा और लगन से बच्चों और विकलांगों के कल्याण के प्रति की गई कोशिशों के लिए अपनी ओर से 50 हार्दिक बधाई देता हूँ । इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं कि हमारे जैसे बड़े देश में जहाँ लाखों बच्चे और विकलांग हैं, समाज 75 के इस वर्ग के कल्याण के लिए केवल सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न ही काफी नहीं होंगे । यह बहुत जरूरी है कि पूरे समाज को 100 देश की कोशिशों में पूरा भाग लेना चाहिए । यह दान के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि यह हमारी जिम्मेदारी है 125 कि आज के बच्चे अपनी शारीरिक कमजोरियों के बावजूद कल के जिम्मेदार नागरिक बन सकें । इस संबंध में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निष्ठापूर्वक किए 150 जा रहे काम की सराहना करनी होगी । यह सभी जानते हैं कि हमारा देश बच्चों के कल्याण में पूरी दिलचस्पी ले रहा है । 175 वास्तव में उनके कल्याण की जिम्मेदारी को हमारे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है । भारत उन थोड़े-से देशों में से है, 200 जिन्होंने बच्चों के लिए समुचित राष्ट्रीय नीति अपनाई है । राष्ट्रीय नीति यह घोषणा करती है कि बच्चे हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, 225 जिनका पालन-पोषण और विकास राष्ट्र की जिम्मेदारी है । इस नीति का उद्देश्य बच्चों की सेहत, पौष्टिक खुराक, शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास 250 संबंधी सेवाओं के दायरे का विस्तार करते रहना है । ऐसी नीति बच्चों की गर्भावस्था तथा जन्मोपरांत के समय में पर्याप्त पौष्टिक आहार तथा 275 स्वास्थ्य संबंधी देखभाल उपलब्ध करके बच्चों को विकलांग होने से बचाने में सहायता करता है ।

स्वयंसेवी संस्थाएँ विकलांग बच्चों की सहायता के 300 लिए जो काम कर रही हैं, वह सराहनीय तो है, परंतु आम तौर पर यह देखा गया है कि उनका कार्यक्षेत्र कुछ बड़े 325 नगरों तथा शहरी इलाकों तक सीमित होता है और अधिकतर ग्रामीण जनता तक कोई सहायता नहीं पहुँच पाती है । यह आश्चर्य की बात है कि 350 विकलांगों की समस्याएँ उनकी अपनी शारीरिक कमजोरियों से पैदा नहीं होतीं, जितनी विकलांगों के प्रति समाज के रवैये से होती हैं । उनकी मानसिक 375 या शारीरिक कमी से कहीं ज्यादा उनके प्रति पक्षपात की भावना उन्हें साधारण जीवन जीने में बाधा डालती है । इसलिए समाज और 400 जाति द्वारा विकलांगता के खिलाफ किए जा रहे संघर्ष में पहला कदम यह है कि परिवार में विकलांगों को सामाजिक और भावनात्मक स्नेह प्राप्त हो । 425 मुझे आशा है कि स्वयंसेवी संस्थाएँ समाज के इन वर्गों की शारीरिक और आर्थिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक पक्षपातों को समाप्त करने के 450 लिए भी काम कर रही हैं । यह जानकर बहुत खुशी होती है कि बहुत-से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाएँ इस 475 सराहनीय काम में लगी हुई हैं और वह हमारे बच्चों और विकलांग भाइयों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना का जीता-जागता उदाहरण हैं। 500

प्रतिलेखन संख्या - 118

आदरणीय महोदय, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार दूसरे लोगों को भी उनका अनुकरण करने की प्रेरणा देंगे तथा हमारे और अधिक 525 देशवासी बच्चों और विकलांगों की सहायता के लिए आएँगे। बच्चों तथा विकलांगों और अपंगों के पालन-पोषण की जिम्मेवारी वास्तव में खुद 550 माँ-बाप के कंधों पर होती है, परंतु कभी-कभी और कहीं-कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि माँ-बाप अपने फर्ज को 575 नहीं समझते और अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं। तो ऐसा गलत काम करने वालों को सजा देने का कोई कानून नहीं है, मैं 600 महसूस करता हूँ कि हमें समाज में ऐसी नैतिक शक्ति का विकास करना चाहिए, जिससे माँ-बाप अपने बच्चों के प्रति उचित व्यवहार करें। 625 अगर माँ-बाप ही अपने कर्तव्य का पालन करना छोड़ देंगे, तो बच्चों को माता-पिता का प्यार कहाँ से मिलेगा। सरकार और स्वयंसेवी 650 संस्थाओं की कोशिशों का महत्व तो माता-पिता के कर्तव्य के बाद आता हैं और केवल बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने के प्रयत्नों में माता-पिता 675 की सहायता मात्र होता है। अंत में मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप नई लगन के साथ बच्चों और विकलांगों के कल्याण के काम 700 में लग जाएँ। मैं समाज कल्याण मंत्री को मुझे इस समारोह में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

प्रायः कहा जाता है कि स्वास्थ्य 725 ही सब कुछ नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य के बिना हर चीज बेकार है। जब तक लोगों के स्वास्थ्य के दर्जे में सुधार न हो, तब 750 तक सामाजिक-आर्थिक विकास नहीं हो सकता और न ही आत्मिक विकास ही संभव है। इस उद्देश्य को लेकर सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य में 775 सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें पीने का शुद्ध जल, सफाई, पौष्टिक आहार और मकान की सुविधाएँ मुहैया कराना भी शामिल है। 800 कुछेक मुख्य क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार ने संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम को भी अपनाया है। चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के 825 क्षेत्र में खास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनेक केंद्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस 850 जैसे संस्थान लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सरकारी एजेंसियों की बहुत मदद कर सकते हैं। अपनी बात पूरी 875 करने से पहले मैं, तपेदिक के प्रश्न पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यह माना जाता है कि हमारे देश में लगभग 10 करोड़ लोग 900 तपेदिक से पीड़ित हैं। सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम में इस बीमारी को शामिल किया है और वह इस पर काबू पाने के लिए 925 कई उपाय कर रही है। क्योंकि यह बीमारी दमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों के अधिक नजदीक है, इसलिए इस प्रतिष्ठान को 950 तपेदिक पर काबू पाने और इसे खत्म करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इमारत तैयार हो जाने पर यह 975 प्रतिष्ठान जरूरतमंद लोगों की अधिक से अधिक सहायता कर सकेगा और उन लोगों की सेवा कर सकेगा जो यहाँ सहायता और राहत के लिए आएँगे। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 119

महोदय, आज की बहस के **दौरान** मैंने हाल की घटनाओं के प्रति जो चिंता देखी है उससे यह **आशंका** प्रकट होती है कि यदि [25] पड़ोसी देश द्वारा भारत पर हमला किया गया तो हम उसका **मुकाबला करने के लिए** तैयार नहीं होंगे । सीमा पर हाल में हुई **घटनाओं** [50] की संख्या और **खासकर** एक बड़े मुल्क द्वारा दी जा रही **सैनिक सहायता** को देखते हुए **निस्संदेह** यह आशंका सही लगती है । यह बिलकुल [75] सही है कि एक बड़े देश से आने वाली सैनिक सहायता से आज भारत की सुरक्षा प्रभावित हुई है और इसलिए हमें इस बात [100] को ध्यान में रखते हुए ही इस स्थिति पर **विचार करना है** । मुझ से पहले जो **माननीय सदस्य** बोले, उन्होंने **आधुनिकतम हथियारों** और अच्छे [125] से अच्छा **प्रशिक्षण** प्राप्त करने के बारे में कहा । इसका सही मतलब क्या है ? **मैं सोचता हूँ कि** युद्ध के **उपकरणों** में जितनी उन्नति [150] हुई है उतनी और कहीं नहीं हुई है । इसका **नवीनतम** और अंतिम उदाहरण परमाणु बम या **हाइड्रोजन** बम है । यही इस प्रक्रिया की **चरम** [175] **सीमा** है । इसका मतलब है कि संसार की दो बड़ी ताकतों को **छोड़कर** और कोई देश पर्याप्त रूप से **सुरक्षित** नहीं हैं क्योंकि [200] उन्हीं दोनों के पास काफी परमाणु बम हैं । तब किसी देश की समुचित सुरक्षा की जाँच कैसे की जाए ?

साफ है कि यदि कोई ऐसा [225] देश जिसके पास **परमाणु बम** है, भारत पर हमला करना चाहे तो **सैनिक दृष्टि से** हम बहुत कम सुरक्षित हैं । **हो सकता है कि** [250] एटम बम के इस **खतरे** का सामना हम अन्य बातों से कर सकें क्योंकि जिस देश में जीवन शक्ति, ताकत और एकता है, [275] जो देश **आत्म-समर्पण** नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो, उसे कभी हराया नहीं जा सकता । इसलिए मैंने **प्रायः** कहा है कि एटम बम [300] का असली जवाब अन्य क्षेत्रों में निहित है । मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि **अंततः** आपकी फौज या फौजी हथियारों का [325] महत्व नहीं है बल्कि लोगों की **एकता की भावना** का, हर कठिनाई और जोखिम के होते हुए भी लोगों के **जीवंत** रहने की भावना का [350] महत्व है । यदि मुझे भारत पर भरोसा है तो यह भरोसा अन्य बातों के अलावा अपने लोगों की एकता और **हिम्मत** पर है । यदि यही [375] कमजोर है तो फिर चाहे कितने ही **टैंक या हवाई जहाज** झोंक दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा । **टेक्नोलॉजी** में इतनी तेजी से तरक्की हुई है [400] कि अगर **दुर्भाग्य से भविष्य** में कोई बड़ा युद्ध हो तो शायद युद्ध कला के बारे में पहली लिखी गई हरेक किताब और पिछले युद्धों [425] में इस्तेमाल किया गया हरेक हथियार पुराना लगेगा । इस नजर से देखने पर **संसार** के केवल कुछ ही देशों को छोड़कर शेष सब देश [450] और भारत में हम पूरी तरह पिछड़ गए हैं और **फिलहाल** हमारे लिए किसी तरह का सहारा नहीं है । **सुरक्षा के लिए** किसी [475] मुल्क की ताकत किस चीज में होती है ? हर आदमी तुरंत सुरक्षा सेनाओं - थलसेना, नौसेना और **वायुसेना** – के बारे में सोचता है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 120

महोदय, ये सेनाएँ सुरक्षा की पहली **पंक्ति हैं** । इन्हें ही हमले का **सामना करना पड़ता है** । ये कैसे बनी रही हैं ? इनका आधार क्या [525] होता है ? जैसे-जैसे **थलसेना, नौसेना** और **वायु सेना ज्यादा-से-ज्यादा** तकनीकी होती जाती है, वैसे-वैसे देश का **औद्योगिक** और **प्रौद्योगिक** [550] आधार महत्वपूर्ण होता जाता है । आप कोई मशीन, हवाई जहाज या कोई और बहुत तकनीकी हथियार विदेशों से **मँगवा सकते हैं** और किसी को उसे [575] **इस्तेमाल** करना भी सिखा सकते हैं । लेकिन यह सब ऊपरी सुरक्षा है क्योंकि इसके लिए आपकी प्रौद्योगिक **पृष्ठभूमि** नहीं है । [600] यदि पुर्ज़े खराब हो जाएँ तो आपकी पूरी मशीन बेकार हो जाएगी । आपने जिससे मशीन **खरीदी** थी, अगर वह पुर्ज़े देने [625] से **इंकार कर दें** तब भी यह बेकार हो जाएगी और आजाद होने के **बावजूद** भी आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे । **इस दृष्टि से** देखें [650] तो संसार के केवल कुछ ही देश असल में आजाद हैं और दूसरे देशों की फौजी ताकत के मुकाबले में अपने पैरों पर खड़े होने [675] के लायक हैं । इसलिए थलसेना, नौसेना आदि के **अतिरिक्त** आपको देश में औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि भी बनानी होगी । [700] देश की अर्थव्यवस्था इस सब में **सहायता करती है** । यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत न हो तो वह देश कमज़ोर पड़ जाता है । [725] मैं सदन को ऐसे देशों के अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जिनके पास फिलहाल अच्छी फौज है लेकिन उनकी ताकत असल में [750] ऊपरी है । कारण यह है कि उनकी फौज अनेक बाहरी चीज़ों पर निर्भर है । जैसे विदेशी मशीनें, **विदेशी अर्थव्यवस्था, विदेशी सहायता** आदि । [775] ऐसा देश **लाज़िमी तौर पर** पराधीन होता है, चाहे आजाद कहलाता हो । सुरक्षा में सेनाओं के साथ-साथ आपकी औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि, [800] देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का **मनोबल** भी शामिल होता है ।

यदि हम दुनिया के देशों पर नज़र डालें तो फिलहाल केवल [825] दो देश ऐसे हैं जिन्हें सैनिक दृष्टि से पहली पंक्ति में **रखा जा सकता है** । बीच की स्थिति में अनेक देश हैं । इनमें हमारा स्थान [850] कहाँ है ? हम **टेक्नोलॉजी** और उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, फिर भी जापान को छोड़कर, एशिया के किसी भी देश के मुकाबले [875] हमारे देश में उद्योग अधिक हैं । मैं **सोवियत संघ** के क्षेत्रों को शामिल नहीं कर रहा हूँ और चीन की तुलना में भी, जो काफी [900] **तरक्की कर रहा है, मैं सोचता हूँ कि** औद्योगिक दृष्टि से हम कई तरह से आगे हैं भले ही सैनिक दृष्टि से आगे [925] न हों । उसके पास विशाल फौज है । उनकी तुलना में हमारी फौज छोटी है । लेकिन मैं **औद्योगिक विकास** के बारे में बात कर [950] रहा हूँ । अन्य मामलों के बारे में नहीं । इस तरह हम **तथाकथित अल्प विकसित** देश के वासी हैं चाहे कुछ मामलों में अधिक उन्नत [975] हों । परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हम शायद दुनिया के आधे दर्ज़न देशों में हैं । मुझे ठीक-ठीक नहीं पता इसलिए कहना मुश्किल है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 121

महोदय, भारतीय स्त्रियों की स्थिति अन्य कारणों से कहीं अधिक दहेज-प्रथा से प्रभावित हुई है। दहेज के कारण जहाँ स्त्रियों की सामाजिक हीनता बढ़ी है [25] वहीं दूसरी ओर नवविवाहित स्त्रियाँ सताई भी जा रही हैं। शिक्षित परिवारों में पुत्री के जन्म पर खुशी नहीं होती बल्कि इसे दुर्भाग्य ही [50] माना जाता है। इससे स्त्रियों का सम्मान घटा है और भविष्य अंधकारमय हुआ है। भारतीय मुस्लिम समुदाय में दहेज का प्रभाव तेजी से बढ़ता [75] जा रहा है। यहाँ तक कि शिक्षित और संपन्न मुस्लिम परिवारों में भी प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में दहेज का प्रचलन अपनी जड़े जमा [100] रहा है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पवित्र कुरान में दहेज का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इस्लाम के वैवाहिक नियमों के [125] अनुसार निकाह के बाद पति द्वारा पत्नी को आर्थिक सुरक्षा के रूप में मेहर दिया जाता है। लेकिन शोध से पता चलता है कि मुस्लिम [150] समुदाय में मेहर की राशि तो कम होती जा रही है और दहेज जैसी कुप्रथा बढ़ती जा रही है। यह अत्यंत खेदजनक है क्योंकि [175] अशिक्षा, आर्थिक-पिछड़ापन, पर्दा-प्रथा आदि कुप्रथाओं को ढोने वाले मुस्लिम समुदाय पर दहेज प्रथा का और लद जाना अभिशाप ही है।

प्रश्न यह उठता [200] है कि कुरान में दहेज का जिक्र न होने पर भी इसका लेन-देन किस आधार पर शुरू हुआ? अधिकांश भारतीयों के दृष्टिकोण से [225] दहेज का धार्मिक औचित्य है। इस संदर्भ में हजरत मोहम्मद की पुत्री के निकाह का उल्लेख किया जाता है। उनकी पुत्री हजरत फातिमा का [250] जब हजरत अली से निकाह हुआ तो विदाई के वक्त उन्होंने गृहस्थी जमाने के लिए दैनिक उपयोग की मिट्टी की कुछ वस्तुएँ तथा खजूर [275] की चटाई एक दूल्हा-दुल्हन को दी थी। ये केवल छह-सात वस्तुएँ उस काल में जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक थीं। हजरत फातिमा के [300] निकाह के समय मोहम्मद साहब द्वारा दी गई इन्हीं वस्तुओं को भारतीय मुस्लिम समुदाय दहेज कहता है, और दहेज का लेन-देन करना चाहता है [325] क्योंकि यह भी मान्यता है कि मोहम्मद साहब के कार्यों को दुहराने से व्यक्ति पुण्य का भागीदार बनता है। परंतु वे लोग इस [350] संबंध में यह नहीं समझते कि मोहम्मद साहब ने तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए सामान दिया था क्योंकि उनके दामाद [375] विवाह के पूर्व उन्हीं के पास रहते थे। अलग घर बसाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था।

इसके अतिरिक्त जब मुस्लिमों [400] ने भारत में प्रवेश किया तो उन पर यहाँ की संस्कृति का प्रभाव पड़ा। उन्होंने देखा कि यहाँ कन्या के विवाह के समय उसे [425] काफी दहेज दिया जाता है। यहाँ की संस्कृति के कुछ अंशों को अपना लेने में उन्हें कोई हानि प्रतीत नहीं हुई। इस प्रकार मुस्लिम समुदाय [450] में दहेज प्रथा का प्रचलन भारतीय संस्कृति के प्रभाव से यहीं आरंभ हुआ। मुस्लिमों ने यहाँ प्रचलित दहेज की तुलना भी हजरत मोहम्मद द्वारा [475] अपनी पुत्री के विवाह के समय कुछ सामान देने से की और उसे न तो गलत माना और न ही इस्लाम के विरुद्ध। वे भी कुछ-न-कुछ वस्तुएँ आवश्यक रूप से देने लगे। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 122

महोदय, **प्रारंभ** में यह **स्वैच्छिक** था और न ही दहेज में अधिक रकम दी जाती थी। जो भी वधू-पक्ष द्वारा अपनी **हैसियत** के अनुसार 525 दिया जाता था उसे वर-पक्ष द्वारा **स्वीकार किया जाता था**। शादी के बाद दहेज को लेकर कोई समस्या नहीं होती थी। परंतु आज स्थिति 550 इसके ठीक **विपरीत है**। वर-पक्ष द्वारा दहेज की माँग अपने अधिकार के रूप में की जाती है और **अधिक से अधिक** दहेज 575 **माँगा जाता है**। **पवित्र कुरान** में दहेज का कोई स्थान न होते हुए भी व्यवहार में मुस्लिम समुदाय में दहेज की क्या स्थिति है, 600 **यह जानने के लिए इंदौर** व **भोपाल** की मुस्लिम महिलाओं का **अध्ययन** किया गया। सन् 1991 **की जनगणना** के अनुसार भोपाल में मुस्लिम 625 परिवारों की संख्या 28,177 है जिनमें 89,986 स्त्रियाँ हैं। इंदौर में मुस्लिम परिवार 14,610 हैं इनमें स्त्रियों की संख्या 50,598 है। 650 जनसंख्या में परिवारों की संख्या के अनुपात **के आधार पर** इंदौर से 175 परिवार व भोपाल से 325 परिवार लॉटरी प्रणाली से चुनकर 675 प्रत्येक परिवार की एक स्त्री को अध्ययन के लिए चुना गया। **साक्षात्कार** अनुसूची के आधार पर किए गए अध्ययन के अनुसार इंदौर व भोपाल की 700 मुस्लिम स्त्रियों के विवाह में दिए गए दहेज की स्थिति स्पष्ट होती है। **तालिका** से स्पष्ट है कि दोनों ही शहरों में स्त्रियों के विवाह 725 में **दहेज दिया गया**। कुल 500 महिलाओं में से 96 प्रतिशत महिलाओं के विवाह में दहेज दिया गया। इनमें इंदौर की 86 प्रतिशत व भोपाल 750 की 97 प्रतिशत महिलाओं के विवाह में दहेज दिया गया। **परिवारजनों** की हैसियत के अनुसार दहेज सामग्री में कपड़े बर्तन, जेवर आदि दिए गए। 775

कुल 500 महिलाओं में 3 प्रतिशत महिलाओं के विवाह में दहेज नहीं दिया गया। इनमें इंदौर की **एक प्रतिशत** महिलाएँ हैं और भोपाल की 2 प्रतिशत महिलाएँ हैं। 800 इन्होंने परिवारजनों की मरजी के खिलाफ **क़ानून पद्धति** से विवाह किया है। **इसी कारण** उनके विवाह में दहेज नहीं दिया गया। इस संबंध में **सर्वाधिक** 825 महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या दहेज के कारण स्त्रियों को **प्रताड़ित** किया जा रहा है। निम्न आँकड़े इसी संबंध में हैं। आँकड़ों से स्पष्ट 850 है कि कुल 500 महिलाओं में 2 प्रतिशत महिलाओं को दहेज के कारण **ससुराल** में परेशानी उठानी पड़ी। इनमें इंदौर की एक प्रतिशत और भोपाल 875 की 2 प्रतिशत महिलाएँ हैं। इंदौर की तुलना में भोपाल की महिलाओं को कम **परेशानी** उठानी पड़ी। इसका कारण शिक्षा और आर्थिक **आत्म-निर्भरता है**। 900 कुल 500 महिलाओं में 97 प्रतिशत महिलाओं को दहेज के कारण ससुराल में परेशानी नहीं हुई। इनमें इंदौर की 96 प्रतिशत व भोपाल की 925 97 प्रतिशत महिलाएँ हैं। **स्पष्ट है कि मुस्लिम समुदाय** में इस बुराई की अभी **शुरुआत** ही हुई है। **आयु के आधार पर** बनाई गई 950 तालिका से स्थिति और अधिक स्पष्ट होती है। कुल 500 स्त्रियों में से 2 प्रतिशत महिलाओं को दहेज के लिए परेशानी उठानी पड़ी। 975 इनमें इंदौर की एक प्रतिशत महिलाएँ व भोपाल की 2 प्रतिशत महिलाएँ हैं। भोपाल में शिक्षा और आत्म-निर्भरता का प्रतिशत अधिक होने से यह परेशानी कम है। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 123

महोदय, **देश भर** के किसान **भाइयों** के इस समारोह को देखकर **मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है** । जब मुझसे इस समारोह के **उद्‌धाटन** [25] **के लिए** कहा गया तो मैंने इस निमंत्रण को **सहर्ष स्वीकार कर लिया** । भारत का किसान वह व्यक्ति है जो सदियों से इस देश की [50] **रीढ़** रहा है और अब भी है और **मैं समझता हूँ कि** आगे भी रहेगा । इसके दो कारण हैं । एक तो, **उत्पादकों** की श्रेणी [75] में किसानों का **सर्वप्रथम** स्थान है और दूसरे, उनकी देश में भारी संख्या है । किसान का काम इतने महत्व का है कि सारे [100] राष्ट्र को उस पर **निर्भर करना पड़ता है** । मानव की सबसे पहली आवश्यकता **उदर-पूर्ति** के लिए अनाज की **उपलब्धि है** और यह कार्य [125] किसान के ही **बल-बूते** का है । इसके बाद कपड़े की आवश्यकता होती है । इसके लिए भी **रुई** किसान ही पैदा करता है [150] और यदि वह चाहे तो चर्खा चलाकर समय का **उपयोग कर सकता है** जो यों ही नष्ट जाता है और इस प्रकार कपड़े [175] के लिए सूत भी **तैयार कर सकता है** । किसानों के कल्याण का अर्थ देश की जनता के एक बहुत बड़े भाग का कल्याण समझना चाहिए । [200] हमारे देहातों की **उन्नति** और उनका **यथोचित** विकास वास्तव में बहुत दूर तक किसानों की उन्नति से **बढ़कर** और कुछ नहीं । **यही कारण** [225] **है कि** देहात-सुधार के सभी कामों की सफलता का **मापदंड** किसान की स्थिति को ही समझा जाता है । यह प्रसन्नता की बात है [250] कि इस संगठन में केवल **खेतिहर** लोग ही सम्मिलित नहीं हैं बल्कि उन सब संस्थाओं और वर्गों के **प्रतिनिधि** भी हैं जिनका खेती [275] से संबंध है और जिनका **दैनिक जीवन** में किसानों से संबंध पड़ता है । हमारे किसान भाइयों का काम कुछ इस प्रकार का है कि [300] **अधिकतर** उन्हें खेती या उसकी **देखभाल** के संबंध में गाँवों में ही **रहना पड़ता है** । इसलिए ऐसे अवसर जब उनका संपर्क [325] दूसरे क्षेत्रों में **काम करने वाले** लोगों से हो सके, उन्हीं के लिए नहीं बल्कि दूसरे **लोगों के लिए** भी **मूल्यवान** है । एक-दूसरे [350] से मिलना और **विचार-विनिमय** करना दृष्टिकोण को अधिक विस्तृत बनाने का **सर्वोत्तम** साधन है । इन दिनों जबकि राष्ट्रीय निर्माण और विकास के कार्य [375] के संबंध में महत्वपूर्ण योजनाएँ बनाई और चालू की जा रही हैं, इस प्रकार के संपर्क और **एक-दूसरे के** विचार जानने का विशेष महत्व है । [400] इसलिए मैं इस आयोजन का **हृदय** से स्वागत करता हूँ और इसके **संयोजकों** को बधाई देता हूँ ।

मैं समझता हूँ कि दूसरी बातों [425] के जानने के साथ-साथ एक बात ऐसी है जिसका ज्ञान **सहज** और **सुग्राह्य रूप से** किसानों तक पहुँचना अत्यंत आवश्यक है । शिक्षित समाज [450] की धारणा यह है कि हमारे देश के किसान **रूढ़िवादी** हैं और वे अपनी पुरानी **रीति-नीति** को जल्दी नहीं बदलते, इसलिए उनमें नए [475] विचार अथवा नई **प्रक्रियाओं** का प्रचार बहुत कठिन होता है । **मैं समझता हूँ कि** यह एक अत्यंत **भ्रामक** विचार है । यह सच है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 124

महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि खेती के साथ-साथ **गोवंश** की भी उन्नति होनी चाहिए क्योंकि हमारी खेती उसी पर निर्भर है। [525] गाय हमें दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि के रूप में **पुष्टिकर** भोजन देती है। इसके अतिरिक्त **खेतों के लिए अच्छी-से-अच्छी** [550] खाद देती है जिसको हम अपने **अज्ञान** से या तो बिल्कुल **नष्ट कर देते हैं** या उससे जितना लाभ उठा सकते हैं, [575] नहीं उठाते। वह **बछड़े** देती है जो हल जोतते हैं और गाड़ियों को **खींचते** हैं। यहाँ तक कि मरने पर वह **बहुमूल्य** चमड़ा भी दे [600] जाती है और यदि अन्य वस्तुओं का भी ठीक उपयोग करें तो अन्य आवश्यक चीजें भी उसके मृत **शरीर** से हम पा सकते हैं। [625] **मेरा विश्वास है कि** यदि हम गोपालन ठीक से करें तो एक बार फिर इस देश में दूध की नदियाँ बहने लग सकती हैं। [650] इसके लिए कुछ रूढ़ियों को छोड़ना होगा और गाय के लिए समग्र **सेवा भाव** को ग्रहण करना होगा, अर्थात उसको अच्छा पुष्टिकर [675] भोजन देने से लेकर **नस्ल सुधार** और मरने पर उसके शरीर से या जो कुछ भी लाभ उठाया जा सकता है उसको प्राप्त करने [700] का पूरा प्रयत्न होना चाहिए। जब तक **कृषि-सुधार** और **गोसंवर्धन** के कार्य साथ-साथ नहीं किए जाएँगे तब तक **खाद्य समस्या** पूरी तरह [725] हल नहीं हो सकेगी। **खाद्य पदार्थों** में अन्न आवश्यक है पर दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि अर्थात गोरस भी **किसी रूप में कम आवश्यक नहीं।** [750]

देश की कृषि **अनुसंधानशालाओं** को जो खेती और पशुओं की नस्ल सुधार आदि का काम **बराबर** कर रही हैं, उस [775] काम के परिणामों का किसानों में पूरी तरह **प्रचार करना चाहिए।** तभी देश को इन **वैज्ञानिक** खोजों का पूरा-पूरा [800] लाभ मिल सकता है। पश्चिमी देशों के **परीक्षणों** से खेती के क्षेत्र में इन अनुसंधानों और **वैज्ञानिक** खोजों का महत्व और उत्पादन पर प्रभाव भली [825] प्रकार **प्रमाणित हो चुका है।** पूर्व में जापान ने वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार खेती करनी आरंभ की और इसके **फलस्वरूप** वहाँ के उत्पादन [850] में कई गुना वृद्धि हो गई। इस प्रकार अपने **निर्वाह के लिए** काफी खाद्य पदार्थ **पैदा करने के लिए,** जिसमें अनाज और **गोरस** दोनों हैं, [875] किसानों को नई खोजों से लाभ उठाकर नई पद्धतियाँ **अपनानी चाहिए। इस संबंध** में आपके समाज का यह [900] सुझाव कि किसानों को पूसा कृषि अनुसंधानशाला और राज्यों में स्थित अनुसंधानशालाओं में कुछ दिन रहने का अवसर दिया जाए, अत्यंत **प्रशंसनीय** है। मेरा विश्वास [925] है कि किसानों और हमारे **अनुसंधानकर्त्ताओं** के बीच इस प्रकार के मेलजोल का फल बहुत ही **लाभदायक** होगा और इस प्रकार किसान लोग [950] सभी वैज्ञानिक खोजों को समझ और **देख-भाल** कर काम में ला सकते हैं। **भारत कृषक समाज** इन सभी खेती और किसान संबंधी कार्यों में [975] बहुत **कुछ कर सकता है।** यह किसानों का अपना संगठन है और **व्यावहारिक** सहायता की **आशा कर सकते हैं।** [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 125

महोदय, मनुष्य के **व्यक्तित्व** के विकास में **शारीरिक**, मानसिक योग्यता एवं **क्षमता** के साथ-साथ वातवारण का भी बड़ा महत्व है । महादेवी वर्मा के [25] **व्यक्तित्व** पर उनके जीवन की **परिस्थितियों** एवं वातावरण की छाप के साथ-साथ वंश **परंपरागत** संस्कारों का भी प्रभाव पड़ा । इनके बाबा [50] उर्दू-फारसी के **विद्वान थे**, पिताजी अंग्रेजी में एम०ए० थे नाना हिंदी, संस्कृत के विद्वान होने के साथ-साथ हिंदी और संस्कृत की [75] पद्य रचना भी करते थे तथा माता **आस्तिक साधना**, कला एवं **संगीत** में रुचि लेती थीं । परिवार की तीन **पीढ़ियों के उपरांत** बड़ी **मनौती के** [100] बाद जब महादेवी जी का जन्म हुआ तो सभी अपने-अपने ढंग से **विदुषी** बनाने के स्वप्न देखने लगे, बाबा सूफियों का विश्वास करते [125] **थे पर कर्मकांड** पर नहीं । पिताजी **नास्तिक** तो नहीं थे परंतु **संदेहवादी** थे, वे व्यापक मानव धर्म को मानते थे और माँ [150] **सगुणोपासिका** थीं । ऐसे विविध पर **सामंजस्यपूर्ण** वातावरण में महादेवी जी को जीवन दृष्टि परिवार से मिली, जिसने उनके निकट मनुष्य को अधिक [175] मूल्यवान बना दिया । महादेवी वर्मा के **जन्म** का युग ऐसा था जब **कन्या-वध** का प्रचलन समाज में था परंतु उनके घर में [200] उनका जन्म बहुत शुभ मानकर उन्हें देवी रूप में **स्वीकार किया गया** । अतः ऐसे **पारिवारिक** वातावरण के कारण **मनोवैज्ञानिक** दृष्टि से इनमें [225] नारी के **निजत्व** को महत्व देने की **क्षमता** का विकास हुआ । उनके **व्यक्तित्व** में नारी के **आत्मसम्मान** एवं अहं का ऐसा रूप विकसित [250] हुआ कि उन्होंने अपने **स्वत्व** एवं निजत्व की रक्षा के लिए सामाजिक मान्यताओं को भी ठुकरा दिया और नारी के आत्मसम्मान की **रक्षा** [275] **के लिए** उनमें **विद्रोहात्मक** प्रवृत्ति भी जागृत हो गई । गद्य और पद्य रचनाओं में भी वे 'स्व' संबंधी धारणा से मुक्त नहीं हो पाईं और [300] काव्य के क्षेत्र में तो वे अपने ही धरातल और सीमा से बंधी रहीं ।

महादेवी जी के दादा ने **पुण्य** लाभ की इच्छा से [325] तो **पौत्री** का विवाह सात-आठ वर्ष की आयु में रचा दिया परंतु महादेवी जी ने कभी भी **वैवाहिक जीवन** को स्वीकार नहीं [350] किया । डॉ० राम पांडेय के अनुसार 'वैवाहिक जीवन अस्वीकार करने के मूल में भारतीय नारी की युग-युगों से चली आती हुई वह **दयनीय** [375] दशा है जिनका **उल्लेख** उन्होंने अपने सामाजिक **निबंधों** में किया है । इसके अतिरिक्त पुरुष निरपेक्ष नारी व्यक्तित्व की स्थापना उनका जीवन[400] व्यापी उद्देश्य भी इसमें **सक्रिय** रहा हो तो आश्चर्य नहीं।' कुछ भी हो यह कटु सत्य है कि महादेवी ने विवाह को किसी भी स्थिति [425] में **स्वीकार नहीं किया** और स्त्री-पुरुष के संबंध के प्रति विद्रोह कर बैठीं । अपनी इच्छा का दमन करते हुए बाल विवाह की समस्या [450] का शिकार बनकर अपने अहं की रक्षा हेतु असाधारण मार्ग अपनाया । चिंतनशील **होने के कारण स्त्री-पुरुष** के संबंध के प्रति अपना एक [475] नया दृष्टिकोण विकसित किया । उनके दृष्टिकोण के विकास में उनकी काव्य रचना में **उदात्तीकरण** के समावेश को सहायक **माना जा सकता है** । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 126

महोदय, महादेवी जी ने अपने **व्यक्तित्व** का स्वयं निर्माण किया और अपने पथ की स्वयं रचना की । अपनी पूरी **क्षमता** के साथ पथ की [525] बाधाओं को चुनौती देती हुई जीवन में **अग्रसर हुईं** । उनके अपने पति के साथ **सौजन्यपूर्ण संबंध** थे पर पुरुष के अधिकार को **नकारकर** वे [550] समाज को संभवतः यह बताना चाहती थीं कि नारी पुरुष से स्वतंत्र होकर भी अपना **अस्तित्व** बनाए रख सकती है और पुरुष निरपेक्ष नारी के [575] अस्तित्व को भी मान्यता मिल सकती है । उन्हें नारी के प्रति पुरुष के दृष्टिकोण पर **क्षोभ** था - 'पुरुष ने कभी नारी के अभाव का अनुभव [600] करना ही नहीं सीखा । स्त्री को प्रत्येक पग पर प्रत्येक **साँस** के साथ पुरुष से सहायता की भिक्षा माँगते हुए चलना पड़ता है ।' समाज संगठन [625] में नारी अपना निजी योगदान दे सकती है । समाज की समस्याओं का समाधान नारियाँ अपने ढंग से कर सकती हैं और **स्वस्थ** संबंधों की स्थापना [650] भी की जा सकती है । पुरुष प्रधान भारतीय समाज में **परवशता** और **परतंत्रता** की **शृंखलाओं** को **तोड़कर** भारतीय नारी स्वतंत्र जीवन भी जी सकती है, [675] इसको उन्होंने **सोदाहरण** स्वयं अपने जीवन द्वारा प्रमाणित करके दिखाया । इस प्रकार काम शक्ति ऊर्जा के रूप में विकसित हुई । महादेवी [700] के व्यक्तित्व में काम शक्ति का **'प्रतिबंधित'** और **'दिशांतरण'** रूप विकसित हुआ जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ । महादेवी जी के व्यक्तित्व में मानसिक [725] **द्वंद्व** की प्रमुखता **बाल्यावस्था** से ही देखने को मिलती है । विवाह को अस्वीकार करके **स्वयं के लिए** द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न की [750] तथा **परिणामतः** उन्हें मानसिक **तनाव** का **सामना करना पड़ा** । उनके व्यक्तित्व में **भावुकता** एवं **बौद्धिकता** के अद्भुत मेल शिक्षा एवं **आध्यात्म** के प्रभाव [775] से तनाव से मुक्ति पाने के लिए **अलौकिक** प्रिय का **संबल** लिया तथा काव्य के क्षेत्र में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया । व्यक्ति से **समष्टि** की [800] समस्याओं के समाधान में स्वयं को **व्यस्त** रखा और अपनी मानसिक शक्ति का **सदुपयोग** किया ।

उनका व्यक्तित्व **सृजनात्मकता** का प्रतीक बन गया । उन्होंने [825] अपने सबल व्यक्तित्व द्वारा अपनी परिस्थितियों को चुनौती देकर **मनोनुकूल** पथ का चुनाव किया । अपने **आत्मविश्वास** को उन्होंने कभी नहीं खोया । जिस [850] मार्ग पर चल पड़ीं कभी लौटी नहीं । महादेवी जी ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अपने दुख को **अभिशाप** बनाने की अपेक्षा शक्ति [875] बना लिया । 'दीपक' से उन्होंने जलकर दीप्त होने के और कमल से विकासशील होने की प्रेरणा ली । नारी जीवन की **उन्नति के लिए** [900] वे **सदैव** तत्पर रहीं । वे स्वयं कन्या-वध तथा **बाल विवाह** संबंधी नारी समस्याओं से परिचित थीं और स्वयं को भी कुछ सीमा तक उलझाना [925] पड़ा । अतः इसके विरुद्ध आवाज उठाई कि समाज नारी की शक्ति और क्षमता समझे, नारी **भोग्या** नहीं शक्ति है, **निराश्रित** नहीं **आश्रयदात्री** है । [950] उन्होंने स्वयं नारी जाति में **आत्महीनता** की ग्रंथि को **आत्मविश्वास** तथा **आत्मगौरव** द्वारा विजय प्राप्त करके नारी जाति के सामने [975] आदर्श प्रस्तुत किया । उन्हें भारत देश में नारी की स्थिति पर **क्षोभ** था - नारी आज **अलंकरण** मात्र है । पुरुष उसे भोग रहा है ।' [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 127

सभापति महोदय, मुझे **संसार भर** से आए हुए **प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रियों** के इस सम्मेलन में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है । **मुझे बताया गया** [25] **कि यह पहला अवसर है**, जब कि **इंटरनेशनल बार एसोसिएशन**, लॉ एशिया और भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा **संयुक्त रूप से इस प्रकार का** [50] क्षेत्रीय सम्मेलन **आयोजित किया जा रहा है**, जिसमें उन आम कानूनी समस्याओं पर **विचार-विमर्श** किया जाएगा, जो हमारे सामने मौजूद हैं । साथ ही [75] उन समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा, जो तेज़ी से बदल रही इस दुनिया के सामने आ सकती हैं, जिससे कि विभिन्न [100] भारी **परिवर्तनों** के लिए पहले से ही तैयारी की जा सके और अगले 15 वर्षों में इस सदी के **अंत** तक न्याय की उचित और [125] आदर्श व्यवस्था की जा सके । **मुझे खुशी है कि** इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को, जिन्हें सुविधाएँ हासिल नहीं हैं, **खासतौर से** स्त्रियों को [150] कानूनी सहायता दिए जाने के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा होगी । **मैं कामना करता हूँ कि** इस सम्मेलन में जो विचार-विमर्श होगा, [175] उसका आने वाले 15 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और **अंतर्राष्ट्रीय** कानून बनाने की प्रक्रिया पर **लाभदायक** प्रभाव पड़ेगा । **प्राचीनकाल** से ही भारत [200] में कानून को **निहायत सम्मान** की दृष्टि से देखा जाता रहा है। वास्तव में धर्म या **मजहब** हमारे लिए ऐसे धार्मिक, **आध्यात्मिक**, नैतिक और आर्थिक [225] **आचार-नियमों** का एक ताना-बाना रहा है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से **परिभाषित** कानूनों द्वारा निर्धारित है । इन कानूनों का पालन [250] पूरी मानसिक, **शारीरिक** और **आध्यात्मिक ईमानदारी** के साथ करना होता है । कानून के **निष्ठापूर्वक** पालन के कारण ही हमारी सभ्यता और संस्कृति सदियों से [275] राजनीतिक **उथल-पुथल** और विदेशी हमलों के बावजूद न केवल जीवित ही रही है, बल्कि इसने एशिया के दूसरे देशों के लोगों को भी [300] प्रभावित किया है और **मानव चिंतन** के विकास में योगदान दिया है ।

पाषाण-काल से लेकर आज के निंहायत ही औद्योगिक वातावरण तक समाज की [325] प्रगति के साथ-साथ **कानून की धारणा** में भी भारी परिवर्तन हुए हैं । **बैलगाड़ी** के युग से आज के **सुपरसोनिक** युग तक आने [350] में मनुष्य की **गतिविधियाँ** इतनी बढ़ गई हैं, जिनकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । इन बदली हुई **परिस्थितियों के** [375] **लिए** सामाजिक **अनुशासन** की बिल्कुल ही नई व्यवस्था की जरूरत है । **जनसंख्या** में भारी वृद्धि, इंसान की अनेक प्रकार की गतिविधियों तथा ऐसे ही [400] अनेक विभिन्न कारणों से आज की दुनिया में **न्याय-प्रणाली** पर भारी प्रभाव पड़ रहा है । जो कानून पहले बनाए गए थे और जो **न्याय-व्यवस्था** [425] एक निश्चित **सामाजिक प्रणाली** को लेकर तैयार की गई थी, वह आज के इस जबरदस्त और **अचानक परिवर्तन** को देखते हुए बिल्कुल **अपूर्ण** साबित हो [450] रही है । किसी दूसरी **विकासशील संस्था** की तरह ही कानून स्थिर नहीं हो सकते, उन्हें बदलते हुए हालात की **जरूरतों** के अनुसार लगातार अपने आपको [475] ढालना होगा। यह अनुमान लगाना **संभव नहीं है कि** भविष्य में कानून के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के क्या कानूनी हल निकाले जाएँगे । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 128

सभापति महोदय, अभी तक समुद्री कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून से संहिताबद्ध करने की जरूरत का कोई ऐसा पूर्ण हल नहीं निकाला जा सका 525 है जो सबको स्वीकार हो । हम पहले से ही अंतरिक्ष में दुनिया के भिन्न राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को नियमित करने के लिए 550 कानून बनाने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि न्यायशास्त्रियों की दो अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय संस्था अगले 575 15 वर्षों में इंसान की जरूरतों का अंदाजा लगाने और सन दो हजार एक में न्याय की व्यवस्था के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का 600 सामना करने के लिए आपस में मिलकर विचार-विमर्श कर रही हैं । इसका एक मात्र उत्तर यह मालूम होता है कि हम न्याय 625 की अपनी उस पुरानी प्रणाली पर फिर से लौट जाएँ, जिसमें सामाजिक और नैतिक आदर्शों को पवित्र माना जाता था और उनका उल्लंघन नहीं 650 किया जाता था । हर आदमी इन क़ानूनों का पालन करना अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानता था । आज वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति के कारण धर्म का 675 प्रभाव कम हो गया है । इसलिए समाज को इन बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आपको ढालना होगा और नई मान्यताएँ तथा 700 आत्म-अनुशासन पैदा करना होगा । लोगों को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, ताकि न्याय प्रणाली पर से गैर-ज़रूरी 725 भार को कम किया जा सके और व्यक्ति स्वयं भी उसमें भागीदार बने, जैसा कि प्राचीन धर्म अर्थात नैतिक बल के जरिए होता था । 750

मुकदमेबाजी अब एक मनोरंजन जैसा कार्य बन गया है । कभी-कभी सिर्फ शौकिया तौर पर और कभी-कभी कानून की गिरफ्त से बचने के 775 लिए लोग मुकदमेबाजी करते हैं । कभी-कभी कानून और कानूनी पाबंदियों के उल्लंघन के लिए अदालतों का सहारा लेना एक सुरक्षित साधन माना जाता है । 800 अगर कानूनी क्षेत्र का इस्तेमाल वकीलों और कानून तोड़ने वालों के लिए एक उत्तर और लाभकारी साधन बनकर रह जाता है, तो इससे 825 भ्रांति पैदा हो जाएगी और कानून का ध्येय ही खत्म हो जाएगा । न्यायाधीशों और वकीलों से अनुरोध है कि वे अपनी जिम्मेदारी की ऊँची 850 भावना से मौजूदा कानून-प्रणाली की भूल-भुलैया पर विचार करें, जिनके कारण न्याय का मूल आधार ही नष्ट हो रहा है और 875 न्यायपालिका को सामाजिक उन्नति के एक साधन के रूप में मज़बूत बनाने के लिए उचित उपाय ढूँढ निकालें । आज आम आदमी अदालत में जाने 900 के विचार से ही कतराता है । उसे यकीन है कि अदालत का मतलब है कि बहुत महँगी और लंबी लड़ाई, जो शायद उसके जीवन 925 में खत्म हो या न हो । हमेशा ही समय पर न्याय मिलना बहुत ही जरूरी है । कानून में देरी का रोग न्याय-व्यवस्था को ही 950 खाए जा रहा है । मैं इस सम्मेलन में आए संसार के प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रियों से अनुरोध करता हूँ कि वे कानूनी देरी से निपटने, कानूनों 975 को सरल बनाने और आम आदमी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए कारगर उपाय खोजें, क्योंकि कानून आदमी की सेवा के लिए होते हैं । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 129

महोदय, भारतीय समाज **बहुभाषी** समाज है और हमारे इस समाज में **बहुसंख्यक भाषाई वर्ग के अल्पसंख्यक** भाषाई वर्ग से मधुर संबंध है । 25 अत: यहाँ **बहुभाषिता सहज स्थिति** के रूप में **स्वीकार्य** है । इस समाज में व्यक्ति एक भाषा से दूसरी भाषा की **यात्रा** करता रहता है 50 और ऐसे में एक ही **वाक्य** में **एकाधिक** भाषा के तत्वों का **समन्वय** कर वह अपना कार्य आसान कर लेता है -**"ओरु** टिकट दीजिए" 75 और यह एक पंक्ति **राष्ट्रीय एकता** के **सूत्र** में एक और सूत्र बढ़ा देती है । "राष्ट्रीय एकता" का संबंध "समूह-**मस्तिष्क**" से होता है और 100 समूह-मस्तिष्क को प्रभावित, संचालित तथा **नियंत्रित करने के लिए संप्रेषणीयता** की शक्ति का उपयोग किया जाता है । विचार भावना एवं व्यवहार को उद्देश्य के 125 अनुकूल जगाने एवं मोड़ने में विशेष **प्रभावोत्पादक** शब्दों का उपयोग किया जाता है । **विज्ञापनों** की भाषा, चुनावों की भाषा, क्रांति की भाषा, आंदोलन की 150 भाषा आदि **वाक्यांश** भाषा की इसी शक्ति की ओर **संकेत करते हैं** और यह शक्ति राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने में **सर्वाधिक** 175 कारगर होती है, हुई भी है । भाषा-समन्वय और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में उस शक्ति की **प्रभावोत्पकता** को विज्ञापन "मिले सुर मेरा तुम्हारा" 200 **में परखा जा सकता है** । समन्वय, राष्ट्र, एकता - इन शब्दों का **शब्दकोश** में जो अर्थ दिया गया है, वह है - समन्वय : विरोध का 225 अभाव, राष्ट्र : वह लोक समुदाय जो एक ही राज्य या शान में रहता हुआ **एकताबद्ध** हो, एकता : अभिन्नता । भाषाई समन्वय से **तात्पर्य** यह है 250 कि विभिन्न भाषाओं के अस्तित्व को **स्वीकारते** हुए उनकी गरिमा के अनुरूप उनमें दूसरी भाषा के प्रति विरोध का भाव न आने देना, इसी 275 प्रकार राष्ट्रीय एकता का सहज अर्थ **लगाया जा सकता है** -वैसी एकता जिसे राष्ट्रीय समुदाय **एक दूसरे के प्रति** "अभिन्न" होने के भाव से 300 **संचालित करे** । एकता में राष्ट्रीय विशेषण लगना इसे राष्ट्र के अस्तित्व और **प्रतिष्ठा** से जोड़ देता है और **राष्ट्रीय एकता के लिए** भाषा की 325 भूमिका अहम हो जाती है और भाषाई समन्वय का महत्व उठ खड़ा होता है ।

आज भारत पर एक साथ, एक ही समय, अलग-अलग 350 क्षेत्रों में अनेक आक्रमण **किए जा रहे हैं** । ये आक्रमण आबादी के भी हैं, और आर्थिक भी । **सांस्कृतिक** भी हैं धार्मिक भी । शिक्षा, साहित्य पर 375 भी हैं और रहन-सहन तथा मनोरंजन आदि पर भी इन आक्रमणों में कुछ **परोक्ष** हैं तो कुछ प्रत्यक्ष । कुछ आक्रमणों से केवल सरकार 400 अवगत है और केवल कुछ का आम आदमी को भी पता है । आम आदमी जिन **आक्रमणों** को जानता या नहीं जानता है, जिनसे वह 425 परिचित या **अपरिचित** है वे हैं संस्कृति, साहित्य, रहन-सहन और मनोरंजन के माध्यम से **भारतवासियों** के मन को गुलाम बनाने के लिए किए जा 450 रहे आक्रमण । ऐसे में भाषाई समन्वय का संबंध राष्ट्रीय एकता से और गहरा हो गया है । **उपग्रहों** के माध्यम से आसमान से उतरती पश्चिमी देशों 475 की उड़न-परियाँ जो **सांस्कृतिक** हमले कर रही हैं, भाषाई समन्वय के अभाव में उनकी **गिरफ्त** और भी मजबूत हो जाएगी । 500

प्रतिलेखन संख्या - 130

महोदय, मद्रास में **दूरदर्शन** भाषाई **समन्वय** को महत्व नहीं देगा तो अन्य भाषी भी टी॰वी॰ देखने के प्रति ललक पड़ेंगे। दिल्ली में भाषाई 525 समन्वय को नहीं **महत्व दिया जाएगा** तो वहाँ के **हिंदीतर** भाषी स्टार टी॰वी॰ के प्रति ललकेंगे। कश्मीर के लोगों को भाषाई समन्वय के कार्यक्रम 550 नहीं मिलेंगे तो वे पाकिस्तानी दूरदर्शन देखेंगे फिर वे अपनी संस्कृति से कटने लगेंगे देश के अपने ही एक हिस्से के प्रति अपने ही 575 अन्य बंधु के प्रति उनमें **संवेदनशून्यता** भरने लगेगी और फिर "लातूर" जैसी घटना पर भी वे भाव **शून्यता** के शिकार होंगे और यह स्थिति 600 राष्ट्रीय **विखंडन** की जमीन तो तैयार कर ही सकती है। भाषाई समन्वय के अभाव में पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुँचा और **बंगलादेश** बना। 625 अपने देश को ही लें - **आपरेशन ब्लू स्टार** के दौरान भाषाई समन्वय पर उतना **ध्यान नहीं दिया गया** फलतः देश के अन्य हिस्सों में आम 650 आदमी के मन का **आक्रोश** भड़का जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक रहा। वहीं हजरतबल प्रकरण में हजरतबल को सेना द्वारा रौंद दिए 675 जाने के विदेशी समाचारों के प्रभाव को भाषाई समन्वय के **सिद्धांत** पर ही हम पूरी तरह रोक पाने में **सक्षम** रहे। इस प्रकार भाषाई समन्वय 700 **के आधार पर** उभरी **राष्ट्रीय भावना** हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए सार्थक सिद्ध होगी। किंतु यह भाषाई समन्वय किसी अन्य भाषा के मूल्य पर या 725 उसे किनारे रखकर कुछ भाषा विशेष के लोगों को कारण विशेष से खुश करने की धारणा से नहीं की जानी चाहिए। **अन्यथा** भाषा के 750 क्षेत्र में भी **"तुष्टिकरण"** की नीति को बढ़ावा मिलेगा और फिर ऐसा तुष्टिकरण राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध ही चला जाएगा। इसी प्रकार किसी भाषा 775 विशेष के शब्दों को **सांप्रदायिक** समझने के दृष्टिकोण को पनपने से रोकने का प्रयास आवश्यक है। शब्दों को सांप्रदायिक बनाने अथवा उन्हें किसी भाषा विशेष 800 के प्रतिनिधि मात्र समझने की धारणा को भी **बदलना होगा**। एक भाषा में से अन्य भाषा के **घुलमिल** गए लोकप्रिय शब्दों को 825 चुन-चुन कर निकाल फेंकने और उसकी जगह जबरदस्ती गढ़े गए शब्दों को बिठाने की **मानसिकता** पर **अंकुश** लगाना होगा। शब्दों को भाषा विशेष 850 में उनकी **लोकप्रियता** और उस भाषा के प्रवाह में उनकी **उपादेयता** पर अधिक जोर देना चाहिए।

समन्वय इस अर्थ में हो 875 और ऐसा हो कि **प्रारंभ** में आम पंजाबी को भी **आतंकवादी** मान बैठने वाला एक अन्य भाषाभाषी इस तथ्य से **वाकिफ** होता है कि 900 वहाँ का आम सिख भी **आतंकवादियों** का उतना ही बड़ा विरोधी है जितना वह है तो फिर क्षण में उसकी धारणा बदल जाती 925 है और उसका चिंतन-सक्रिय हो जाता है और फिर वह आतंकवाद के प्रति उनके **संघर्ष** में खुद को भी शामिल कर 950 लेता है और जब यह तथ्य उसे अपनी भाषा के माध्यम से मालूम हो जाए तो उसका मनोबल और भी ऊँचा हो जाता है 975 और वह राष्ट्र की **अखंडता के लिए** और भी शक्ति से जूझने लगता है। यहाँ यह भी **ध्यातव्य** है कि भाषा के दो पहलू हैं। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 131

महोदय, अभी आपने नगरपालिका के **अध्यक्ष महोदय** से सुना कि मैं इससे पहले भी कई बार त्रिचूर आ चुका हूँ । जहाँ तक [25] मेरा ख्याल है, मैं यहाँ पच्चीस वर्ष पहले आया था और अब जब मैं फिर आया हूँ तो यह पिछले पच्चीस वर्ष मेरी नजरों के [50] सामने गुजरते दिखाई देते हैं । मैं देखता हूँ कि लंबे संघर्ष के बाद हमने कैसे **आजादी** हासिल की और उसके बाद कैसे हम [75] और भी कठिन संघर्ष में जूझ रहे हैं, ऐसे संघर्ष में जो अपने **देशवासियों** के आर्थिक कल्याण और **उच्च जीवन स्तर** के लिए है । [100] आर्थिक कल्याण के इस लक्ष्य से हर आदमी सहमत होगा । तब अनेक बातों में हमारा **मतभेद** क्यों होता है ? विभिन्न पार्टियाँ क्यों हैं ? [125] विभिन्न पार्टियाँ होना अच्छा है क्योंकि जब एक ही **समस्या** पर कई तरह से **विचार किया जाता है** तो उसके बारे में अधिक [150] जानकारी मिलती है । सब लोगों के एक ही ढंग से विचार करने की बात पर मेरा विश्वास नहीं है । **मैं चाहता हूँ कि** विचारों की [175] आजादी हो और उनका खुल कर **आदान–प्रदान** हो । कभी–कभी इससे हमें सच्चाई का पता चलता है ।

फिर भी, किस रास्ते पर [200] चला जाए, इस मुद्दे को लेकर **अक्सर** आपस में मतभेद और **लड़ाई–झगड़ा** क्यों होता है ? मैं इसके बारे में आपसे **कुछ** [225] **कहना चाहता हूँ** । जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, **इसी बात पर** जोर देता हूँ जो बिल्कुल साफ है और जिससे हर एक को [250] सहमत होना चाहिए । मैं भारत की एकता पर जोर देता हूँ, केवल **राजनीतिक एकता** पर नहीं, वह तो हमने **हासिल कर ली है,** [275] उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यानी **भावात्मक** एकता हमारे विचारों और दिलों का मिलन, अपने भीतर से **अलगाववादी भावनाओं** को **खत्म** करना । जहाँ सब लोग [300] भारत की एकता के बारे में सहमत हैं, वहीं बहुत–से लोग और कुछ पार्टियाँ भी ऐसे काम करती हैं, जिनके **परिणाम** से भारत [325] की एकता टूट सकती है । वे ऐसा क्यों करते हैं मैं नहीं जानता । जब हम भारत के लोग एक ओर अपनी **संस्कृति,** समान उद्‌देश्य, मैत्री, [350] प्यार आदि के बंधनों से बंधे हैं, दूसरी ओर **दुर्भाग्यवश** भारत में अलगाववादी और **विघटनकारी प्रवृत्तियाँ** छिपी हुई हैं जो कोई नई समस्या खड़े [375] होते ही अपना सिर उठा लेती हैं । हम राज्यों के **पुनर्गठन** की बात करते हैं । हर हालत में हमें इस पर बात करनी चाहिए । [400] लेकिन इतनी **उत्तेजना** और **गुस्सा** क्यों ? आखिर इस अलगाववाद का क्या मतलब है ? अपने साथियों के लिए आपके दिल में प्यार नहीं है, बल्कि [425] **नफरत** है । जो लोग या राष्ट्र एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनके आपस में नजदीक आने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है [450] लेकिन मुझे ऐसे लोगों के नजदीक आने पर सख्त नफरत है जो दूसरों को **नापसंद करते हैं** । किसी को चोट पहुँचाने [475] **के लिए** नजदीक आना बुरी बात है । **यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र** में हम इन सैनिक **गठबंधनों** के खिलाफ हैं। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 132

महोदय, हमें ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियों से **होशियार** रहना चाहिए जो मौका पाते ही देश में सिर उठाने लगती हैं । इन विघटनकारी प्रवृत्तियों में कुछ [525] ऐसी हैं जो **सांप्रदायिकता** की श्रेणी में आती हैं अर्थात किसी धर्म की आड़ में खेली जानेवाली राजनीति जिसमें एक **धार्मिक वर्ग** को [550] दूसरे से **नफरत करने के लिए उकसाया** जाता है । फिर **प्रांतवाद** या **राज्यवाद** की प्रवृत्ति है । हमारे देश में सबसे **घातक** और **खतरनाक** [575] प्रवृत्ति शायद जातिवाद की है । जब जाति प्रथा शुरू हुई थी तो बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसने [600] हमें राष्ट्रीय और **सामाजिक स्तर** पर **कमजोर** कर दिया है । इसने हमें छोटे-छोटे गुटों में बाँट दिया है । इससे लोगों में [625] वर्ग बन गए हैं । कुछ लोग अपने आपको उच्च जाति का कहते हैं तो कुछ **मध्यम जाति** का और कुछ निम्न जाति का [650] कुछ की तो कोई जाति ही नहीं है । इस तरह यह **असमानता** शुरू हुई । जिसमें एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है । मेरे विचार से [675] भारत की कमजोरी और पतन का यही मुख्य कारण रहा है । **इतिहास** के ये सारे सबक हमारे सामने हैं । हमने देखा है कि [700] अपनी बहुत-सी **अच्छाइयों** और **योग्यताओं** के बावजूद भी हम राष्ट्रों की दौड़ में बार-बार पिछड़े हैं और हमारे बीच **एकता** की इस **कमी** [725] **के कारण** ही भारत का पूरा समाज ऐसी जातियों और वर्गों में बँट गया है जो एक साथ नहीं चल पाते । इसलिए मैं हर [750] जगह भारत की एकता पर और सांप्रदायिकता, **प्रांतीयता**, अलगाववाद, राज्यवाद और जातिवाद से लड़ने की जरूरत पर जोर देता हूँ ।

जहाँ तक **मैं समझता** [775] हूँ और आशा है आप भी वैसा समझते हैं, भारत के उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम में कोई **बँटवारा** नहीं है । केवल एक भारत [800] है जिसके हम सब, आप और मैं, **उत्तराधिकारी** हैं । यह हम सब का है । भारत का यह दक्षिणी भाग या वह त्रावनकोर-कोचीन [825] राज्य आपकी **मिल्कियत** नहीं है । इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका । इसी तरह हिमालय के उत्तरी राज्य हमारी मिल्कियत [850] **नहीं हैं** । उन पर आपका भी अधिकार है । वे आपके भी उतने ही हैं जितने कि किसी अन्य भारतवासी के । इसलिए, [875] उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत प्रत्येक भारतवासी की साझी **विरासत** है । भारत का अब तक का हजारों वर्ष का इतिहास और उसकी [900] समूची संस्कृति चाहे वह उत्तर की हो या **दक्षिण** की अथवा किसी और स्थान की, हमारी साझी विरासत है । यही नहीं, हमारे सामने फैला विराट [925] **भविष्य** भी हमारी साझी विरासत बनेगा । इस बहस के **दौरान** जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और आलोचना की गई है तथा **सुझाव दिए** [950] **गए हैं**, उनके बारे में **निस्संदेह** मेरे साथी माननीय **रक्षा मंत्री महोदय** जवाब देंगे । मैंने केवल रक्षा व्यवस्था के कुछ मुख्य और [975] बुनियादी सिद्धांतों और खासकर हमारे सामने आने वाली **समस्याओं** की ओर सदन का ध्यान खींचने के लिए बहस में **हस्तक्षेप** किया है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 133

भाइयो व बहनो, धनादि जड़ वस्तुएँ हमारी हैं, और **हमारे लिए आवश्यक** हैं, यह भाव मनुष्य को मन से ही **उठा लेना चाहिए।** मनुष्य [25] को कभी भी **उत्पाती विनाशशील** वस्तुओं का **आश्रय** नहीं लेना चाहिए। उत्पाती विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेना उनकी **अधीनता** स्वीकार करना, योग मार्ग, [50] **ज्ञानमार्ग** और भक्तिमार्ग - तीनों ही मार्गों में महान बाधा है। उत्पाती विनाशशील वस्तुओं को प्राप्त कग्के अपने **बड़प्पन** का अनुभव करना [75] ही उनके अधीन होना है। सदगुण-सदाचार "सत्" है और **दुर्गुण**-दुराचार "असत्" है। असत् की तो सत्ता नहीं होती और सत् का भी [100] कभी अभाव नहीं होता। उत्पाती विनाशशील असत् का संग करने के कारण ही सत् प्रकट नहीं होता। **अस्वाभविक** दुर्गुण-**दुराचार** का त्याग कर दे [125] तो सदगुण-सदाचार **स्वतः** सिद्‌ध है। जड़ वस्तुएँ बदलती और आती-जाती हैं जबकि आत्मा कभी नहीं बदलती और **सदैव** ज्यों-की-त्यों रहती [150] है। केवल प्रकृति के अंश को पकड़ने से यह **सर्वथा** स्वाधीन होते हुए भी **पराधीन** हो जाती है और जन्म-मरण के बंधन से बंध [175] जाती है।

आध्यात्मिक उन्नति में सांसारिक वस्तु योग्यता आदि की बिलकुल आवश्यकता नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद करने पर ही **चिन्मयता** की प्राप्ति होती है। [200] वास्तव में चाहे धनवान हो या निर्धन मन से धन की **इच्छा** का त्याग करने पर दोनों समान हैं। मनुष्य शरीर **मिलने के बाद** [225] मनुष्य सांसारिक पदार्थों से **निराश हो सकता है,** क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु किसी को **बराबर** मात्रा में और **पूर्ण रूप से** नहीं [250] मिलती, परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व सभी को **समान रूप से** और पूरे के पूरे मिलते हैं। इसलिए **परमात्मा** तत्व की प्राप्ति से निराश [275] होने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकार भी मिल गया। संसार को अपना मानते ही [300] मनुष्य फँस जाता है। और तरह तरह के दुख भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि **शरीर** को संसार की सेवा में **अर्पण** कर दे [325] और स्वयं को परमात्मा को अर्पण कर दे। अपने लिए कुछ करना है ही नहीं और अपने लिए कोई वस्तु है ही नहीं ऐसा [350] **अनुभव** होते ही संसार संबंध **विच्छेद** हो जाता है। यही **कर्मयोग** है। संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का संबंध [375] नहीं है। समय होते ही वह यहाँ से चल देता है। एक दिन सब वस्तुओं को **ज्यों-का-त्यों** छोड़ कर जाना पड़ेगा। [400] सब की सब वस्तुएँ यहीं पड़ी रह जाएँगी, यह शरीर भी यहीं रह जाएगा **इसलिए जब** तक संसार में रहना है तब तक **निष्काम** [425] भाव से दूसरों की सेवा करनी है, जब जाएँगे तब साथ कुछ ले नहीं जाएँगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने **लक्ष्य** का निर्णय [450] कर ले और लक्ष्य वह रहे जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहे। इसी को **भगवान** प्राप्ति, [475] कहते हैं। मनुष्य को **दृढ़तापूर्वक** यह मान लेना चाहिए कि ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुएँ मेरी नहीं हैं। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 134

भाइयो व बहनो, मेरे तो केवल भगवान ही हैं, परमात्मा के सिवा सब कुछ "पर" है। पर (संसार) के अधीन होना **पराधीनता** हैं, उपयोग **इतना ही** 525 **है कि** पराधीनता को त्याग दें अर्थात संसार से अपना संबंध विच्छेद कर के जो **निरंतर** हमें छोड़ता चला जा रहा है उसी को 550 छोड़ना है। और यही "साधना" है। जो सदा से विमुख है वह संसार से ही **विमुख** होता है। और जो सदा से समुख है, 575 वह परमात्मा तत्व के ही समुख होता है। मनुष्य संसार में यह अपना है और यह अपना नहीं है इस प्रकार दो विभाग किए 600 हुए हैं। वह जिसे अपना मानता है उसी की चिंता उसे होती है और जिसे अपना नहीं मानता वह **धराशाही** हो जाए तो भी 625 उसकी चिंता नहीं होती। तो चिंता अपने **पण** की होती है। असत (संसार) में जो **आकर्षण** या प्रियता है वह आसक्ति कहलाती है। 650 वही आकर्षण भगवान में हो जाए तो उसे भक्ति या प्रेम कहते हैं। धन में, भोग में, परिवार आदि में जो हमारा **खिंचाव** है वह 675 खिंचाव भगवान की तरफ होते ही भक्ति हो जाती है। वास्तव में अपने में भक्ति का संस्कार भगवान का खिंचाव **स्वतः** है, पर असत से 700 संबंध जोड़ने से असत की ओर खिंचाव हो गया। लक्ष्य (परमात्मा) की प्राप्ति होने पर असत का खिंचाव मिट जाता है।

मनुष्य का कल्याण किसी 725 **परिस्थिति** के अधीन नहीं है, अधीन उसके **सदुपयोग** में है। कैसी ही प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो उसमें वह अपना कल्याण **कर** 750 **सकता है**। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि जिसमें **जीव** का कल्याण न हो सकता हो। कारण कि परमात्मा किसी भी 775 परिस्थिति में कम या अधिक समीप या दूर नहीं है, **अपितु** प्रत्येक परिस्थिति में **समान रूप से** विद्यमान है। हमारे सामने चाहे जैसी परिस्थिति, अवस्था 800 देश, काल, व्यक्ति, वस्तु आदि आएँ, वह सबकी सब परमात्मा की प्राप्ति में साधन सामग्री है। यदि मनुष्य उसका सदुपयोग करने की विद्या 825 सीख जाए तो फिर उसका कल्याण निश्चित है। **प्रतिकूल से प्रतिकूल** परिस्थिति आ जाए तो उसके एक तो पापों का नाश 850 होता है और एक नया विकास होता है परंतु **दुख से दुखी** होने पर विकास रुक जाता है। सुख आने पर तो साधन में बाधा 875 आ सकती है, पर दुख आने पर बाधा आ ही नहीं सकती, क्योंकि दुख **अटकाने वाला** नहीं है। इसलिए सुख आए या दुख, नफा 900 हो या घाटा, बीमारी आए या **स्वस्थता**, आदर हो या निरादर, **प्रशंसा** हो या निंदा, प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को समान रहना चाहिए। ऐसा 925 सुख आ जाए, इतना नफा हो जाए, ऐसी प्रशंसा हो जाए आदि की इच्छा रखने से वैसा तो होता नहीं, वह मुफ्त में दुख पाता 950 रहता है। **सुखदायी** परिस्थिति में सुखी होना भी भोग है, और दुखदायी परिस्थिति में दुखी होना भी भोग है। परंतु दोनों परिस्थितियों में **सदुपयोग** किया 975 जाए तो भोग नहीं होगा, अधिक योग होगा। अर्थात उसके द्वारा परमात्मा से संबंध हो जाएगा। "भोगी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता।" 1000

प्रतिलेखन संख्या - 135

अध्यक्ष महोदय, गांधीजी ने सभी राजनीतिक **कैदियों** को सलाह दी थी कि उन्हें आदर्श कैदी के रूप में **व्यवहार करना चाहिए**। परंतु लेखक के [25] विचार में वे स्वयं भी आदर्श कैदी नहीं थे। इस **शताब्दी** के पहले दो दशकों में भारत की जेल हमारी **संकल्पनाओं** के नर्क से काफी [50] **मिलती-जुलती** थीं। खाना, कपड़े, रहने के **हालात**, सफाई-व्यवस्था और इन सबसे **बढ़कर** कैदियों के प्रति अधिकारियों का **रवैया** सभ्य स्तर से [75] काफी नीचे था। जेल कोड के **अंतर्गत** जो थोड़ी बहुत दवा की गई थी, वह जेल के अधिकारियों के **गैरकानूनी** और **अमानवीय** रवैए के [100] कारण समाप्त हो जाती थी। राजनीतिक कैदी यह कार्य अपने ऊपर स्वयं लाद लेते थे और स्वेच्छा से **तकलीफें** उठाकर अधिकारियों के विरुद्ध **कठिनाइयाँ** [125] उत्पन्न करते थे, ताकि सरकार को **मजबूरन** जेल के हालात में सुधार करना पड़े। गैरकानूनी ढंग से कैदियों को पीटना और क्रूर **यातनाएँ** देना [150] एक आम बात थी, मारपीट से कैदियों की मृत्यु हो जाना कोई असाधारण बात न थी। जेल के **कर्मचारियों** में **भ्रष्टाचार सामान्य रूप से** [175] फैला हुआ था। सच्चा और **ईमानदार** जेल अधीक्षक शायद ही कहीं हो। अतः लेखक और उसके साथियों को **अनुचित रूप से** गड़बड़ [200] करके या भूख हड़ताल करके अधिकारियों के लिए **कठिनाइयां** पैदा करनी पड़ती थीं। इस प्रक्रिया में राजनीतिक कैदियों का पूर्ण रूप से स्वास्थ्य [225] खराब होना सामान्य बात हो गई थी। इस प्रकार विश्व युद्ध के दौरान जेलों की हालत में कुछ सुधार हुआ, क्योंकि उस समय [250] विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी रखे गए थे। **एक प्रकार से** वे **जान-बूझकर** कठिनाई पैदा करने वाले थे और **निश्चित** [275] **रूप से** आदर्श कैदी न थे। स्वयं गांधी जी ने अधिकारियों के लिए कठिनाइयाँ पैदा कीं, जब भी उन्हें कैद किया गया।

गांधीजी भिन्न [300] अर्थों में कठिनाई **पैदा करने वाले थे**। जब भी उनको जेल में रखा गया, वे जेल में आने के **तत्काल** बाद सरकार को **मुख्य** [325] **रूप से** राजनीतिक मामलों पर, परंतु प्रायः जेल के हालात पर भी, पत्र लिखने शुरू कर देते। जब 9 अगस्त, 1942 को उनको **गिरफ्तार** [350] किया गया, तो उनको पूना के निकट आगा खां महल में ले जाया गया और उनके अन्य साथियों, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों [375] को अहमदाबाद के किले में **नजरबंदी** के लिए ले जाया गया। गांधीजी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को एक विशेष रेलगाड़ी से चिंचवड [400] स्टेशन ले जाया गया। वहाँ दो दलों को **अलग-अलग कर दिया गया**। गांधीजी आगा खां महल में 9 अगस्त को सवेरे पहुँचे। [425] कांग्रेसजनों को अपनी अंतिम सलाह उन्होंने प्यारेलाल को इस प्रकार लिखाई थी, "**अहिंसा** में विश्वास रखने वाले स्वतंत्रता के हर **सिपाही** को [450] चाहिए कि वह "करो या मरो" का नारा लिखे और इसे अपने कपड़ों पर लगा ले, ताकि यदि **सत्याग्रह** में उसकी मृत्यु हो जाए [475] तो उसे सत्याग्रही और अहिंसा में विश्वास रखने वाले के रूप में पहचान लिया जाए।" देश के नाम उनके ये **अंतिम अनुदेश** थे। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 136

अध्यक्ष महोदय, अब हम उनके **जेल-जीवन** की चर्चा करेंगे। **महानिरीक्षक** (जेल) के **प्रशासनिक नियंत्रण** में महल को जेल घोषित **कर दिया गया** [525] **था**। जेल में उनके साथी थे महादेव देसाई, मीराबेन और **सरोजिनी नायडू**। एक-दो दिन बाद इस दल में **कस्तूरबा** भी शामिल [550] हो गईं, क्योंकि एक **सार्वजनिक** सभा में भाषण करने के कारण उन्हें **गिरफ्तार कर लिया गया था**। उसी दिन, 9 अगस्त को, गांधीजी [575] ने **वायसराय** को एक पत्र लिखा और एक अन्य पत्र बंबई के गवर्नर को लिखा। उन्होंने 9 तारीख को सरकार द्वारा जारी किए गए [600] प्रस्ताव का उल्लेख किया और कहा कि इसमें "**सरासर** झूठी बातें दी गई हैं।" भारत सरकार प्रस्ताव में कांग्रेस के और उनके [625] विरुद्ध झूठे **आरोप** लगाए जाने का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने एक **सत्याग्रही** के साथ अनुचित व्यवहार किए **जाने के लिए** भी विरोध [650] प्रकट किया। उन्होंने **गवर्नर** को याद दिलाया कि इस बार आंदोलन में अपने आपको गिरफ्तार कराने का कार्यक्रम नहीं रखा गया [675] बल्कि सत्याग्रही गिरफ्तारी से बचने का भी प्रयत्न कर सकता है। **चूँकि** वह अहिंसा में विश्वास रखता है, इसलिए उस पर हमला **नहीं किया** [700] **जाना चाहिए** और उसके साथ धक्का-मुक्की नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जेल अधीक्षक ने उन्हें सूचित किया [725] था कि उन्हें **समाचारपत्र** नहीं दिए जाएँगे।

परंतु सरकार के विरुद्ध **वास्तविक** आक्रमण हुआ उनके 14 तारीख के वायसराय को लिखे [750] गए पत्र द्वारा। उन्होंने सरकार के प्रस्ताव के भिन्न उपबंधों का **विश्लेषण** किया और आरोप लगाया कि इसमें तथ्यों को **तोड़ा-मरोड़ा** गया **है** [775] और यह कांग्रेस के विरुद्ध झूठे **आरोपों** से पूर्ण है। उन्होंने कहा कि "आंदोलन का उद्देश्य यह था कि लोगों में त्याग की इतनी [800] अधिक भावना जागृत की जाएगी कि सबका ध्यान इधर **आकर्षित** हो।" इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि इसे जनता का कितना **समर्थन** [825] प्राप्त है। वायसराय के विरुद्ध यह **शिकायत** थी कि कांग्रेस पर प्रहार **करने से पहले** सरकार को अथवा वायसराय को उनके [850] पत्र की **प्रतीक्षा** करनी चाहिए थी। सरकार के प्रस्ताव में सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि "भारत की सुरक्षा का काम उसके [875] सिर पर है।" गांधीजी को यह दावा सच्चाई के साथ मजाक लगा, **विशेषकर** मलाया, सिंगापुर और बर्मा की रक्षा में पूर्ण **असफलता के बाद** [900] उनके विचार में सरकार का प्रस्ताव "सत्य की हत्या" थी। वायसराय ने केवल एक वाक्य में इसका एक कटु [925] उत्तर दिया। इसके बाद महादेव देसाई की **अचानक** मृत्यु हो गई, जो कि गांधीजी के सबसे अधिक वफादार सहायक और सचिव थे। [950] भारत में **यह माना जाता था कि** उनकी मृत्यु के बाद गांधीजी ने महानिरीक्षक को एक संदेश दिया कि इसे **एक्सप्रेस** [975] तार द्वारा भेज दिया जाए। संदेश में महादेव की विधवा को केवल **सांत्वना** दी थी और हिम्मत बनाए रखने को **कहा गया था**। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 137

महोदय, **भक्ति**-**आंदोलन** और **भक्ति**-**काव्य** की चर्चा में जिस बात को बराबर **रेखांकित किया जाता रहा है** और जो **वस्तुतः** हमारी चर्चा का 25 **केंद्रीय** स्वर बनी है, वह यह कि भक्ति-काव्य धर्म और भक्ति की **केंद्रीयता** के बावजूद महज पूजा-पाठ, ध्यान **उपासना** और उनके 50 माध्यम से इस लोक के दुखों से **मोक्ष** पाते हुए परलोक में सुख भोगने का संदेश और प्रेरणा देनेवाला काव्य नहीं है, 75 धर्म और भक्ति के आवरण में वह सामाजिक **अन्याय** के विरोध में और मानवीय न्याय के पक्ष में, एक उन्नत मानवीय समाज और एक 100 **उन्नत** मूल्य-व्यवस्था के पक्ष में, खड़ा होने वाला और उसके लिए **संघर्ष** करने वाला काव्य है। ऐसा नहीं है, जैसा कि प्रायः 125 **ऊपरी तौर पर** समझ लिया जाता है कि सामाजिक अन्याय के विरोध में, मानवीय न्याय के पक्ष में **निर्गुण** संतों के स्वर ज्यादा 150 मुखर हैं और उनमें अधिक **ऊष्मा** है जबकि सगुण भक्ति की कविता में **परंपरागत** सामाजिक संरचना का प्रायः समर्थन हुआ है और उसमें 175 चली आ रही सामाजिक सोच को भी गाढ़ा किया गया है। वस्तुतः भक्ति और **अध्यात्म** की जमीन पर निर्गुण और सगुण कविता में आलंबन 200 के निर्गुण और सगुण होने के बावजूद दोनों में लगभग समानता ही है। अंतर दिखाई पड़ता है जब ये भक्त कवि अपने समय और 225 समाज पर दृष्टि डालते हैं, उनका **चित्रण** करते हैं और उन पर अपनी राय देते हैं। यहाँ जरूर ऐसा लगता है कि सगुण 250 भक्तों की तुलना में निर्गुण संतों की सामाजिक अन्याय या चली आ रही सामाजिक संरचना की **अमानवीयता** के 275 विरोध में वे ज्यादा मुखर और चिंताशील हैं, परंतु इस निर्णय पर पहुँचने के पहले हमें निर्गुण संतों और सगुण भक्तों की **रचनाशीलता** से 300 **समग्रता** में, **साक्षात्कार** करने की, उसे ऊपर-ऊपर ही नहीं, भीतर तक पढ़ने और सुनने की जरूरत है।

लोक और शास्त्र से अपने-अपने 325 लगाव के चलते **क्रमशः** निर्गुण और सगुण कविता अपने-अपने ढंग से सीमित और **सीमाबद्ध** जरूर हुई हैं, बदलते हुए समय ने भी 350 उन पर अपने निशान लगाए हैं, निर्गुण और सगुण भक्तों का समाज-दर्शन एक जैसा जरूर नहीं है, परंतु जैसा हमने कहा, **बावजूद** 375 इसके अपनी सामाजिक चिंता में, अपने मानवीय **सरोकारों** में सगुण भक्त निर्गुण संतों से एकदम अलग-थलग नहीं हैं। कविता **महज** विचार की 400 नहीं होती, मनुष्य का इंद्रियबोध और उसका भावजगत भी उसका **अभिन्न** अंग होते हैं, वरन इन्हीं भूमियों पर कविता सही 425 मायने में कविता बनती है, और **संवेदना** के **धरातल** पर अपनी स्थायी पहचान बनाती है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, विचार के स्तर पर 450 सगुण भक्तों ने जो भी कहा और **प्रतिपादित** किया हो, **भावबोध** के धरातल पर, संवेदना के धरातल पर, चित्रण के धरातल पर, विचार के 475 स्तर पर वे अपने कहे हुए से भिन्न मानव प्रेम, सामाजिक न्याय तथा उन मूल्यों को ही सामने लाते हैं जो निर्गुण भक्तों का प्रतिपाद्य है। 500

प्रतिलेखन संख्या - 138

महोदय, जरूरत **इसीलिए** सगुण और निर्गुण कविता को उसकी समग्रता में, **भीतर** तक **थाहने** और पहचानने की है । इसी क्रम में इन भक्तों 525 और संतों के **अंतर्विरोध** भी हमारे सामने आते हैं, उनकी शक्ति और सीमा हमारे सामने उद्‌घाटित होती है । अगली **पंक्तियों** में हमारा 550 लक्ष्य अंतर्विरोधों के बावजूद और उनके बीच **से यह बताना होगा कि** अपनी-अपनी जमीन, अपनी-अपनी शक्ति और सीमाओं के होते 575 हुए भी **सामान्यतः** अपने समय के लिए और हमारे समय के लिए भी भक्ति-कविता का, सगुण और निर्गुण भक्ति-कविता का **महत्वपूर्ण सामाजिक** 600 सांस्कृतिक **महत्त्व** है । भक्ति-काव्य की ये सामाजिक-सांस्कृतिक **उपलब्धियाँ** इन भक्तों और संतों के अपने-अपने समय और समाज से किए गए **साक्षात्कार** के 625 क्रम में, उनमें इनके द्वारा किए गए **हस्तक्षेप** के क्रम में और इनके अपने गहरे रचनात्मक **आत्मसंघर्ष** के क्रम में सामने 650 आई हैं । इन उपलब्धियों के पीछे गहरी और कठोर साधना का एक **जीवंत** इतिहास है, उसकी अपनी सफलताएँ, **असफलताएँ**, **असंगतियाँ** और अंतर्विरोध हैं । 675 कुल मिलाकर वे हमारी मूल्यवान विरासत हैं । आइए अपनी इस विरासत का हम खुले मन से जायजा लें ।

भक्तिकाल और **भक्ति-काव्य** 700 की चर्चा करने वाले सभी **विद्वानों** ने उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक **संक्रांति** का युग माना है । जिस युग में निर्गुण संत और सगुण 725 भक्तों की वाणी मुखर हुई और जिसे भक्ति-काव्य कहा जाता है उसका **उद्‌भव** संभव हुआ । इस संक्रांति का मुख्य कारण भारत के 750 सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में इस्लामी धर्म मत का आगमन और प्रसार था । इस बात को लेकर **आचार्यों** में भले ही मतभेद हो कि 775 भक्तिकाव्य के **आविर्भाव** के मूल में इस्लाम का क्या और कैसा प्रभाव है । जहाँ तक चले आ रहे भारतीय समाज का सवाल है 800 यह सब स्वीकार करते हैं कि इस्लाम के आगमन ने उसे एक गहरा धक्का दिया । विभिन्न धार्मिक **संप्रदायों** में बँटे हुए **विद्यमान** भारतीय समाज को 825 एक व्यापक हिंदू धर्ममत के तले **एकजुट** होने के लिए विवश होना पड़ा । इस्लाम की ओर से आई सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौती को **इसी** 850 **प्रकार** झेला जा सकता था और उसका **प्रतिकार किया जा सकता था** । विशृंखलित होती हुई समाज-व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया 875 और ऐसे रास्तों की खोज के प्रयास हुए जो भक्ति और अध्यात्म के संदर्भ में जनता के एक बड़े भाग को, बिना किसी **भेदभाव** 900 के आकर्षित करने और समेटने में **सक्षम** हों । सामाजिक स्तर पर भेदभाव विहीन सामाजिक संरचना का सवाल जटिल होने के नाते भले ही **विचारणीय** 925 न बन पाया हो, परंतु धर्म तथा भक्ति के अगुवा लोगों ने, आचार्यों और धर्माचार्यों ने कम से कम भक्ति के धरातल पर 950 मनुष्य और मनुष्य में भेद न करने की बात को जरूर उठाया और युग की अपनी विशेष स्थिति के संदर्भ में वे इस **अभियान** में 975 बहुत कुछ सफल भी हुए । उनकी इस सफलता को निर्गुण संतों की **रचनाशीलता** और सोच को **परिलक्षित** भी किया जा सकता है । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 139

भाइयो और बहनो, मुझे आज यहाँ आकर और ग्रामीण प्रबंध संस्थान के दूसरे **दीक्षांत समारोह** में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हुई है । ग्रामीण प्रबंध संस्थान [25] की स्थापना हमारी विशाल ग्रामीण **अर्थव्यवस्था** की प्रबंध संबंधी **जरूरतों को पूरा करने के लिए** की गई है । मैं इस संस्थान के **प्राधिकारियों** को [50] **मुबारकवाद** देना चाहूँगा, जिन्होंने इस संस्थान की स्थापना के दो वर्षों में ही **अग्रणी** कार्य किया है । मैं उन छात्रों को भी बधाई देना [75] चाहूँगा, **जिन्होंने** यहाँ **सफलतापूर्वक** अपनी **ट्रेनिंग** पूरी की है और जो अब व्यावहारिक जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं । [100] यह संस्थान अपनी किस्म का पहला संस्थान है, जो **युवा स्नातकों** को पूरी तरह से ग्रामीण प्रबंध में **व्यावसायिक** शिक्षा देने का काम करता है । [125] **हालाँकि** इसकी स्थापना हाल ही में हुई थी, फिर भी इस संस्थान ने देश के विकास कार्यों में पहले ही अपना प्रमुख [150] **स्थान** बना लिया है । मुझे यह जानकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में **उत्पादकों के संगठनों** के प्रबंध [175] को व्यावसायिक रूप देने की कोशिश कर रहा है । इसके लिए **प्रतिभावान** युवकों और युवतियों को ग्रामीण प्रबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी, [200] जिससे कि ऊँची योग्यता वाले नौजवान **सक्रिय** और कर्मठ प्रबंधकों का एक कॉडर **बनाया जा सके** । इसके लिए प्रबंध-कार्य में लगे मौजूदा [225] अधिकारियों की **कार्य-कुशलता** को बढ़ाया जाएगा और उनके सामने जो कार्य संचालन संबंधी समस्याएँ हैं, उनमें **रिसर्च** कराई जाएगी ।

ग्रामीण क्षेत्र के **उद्यमों** [250] को प्रबंध कार्य में प्रशिक्षित लोग उपलब्ध कराए जाने का विचार बहुत ही **उत्साहजनक है** । अभी तक हमने **औद्योगिक क्षेत्र** में विशेष ज्ञान रखने [275] वालों के बारे में ही सुना है । हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश के **आर्थिक विकास** में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । हमारी [300] जनसंख्या के लगभग 80 प्रतिशत लोग, जो देहाती **इलाकों** में रहते हैं, अपनी **रोजी-रोटी के लिए** कृषि और उससे संबंधित दूसरे देहाती [325] पेशों पर निर्भर हैं । इनमें बहुत बड़ी संख्या में **खेतिहर** मजदूर तथा **दस्तकार** लोग हैं, जो हमारे उपयोग की बहुत सारी चीज़ें **तैयार करते हैं** । [350] इस कॉलिज ने **अतीत** में देश की पुकार को सुना है और उस पर **सराहनीय** ढंग से अमल किया है । इसके **विद्यार्थियों** ने [375] देश-भक्ति के ऊँचे जजबे से स्वतंत्रता **संग्राम** में भाग लिया था । किसी भी **शिक्षा-प्रणाली** के पीछे ऐसी ही भावना होनी चाहिए । आजादी से [400] पहले शिक्षा संस्थानों के वातावरण में आजादी की भावना भरी होती थी । इसी प्रकार आज के हमारे शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय **अखंडता** और मानवता [425] की **सेवा की भावना** रहनी चाहिए । मैं **उम्मीद करता हूँ** कि गुजरात कॉलिज के **विद्यार्थी**, जो आजादी की लड़ाई में हमेशा आगे रहे हैं, वे [450] राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय विकास की कोशिशों में दूसरे लोगों से पीछे नहीं रहेंगे । **मुझे बताया गया है कि** सात वर्षों की अवधि में पूरी [475] होने वाली **485 करोड़ रुपये** की लागत वाली **आपरेशन फ्लड** द्वितीय स्टेज को ही हर साल ग्रामीण प्रबंध **कॉडर** के लगभग 400 नए **स्नातकों** की जरूरत है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 140

भाइयो और बहनो, निर्धनता, भुखमरी, बीमारी और **अज्ञानता** के खिलाफ **जेहाद** करने में कामयाबी, मेरे इन **नौजवान** दोस्तों पर **निर्भर करती है,** जो देहाती इलाकों [525] में काम करेंगे । **ग्रामीण क्षेत्र** में अभी विकास की भारी **संभावनाएँ** और काम करने के बहुत मौके मौजूद हैं, जिनकी तरफ पूरा **ध्यान दिया** [550] **जाना चाहिए।** ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और **गन्ना,** कपास, तिलहन जैसे कृषि का कच्चा माल और अनाज **पैदा करने वाले** लोगों की **खुशहाली** [575] बढ़ने से देश की आबादी के **दूसरे वर्गों** की खुशहाली भी बढ़ेगी । ग्रामीण क्षेत्र में प्रबंध योग्यता की कमी और **संगठन** के न [600] **होने के कारण** असली **उत्पादकों** को अपनी उपज के सही दाम नहीं मिल पाते । संगठन में सुधार और आधुनिक प्रबंध प्रणाली को लागू करने से [625] इस कमी की पूर्ति हो जाएगी और गाँव के लोगों को उससे वे लाभ हासिल हो सकेंगे, जिन्हें संगठित **ग्रामीण विकास के लिए** लागू [650] किए जा रहे **विभिन्न** प्रोग्रामों और योजनाओं के जरिए उन तक पहुँचाया जाना है । मुझे पूरी आशा है कि हम लगन के साथ लगातार कोशिशों [675] के जरिए **निर्धनता** को मिटाने और गरीब, पददलित और समाज के उपेक्षित और पीड़ित लोगों को ऊपर उठाने में **कामयाब** होंगे । यह कोई आसान [700] काम नहीं है । मैं एक गाँव का रहने वाला हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शहरों में पढ़े-लिखे **व्यक्तियों के लिए** [725] लोगों की **आकांक्षाओं** को समझ कर उनसे **घनिष्ठता** कायम करना कितना मुश्किल होता है । देहाती इलाकों में जो ताकतें काम कर रही हैं [750] उन्हें समझना और उन पर काबू पाना भी कठिन होता है । फिर भी मुझे यकीन है कि इस **बेजोड़** संस्थान में जो **तालीम** आप ने हासिल [775] की है, उससे न केवल आपका ज्ञान और **कार्यकुशलता** बढ़ी है, बल्कि देहात के गरीब लोगों की **सेवा करने के लिए** दृढ़ [800] निश्चय और **हिम्मत** भी आप लोगों में पैदा हुई है ।

जिन नौजवान स्नातकों ने यहाँ ट्रेनिंग पूरी की है, वे ग्रामीण क्षेत्र में **तबदीली** लाने [825] के कारगर और क्रियाशील साधन बनेंगे । **हो सकता है कि** ग्रामीण प्रबंध में उन्हें अपना काम-धंधा पैसे की दृष्टि से इतना **लाभदायक** न लगे [850] जितना कि बहुत ही संगठित और उन्नत उद्योगों में उनके साथियों को मिलता है । परंतु उन्हें एक उन्नत और **खुशहाल** ग्रामीण भारत के [875] **नवनिर्माण** में उत्साहजनक और चुनौतीपूर्ण कार्य करने में हाथ बटाने का अवसर प्राप्त होगा । मुझे शक नहीं कि उन्हें संतोषजनक **व्यवसाय** मिल सकेगा और [900] अपने ज्ञान तथा कार्यकुशलता के उपयोग का **मुनासिब** मौका भी मिलेगा । **गुजरात** राज्य **राष्ट्रपिता महात्मा गांधी** का जन्म स्थान है, जिन्होंने आजादी [925] की **खातिर** भारत के सभी भागों के कर्मठ कार्यकर्ताओं को कार्य करने की **प्रेरणा** दी थी । सेवा की उसी भावना से हम सब लोगों [950] को, **खासतौर से** देश के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा लेनी चाहिए । मुझे यकीन है कि आप सब लोग जिन्होंने महात्मा गांधी [975] की भावना से प्रेरित वातावरण में ट्रेनिंग हासिल की है, अच्छा काम करके अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग का सबूत देंगे । मैं ऐसा **महसूस** करता हूँ । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 141

महोदय, देशी **रियासतों** में प्रजा की दशा **अत्यंत दयनीय** थी । कुछ **जमींदारों**, ऊँची जाति के लोगों, **नरेशों** के नाते-**रिश्तेदारों** को **छोड़कर सामान्य** जनता [25] **विशेष रूप से** किसान, बड़ा ही **कष्टमय जीवन** बिता रहे थे । देशी रियासतों को **निरंकुशता** और निर्धनता का निचोड़ **कहा जा सकता था** । कभी-कभी [50] मर्जी होने पर नरेश लोग कुछ लोगों के साथ **उदारता** का व्यवहार भी कर देते थे, लेकिन **सामान्यतः** उन्हें अपने **ऐशो-आराम** और अपनी **निरंकुश** [75] सत्ता की ही चिंता रहती थी । देशी रियासतों की संख्या लगभग 700 थी जिनमें से **हैदराबाद**, कश्मीर, मैसूर आदि रियासतें काफी बड़ी थीं और कुछ [100] रियासतें तो ब्रिटिश भारत के किसी एक **गाँव के बराबर** छोटी थीं । कुछ रियासतों का **क्षेत्रफल** केवल कुछ एकड़ ही था । लेकिन इन्हें देशी [125] रियासतों के सारे अधिकार और दर्जा प्राप्त था । इन **नरेशों के** अधिकार एकसमान नहीं थे । कुछ नरेशों को काफी हद तक **वास्तविक सत्ता** प्राप्त [150] थी, **कम-से-कम** देखने में, और कुछ को लगान वसूलने और अपनी प्रजा को **आतंकित** करने के सिवा और कोई अधिकार नहीं थे । [175] इस हालत के लिए देशी नरेशों को ही अकेले दोषी नहीं **ठहराया जा सकता । सिद्धांत रूप में यद्यपि** उन्हें अपनी रियासत में पूरे अधिकार प्राप्त [200] थे, लेकिन **अधिकांश** में यह सत्ता केवल जनता पर दमन और **अत्याचार** की चक्की चला सकने तक ही सीमित थी। यदि वे प्रजा की दशा [225] सुधारने, या उसे किसी प्रकार का **प्रतिनिधिक** प्रशासन देने की कोशिश करते भी थे तो दिल्ली की राजधानी में बैठा सम्राट का प्रतिनिधि, **वायसराय** या [250] उन रियासतों में बैठा उसका **एजेंट** उन्हें वैसा करने से रोक देता था । ऐसा वास्तव में हुआ भी था कि नरेशों ने **उत्तरदायी** सरकार [275] **स्थापित** करने में अपनी **असमर्थता** व्यक्त की थी क्योंकि वैसा करना **सर्वोच्च** सत्ता - **ब्रिटिश सरकार** - के साथ हुई संधि की शर्तों के [300] विरुद्ध होता । वस्तुतः वायसराय केवल संधि की शर्तों की सीमा में ही रह कर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता था । जब **बरार** को लेकर [325] कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था तब **लार्ड रीडिंग** ने यह बात निजाम को अच्छी तरह समझा भी दी थी ।

यह कहना बहुत हद तक ठीक [350] होगा कि असली सत्ता विभिन्न रियासतों में नियुक्त भारत के **एजेंटों** या **रेजिडेंटों** के हाथ में होती थी और इन लोगों को भारत सरकार के [375] **पोलिटिकल डिपार्टमेंट** की **सलाह के अनुसार** चलना पड़ता था । एजेंट या **रेजिडेंट** की सहमति के बिना किसी नरेश के लिए जनता की **भलाई के लिए** [400] कोई कदम उठाना संभव नहीं था । आरंभ में इन एजेंटों या रेजिडेंटों से भारत सरकार के पोलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करने की अपेक्षा [425] की जाती थी । किंतु वी०पी० मेनन के अनुसार धीरे-धीरे उनका स्वरूप बदल कर एक **श्रेष्ठतर** सरकार के कार्यपालक और [450] **नियंत्रक** अधिकारियों का हो गया । सरकार ने इन रियासतों का उपयोग "उन गंदगी जमा करने वाले गढ़ों के रूप में किया, जिसमें [475] शेष भारत का **संचित** दुख-दर्द बह कर जमा हो सकता था ।" 1920-21 तक रियासतों में कोई **राजनीतिक** गतिविधि नहीं होती थी । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 142

महोदय, ब्रिटिश भारत में भी, **ग्रामीण क्षेत्रों** के लोग राजनीतिक **आकांक्षाओं** की तरफ से **सर्वथा उदासीन** थे, **हालाँकि** वे गरीबी और भूख से **कराह** [525] रहे थे। कांग्रेस ने, और रमेश चंद्र दत्त, दादाभाई **नौरोजी, यहाँ तक कि** विलियम डिगबी सरीखे अर्थशास्त्रियों ने इन किसानों की गरीबी [550] और **दुर्दशा** की चर्चा की थी, लेकिन रियासतों की गरीब प्रजा इन नेताओं के विचार क्षेत्र से बाहर थी । भारतीय राजनीति में गांधीजी के [575] **पदार्पण** से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की जनता में एक नई चेतना जाग्रत हुई । देशी रियासतों में भी ब्रिटिश भारतीयों की राजनीतिक **गतिविधियों** के कारण कुछ [600] सुगबुगाहट होने लगी । 1922 में देशी रियासतों के नेताओं की एक बैठक पूना में एन॰ सी॰ केलकर की अध्यक्षता में हुई । रियासतों में [625] नागरिक स्वतंत्रता **लेशमात्र** भी नहीं थी । सभा आयोजित करने या **अभिव्यक्ति** की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, अतः इन लोगों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र [650] में अपनी बैठक करनी पड़ी थी ।

इस सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद् स्थापित करने का फैसला किया गया, लेकिन इस फैसले को **कार्यान्वित** [675] **करने में** कुछ समय लगा । ब्रिटिश भारत में **असहयोग** आंदोलन की जो लहर चल रही थी, उसका असर देशी रियासतों पर भी [700] हुआ । धीरे-धीरे **प्रजामंडलों, लोक परिषदों**, प्रजा मित्र मंडलों, नागरिक अधिकार **संघों** आदि की स्थापना रियासतों में होने लगी, लेकिन ये संस्थाएँ रियासतों के [725] अंदर काम नहीं कर पाती थीं । अतः वे पड़ोस के ब्रिटिश **भारतीय क्षेत्रों** से अपनी गतिविधियाँ **संचालित कर रही थीं** । प्रजा परिषद का अगला **अधिवेशन** [750] 1926 में हुआ था । इसमें एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित करने का फैसला किया गया । एक **घोषणापत्र** में सम्मेलन ने एक संघ स्थापित [775] करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया जिसमें देशी रियासतें भी ब्रिटिश प्रांतों की सहभागी होंगी । **चेम्सफोर्ड सुधारों** में एक भावी संघ का [800] **संकेत** किया गया था जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें शामिल होंगी । भावी भारत के **उज्ज्वल** भविष्य का **चित्रण** करते हुए मांटफोर्ट रिपोर्ट में कहा [825] गया था : इस चित्र में रियासतों के लिए भी **स्थान** होगा । यही वह **प्रेरणा** थी जिसने 1926 में हुए रियासतों के प्रतिनिधियों को यह [850] घोषणा करने के लिए प्रेरित किया था कि रियासतें भी इस संघ में भागीदार होंगी । सम्मेलन में कहा गया कि "सभी भारतीय रियासतों की जनता [875] का लक्ष्य यह माँग करना और उसे पूरा **कराना होगा कि** भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के साथ समानता **के आधार पर** एक ही [900] भारतीय राष्ट्र का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए और राष्ट्र को सरकार में **उत्तरदायित्व** के बुनियादी सिद्धांतों पर **आधारित होना चाहिए** ।" किंतु **अखिल भारतीय राज्य** [925] **प्रजा परिषद** की स्थापना 1927 में ही हो सकी । इसे रियासतों में एक संगठित आंदोलन की **शुरुआत कहा जा सकता है** । [950] इसका पहला सम्मेलन बंबई में दिसंबर, 1927 में हुआ। इसका दूसरा सम्मेलन मई, 1929 में बंबई में ही हुआ । **वस्तुतः** [975] इसके सभी सम्मेलन ब्रिटिश भारत में ही हुए । इस समय तक देशी रियासतों के बारे में कांग्रेस का रवैया **अस्पष्ट**-सा ही था । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 143

स्पीकर महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके सौजन्य से मुझे खादी और ग्रामोद्योग के बारे में कुछ कहने का अवसर मिल रहा [25] है। ऐसे अवसरों का मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जैसी आर्थिक व्यवस्था है और उद्योगों संबंधी जैसी [50] रूपरेखा यहाँ सदियों से चली आ रही है, उसे देखते हुए हमारे जीवन में इन छोटे-छोटे उद्योग धंधों का बहुत अधिक महत्व है। [75] हम लोगों में यदि ऐसी धारणा न होती कि आधुनिक युग में भैतिक प्रगति का प्रतीक औद्योगीकरण ही है, घरेलू उद्योगों के लिए स्थान नहीं [100] तो इस बात को इतना जोर देकर बताने की आवश्यकता न पड़ती । यह धारणा भ्रमपूर्ण और निराधार है। यह स्पष्ट है कि भारत जैसे देश [125] में जहाँ 80 प्रतिशत लोग गाँवों में बसते हैं और 70 प्रतिशत से अधिक जीवन निर्वाह के लिए खेती और खेती से संबंध रखने वाले [150] धंधों पर ही निर्भर करते हैं, औद्योगीकरण बेकारी की समस्या को हल करने की अपेक्षा अधिक जटिल बना देता हे। इसका प्रमाण यह है [175] किं इस देश में औद्योगीकरण यद्यपि तेजी से किया जा रहा है और आज हम बहुत-सी चीजों में स्वावलंबी हो चुके हैं तो भी [200] हमारी बेकारी की समस्या हल नहीं हुई बल्कि बढ़ती हुई दीखती है। ऐसे देश में छोटे-छोटे उद्योगों का और विशेषकर ऐसे उद्योगों का [225] जो सरलता से घरों में और दूसरे धंधों के साथ किए जा सकते हैं, एक विशेष महत्व है। यदि हम इस तथ्य को समझे बिना [250] अपनी सारी शक्ति औद्योगीकरण में ही लगाने का निश्चय करें और यह आशा करें कि इससे बेकारी की समस्या हल हो जाएगी तो इसमें [275] कोई संदेह नहीं कि अंत में हमें निराश होना पड़ेगा। जब तक बेकारी दूर नहीं होगी तब तक गरीबी भी दूर नहीं हो सकती क्योंकि [300] देश में चाहे जितना भी धन हो वह उन्हीं लोगों में बँट सकता है जो धंधा करते हैं न कि उन लोगों में जो बेकार [325] हैं और यदि कोई गरीब हैं तो वे बेकार अथवा अर्ध-बेकार लोग ही हैं। इसलिए देश की संपन्नता और ग्रामीण जनता के हित [350] में इस भ्रम का निराकरण करना आवश्यक है और ग्रामोद्योगों की उन्नति करने के हेतु भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिए।

इस दिशा में इन [375] दिनों जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, वह है भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग मंडल की स्थापना। सरकार ने इस मंडल [400] को स्थापित करके ग्रामोद्योगों के महत्व को ही स्वीकार नहीं किया बल्कि उन्हें मान्यता देकर उन उद्योगों को उन्नत करने का दायित्व अपने [425] ऊपर लिया है। जहाँ तक नीति निर्धारण का प्रश्न है, यह मान लिया गया है कि देश के सामाजिक और आर्थिक आयोजन में ग्रामोद्योगों [450] को स्थान मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार यथासंभव साधन जुटाने की भी व्यवस्था कर रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में [475] मैं अधिक कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता। आप लोग तो जानते ही हैं कि खादी को उन्नत करने के संबंध में सरकार ने विचार व्यक्त कर दिया है। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 144

स्पीकर महोदय, वास्तव में समस्या बड़े उद्योगों और **ग्रामोद्योगों में सामंजस्य** स्थापित करने की है । सभी उद्योगों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और **आर्थिक दृष्टि** 525 **से** देश को **समृद्ध करना है । हमें देखना यह है कि** इन उद्देश्यों की **पूर्ति के लिए** भारी उद्योगों और **घरेलू धंधों** को देश के 550 आर्थिक जीवन में क्या **स्थान दिया जाए ।** मैं मानता हूँ कि ग्रामोद्योग तभी पनप सकते हैं जब उनके लिए पूरी सुविधाएँ हों और 575 एक विशेष प्रकार का वातावरण पैदा किया जाए । जहाँ तक **सुविधाओं** का संबंध है, **योजना आयोग** और **भारत सरकार** ने **यह सिद्धांत रूप से** स्वीकार 600 किया है कि इन उद्योगों को ऐसी सुविधाएँ दी जाएँ जिनसे खादी और दूसरे धंधों को **प्रोत्साहन** मिले और साथ ही बड़े उद्योगों पर 625 भी बुरा प्रभाव न पड़े । इसलिए **मैं समझता हूँ कि** हमारी समस्या ठीक प्रकार की सुविधाएँ सुझाने की है । प्रत्यक्ष सहायता के रूप में 650 सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है उससे खादी को कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिला है । खादी के लिए एक क्षेत्र **सुरक्षित** कर 675 देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है जिससे खादी और मिल के बने कपड़े के बीच **प्रतिस्पर्धा** न रहे । मैं समझता 700 हूँ कि केवल खादी के लिए ही नहीं, दूसरे गृह उद्योग भी ऐसे हैं जिनके लिए क्षेत्र सुरक्षित कर देने चाहिए और जिन वस्तुओं 725 का उत्पादन केवल ग्रामोद्योगों **द्वारा** ही हो, उनके लिए **हर प्रकार के** बड़े कारखानों की स्थापना रोक दी जाए और यदि आवश्यक 750 समझा जाए तो कानून का भी **सहारा** लिया जाए ।

ग्रामोद्योगों को जब तक सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और बड़े-बड़े **कारखानों** 775 के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा होने दी जाएगी तब तक उनका **पनपना असंभव** नहीं तो कठिन अवश्य है । आज तो उनको 800 प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा बड़े-बड़े कारखानों को माल **ढोने के लिए** रेलभाड़े की तथा **अनेक प्रकार** की दूसरी सुविधाएँ अधिक मिल रहीं हैं 825 और ग्रामोद्योग एक-एक करके **नष्ट होते जा रहे हैं ।** इस नीति में केवल परिवर्तन ही **नहीं किया जाना चाहिए** बल्कि 850 इसको दूसरी ओर मोड़ देना चाहिए और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएँ मिलनी चाहिए । उनके लिए 875 केवल **आर्थिक सहायता** ही काफी नहीं है । **मैं जानता हूँ कि** सरकार ने बड़े-बड़े कारखानों की सहायता के लिए करोड़ों रुपयों की सहायता दी 900 है अथवा उनको **बचाने के लिए** कर के रूप में जनता पर अरबों का बोझ लादा है । **उदाहरण के लिए** चीनी को ही लीजिए । 925 चीनी के कारखानों को विदेशी कारखानों से सफल **प्रतिस्पर्धा करने के लिए** जनता को न मालूम कितने करोड़ रुपये देने पड़े हैं । इसी प्रकार विदेशी 950 **लोहे** से भी सफल प्रतिस्पर्धा करने के लिए जनता को कितने ही वर्षों तक प्रति वर्ष **करोड़ों** रुपये देने पड़े हैं । ग्रामोद्योगों से 975 जब **करोड़ों** व्यक्तियों को लाभ **पहुँचता है** तो कोई **कारण** नहीं कि उनको **उसी प्रकार की** और उसी पैमाने पर **सहायता क्यों न दी जाए ।** 1000

प्रतिलेखन संख्या - 145

अध्यक्ष महोदय, 14, 15 और 16 फरवरी को होने वाली कार्यसमिति की बैठक के प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर दिया गया : 25 आंदोलन का सूत्रपात गांधी जी और उनके द्वारा चुने गए लोगों द्वारा किया जाएगा और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इस आंदोलन 50 को अहिंसात्मक ढंग से चलाया जाएगा । सभी कांग्रेसजनों तथा अन्य लोगों को सत्याग्रहियों के साथ सहयोग करके उनकी मदद करनी चाहिए । सामूहिक 75 सविनय अवज्ञा आरंभ होने की स्थिति में भारतवासियों का आह्वान किया गया था कि सरकार को कोई स्वैच्छिक सहयोग देना बंद कर दें । 100 अंत में, नेताओं की गिरफ्तारी की हालत में भारत की जनता खुद कांग्रेस संगठन को चलाएगी और आंदोलन का नेतृत्व करेगी । प्रस्ताव में यह नहीं 125 बताया गया था कि आंदोलन के सूत्रपात का वास्तविक स्वरूप क्या होगा ।

आंदोलन आरंभ होने से पहले बहुत-से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन 150 में शंका थी कि इसका अंत और परिणाम कैसा और क्या होगा, हालाँकि गांधीजी ने कह दिया था कि यह आंदोलन अंत 175 तक चलेगा । यह भी सवाल उठाया गया कि कहीं पिछली बार की भाँति इस आंदोलन को भी बीच में रोक तो नहीं दिया जाएगा । 200 स्मरणीय है कि पिछली बार 1922 में चौरीचौरा की घटना के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था । अपनी आत्मकथा में जवाहरलाल ने 225 इसे इस प्रकार बताया है : "महात्मा गांधीजी के अनुसार अहिंसा का तरीका ही एकमात्र सही रास्ता है और सही ढंग से इस तरीके 250 पर काम किया जाए तो अमोघ तरीका है ।" गांधीजी का यह रवैया अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को नापसंद था । अतः हमने 275 उनके साथ चर्चा की और उनकी बात से हमें ऐसा लगा कि अब उनके चिंतन की दिशा में कुछ परिवर्तन हुआ था, 300 और अब यदि आंदोलन शुरू हुआ तो किन्हीं छुटपुट हिंसा की घटनाओं के कारण आंदोलन को स्थगित करने की जरूरत नहीं थी ।" दूसरी ओर 325 संयुक्त प्रांत और पंजाब की नौजवान सभा और बंगाल की युगांतर पार्टी हिंसात्मक कार्रवाइयों की तैयारियाँ कर रही थीं, विशेष कर निहत्थी जनता पर 350 सरकार के जुल्म का बदला लेने के लिए ।

इसके बाद ही गांधीजी ने "यंग इंडिया" के स्तंभों में अपने विचारों का खुलासा करना 375 शुरू किया । 27 फरवरी, 1930 को उन्होंने लिखा कि सविनय अवज्ञा आरंभ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी है । 400 1922 में अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने लोगों से कहा था कि वे शांति रखें और कोई प्रदर्शन आदि न करें, किंतु इस बार 425 उन्होंने इससे हट कर कहा : "इस बार मेरी गिरफ्तारी के बाद मौन निष्क्रिय अहिंसा का रवैया नहीं अपनाया जाएगा बल्कि इस बार सक्रिय 450 ढंग की अहिंसा का प्रदर्शन किया जाएगा ताकि अहिंसा में विश्वास रखने वाला एक भी व्यक्ति जेल से बाहर या जिंदा न रहने पाए । हर 475 व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस की सलाह के अनुसार सविनय अवज्ञा प्रतिरोध में हिस्सा ले । 500

प्रतिलेखन संख्या - 146

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेसी **स्वयंसेवकों के** लिए उन्होंने आचरण के नियम बताते हुए कहा कि किसी **सत्याग्रही** के मन में शत्रु के प्रति [525] **किसी प्रकार** की **दुर्भावना नहीं होनी चाहिए**, उसे अपने ऊपर किए जाने वाले हमले का जवाब हमले से नहीं देना है, और न किसी **भयवश** [550] **मारपीट** को सहन करना है । सत्याग्रही का नैतिक बल इतना ऊँचा होना चाहिए कि वह मारपीट या अपमान को साहस और गरिमा के [575] साथ सहन करे । सत्याग्रही का **लक्ष्य** शत्रु का हृदय-परिवर्तन करना होना चाहिए । संसार के सबसे शक्तिशाली **साम्राज्य** के विरुद्ध लड़ने वाले [600] नेता द्वारा अपने **अनुयायियों** पर इस प्रकार का नैतिक **अनुशासन** लागू करने की घटना इतिहास में **बेजोड़** है । स्मरण रहे कि गांधीजी मात्र एक [625] राजनीतिक नेता ही नहीं थे, उससे भी बढ़ कर वह एक **आध्यात्मिक** नेता थे । गांधीजी ही कह सकते थे कि "कभी-कभी प्रेम [650] की माँग होती है कि **सविनय अवज्ञा** की जाए । आत्मा को नष्ट कर देने वाली हिंसा की गर्मी से बचने का **एकमात्र** उपाय सविनय [675] अवज्ञा ही होता है ।" गांधीजी के साथियों को शायद ऐसा लगता रहा हो कि जिस राजनीतिक लक्ष्य के लिए वे **संघर्ष** कर रहे हैं [700] उसके साथ गांधीजी की राजनीतिक **रणनीति** का मेल नहीं बैठता । एक राजनीतिक नेता का यह संतों जैसा रवैया देखकर कभी-कभी कुछ [725] कांग्रेसी लोग दबी जबान से उनकी **खिल्ली** भी उड़ाते थे । इस लेखक और **युगांतर पार्टी** के उसके साथियों के मन में गांधीजी [750] के सिद्धांतों के प्रति पूरी **श्रद्धा** नहीं थी । अगस्त, 1938 तक उन्हें ऐसा लगता रहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी घोषणा की कि [775] भारत की **आजादी के लिए** कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरी पार्टी या मंच नहीं होना चाहिए। द्वितीय महायुद्ध के दौरान गांधीजी के [800] **नेतृत्व में संदेह** रखने वालों का संदेह दूर हो गया । गांधीजी की बहुत-सी बातें उनके प्रमुख **सहयोगियों** को भी पसंद नहीं [825] थीं । यहाँ तक कि **जवाहरलाल नेहरू** और **मौलाना आजाद** ने भी लेखक के सामने यह स्वीकार किया । नेहरूजी के शब्द थे : "गांधीजी [850] के अंदर भारतीय जनता के मन को पढ़ सकने की **अलौकिक** क्षमता है । भारत की जनता को केवल वही **आंदोलित** कर सकते हैं । हम [875] उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते, भले ही हम उनकी बहुत-सी बातों को पसंद न करते हों ।"

यहाँ इसी संदर्भ में एक [900] और बात बता दें । 1930 प्रथम साढ़े तीन महीनों के दौरान गांधीजी ने अनेक **वक्तव्य** दिए, बहुत-से लेख लिखे और अपनी प्रार्थना [925] सभाओं में हजारों **आदमियों** को **संबोधित** किया । इसमें उन्होंने सत्याग्रहियों के नैतिक गुणों और अनुशासन पर तो जोर दिया ही, साथ ही आर्थिक [950] मसलों को भी पूरा महत्व दिया । **कमरतोड़** लगान, नमक-कर, खर्चीला **प्रशासन तंत्र**, राज्य **संरक्षण** में किया जाने वाला ब्रिटिश माल का आयात और [975] भारत के गाँवों में रहने वाली करोड़ों जनता के दुखों की चर्चा करते हुए वह भारत को आजाद कराने की **जरूरत** बताते थे । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 147

महोदय, हमारे सामने सबसे बड़ा और तात्कालिक प्रश्न है राहत कार्य को संगठित करने का । इस संकट का सामना करने के लिए हम धन [25] और सामग्री के रूप में सभी तरह के साधन जुटाते रहे हैं और जुटा रहे हैं । राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में [50] राहत-कार्यों में 48 लाख लोग लगे हैं। ये कार्य जिस पैमाने पर किए जा रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ था । [75] कठिनाइयाँ वास्तव में बड़ी-बड़ी हैं, लेकिन यह पहला मौका है कि सरकार को सहायता का इतना बड़ा काम हाथ में लेना पड़ा है । लगभग [100] 90 हजार विभिन्न राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कठिनाई जल आपूर्ति के अभाव की है जिसे दूर करने के लिए कुछ [125] कदम उठाए गए हैं । कुएँ खोदने, रिग्स के उत्पादन और पानी को जगह-जगह पहुँचाने के लिए परिवहन-व्यवस्था के वास्ते ऋणों और अनुदान के [150] विशाल कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । पशुओं से संबंधित मुश्किलें भी हैं । सहायता शिविर खोले गए हैं । वनों से चारा जगह-जगह पहुँचाने के [175] लिए सरकारी सहायता या कर्जे की व्यवस्था की गई है । हम चारे की नई किस्मों की खोज का भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे गन्ने [200] का ऊपरी हिस्सा । ऐसी ही अन्य चीजें भी हो सकती हैं । 4 अरब 45 करोड़ रुपये की राशि इन कार्यों के लिए दी गई है । [225] मुझे खेद है कि कभी-कभी यह बताने की कोशिश की जाती है कि हम एक राज्य की अपेक्षा दूसरे के साथ पक्षपात दिखाते हैं । [250] हमें सभी हिस्सों की कठिनाइयों पर चिंता है, चाहे वे भारत के किसी भी भाग में क्यों न हों, और हम सच्चाई से यह कोशिश [275] करते हैं कि उपलब्ध साधनों के आधार पर सभी को समान रूप से सहायता मिले ।

एक माननीय सदस्य का यह कहना था कि हमारे यहाँ [300] हमेशा ही सूखा पड़ता रहता है । मुझे कहने की अनुमति दें कि इस प्रकार के आम वक्तव्य स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर और अति [325] सरलीकरण के साथ पेश किए जाते हैं जबकि हमारे सामने बहुत गंभीर प्रश्न उपस्थित हैं । इस साल का सूखा कोई सामान्य सूखा [350] नहीं है । यह बहुत असाधारण सूखा है । इससे कितने देश प्रभावित हुए हैं, यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जो [375] देश आम तौर पर अनाज का आयात नहीं किया करते थे, उन्होंने भी इस वर्ष बड़ी मात्रा में अनाज का आयात किया है । [400] वस्तुतः इस तथ्य की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी संस्था ने ध्यान दिया है और वह विश्वव्यापी आधार पर साधन तथा धन जुटा [425] रही है जिससे सूखाग्रस्त देशों की सहायता की जा सके । उसने हमसे भी इसके लिए संपर्क किया है । हमें इस [450] कठिन वर्ष में भी मामूली आयात ही करना पड़ा है क्योंकि हमने कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर ली है और अनाज [475] का सुरक्षित भंडार बनाया है । मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूँ जो सोचते हैं कि आयात एक लज्जाजनक उपाय है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 148

महोदय, हम अवश्य ही **आत्मनिर्भर** होना चाहेंगे लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा और जिससे इतने ज्यादा लोगों को कष्ट झेलना [525] पड़ रहा हो, तो अगर हम आयात द्वारा उनकी **सहायता कर सकते हों तो** इसे गलत काम **नहीं समझना चाहिए**। फिर भी, हमने [550] मामूली आयात से ही काम चलाया है। देश के कुछ भागों में लोगों के **दारुण** कष्ट पर कुछ **माननीय सदस्यों** ने जो व्यथा व्यक्त [575] की है - मैं भी उनमें **शरीक** हूँ। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो आम तौर पर **अखबारों** के हवाले से **कुछ कहा करते हैं** [600] और मैं यह भी नहीं मानती कि अखबारों में सब कुछ सही छपता है। लेकिन अगर कोई बात छापे में देखने को मिलती है तो [625] माननीय सदस्य बहुत प्रभावित होते हैं। मुझे जिस अखबार का जिक्र यहाँ करना है वह मुझे अभी कुछ देर पहले ही देखने को [650] मिला है। इसमें एक विदेशी **संवाददाता** ने जिसने त्रिपुरा को छोड़ सूखाग्रस्त सभी राज्यों - महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मैसूर का [675] दौरा किया है, जो कुछ लिखा है वह मैं आपको सुनाना चाहूँगी - "मैंने देखा कि **अधिकांश भारतीय कृषि क्षेत्र** वर्षा की कमी का सामना [700] करने के लिए पहले की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ हैं। **हरित क्रांति** असफल नहीं हुई है। **प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी** ने जब पिछले साल गर्व [725] के साथ कहा था कि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है तो वह **लगभग** सही बात कह रही थीं।" **जैसाकि** [750] मैंने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में **सक्षम** है। इस साल, हुआ यह है कि **मुख्य रूप से** वर्षा सिंचित प्रदेशों में [775] मोटे अनाज के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। हमारी विकास-**गतिविधियों** के कारण गेहूँ की पैदावार वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ती रही है। जिन [800] इलाकों में **अक्सर** सूखा पड़ता है उनके लिए अलग से उपाय करने की जरूरत है। जैसा कि सदन को मालूम है, एक **विशेष दल** [825] इन दिनों ऐसे क्षेत्रों के **विकास के लिए कार्य-प्रणाली** को अंतिम रूप दे रहा है जो समग्र विकास के अंग के रूप में **कार्यान्वित** [850] होगी।

हमारी चिंता का एक और विषय है **खाद्यान्न** की कीमतों में वृद्धि की **समस्या**। कृषि उत्पादन में हुई कमी की स्थिति का अनुचित फायदा [875] उठाया गया है और **प्रत्येक** प्रयास को **विफलता** का सूचक बताते हुए शुरू से ही अभाव की **मानसिकता** को **बढ़ावा** दिया गया है, जिसके [900] कारण विभिन्न स्तरों पर **जमाखोरी** तथा **सट्टेबाजी** की **प्रवृत्ति** पनपी है। सदन को मालूम है कि हम अगले सीजन से गेहूँ के थोक व्यापार [925] को अपने हाथ में लेने की योजना बना रहे हैं। इसका **उद्देश्य** खाद्य **अर्थव्यवस्था** के अंतर्गत कुछ उन तत्वों को **निर्मूल करना है** [950] जो जमाखोरी और सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। मैं जानती हूँ कि यह आज के **ढाँचे** में किया जाने वाला एक बड़ा [975] परिवर्तन है जिसका निहित स्वार्थ वाले लोग विरोध करेंगे और उनकी ओर से इसे विफल करने की सभी **कोशिशें** की जाएँगी। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 149

महोदय, मेरे लिए जिसने **विज्ञान** को बाहर से ही **महसूस** किया है, यह **असमंजस** की बात है कि इसके बारे में उन लोगों [25] से कुछ निवेदन करूँ जो इसकी विभिन्न शाखाओं में **पारंगत** विज्ञानी हैं । लेकिन मैंने आपका **निमंत्रण** इसलिए स्वीकार किया कि इससे मुझे [50] विज्ञान-जगत के साथ संपर्क करने का मौका मिलता है । आपने इस **अधिवेशन** के लिए एक महिला **वैज्ञानिक** को अध्यक्ष चुना है, इसकी [75] **मुझे खुशी है । मुझे आशा है कि** आप मेरी इस प्रसन्नता के लिए मुझ पर नारी जाति का **पक्षपात** करने की बात नहीं सोचेंगे । [100] यह अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की अच्छी **शुरुआत** है । सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है जीव-विज्ञान । ज्ञान के **अन्वेषण** का क्रम अनंत है । [125] उसकी दो **प्रेरणाएँ** रही हैं । पहली प्रेरणा तो मनुष्य की **अस्तित्व** बनाए रखने की चिंता या **जिजीविषा** रही है और दूसरी, उसकी [150] चिर-**अतृप्त** ज्ञान-पिपासा रही है । इन दोनों में कोई **टकराव** नहीं है । वे कभी-कभी **समानांतर** चलते रहे हैं, परंतु अनेक बार वे [175] **एक-दूसरे में** मिल गए हैं और एक-दूसरे की **परितृप्ति** करते रहे हैं । एक से **व्यावहारिक** विज्ञान का **उदय** हुआ और दूसरे से [200] मूल विज्ञान का । भारत में हमें इन दोनों की आवश्यकता है । जब हम **अधिसंख्य** लोगों के **जीवनयापन** के स्तर को ऊँचा उठा पाएँगे, तभी [225] हम थोड़े-से **प्रतिभाशाली** लोगों के लिए उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के वास्ते **संतोषप्रद** वातावरण का निर्माण कर सकेंगे ।

आज विश्व में प्रबल [250] विचार-मंथन हो रहा है और **मनोवृत्तियों** पर **प्रश्न-चिह्न लगाए जा रहे हैं** । प्रगति के बावजूद आज के जीवन की **तीव्रतर** गति और [275] **प्रतिस्पर्धा** के कारण मनुष्य के लिए अपने **पड़ोसियों** के साथ या अपने आप में शांति के साथ रह सकना कठिन हो रहा है । [300] और उसे अपने **अस्तित्व** की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, **हालाँकि** यह एक भिन्न ढंग का और भिन्न स्तर का संघर्ष [325] है । आज खतरा असभ्य एवं सबल **आक्रांताओं** की ओर से नहीं है बल्कि उन **परिपार्श्विक** प्रभावों से है, जो मनुष्य ने अपने ही [350] **सुख-साधनों** को विकसित करने के क्रम में **उत्पन्न** किए हैं, ये प्रभाव हैं : **अलगाव** का **अहसास, तनाव** पैदा करने वाली परिस्थितियाँ, **प्रदूषण** [375] तथा **प्राकृतिक** साधनों का **विचारहीन** दोहन । यह अहसास, धीरे-धीरे किंतु **निश्चयात्मक** रूप में प्रगतिशील लोगों के विचारों का अंग बनता जा रहा है [400] और **विश्वव्यापी** चर्चा का विषय बन गया है । लेकिन ऐसे लोगों और विचारों की प्राय: उनके द्वारा खिल्ली उड़ाई जाती है जो उन [425] चीजों के निर्माण में लगे हैं जिनका प्रभाव **कालांतर** में हानिकर हो सकता है । और उन लोगों द्वारा भी, जो वायु या जल [450] के प्रदूषण को **बचाने के लिए** अपने **कारखानों** को नए सिरे से जमाने की चिंता **नहीं करना चाहते । यह हमारा दुर्भाग्य है कि** हमने [475] **औद्योगीकरण** का सिलसिला एक ऐसे समय में शुरू किया है जबकि वह पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा **खर्चीला** और **जटिल** है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 150

महोदय, कुछ दिन पूर्व मैं अपने **शांतिपूर्ण** परमाणु **विस्फोट** वाले **स्थल** की **यात्रा** पर गई थी । मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि हमारे [525] परमाणु **वैज्ञानिकों** ने जो सफलता पाई है उसके लिए राष्ट्र अपना आदर व्यक्त करता है । वह **समर्पित भावना**, दक्षता और साथ **मिलकर** काम [550] करने का **उज्ज्वल** उदाहरण था और यह काम बिना शोर-शराबे के बड़ी खूबी के साथ पूरा किया गया । **परमाणु ऊर्जा आयोग** इसके **निष्कर्षों** [575] की **छानबीन** कर रहा है और उसकी **आरंभिक** रिपोर्ट शीघ्र मिलने की आशा है । **मुझे विश्वास है कि** वैज्ञानिक समुदाय को देश की [600] अपेक्षा और भी ज्यादा प्रसन्नता हुई है । जो अनेक बधाई-संदेश मिले हैं उनमें इस तथ्य को **विशेष रूप से रेखांकित** किया गया है कि [625] इस प्रयोग ने सिद्ध कर दिखाया है कि हमारे वैज्ञानिकों को अगर एक निश्चित काम सौंपा जाए और उन्हें लगातार सरकार की सहायता मिलती रहे, [650] **खासतौर पर** प्रबंध के बारे में लचीलापन बना रहे और फिर उन्हें तकनीकी समस्याओं को विश्वास के **वातावरण** में **सुलझाने दिया जाए** तो [675] वे क्या-कुछ सफलता प्राप्त **नहीं कर सकते हैं** । यह सरकार के लिए एक सबक है । वैज्ञानिक समुदाय को भी अपनी **उदासीनता** त्याग देनी चाहिए [700] और सरकारी प्रयास के साथ-साथ **उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए** ।

भारतीय **वैज्ञानिकों के लिए** जो भी प्रमुख प्रेरणा हो, वे भारतीय विज्ञान के इस [725] **बृहत्तर** उद्देश्य से बचकर आगे नहीं बढ़ सकते कि उन्हें पहले एक ऐसे **आधुनिक समाज** का निर्माण करना है जो **वैज्ञानिक दृष्टिकोण** से [750] युक्त और **अंधविश्वास** तथा **संकीर्णता** से मुक्त हो । हमारे आलोचक चाहे कुछ भी क्यों न कहते रहें, हमें अपना मुख्य ध्येय हमेशा अपने सामने [775] रखना है और वह है : गरीबी हटाना । क्या कृषि की पैदावार बढ़ाने, **परिवार कल्याण कार्यक्रम** को ज्यादा **असरदार** बनाने, संचार साधनों का विकास करने, [800] **तात्कालिक** मसलों के हल के लिए **वैज्ञानिकों की योग्यता** का लाभ नहीं **उठाया जाना चाहिए** । इन क्षेत्रों में हमारे देश में **काफी काम किया जा** [825] **चुका है** लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है और अनुसंधान कार्य को तेज किया जाना चाहिए। हमारा ध्यान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण [850] **और लाभदायक** प्रयोग की ओर बरबस खिंच जाता है । क्या हम अपने साधनों और अपने **ऊर्जा-भंडार** को **बढ़ाने के लिए** इसकी महान [875] **संभावनाओं** की **अनदेखी कर सकते हैं** ? हम **घटनाओं** को एक खास ढंग से ही घटने के आदेश नहीं दे सकते परंतु हम उनके [900] प्रति अपनी **प्रतिक्रिया** को **नियंत्रित कर सकते हैं** । पिछले साल इन दिनों हमने तेल और मुद्रा संकट के आरंभिक **परिणामों** को **महसूस** किया था । [925] तेल, उर्वरक और **अनाज** के भाव विश्व की मंडियों में तेजी से बढ़े हैं । हमें देश के अंदर ही तेल के नए क्षेत्रों का पता [950] **लगाने के लिए** अपनी समस्त वैज्ञानिक **प्रतिभाओं** को **एकजुट** करना होगा । वैज्ञानिकों और तकनीकी **विशेषज्ञों** का समुदाय राष्ट्र के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों पर [975] सरकार की कुछ आर्थिक नीतियों के प्रभाव के बारे में **चिंतित हैं** । गत 18 महीनों में हमारी पहली प्राथमिकता रही है **मुद्रास्फीति** पर **नियंत्रण** पाना । [1000]